

  
आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

सितंबर, 2022

I.S.S.N. : 2457-0494

# उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन  
विधायी विभाग  
विधि और न्याय मंत्रालय  
भारत सरकार

**प्रधान संपादक**

**श्री कमला कान्त**

**संपादक**

श्री अविनाश शुक्ला

श्री असलम खान

**सहायक संपादक**

श्री पुण्डरीक शर्मा

**उप-संपादक**

श्री महीपाल सिंह

श्री जसवन्त सिंह

श्री जाहन्वी शेखर शर्मा

श्री अमर्त्य हेम विप्र पाण्डेय

---

**ISSN-2457-0494**

**कीमत : डाक-व्यय सहित**

एक प्रति : ₹ 195/-

वार्षिक : ₹ 2,100/-

**© 2022 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय**

---

प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग,  
भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा  
मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0494

## उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

सितम्बर, 2022 अंक - 9

प्रधान संपादक  
कमला कान्त

संपादक  
अविनाश शुक्ला



विधि साहित्य  
प्रकाशन

[2022] 3 उम. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन

विधायी विभाग

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

Online selling of law Patrikas/Books is available on  
Website  <https://bharatkosh.gov.in/product/product>

---

विक्रय कार्यालय : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001.  
दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

## संपादकीय

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका प्रतिमाह आपके अवलोकनार्थ उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित प्रतिवेद्य निर्णय, जो न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, विधि छात्रों और अकादमीशियनों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, का प्रकाशन करता है। आप लोगों से प्राप्त सुझावों के आधार पर हमको अपनी पत्रिका की गुणवत्ता सुधारने और अपने कार्य को और अधिक निखारने की शक्ति प्राप्त होती है। कृपया अपने अमूल्य सुझावों से हमें अवगत कराते रहें और हमारा मार्गदर्शन करते रहें।

इस अंक के माध्यम से आपके अवलोकनार्थ माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तारीख 2 अगस्त, 2022 को निर्णीत **सेंट्रल बैंक आफ इंडिया और अन्य बनाम दरजेंद्र सिंह जादों [2022]** 3 उम. नि. प. 311 वाले मामले में पारित निर्णय प्रस्तुत किया है। इस मामले में अपीलार्थी बैंक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने कृषि सहायक के पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की थी, जिसके संबंध में बाद में यह पाया गया कि उसने लिखित परीक्षा में अपने भाई को अपने स्थान पर परीक्षा के प्रयोजनार्थ प्रतिरूपित किया था। अतः प्रत्यर्थी को आरोप-पत्रित किया गया और तत्पश्चात् पदच्युत कर दिया गया। प्रत्यर्थी ने औद्योगिक विवाद फाइल किया, जिसमें औद्योगिक अधिकरण ने आरोप साबित न हो पाने के कारण पिछले वेतन के संदाय के बिना सेवा में बहाली का आदेश पारित कर दिया। प्रत्यर्थी ने पिछले वेतन के संदाय से इनकार करने के अधिकरण के पंचाट को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। बैंक ने भी अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी के सेवा बहाली के आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने दोनों रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके पूर्व बैंक द्वारा प्रत्यर्थी को सेवा में बहाल कर दिया गया था। प्रत्यर्थी ने बहाली के पश्चात् प्रोन्नति, वेतन के नियतन और जेष्ठता के निर्धारण के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका फाइल की। बैंक ने पूर्व न्याय (res-judicata) के सिद्धांत के आधार पर रिट याचिका का विरोध किया। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को मंजूर करते हुए अभिनिर्धारित किया कि

पहली रिट याचिका के विवादक अधिकरण द्वारा बकाया वेतन के संदाय से इनकार किए जाने के संबंध में थे किंतु दूसरी याचिका के विवादक सेवा में बहाली और बहाली के पश्चात् जेष्ठता के निर्धारण और वेतन के नियतिकरण के संबंध में थे, इसलिए दोनों रिट याचिकाओं के विवादक भिन्न थे और इसलिए पूर्व न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण नहीं हुआ। अपीलार्थी बैंक ने उच्च न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की। उच्चतम न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया कि पूर्व न्याय का सिद्धांत वहां लागू होता है, जहां पश्चात्पूर्ती कार्यवाहियों में विवादक विषय उन्हीं पक्षकारों के मध्य किसी सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में प्रत्यक्ष और सारभूत रूप से विवादक विषय रहे हों। पूर्व न्याय का सिद्धांत न्यायालय को ऐसे वाद का अवधारण करने की अधिकारिता का प्रयोग करने से विवर्जित करता है। यदि उसने पक्षकारों के बीच किसी विवादक के बाबत अंतिमता प्राप्त कर ली है। पूर्व न्याय और पुरोबंध संबंधी विवादक के मध्य विभेद है। पुरोबंध संबंधी विवादक के मामले में कोई पक्षकार, जिसके विरुद्ध किसी विवादक का विनिश्चय किया गया है, वह उस विवादक को पुनः उठाने से पुरोबंधित हो जाएगा। किंतु यदि किसी विवादक को पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में उठाया जा सकता था, किंतु उठाया नहीं गया, तो आन्वयिक पूर्व न्याय का सिद्धांत अनुतोष से इनकार करने के लिए लागू होगा क्योंकि विधि की यह नीति नहीं है कि एक ही वाद हेतुक के संबंध में न्यायालय में विविध कार्यवाहियां आरंभ की जाएं।

इस अंक में सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 को भी जानार्थ प्रकाशित किया जा रहा है। इस संपूर्ण अंक का परिशीलन करने के पश्चात् आपकी बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं ईप्सित हैं।

**अविनाश शुक्ला**

संपादक

## उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका

सितंबर, 2022

### निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य <b>बनाम</b> मोहम्मद रेहान खान	322
नेत राम यादव <b>बनाम</b> राजस्थान राज्य और अन्य	336
राजबीर सिंह <b>बनाम</b> पंजाब राज्य	356
राजस्थान राज्य और एक अन्य <b>बनाम</b> अल्ट्राटेक सीमेंट लि.	386
राजस्थान राज्य और एक अन्य <b>बनाम</b> फूल सिंह	414
राजू <b>उर्फ</b> राजेन्द्र प्रसाद <b>बनाम</b> राजस्थान राज्य	451
शिव कुमार <b>बनाम</b> मध्य प्रदेश राज्य	433
सुमन देवी (श्रीमती) <b>बनाम</b> राजस्थान राज्य (देखिए - पृष्ठ संख्या 451)	
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य <b>बनाम</b> दर्जेन्द्र सिंह जादों	311

### संसद् के अधिनियम

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	1 - 70
--	--------

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)**

– धारा 302 – हत्या – शिकायतकर्ता द्वारा दूध बेचने का कारबार करने वाले अपने पड़ोसी अपीलार्थी-अभियुक्त से खरीदे गए दूध को उसकी पत्नी द्वारा पीने पर अभिकथित रूप से उसकी मृत्यु हो जाना – अभियुक्त और इत्तिलाकर्ता के बीच धन के लेन-देन को लेकर अभियुक्त द्वारा दूध में विष मिला दिए जाने का अभिकथन किया जाना – पारिस्थितिक साक्ष्य – दोषसिद्धि – संधार्यता – जहां मृतका की मरणोत्तर परीक्षा करने वाले डाक्टर द्वारा विषाक्तकरण का कोई लक्षण न पाया गया हो, रासायनिक परीक्षक को भेजे गए नमूनों से छेड़छाड़ करने की संभावना से इनकार न किया जा सकता हो, रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट संदेहास्पद हो, पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला में कई सारी कड़ियां गायब और कमजोर पाई गई हों, अभियोजन पक्ष द्वारा पारिस्थितिक साक्ष्य और विषाक्तकरण के मामले में दोषसिद्धि अभिलिखित करने के लिए आवश्यक संघटकों में से कोई भी संघटक सिद्ध किया गया न पाया गया हो, वहां अभियुक्त के विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित न होने पर उसे संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

**राजबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य**

356

– धारा 302/34 – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – दोषसिद्धि – अपीलार्थी-अभियुक्तों (मृतक की पत्नी और सह-अभियुक्त) के बीच अभिकथित रूप से अयुक्त संबंध होना – पति-पत्नी के बीच विवाद के कारण पत्नी द्वारा अपने मायके चला जाना – मृतक द्वारा उसे और बालकों

को वापस लाने के लिए ससुराल जाना – मृतक का शव अगले दिन पेड़ से लटके हुए पाया जाना – कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न होना – अपीलार्थी-अभियुक्तों को मृतक की हत्या कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया जाना – संधार्यता – जहां अभिकथित अपराध में अभियुक्तों की अंतर्ग्रस्तता को उपदर्शित करते हुए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न हो, अभियुक्तों को अंतिम बार मृतक के साथ देखे जाने का भी कोई साक्ष्य न हो, अभियोजन पक्ष अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने और घटनाओं की ऐसी पूर्ण श्रृंखला को सिद्ध करने में असफल रहा हो जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि केवल अभियुक्तों ने ही मृतक की हत्या की थी, वहां निचले न्यायालयों द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और अभियुक्तों को दोषमुक्त करना उचित होगा ।

#### राजू उर्फ राजेन्द्र प्रसाद बनाम राजस्थान राज्य

451

– धारा 411 – चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना – अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करके उसे अपनी दुकान पर सस्ती दरों पर बेचते हुए पाया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना और अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना – संधार्यता – जहां मामले के अभिलेख से यह दर्शित होता हो कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्त के कब्जे से अभिगृहीत की गई वस्तुओं का अभिग्रहण जापन तैयार करने में त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई हो, अभिग्रहण के साक्षियों के परिसाक्ष्य में स्पष्ट विरोधाभास पाए गए हों, अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा हो कि



अभियुक्त को इस बात की जानकारी थी कि उसके कब्जे से अभिगृहीत की गई वस्तुएं चुराई हुई वस्तुएं हैं, वहां अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान पर ऐसी वस्तुओं को मात्र सस्ती दर पर बेचने से स्वतः यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उसे जानकारी थी कि वस्तुएं चुराई हुई हैं, अतः धारा 411 के अधीन आरोप को साबित करने के लिए आपराधिक मनःस्थिति का आवश्यक संघटक सिद्ध न होने पर अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है ।

शिव कुमार बनाम मध्य प्रदेश राज्य

433

**पर्यावरण विधि [सपठित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92]**

— भूमि का आबंटन — प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा एक गांव में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि क्रय किया जाना — कंपनी द्वारा सीमेंट विनिर्माण की परियोजना के लिए निकटवर्ती सरकारी भूमि से सटे खनन पट्टे अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन किया जाना — राज्य सरकार द्वारा आशय-पत्र जारी किया जाना किंतु निर्धारित अवधि के भीतर पर्यावरण मंजूरी अभिप्राप्त न होने पर आशय-पत्र को रद्द किया जाना — कंपनी द्वारा खनन अधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण अर्जी फाइल किया जाना — अधिकरण द्वारा पुनरीक्षण अर्जी मंजूर करते हुए मामले पर नए सिरे से परीक्षा किए जाने का निदेश दिया जाना — राज्य सरकार द्वारा आशय-पत्र को कतिपय शर्तों के अनुपालन के अध्यक्षीन रहते हुए प्रत्यावर्तित किया जाना — बाद में अधिकरण द्वारा उक्त आशय-पत्र को रद्द कर दिया जाना — कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल किया जाना — रिट याचिका मंजूर हो जाने पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे

के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 'जोहड़' की भूमि के आबंटन के लिए उच्च न्यायालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र/ आदेश अभिप्राप्त करने के अध्यक्षीन रहते हुए आशय-पत्र जारी किया जाना – कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ के समक्ष रिट याचिका फाइल किया जाना – रिट याचिका खारिज हो जाने पर खंड न्यायपीठ के समक्ष अपील किया जाना – खंड न्यायपीठ द्वारा दस्तावेजों का परिशीलन करने के पश्चात् जोहड़ की गैर-मुमकिन भूमि को कंपनी के पक्ष में आबंटित किए जाने का निदेश दिया जाना – राज्य सरकार द्वारा विषयांतर्गत भूमि को राजस्व अभिलेख में 'जोहड़' के रूप में अभिलिखित होने के आधार पर आबंटित न किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा कंपनी की रिट याचिका पर गुणागुण के आधार पर सुनवाई करते हुए जोहड़ की भूमि को आबंटित किए जाने का आदेश दिया जाना – राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील – तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण करके प्रस्तुत की गई दो रिपोर्टों से यह दर्शित होने पर कि विषयांतर्गत भूमि पर कोई 'जोहड़' विद्यमान नहीं है, न ही वहां कभी कोई जलाशय रहा है और न ही वहां कभी जल-भराव होता है, इसलिए विषयांतर्गत भूमि को कंपनी के पक्ष में आबंटित करने का निदेश देना न्यायोचित होगा ।

**राजस्थान राज्य और एक अन्य बनाम अल्ट्राटेक सीमेंट लि.**

386

### **सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)**

– धारा 11 – पूर्व-न्याय का सिद्धांत – सेवा विधि  
– अपीलार्थी-बैंक द्वारा कृषि सहायक के पद पर नियुक्त

प्रत्यर्थी को लिखित परीक्षा में अपने भाई को प्रतिरूपित करने के आधार आरोप-पत्रित किया जाना और बाद में उसे पदच्युत किया जाना – प्रत्यर्थी द्वारा औद्योगिक विवाद फाइल किया जाना – अधिकरण द्वारा आरोप साबित न होने के आधार पर पिछले वेतन के बिना सेवा में बहाली का आदेश दिया जाना – प्रत्यर्थी द्वारा पिछले वेतन से इनकार करने से संबंधित अधिकरण के पंचाट को उच्च न्यायालय में चुनौती दिया जाना – बैंक द्वारा भी प्रत्यर्थी की सेवा में बहाली के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दिया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा दोनों रिट याचिकाएं खारिज किया जाना – बैंक द्वारा प्रत्यर्थी को सेवा में बहाल किया जाना – प्रत्यर्थी द्वारा सेवा में अपनी बहाली के पश्चात् प्रोन्नति, वेतन के नियतन और ज्येष्ठता के लिए उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल किया जाना – बैंक द्वारा पूर्व-न्याय के सिद्धांत के आधार पर रिट याचिका का विरोध किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका मंजूर किया जाना – संधार्यता – पहली रिट याचिका में विवादक अधिकरण द्वारा पिछले वेतन से इनकार करने के संबंध में होने से किंतु दूसरी रिट याचिका में विवादक सेवा में बहाली के पश्चात् ज्येष्ठता और वेतन के नियतिकरण के संबंध में होने के कारण दोनों रिट याचिकाओं में विवादक भिन्न-भिन्न से पूर्व-न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा ।

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम दर्जेन्द्र  
सिंह जादों

**सेवा विधि [सपठित उत्तर प्रदेश सेवा-काल के दौरान सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर आश्रितों की भर्ती (दसवां संशोधन) नियम, 2004 का नियम 5(1)]**

– अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति – सरकारी कर्मचारी की सेवा-काल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित (प्रत्यर्थी) को अनुकंपा के आधार पर कनिष्ठ सहायक के तृतीय श्रेणी के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्त किया जाना – प्रत्यर्थी द्वारा सेवा नियमों में अनुबंधित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जाना – प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी की एक आनुकल्पिक पद (चतुर्थ श्रेणी) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का निदेश दिया जाना – संधार्यता – चूंकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कोई निहित अधिकार नहीं है इसलिए कोई कर्मचारी जिसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया हो, उसे उन सेवा-शर्तों से छूट प्रदान नहीं की जाती है जिनका सुसंगत नियमों के अधीन पालन किया जाना अपेक्षित है और उसे अनुकंपा नियुक्ति को शासित करने वाले नियमों या स्कीम के अधीन शर्तों का पालन करना होगा, इसलिए प्रत्यर्थी की सेवाएं समाप्त करने पर उच्च न्यायालय द्वारा उसे चतुर्थ श्रेणी के आनुकल्पिक पद पर नियुक्त करने का निदेश देना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह उन दूसरे व्यक्तियों के स्थान पर प्रवेश करने की अनुज्ञा देना होगा जो हो सकता है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हों ।

**उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम मोहम्मद रेहान खान**

**सेवा विधि [सपठित राजस्थान शैक्षणिक  
अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम 29 के  
उपनियम (10) का स्पष्टीकरण]**

– अनुरोध के आधार पर एक जिले/अंचल से दूसरे जिले/अंचल में स्थानांतरण – ज्येष्ठता में गिरावट – राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को उनकी नियुक्ति/तैनाती के समय उनके द्वारा दिए गए विकल्प के स्थान पर या उसके निकट नियुक्त/तैनात किए जाने का निदेश देते हुए परिपत्र जारी किया जाना – अपीलार्थी (निःशक्त) द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर उसे उसके गृह जिले में स्थानांतरित किया जाना – परिणामस्वरूप उसकी ज्येष्ठता में गिरावट किया जाना – अपीलार्थी द्वारा ज्येष्ठता को प्रत्यावर्तित करने के लिए अभ्यावेदन दिया जाना और खारिज होने पर उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल किया जाना – रिट याचिका खारिज हो जाना – अपील – चूंकि राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी करके निःशक्त व्यक्तियों को एक विशेष फायदा प्रदत्त किया गया था, इसलिए परिपत्र जारी करने के समय पहले से नियुक्त निःशक्त कर्मचारियों को इसके फायदे से अपवर्जित करने और केवल इस परिपत्र के जारी करने के समय नियोजित निःशक्त कर्मचारियों पर लागू करने से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अतिक्रमण होता है और प्रत्यर्थियों को अपीलार्थी की ज्येष्ठता को प्रत्यावर्तित करने का निदेश देना उचित होगा ।

**सेवा विधि [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 392 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 3/25]**

– प्रत्यर्थी-अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध आपराधिक मामला रजिस्ट्रीकृत किया जाना – अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां भी आरंभ किया जाना – विभागीय कार्यवाहियों में आरोप साबित होने पर उसे सेवा से पदच्युत किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाना किंतु अपील न्यायालय द्वारा उसे संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त किया जाना – कर्मचारी द्वारा दांडिक कार्यवाही में दोषमुक्ति के पश्चात् सेवा में बहाली के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना – आवेदन खारिज हो जाना – उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी की पदच्युति को अभिखंडित किया जाना और सेवा में बहाल करने का आदेश दिया जाना – संधार्यता – जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया हो और उन्हीं तथ्यों और आरोपों के आधार पर विभागीय कार्यवाही भी आरंभ की गई हो और आरोप साबित होने पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया हो किंतु दांडिक न्यायालय द्वारा उसे संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया हो, तो उसे केवल इस आधार पर स्वतः सेवा में बहाल नहीं किया जा सकता कि उसे दांडिक कार्यवाहियों में दोषमुक्त कर दिया गया है क्योंकि विभागीय कार्यवाही और दांडिक कार्यवाही में मूलभूत अंतर यह है कि विभागीय कार्यवाही में अपचारी कर्मचारी को 'अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता'

के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है किंतु दांडिक कार्यवाही में अभियोजन पक्ष को अपना पक्षकथन 'युक्तियुक्त संदेह के परे' साबित करना होता है, अतः उच्च न्यायालय के निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है ।

राजस्थान राज्य और एक अन्य बनाम फूल सिंह

414

---

**तुलनात्मक सारणी**  
**उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका**  
[2022] 3 उम. नि. प.  
जुलाई-सितंबर, 2022

क्र. सं.	निर्णय का नाम व तारीख	उम. नि. प.	ए. आई. आर. (एस. सी.)	एस. सी. सी.
1	2	3	4	5
1.	मुजफ्फर हुसैन <b>बनाम</b> उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (6 मई, 2022)	[2022] 3 1	2022 2216	(2022) - -
2.	कृष्ण राय (मृत) विधिक प्रतिनिधियों की मार्फत और अन्य <b>बनाम</b> बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मार्फत रजिस्ट्रार और अन्य (16 जून, 2022)	26	2924	8 713
3.	अमरीक सिंह <b>बनाम</b> पंजाब राज्य (11 जुलाई, 2022)	48	-	9 402
4.	मालती साहू <b>बनाम</b> राहुल और एक अन्य (11 जुलाई, 2022)	66	-	10 226



1	2	3	4	5
5.	जरनैल सिंह और एक अन्य <b>बनाम</b> पंजाब राज्य (12 जुलाई, 2022)	[2022] 3 85	2022 3350	(2022) 10 451
6.	शाहजा <b>उर्फ</b> शाहजां इस्माइल मोहम्मद शेख <b>बनाम</b> महाराष्ट्र राज्य (14 जुलाई, 2022)	104	-	- -
7.	शिव कुमार शर्मा <b>बनाम</b> राजस्थान राज्य (28 जुलाई, 2022)	139	-	- -
8.	भारत संघ और अन्य <b>बनाम</b> महेन्द्र सिंह (25 जुलाई, 2022)	155	-	- -
9.	प्रहलाद <b>बनाम</b> मध्य प्रदेश राज्य और एक अन्य (27 जुलाई, 2022)	170	-	- -
10.	जयप्रकाश तिवारी <b>बनाम</b> मध्य प्रदेश राज्य (4 अगस्त, 2022)	195	3601	- -
11.	खेमा <b>उर्फ</b> खेम चंद्र आदि <b>बनाम</b> उत्तर प्रदेश राज्य (10 अगस्त, 2022)	217	3765	- -

1	2	3	4	5
12.	राम निवास <b>बनाम</b> हरियाणा राज्य (11 अगस्त, 2022)	[2022] 3 237	2022 3748	(2022) - -
13.	मखन सिंह <b>बनाम</b> हरियाणा राज्य (16 अगस्त, 2022)	256	3793	- -
14.	दिबाकर नुनिया और एक अन्य <b>बनाम</b> असम राज्य (30 अगस्त, 2022)	271	4079	- -
15.	संजीत कुमार सिंह <b>उर्फ</b> मुन्ना कुमार सिंह <b>बनाम</b> छत्तीसगढ़ राज्य (30 अगस्त, 2022)	287	4051	- -
16.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य <b>बनाम</b> दर्जेन्द्र सिंह जादौ (2 अगस्त, 2022)	311	3779	- -
17.	उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य <b>बनाम</b> मोहम्मद रेहान खान (8 अगस्त, 2022)	322	-	- -
18.	नेत राम यादव <b>बनाम</b> राजस्थान राज्य और अन्य (11 अगस्त, 2022)	336	-	- -
19.	राजबीर सिंह <b>बनाम</b> पंजाब राज्य (14 अगस्त, 2022)	356	-	- -

---

1	2	3	4	5
20.	राजस्थान राज्य और एक अन्य <b>बनाम</b> अल्ट्राटेक सीमेंट लि. (26 अगस्त, 2022)	[2022] 3 386	2022 -	(2022) - -
21.	राजस्थान राज्य और एक अन्य <b>बनाम</b> फूल सिंह (2 सितंबर, 2022)	414	4176	- -
22.	शिव कुमार <b>बनाम</b> मध्य प्रदेश राज्य (7 सितंबर, 2022)	433	4170	- -
23.	राजू <b>उर्फ</b> राजेन्द्र प्रसाद <b>बनाम</b> राजस्थान राज्य (19 सितंबर, 2022)	451	4397	- -

---

—————

(xv)

(xvi)

(xvii)

(xviii)

[2022] 3 उम. नि. प. 311

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और अन्य

बनाम

दर्जेन्द्र सिंह जादों

[2022 की सिविल अपील सं. 5036]

2 अगस्त, 2022

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे. के. महेश्वरी

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) – धारा 11 – पूर्व-न्याय का सिद्धांत – सेवा विधि – अपीलार्थी-बैंक द्वारा कृषि सहायक के पद पर नियुक्त प्रत्यर्थी को लिखित परीक्षा में अपने भाई को प्रतिरूपित करने के आधार पर आरोप-पत्रित किया जाना और बाद में उसे पदच्युत किया जाना – प्रत्यर्थी द्वारा औद्योगिक विवाद फाइल किया जाना – अधिकरण द्वारा आरोप साबित न होने के आधार पर पिछले वेतन के बिना सेवा में बहाली का आदेश दिया जाना – प्रत्यर्थी द्वारा पिछले वेतन से इनकार करने से संबंधित अधिकरण के पंचाट को उच्च न्यायालय में चुनौती दिया जाना – बैंक द्वारा भी प्रत्यर्थी की सेवा में बहाली के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दिया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा दोनों रिट याचिकाएं खारिज किया जाना – बैंक द्वारा प्रत्यर्थी को सेवा में बहाल किया जाना – प्रत्यर्थी द्वारा सेवा में अपनी बहाली के पश्चात् प्रोन्नति, वेतन के नियतन और ज्येष्ठता के लिए उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल किया जाना – बैंक द्वारा पूर्व-न्याय के सिद्धांत के आधार पर रिट याचिका का विरोध किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका मंजूर किया जाना – संधार्यता – पहली रिट याचिका में विवादक अधिकरण द्वारा पिछले वेतन से इनकार करने के संबंध में होने से किंतु दूसरी रिट याचिका में विवादक सेवा में बहाली के पश्चात् ज्येष्ठता और वेतन के नियतिकरण के संबंध में होने के कारण दोनों रिट याचिकाओं में विवादक भिन्न-भिन्न से

## पूर्व-न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी को वर्ष 1975 में अपीलार्थी-बैंक में कृषि सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था । प्रत्यर्थी को उसकी नियुक्ति के चार वर्ष पश्चात् एक आरोप पत्र तामील किया गया, जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि उसने बैंक द्वारा बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, लखनऊ के माध्यम से आयोजित लिखित परीक्षा में अपने भाई को प्रतिरूपित किया था । आरोप पत्र के अनुसरण में, अनुशासनिक जांच की गई, जिसके पश्चात् अपीलार्थी-बैंक द्वारा प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया । प्रत्यर्थी ने एक औद्योगिक विवाद किया । श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय को यह विवाद निर्देशित किया कि "क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग्वालियर के प्रबंधन द्वारा श्री दर्जेन्द्र सिंह जादों, कृषि सहायक को तारीख 29 जनवरी, 1982 से सेवा से पदच्युत करने की कार्यवाही न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?" अधिकरण ने अपने पंचाट द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी-बैंक प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रतिरूपण के आरोप को साबित नहीं कर सका था और इसलिए पदच्युति अन्यायोचित थी । तथापि, अधिकरण ने यह पाया कि प्रत्यर्थी सेवा समाप्ति के पश्चात् संपूर्ण मध्यवर्ती अवधि में लाभप्रद रूप से नियोजित रहा था और इसलिए पिछले वेतन के बिना बहाली का सीमित अनुतोष दिया गया । प्रत्यर्थी ने बाद में अधिकरण के पंचाट, जहां तक इसका संबंध प्रत्यर्थी को पिछले वेतन से इनकार करने से था, को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका फाइल की । प्रत्यर्थी ने उक्त रिट याचिका में उसे खर्चे सहित पिछले पूर्ण वेतन, सेवा में निरंतरता और अन्य पारिणामिक फायदों तथा ऐसे अन्य अनुतोष जो न्याय करने के लिए आवश्यक हों, देते हुए अधिकरण के पंचाट के उपांतरण की ईप्सा की । अपीलार्थियों ने भी अधिकरण के पंचाट के विरुद्ध, जहां तक इसका संबंध प्रत्यर्थी को सेवा में बहाल किए जाने का निदेश देने का था, एक रिट याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय ने एक सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा दोनों रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया । अपीलार्थी-बैंक द्वारा प्रत्यर्थी को उसके रिपोर्ट करने की तारीख से बहाल कर दिया गया था । प्रत्यर्थी ने इसके पश्चात् मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर में

एक रिट याचिका फाइल की, जिसमें अपीलार्थी-बैंक को यह आदेश देने की ईप्सा की गई कि प्रत्यर्थी को अधिकरण के पंचाट की तारीख तक सैद्धांतिक रूप से वेतन नियत करके और पंचाट की तारीख से वास्तविक वेतन के संदाय के साथ कृषि वित्त अधिकारी के पद पर बहाल किया जाए। प्रत्यर्थी ने यह भी अनुरोध किया कि उसकी पिछली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी-बैंक को उसकी ज्येष्ठता और वर्तमान वेतन निर्धारित करने का भी निदेश दिया जाए। अपीलार्थी-बैंक ने रिट याचिका का विरोध किया और इसे पूर्व-न्याय के सिद्धांत द्वारा वर्जित होने के आधार पर खारिज किए जाने का अनुरोध किया। उच्च न्यायालय द्वारा उक्त रिट याचिका को मंजूर किया गया। अपीलार्थी-बैंक द्वारा व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – पूर्व-न्याय का सिद्धांत वहां लागू होता है जहां पश्चात्कर्ती कार्यवाहियों में विवादक विषय उन्हीं पक्षकारों के बीच किसी सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में प्रत्यक्ष रूप से और सारभूत रूप से विवादक विषय रहा है। पूर्व-न्याय का सिद्धांत न्यायालय को ऐसे वाद का अवधारण करने की अधिकारिता का प्रयोग करने से विवर्जित करता है, यदि उसने पक्षकारों के बीच अंतिमता प्राप्त कर ली है। पूर्व-न्याय और पूरोबंध संबंधी विवादक के बीच विभेद है। पूरोबंध संबंधी विवादक के मामले में कोई पक्षकार जिसके विरुद्ध किसी विवादक का विनिश्चय किया गया है, वह उस विवादक को पुनः उठाने के लिए पूरोबंधित हो जाएगा। जहां कोई विवादक पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में उठाया जा सकता था किंतु उठाया नहीं गया, तो आन्वयिक पूर्व-न्याय का सिद्धांत अनुतोष से इनकार करने के लिए लागू होगा क्योंकि विधि की यह नीति नहीं है कि एक ही वाद हेतुक के संबंध में न्यायालय में बहुविध कार्यवाहियां आरंभ की जाएं। जहां कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए वाद हेतुक एक सुभिन्न वाद हेतुक है, तो पूर्व-न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा। पूर्ववर्ती रिट याचिका, जो 2009 की रिट याचिका सं. 3091 (एस) है, में जो विवादक था वह पंचाट की विधिमान्यता और अन्य पारिणामिक फायदों के संबंध में था। 2013 की रिट याचिका सं. 1571 के लिए वाद हेतुक बाद में उद्भूत हुआ था। बाद की रिट याचिका में विवादक यह नहीं था कि क्या प्रत्यर्थी पंचाट की

तारीख से पूर्व की अवधि के लिए पिछले वेतन का हकदार था या नहीं, जो विवादक पूर्ववर्ती रिट याचिका में विनिश्चित किया गया था अपितु सेवा में बहाली के उपरांत वेतन के नियतन और ज्येष्ठता का विवादक था। दूसरी रिट याचिका में प्रश्न यह था कि क्या ज्येष्ठता और वेतन के नियतन के प्रयोजन के लिए प्रत्यर्थी को एक नए सिरे से नियुक्त कर्मचारी समझा जाए और वह भी तारीख 18 अगस्त, 2012 से, जब तारीख 10 सितंबर, 2008 को उसकी बहाली का निदेश देते हुए पंचाट दिया गया था। इस न्यायालय के सुविचारित मत में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी को ठीक ही अनुतोष प्रदान किया था। उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थियों की अपील खारिज कर दी थी और यह निदेश दिया था कि प्रत्यर्थी को सेवा से पदच्युति की तारीख से सेवा में वास्तविक बहाली की तारीख तक सेवा में समझा जाएगा और तदनुसार ज्येष्ठता और प्रोन्नति पर विचार किए जाने के अधिकार का हकदार होगा किंतु पिछले वेतन का हकदार नहीं होगा। यह न्यायालय उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ और खंड न्यायपीठ के समवर्ती निष्कर्षों में कोई खामी नहीं पाता है। पुनर्नियुक्ति और सेवा में बहाली के बीच फर्क है। बहाली का अर्थ किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी पूर्ववर्ती स्थिति या प्रास्थिति में लौटाना है। बहाली का आदेश किसी व्यक्ति को उसी स्थिति में वापस ला देता है। अधिकरण ने प्रत्यर्थी को बहाली का अनुतोष प्रदान किया था। अधिकरण ने इस बात पर विचार करते हुए कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी-बैंक में वास्तव में सेवा नहीं की थी और वह मध्यवर्ती अवधि में कमाई कर रहा था, उसे पिछले वेतन से इनकार कर दिया था। अधिकरण और उच्च न्यायालय (एकल न्यायपीठ और खंड न्यायपीठ) दोनों ने प्रभावी रूप से और सारभूत रूप से प्रत्यर्थी की सेवा की समाप्ति को गलत पाया था। अपीलार्थी-बैंक प्रत्यर्थी को सेवा से गलत रूप से पदच्युत करके, उसे ज्येष्ठता, प्रोन्नति के फायदे और उन अन्य फायदों से इनकार करके स्वयं की गलती का फायदा नहीं ले सकता है जिनके लिए वह हकदार होता, यदि उसने अपनी इयूटी की होती। (पैरा 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22)

**अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2022 की सिविल अपील सं. 5036.**



2015 की रिट अपील सं. 310 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर न्यायपीठ द्वारा तारीख 3 अप्रैल, 2017 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

**अपीलार्थियों की ओर से**

श्री देबल बनर्जी, ज्येष्ठ अधिवक्ता और सुश्री मीरा माथुर

**प्रत्यर्थी की ओर से**

सर्वश्री प्रशांत शुक्ला, अनुश्री शुक्ला, (सुश्री) प्रतिभा यादव, मयंक गौतम और पशुपति नाथ राजदान

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने दिया ।

**न्या. बनर्जी**— इजाजत दी गई ।

2. यह अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर की खंड न्यायपीठ द्वारा तारीख 3 अप्रैल, 2017 को पारित किए गए उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई 2015 की रिट अपील सं. 310 को खारिज कर दिया गया था जो प्रत्यर्थी द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन फाइल की गई 2013 की रिट याचिका सं. 1571 को मंजूर करते हुए एकल न्यायपीठ द्वारा तारीख 7 अगस्त, 2015 को पारित किए गए आदेश के विरुद्ध फाइल की गई थी ।

3. तारीख 23 अप्रैल, 1975 को या इसके आसपास प्रत्यर्थी को अपीलार्थी-बैंक में कृषि सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था और उसे मध्य प्रदेश में इसकी कैलारस शाखा में तैनात किया गया था ।

4. प्रत्यर्थी को उसकी नियुक्ति के चार वर्ष पश्चात् तारीख 18 सितंबर, 1979 को एक आरोप पत्र तामील किया गया था जिसमें यह अभिकथन किया गया था कि उसने बैंक द्वारा तारीख 6 मई, 1979 को बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड, लखनऊ के माध्यम से आयोजित लिखित परीक्षा में अपने भाई को प्रतिरूपित किया था और उसकी ओर से प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे । आरोप पत्र के अनुसरण में, अनुशासनिक जांच की गई, जिसके पश्चात् अपीलार्थी-बैंक द्वारा तारीख 29 जनवरी, 1982 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया ।

5. प्रत्यर्थी ने एक औद्योगिक विवाद किया । श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने तारीख 7 अप्रैल, 1988 की अधिसूचना सं. एल-12012/135/84-डी.॥(ए) द्वारा केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिकरण" कहा गया है) को यह विवाद निर्देशित किया कि "क्या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ग्वालियर के प्रबंधन द्वारा श्री दर्जेन्द्र सिंह जादों, कृषि सहायक को तारीख 29 जनवरी, 1982 से सेवा से पदच्युत करने की कार्रवाई न्यायोचित थी ? यदि नहीं, तो कर्मकार किस अनुतोष का हकदार है ?"

6. अधिकरण ने तारीख 10 सितंबर, 2008 के पंचाट द्वारा यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी-बैंक प्रत्यर्थी के विरुद्ध प्रतिरूपण के आरोप को साबित नहीं कर सका था और इसलिए पदच्युति अन्यायोचित थी । तथापि, अधिकरण ने यह पाया कि प्रत्यर्थी सेवा समाप्ति के पश्चात् संपूर्ण मध्यवर्ती अवधि में लाभप्रद रूप से नियोजित रहा था और इसलिए पिछले वेतन के बिना बहाली का सीमित अनुतोष दिया गया था । अपीलार्थियों ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी की सेवा की निरंतरता के लिए या पारिणामिक फायदों के लिए कोई विनिर्दिष्ट या साधारण निदेश नहीं दिया गया था ।

7. प्रत्यर्थी ने तारीख 12 जुलाई, 2009 या इसके आसपास अधिकरण के पंचाट, जहां तक इसका संबंध प्रत्यर्थी को पिछले वेतन से इनकार करने से था, को चुनौती देते हुए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर में 2009 की रिट याचिका सं. 3091(एस) फाइल की । प्रत्यर्थी ने उक्त रिट याचिका में उसे खर्च सहित पिछले पूर्ण वेतन, सेवा में निरंतरता और अन्य पारिणामिक फायदों तथा ऐसे अन्य अनुतोष जो न्याय करने के लिए आवश्यक हों, देते हुए तारीख 10 सितंबर, 2008 के पंचाट के उपांतरण की ईप्सा की ।

8. अपीलार्थियों ने भी तारीख 10 सितंबर, 2008 के पंचाट के विरुद्ध, जहां तक इसका संबंध प्रत्यर्थी को सेवा में बहाल किए जाने का निदेश देने का था, 2009 की रिट याचिका सं. 621 (एस) फाइल की । उच्च न्यायालय ने तारीख 8 मई, 2012 के एक सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा दोनों रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया । अपीलार्थियों ने यह उल्लेख किया कि तारीख 8 मई, 2012 के आदेश के अनुपालन

में अपीलार्थी-बैंक ने प्रत्यर्थी को उसके रिपोर्ट करने की तारीख अर्थात् 18 अगस्त, 2022 से बहाल कर दिया था ।

9. प्रत्यर्थी ने मार्च, 2013 में किसी समय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर में 2013 की एक रिट याचिका सं. 1571 फाइल की जिसमें अपीलार्थी-बैंक को यह आदेश देने की ईप्सा की गई थी कि प्रत्यर्थी को तारीख 10 सितंबर, 2008 अर्थात् अधिकरण के पंचाट की तारीख तक सैद्धांतिक रूप से वेतन नियत करके और तारीख 10 सितंबर, 2008 से, जो पंचाट की तारीख है, वास्तविक वेतन के संदाय के साथ कृषि वित्त अधिकारी के पद पर बहाल किया जाए । प्रत्यर्थी ने यह भी अनुरोध किया कि उसकी पिछली सेवाओं को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी-बैंक को उसकी ज्येष्ठता और वर्तमान वेतन निर्धारित करने का भी निदेश दिया जाए ।

10. अपीलार्थी-बैंक ने रिट याचिका का विरोध किया और रिट याचिका को पूर्व-न्याय के सिद्धांतों द्वारा वर्जित होने के आधार पर रिट याचिका के बनाए रखने के बारे में प्रारंभिक आक्षेप करते हुए एक उत्तर फाइल किया ।

11. उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने तारीख 7 अगस्त, 2015 के निर्णय और आदेश द्वारा रिट याचिका मंजूर की । एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया :-

“अधिकरण ने केंद्रीय सरकार द्वारा यह न्यायनिर्णयन करने के लिए कि क्या प्रत्यर्थियों ने याची को सेवा से हटाकर न्यायोचित किया था, किए गए निर्देश के उपरांत इस निर्देश का उत्तर नकारात्मक और याची-कर्मकार के पक्ष में दिया था और यह अभिनिर्धारित किया था कि याची को सेवा से गलत रूप से हटाया गया था । तदनुसार, अधिकरण ने बहाली का आदेश दिया किंतु पिछले वेतन के बिना । ‘बहाली’ शब्द का समझा जा सकने वाला विधिक अर्थ किसी संदेह से रहित है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों के अनेक विनिश्चयों द्वारा ‘बहाली’ शब्द को असंदिग्ध रूप से स्पष्ट किया गया है, जिसका यह आशय है कि जब एक बार प्राधिकरण या न्यायालय किसी कर्मचारी की बहाली के लिए आदेश देता है, तब उस कर्मचारी

की स्थिति उस तारीख से वापस प्रत्यावर्तित हो जाती है जिस तारीख को उसे सेवा से हटाया गया था । इसलिए प्रत्यर्थियों ने याची की पदच्युति की तारीख से उसकी बहाली की तारीख तक की अवधि को अपवर्जित करके और उसे पूर्णतः अकार्य दिवस मानकर तथा याची को पूर्वोक्त सेवा की अवधि के फलस्वरूप उसे मिलने वाले सेवा के फायदों को मंजूर न करके न्यायोचित नहीं किया था । इस न्यायालय की राय में, प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा पारित आदेश (उपाबंध पी/1) अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुरूप नहीं है । इसलिए आक्षेपित आदेश, जहां तक इसका संबंध याची को मध्यवर्ती अवधि (याची की पदच्युति की तारीख की अवधि से उसकी सेवा में बहाली की तारीख तक) के फायदों से, पिछले वेतन से इनकार करने के सिवाय, इनकार करने का है, अभिखंडित किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि याची को पिछले वेतन के सिवाय उसकी पदच्युति की तारीख से सेवा में वास्तविक बहाली की तारीख तक सेवा में मानते हुए सभी फायदों का हकदार माना जाएगा । यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि बहाली के परिणामस्वरूप याची पंचाट की तारीख से, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 17ख के अधीन पहले ही संदत्त की गई रकम का समायोजन करने के अध्यक्षीन नियमित वेतन का हकदार है ।”

12. अपीलार्थी-बैंक की ओर से हाजिर होने वाले ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री देबल बनर्जी ने ठीक ही यह दलील दी कि पूर्व-न्याय का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के अधीन रिट कार्यवाहियों पर लागू होता है । इस प्रतिपादना के बारे में कोई विवाद नहीं किया जा सकता है । यह भी सही है कि उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी-बैंक की ओर से उठाए गए पूर्व-न्याय के विवादक पर विनिर्दिष्ट रूप से विचार नहीं किया था ।

13. जहां विधि विषयक किसी विवादक के आधार पर किसी आवेदन/वाद के बनाए रखने के आक्षेप पर अभिव्यक्त रूप से विचार नहीं किया जाता है किंतु आवेदन/वाद को गुणागुण के आधार पर ग्रहण किया जाता है और उसका निपटारा किया जाता है वहां ऐसे आक्षेप को नामंजूर

किया गया समझा जाएगा । मात्र यह तथ्य कि किसी विवादक पर विनिर्दिष्ट रूप से विचार नहीं किया गया है, या उस विवादक पर विनिश्चय के लिए कारणों को विनिर्दिष्ट रूप से प्रकट नहीं किया गया है, तो इससे निर्णय और आदेश, जो अन्यथा सही है, दूषित नहीं हो जाएगा ।

14. यह कहना सही नहीं है कि प्रत्यर्थी ने इस न्यायालय का आदेश इस तथ्य को छिपाकर अभिप्राप्त किया था कि प्रत्यर्थी द्वारा पहले फाइल की गई रिट याचिका खारिज कर दी गई थी । रिट याचिका के पैरा 5.5 में प्रत्यर्थी ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया था कि दोनों पक्षकारों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अधिकरण के पंचाट को चुनौती दी थी – अपीलार्थी-बैंक के प्रबंधन ने संपूर्ण पंचाट के विरुद्ध और प्रत्यर्थी ने पिछले वेतन से मना करते हुए पंचाट के भाग को चुनौती दी गई थी । दोनों रिट याचिकाओं अर्थात् प्रत्यर्थी द्वारा फाइल की गई 2009 की रिट याचिका सं. 621 (एस) और अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई 2009 की रिट याचिका सं. 3091 (एस) को साथ-साथ सुना गया था और तारीख 8 मई, 2012 के एक सामान्य आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था । प्रत्यर्थी ने न केवल इस तथ्य का उल्लेख किया था कि उसने पहले एक रिट याचिका आरंभ की थी अपितु पूर्ववर्ती रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय के सामान्य निर्णय और आदेश की एक प्रति भी उपाबंध पी-4 के रूप में संलग्न की थी ।

15. भले ही न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-बैंक द्वारा एक आरंभिक विवादक के रूप में उठाए गए पूर्व-न्याय के विवादक पर विनिर्दिष्ट रूप से विचार न किया गया हो, तो भी एकल न्यायपीठ के निर्णय और आदेश के साथ-साथ खंड न्यायपीठ के निर्णय और आदेश से भी यह स्पष्ट है कि दूसरी रिट याचिका पूर्व-न्याय के सिद्धांत या समवर्ती सिद्धांत द्वारा वर्जित नहीं थी ।

16. पूर्व-न्याय का सिद्धांत वहां लागू होता है जहां पश्चात्कर्ती कार्यवाहियों में विवादक विषय उन्हीं पक्षकारों के बीच किसी सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय में पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में प्रत्यक्ष रूप से और सारभूत रूप से विवादक विषय रहा है । पूर्व-न्याय न्यायालय को ऐसे वाद का अवधारण करने की अधिकारिता का प्रयोग करने से

विवर्जित करता है, यदि उसने पक्षकारों के बीच अंतिमता प्राप्त कर ली है। पूर्व-न्याय और पूरोबंध संबंधी विवादक के बीच विभेद है। पूरोबंध के विवादक के मामले में कोई पक्षकार जिसके विरुद्ध किसी विवादक का विनिश्चय किया गया है, वह उस विवादक को पुनः उठाने के लिए पूरोबंधित हो जाएगा।

17. जहां कोई विवादक पूर्ववर्ती कार्यवाहियों में उठाया जा सकता था किंतु उठाया नहीं गया, तो आन्वयिक पूर्व-न्याय का सिद्धांत अनुतोष से इनकार करने के लिए लागू होगा क्योंकि विधि की यह नीति नहीं है कि एक ही वाद हेतुक के संबंध में न्यायालय में बहुविध कार्यवाहियां आरंभ की जाएं। जहां कार्यवाहियां आरंभ करने के लिए वाद हेतुक एक सुभिन्न वाद हेतुक है, तो पूर्व-न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होगा।

18. पूर्ववर्ती रिट याचिका, जो 2009 की रिट याचिका सं. 3091 (एस) है, में जो विवादक था वह पंचाट की विधिमान्यता और अन्य पारिणामिक फायदों के संबंध में था। 2013 की रिट याचिका सं. 1571 के लिए वाद हेतुक बाद में उद्भूत हुआ था। बाद की रिट याचिका में विवादक यह नहीं था कि क्या प्रत्यर्थी पंचाट की तारीख से पूर्व की अवधि के लिए पिछले वेतन का हकदार था या नहीं, जो विवादक पूर्ववर्ती रिट याचिका में विनिश्चित किया गया था अपितु सेवा में बहाली के उपरांत वेतन के नियतन और ज्येष्ठता का विवादक था। दूसरी रिट याचिका में प्रश्न यह था कि क्या ज्येष्ठता और वेतन के नियतन के प्रयोजन के लिए प्रत्यर्थी को एक नए सिरे से नियुक्त कर्मचारी समझा जाए और वह भी तारीख 18 अगस्त, 2012 से, जब तारीख 10 सितंबर, 2008 को उसकी बहाली का निदेश देते हुए पंचाट दिया गया था।

19. हमारे सुविचारित मत में, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी को ठीक ही अनुतोष प्रदान किया था। उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थियों की अपील खारिज कर दी थी और यह निदेश दिया था कि प्रत्यर्थी को सेवा से पदच्युति की तारीख से सेवा में वास्तविक बहाली की तारीख तक सेवा में समझा जाएगा और तदनुसार ज्येष्ठता और प्रोन्नति पर विचार किए जाने के अधिकार का हकदार होगा किंतु पिछले वेतन का हकदार नहीं होगा।

20. हम उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ और खंड न्यायपीठ के समवर्ती निष्कर्षों में कोई खामी नहीं पाते हैं। पुनर्नियुक्ति और सेवा में बहाली के बीच फर्क है। बहाली का अर्थ किसी व्यक्ति या वस्तु को उसकी पूर्ववर्ती स्थिति या प्रास्थिति में लौटाना है। बहाली का आदेश किसी व्यक्ति को उसी स्थिति में वापस ला देता है।

21. अधिकरण ने प्रत्यर्थी को बहाली का अनुतोष प्रदान किया था। अधिकरण ने इस बात पर विचार करते हुए कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी-बैंक में वास्तव में सेवा नहीं की थी और वह मध्यवर्ती अवधि में कमाई कर रहा था, उसे पिछले वेतन से इनकार कर दिया था। अधिकरण और उच्च न्यायालय (एकल न्यायपीठ और खंड न्यायपीठ) दोनों ने प्रभावी रूप से और सारभूत रूप से प्रत्यर्थी की सेवा की समाप्ति को गलत पाया था।

22. अपीलार्थी-बैंक प्रत्यर्थी को सेवा से गलत रूप से पदच्युत करके, उसे ज्येष्ठता, प्रोन्नति के फायदे और उन अन्य फायदों से इनकार करके स्वयं की गलती का फायदा नहीं ले सकता है जिनके लिए वह हकदार होता, यदि उसने अपनी इयूटी की होती।

23. तदनुसार, यह अपील खारिज की जाती है।

अपील खारिज की गई।

जस.

---

[2022] 3 उम. नि. प. 322

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

बनाम

मोहम्मद रेहान खान

[2022 की सिविल अपील सं. 5212 और 5213]

8 अगस्त, 2022

न्यायमूर्ति डा. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना

सेवा विधि [सपठित उत्तर प्रदेश सेवा-काल के दौरान सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर आश्रितों की भर्ती (दसवां संशोधन) नियम, 2004 का नियम 5(1)] – अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति – सरकारी कर्मचारी की सेवा-काल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित (प्रत्यर्थी) को अनुकंपा के आधार पर कनिष्ठ सहायक के तृतीय श्रेणी के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्त किया जाना – प्रत्यर्थी द्वारा सेवा नियमों में अनुबंधित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण न करने पर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जाना – प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी की एक आनुकल्पिक पद (चतुर्थ श्रेणी) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने का निदेश दिया जाना – संधार्यता – चूंकि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति कोई निहित अधिकार नहीं है इसलिए कोई कर्मचारी जिसे अनुकंपा के आधार पर नियुक्त किया गया हो, उसे उन सेवा-शर्तों से छूट प्रदान नहीं की जाती है जिनका सुसंगत नियमों के अधीन पालन किया जाना अपेक्षित है और उसे अनुकंपा नियुक्ति को शासित करने वाले नियमों या स्कीम के अधीन शर्तों का पालन करना होगा, इसलिए प्रत्यर्थी की सेवाएं समाप्त करने पर उच्च न्यायालय द्वारा उसे चतुर्थ श्रेणी के आनुकल्पिक पद पर नियुक्त करने का निदेश देना न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह उन दूसरे व्यक्तियों के स्थान पर प्रवेश करने की अनुज्ञा देना होगा जो हो सकता है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हों ।



इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी के पिता को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शाहजहांपुर में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी अधिकारी के कार्यालय में ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया था। उसकी वर्ष 2015 में सेवा-काल के दौरान मृत्यु हो गई थी। प्रत्यर्थी को अर्थशास्त्र और सांख्यिकी कार्यालय शाहजहांपुर में कनिष्ठ सहायक के तृतीय श्रेणी के पद पर 'अस्थायी आधार पर' नियुक्त किया गया था। तारीख 30 मई, 2016 के नियुक्ति पत्र में यह अनुबंधित था कि प्रत्यर्थी को उत्तर प्रदेश सेवा-काल के दौरान सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर आश्रितों की भर्ती (दसवां संशोधन) नियम, 2014 के नियम 5(1) में अनुबंधित शर्त के निबंधनों के अनुसार एक वर्ष के भीतर 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति अर्जित करनी होगी। संशोधित नियमों के अनुसार कम्प्यूटर में दक्षता प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित था। प्रत्यर्थी ने कम्प्यूटर में दक्षता प्रमाणपत्र अर्जित कर लिया था। वह टंकण परीक्षा के प्रथम प्रयास में असफल रहा। उसके पश्चात् टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का दूसरा अवसर दिया गया। तारीख 8 अगस्त, 2019 को यह अधिसूचित किया गया कि प्रत्यर्थी टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ है। तारीख 11 सितंबर, 2019 को बरेली मंडल के उप निदेशक (अर्थशास्त्र और सांख्यिकी) ने प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त कर दिया। प्रत्यर्थी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका संस्थित की, जिसमें प्रत्यर्थी के नियोजन को समाप्त करते हुए तारीख 11 सितंबर, 2019 के आदेश को अभिखंडित करने और अपीलार्थियों को उसे सेवा में बहाल करने का निदेश देते हुए एक परमादेश जारी करने की ईप्सा की गई थी। उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने मुकुल सागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाले मामले में के एक पूर्ववर्ती विनिश्चय का अवलंब लिया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया था कि यद्यपि अनुकंपा के आधार पर कर्मचारी को विहित अर्हताएं पूर्ण न करने के लिए 2014 के नियमों के नियम 5 के निबंधनों के अनुसार सेवा से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए किंतु प्राधिकारी चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए दावे पर विचार कर सकते थे। यह मत व्यक्त किया गया था कि ऐसा निर्वचन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य के

अनुरूप होगा। एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका का इस निदेश के साथ निपटारा किया कि मुकुल सागर वाले मामले में की गई मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी की सेवा समाप्ति पर पुनः विचार किया जाए और दो माह के भीतर एक नया आदेश पारित किया जाए। राज्य द्वारा विद्वान् एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध खंड न्यायपीठ के समक्ष अपील फाइल की गई। उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा अपील को खारिज कर दिया गया। राज्य द्वारा व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा इस विषय से संबंधित इस अपील के साथ-साथ एक अन्य अपील को मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – प्रत्यर्थी के नियुक्ति आदेश में यह अनुबंधित था कि उसे कम्प्यूटर ज्ञान के संबंध में प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा और विहित अवधि के भीतर 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। नियम, 2014 के नियम 5(1) के परंतुक में, जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है, यह उपबंधित है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक वर्ष के भीतर 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति प्राप्त करने में असफल रहता है, तो वार्षिक वेतनवृद्धि रोक दी जाएगी और अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए अभ्यर्थी को एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी विस्तारित अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, तो नियमों में यह उपबंधित है कि उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। कम्प्यूटर में दक्षता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के संबंध में एक समान शर्त लागू होती है। अतः टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने के कारण प्रत्यर्थी की सेवाओं की समाप्ति नियुक्ति आदेश में अंतर्विष्ट शर्त के अनुसार तथा नियम, 2014 के नियम 5(1) के उपबंधों के अनुसार थी। उच्च न्यायालय का यह निदेश कि प्रत्यर्थी पर चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए विचार किया जाए, विधि के उपबंधों के अनुरूप नहीं है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का कोई निहित अधिकार नहीं है। यह सुस्थिर है कि अनुकंपा नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 16 का एक अपवाद है जिसमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता का सिद्धांत सन्निविष्ट है। प्रत्यर्थी ने अर्थशास्त्र और

सांख्यिकी कार्यालय में सहायक के रूप में नियुक्ति की ईप्सा की थी और उसे ऐसी नियुक्ति प्रदान की गई थी। कोई कर्मचारी जिसे अनुकंपा आधार पर नियुक्त किया गया है, उन सेवा-शर्तों से छूट प्रदान नहीं की जाती है, जिनका सुसंगत नियमों के अधीन पालन किया जाना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित नियमों का निर्वचन अवश्य इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि यह समता और अवसर के सिद्धांत का एक अपवाद है। अनुकंपा नियुक्तियां प्रवेश स्तर की रियायत प्रदान करती हैं। केवल इस कारण कि नियुक्ति अनुकंपा आधार पर की गई थी, इस नियुक्ति का प्रयोग पश्चात्पूर्ती रियायतों की ईप्सा के लिए नहीं किया जा सकता। जब तक कि नियमों में अनुबंधित न हो, बाद में प्रदान की गई कोई रियायत संविधान के अनुच्छेद 14 और 26 में परिकल्पित सिद्धांत की अतिक्रमणकारी होगी। अनुकंपा आधार के माध्यम से नियुक्ति केवल उस कर्मचारी के परिवार को प्रदान की जाती है, जिसकी सेवा-काल के दौरान मृत्यु हो जाती है, जो कि नियुक्ति के कई तरीकों में से एक तरीका है। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद नियुक्ति के तरीके को विचार में लाए बिना सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, जब तक कि सुसंगत नियमों में अन्यथा अनुबंधित न हो। नियम, 2014 के नियम 5(1)(i) में यह अनुबंधित है कि किसी व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त करने के लिए उसे विहित शैक्षणिक अर्हता पूरी करनी होगी। नियम 5(1)(i) में प्रवेश स्तर का पात्रता मानदंड विहित किया गया है। नियम 5 के पहले परंतुक में यह विहित किया गया है कि यदि किसी ऐसे पद पर नियुक्ति की जाती है जिसके लिए कम्प्यूटर और टंकण का ज्ञान एक आवश्यक अर्हता के रूप में विहित किया गया है, तो नियुक्त व्यक्ति द्वारा इस अर्हता को नियमों में अनुबंधित समयावधि के भीतर अर्जित किया जाना आवश्यक है। यद्यपि प्रत्यर्थी के पास नियमों के अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता थी किंतु उसने नियम 5(1)(i) के परंतुक के अधीन विहित अर्हताएं अर्जित नहीं की थी। इस न्यायालय ने पूर्व में पात्रता मानदंड और अतिरिक्त अर्हताओं दोनों की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया है। प्रत्यर्थी के पास उक्त पद पर बने रहने के लिए पात्रता मानदंड और अर्हताएं दोनों होनी चाहिए। सहायक के पद पर नियुक्ति

मिलने के पश्चात् प्रत्यर्थी को कम्प्यूटर में प्रवीणता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने (जो उसने किया था) और एक अनुबंधित अवधि के भीतर टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने (जो उसने दो अवसरों के बावजूद प्राप्त नहीं की) की दोहरी शर्तों को पूरा करना अपेक्षित था। उच्च न्यायालय द्वारा किसी आनुकल्पिक पद पर नियुक्ति का निदेश नहीं दिया जा सकता था। यह उन दूसरे व्यक्तियों के स्थान पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर प्रवेश करने की अनुज्ञा देना होगा जो हो सकता है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हों या जो व्यक्ति खुली प्रतियोगिता में नियुक्ति की ईप्सा कर रहे हैं, जो इसके पात्र होंगे। (पैरा 9, 10, 11 और 12)

### निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

- |        |  |       |
|--------|--|-------|
| [2018] | 2018 की रिट याचिका सं. 12737,<br>तारीख 4 जुलाई, 2018 को विनिश्चित :<br><b>मुकुल सागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ;</b> | 6, 13 |
| [2012] | ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3281 :<br><b>गुजरात राज्य बनाम अरविंदकुमार टी. तिवारी ;</b>                                | 12    |
| [2009] | (2009) 7 एस. सी. सी. 205 :<br><b>उत्तरांचल जल संगठन बनाम लक्ष्मी देवी ;</b>  | 11    |
| [2009] | (2009) 11 एस. सी. सी. 453 :<br><b>झारखंड राज्य बनाम शिव कर्मपाल साहू ;</b>   | 11    |
| [2008] | (2008) 8 एस. सी. सी. 475 :<br><b>महा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक बनाम अंजु जैन ;</b>                                | 10    |
| [2008] | (2008) 13 एस. सी. सी. 730 :<br><b>वी. शिवमूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य ;</b>                                      | 10    |
| [1999] | (1999) 7 एस. सी. सी. 120 :<br><b>प्रीति श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य ।</b>                                    | 12    |

**अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2022 की सिविल अपील सं. 5212**  
**(इसके साथ 2022 की सिविल अपील**  
**सं. 5213.**

2020 की विशेष अपील सं. 169 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ न्यायपीठ द्वारा तारीख 25 अगस्त, 2020 को पारित अंतिम निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

**अपीलार्थियों की ओर से**

श्री अंकित गोयल

**प्रत्यर्थियों की ओर से**

सर्वश्री दानिश जुबैर खान, मोहम्मद  
असद खान, जयप्रकाश सोमानी, (सुश्री)  
शोभा सोमानी, रजनीश कुमार, (सुश्री)  
बिनिशा मोहंती, ममता राउत, आशा  
साहर, मंजु जेटली और आयुष्मान  
वत्सयायाव

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डा. धनंजय वाई. चंद्रचूड़ ने दिया ।

**न्या. चंद्रचूड़-** इजाजत दी गई ।

2. यह अपील इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ के तारीख 25 अगस्त, 2020 के निर्णय से उद्भूत हुई है । खंड न्यायपीठ ने उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश के तारीख 5 नवंबर, 2019 के निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थियों द्वारा पारित की गई अंतर-न्यायालय अपील को खारिज कर दिया था जिसमें अपीलार्थियों को अनुकंपा के आधार पर प्रत्यर्थी की चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए विचार करने का निदेश दिया गया था ।

3. प्रत्यर्थी के पिता को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शाहजहांपुर में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी अधिकारी के कार्यालय में ड्राइवर के रूप में नियुक्त किया गया था । उसकी वर्ष 2015 में सेवा-काल के दौरान मृत्यु हो गई थी । प्रत्यर्थी को अर्थशास्त्र और सांख्यिकी कार्यालय शाहजहांपुर में कनिष्ठ सहायक के तृतीय श्रेणी के पद पर 'अस्थायी आधार पर' नियुक्त किया गया था । तारीख 30 मई, 2016 के नियुक्ति पत्र में यह

अनुबंधित था कि प्रत्यर्थी को उत्तर प्रदेश सेवा-काल के दौरान सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर आश्रितों की भर्ती (दसवां संशोधन) नियम 2014 के नियम 5(1) में अनुबंधित शर्त के निबंधनों के अनुसार एक वर्ष के भीतर 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति अर्जित करनी होगी। नियुक्ति पत्र के खंड 4 में निम्नलिखित शर्त है :-

“उत्तर प्रदेश सेवा-काल के दौरान सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर आश्रितों की भर्ती (दसवां संशोधन) नियम 2014 के नियम 5(1) में अनुबंधित शर्त के अनुसार आश्रित के रूप में नियुक्त व्यक्ति को एक वर्ष के भीतर 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति और डीओईएसीसी सोसाइटी द्वारा कम्प्यूटर संचालन में सीसीसी प्रमाणपत्र या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित प्रमाणपत्र प्राप्त करना वांछित है और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है, तो उसकी सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि रोक दी जाएगी और टंकण की अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए उसे एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि प्रदान की जाएगी, और यदि विस्तारित अवधि में भी वह पुनः टंकण में अपेक्षित गति अर्जित करने में असफल रहता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।”

4. नियमों के दसवें संशोधन द्वारा वर्ष 2014 में यथा-संशोधित सेवा-काल के दौरान मृत्यु नियमों के नियम 5 में, जिसे तारीख 17 जनवरी, 2014 को अधिसूचित किया गया था, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित अनुबंध अंतर्विष्ट हैं :-

“परंतु यह और कि यदि नियुक्ति किसी ऐसे पद पर की जानी है, जिसके लिए कम्प्यूटर संचालन और टंकण का ज्ञान एक आवश्यक अर्हता के रूप में विहित किया गया है और सरकारी सेवक के आश्रित के पास कम्प्यूटर संचालन और टंकण में आवश्यक दक्षता नहीं है, तो उसे इस शर्त के अध्यक्षीन नियुक्त किया जाएगा कि वह एक वर्ष के भीतर टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की आवश्यक गति के साथ डीओईएसीसी सोसाइटी द्वारा प्रदान किए गए कम्प्यूटर संचालन में सीसीसी प्रमाणपत्र या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से समकक्ष प्रमाणपत्र अर्जित करेगा

और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है, तो उसकी सामान्य वेतन वार्षिक वृद्धि रोक दी जाएगी और उसे कम्प्यूटर संचालन में आवश्यक प्रमाणपत्र और टंकण में आवश्यक गति प्राप्त करने के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी और यदि विस्तारित अवधि में भी वह पुनः कम्प्यूटर संचालन में आवश्यक प्रमाणपत्र और टंकण में आवश्यक गति अर्जित करने में असफल रहता है, तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी।”

5. प्रत्यर्थी ने कम्प्यूटर में दक्षता प्रमाणपत्र अर्जित कर लिया था। वह टंकण परीक्षा के प्रथम प्रयास में असफल रहा। उसे तारीख 20 मार्च, 2017 के एक कार्यालय ज्ञापन द्वारा सूचित किया गया कि उसकी टंकण गति केवल 6 शब्द प्रति मिनट है और इसलिए उसने 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त नहीं की है। उसके पश्चात् उसे तारीख 7 अगस्त, 2009 को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने का दूसरा अवसर दिया गया। तारीख 8 अगस्त, 2019 को यह अधिसूचित किया गया कि प्रत्यर्थी टंकण परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ है। तारीख 11 सितंबर, 2019 को बरेली मंडल के उप निदेशक (अर्थशास्त्र और सांख्यिकी) ने प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त कर दिया।

6. प्रत्यर्थी ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका संस्थित की, जिसमें प्रत्यर्थी के नियोजन को समाप्त करते हुए तारीख 11 सितंबर, 2019 के आदेश को अभिखंडित करने और अपीलार्थियों को उसे सेवा में बहाल करने का निदेश देते हुए एक परमादेश जारी करने की ईप्सा की गई थी। प्रत्यर्थी की यह दलील थी कि जब वह टंकण परीक्षा दे रहा था, तो कम्प्यूटर खराब हो गया था और यह कि सेवा समाप्ति का आदेश कारण बताओ सूचना जारी किए बिना जारी किया गया था। उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने तारीख 5 नवंबर, 2019 के निर्णय द्वारा **मुकुल सागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**<sup>1</sup> वाले मामले में के एक पूर्ववर्ती विनिश्चय का अवलंब लिया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक

<sup>1</sup> 2018 की रिट याचिका सं. 12737, तारीख 4 जुलाई, 2018 को विनिश्चित।

एकल न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया था कि यद्यपि अनुकंपा के आधार पर कर्मचारी को विहित अर्हताएं पूर्ण न करने के लिए 2014 के नियमों के नियम 5 के निबंधनों के अनुसार सेवा से बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए किंतु प्राधिकारी चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए दावे पर विचार कर सकते थे। यह मत व्यक्त किया गया था कि ऐसा निर्वचन अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के उद्देश्य के अनुरूप होगा। एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका का इस निदेश के साथ निपटारा किया कि **मुकुल सागर** (उपर्युक्त) वाले मामले में की गई मताभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी की सेवा समाप्ति पर पुनः विचार किया जाए और दो माह के भीतर एक नया आदेश पारित किया जाए। एकल न्यायाधीश ने निम्नलिखित निदेश दिया था :-

“ऊपर उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों में, इस न्यायालय द्वारा तारीख 4 जुलाई, 2018 के पूर्वोक्त आदेश में की गई मताभिव्यक्ति को ध्यान में रखते हुए इस रिट याचिका का भी निपटारा किया जाता है और प्रत्यर्थी सं. 3 को निदेश दिया जाता है कि वह इस विवादक पर पुनर्विचार करे और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दो माह की अवधि के भीतर एक नया आदेश पारित करे। इस याचिका में आक्षेपित आदेश संबंधित प्राधिकारी द्वारा पारित किए जाने वाले नए आदेशों के अध्यक्षीन रहेगा।”

7. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने तारीख 25 अगस्त, 2020 को यह मत व्यक्त करते हुए अपील को खारिज कर दिया कि प्रत्यर्थी को पहले ही सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है और एकल न्यायाधीश ने केवल यह निदेश दिया था कि प्रत्यर्थी के मामले पर चतुर्थ श्रेणी के संवर्ग में नए सिरे से अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए विचार किया जाए।

8. हमने अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले काउंसिल श्री अंकित गोयल और प्रत्यर्थियों की ओर से काउंसिल श्री दानिश जुबैर खान और श्री जयप्रकाश सोमानी को सुना।



9. प्रत्यर्थी के नियुक्ति आदेश में यह अनुबंधित था कि उसे कम्प्यूटर ज्ञान के संबंध में प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा और विहित अवधि के भीतर 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण गति परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। नियम, 2014 के नियम 5(1) के परंतुक में, जिसे ऊपर उद्धृत किया गया है, यह उपबंधित है कि यदि कोई अभ्यर्थी एक वर्ष के भीतर 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति प्राप्त करने में असफल रहता है, तो वार्षिक वेतनवृद्धि रोक दी जाएगी और अपेक्षित गति अर्जित करने के लिए अभ्यर्थी को एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि दी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी विस्तारित अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, तो नियमों में यह उपबंधित है कि उसकी सेवाओं को समाप्त कर दिया जाएगा। कम्प्यूटर में दक्षता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के संबंध में एक समान शर्त लागू होती है। अतः टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहने के कारण प्रत्यर्थी की सेवाओं की समाप्ति नियुक्ति आदेश में अंतर्विष्ट शर्त के अनुसार तथा नियम, 2014 के नियम 5(1) के उपबंधों के अनुसार थी।

10. उच्च न्यायालय का यह निदेश कि प्रत्यर्थी पर चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए विचार किया जाए, विधि के उपबंधों के अनुरूप नहीं है। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति का कोई निहित अधिकार नहीं है। यह सुस्थिर है कि अनुकंपा नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 16 का एक अपवाद है जिसमें लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता का सिद्धांत सन्निविष्ट है। (महा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक बनाम अंजु जैन<sup>1</sup> और वी. शिवमूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश राज्य<sup>2</sup> वाले मामले देखें)। अनुकंपा नियुक्ति परिवार के रोजी-रोटी कमाने वाले की मृत्यु के परिणामस्वरूप वित्तीय संकट से निपटने के लिए उस मृतक कर्मचारी के परिवार के व्यक्ति को दी जाती है, जिसकी मृत्यु सेवा-काल के दौरान हो गई है। अनुकंपा नियुक्ति को शासित करने वाले नियमों या स्कीम के अधीन जिन शर्तों पर अनुकंपा नियुक्ति की प्रस्थापना की जाती है, उनका पालन करना होगा।

<sup>1</sup> (2008) 8 एस. सी. सी. 475.

<sup>2</sup> (2008) 13 एस. सी. सी. 730.

11. प्रत्यर्थी ने अर्थशास्त्र और सांख्यिकी कार्यालय में सहायक के रूप में नियुक्ति की ईप्सा की थी और उसे ऐसी नियुक्ति प्रदान की गई थी। कोई कर्मचारी जिसे अनुकंपा आधार पर नियुक्त किया गया है, उन सेवा-शर्तों से छूट प्रदान नहीं की जाती है, जिनका सुसंगत नियमों के अधीन पालन किया जाना चाहिए। अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित नियमों का निर्वचन अवश्य इस बात को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए कि यह समता और अवसर के सिद्धांत का एक अपवाद है। (उत्तरांचल जल संगठन बनाम लक्ष्मी देवी<sup>1</sup> और झारखंड राज्य बनाम शिव कर्मपाल साहू<sup>2</sup> वाले मामले देखें)। अनुकंपा नियुक्तियां प्रवेश स्तर की रियायत प्रदान करती हैं। केवल इस कारण कि नियुक्ति अनुकंपा आधार पर की गई थी, इस नियुक्ति का प्रयोग पश्चात्पूर्ती रियायतों की ईप्सा के लिए नहीं किया जा सकता। जब तक कि नियमों में अनुबंधित न हो, बाद में प्रदान की गई कोई रियायत संविधान के अनुच्छेद 14 और 26 में परिकल्पित सिद्धांत की अतिक्रमणकारी होगी। अनुकंपा आधार के माध्यम से नियुक्ति केवल उस कर्मचारी के परिवार को प्रदान की जाती है, जिसकी सेवा-काल के दौरान मृत्यु हो जाती है, जो कि नियुक्ति के कई तरीकों में से एक तरीका है। एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद नियुक्ति के तरीके को विचार में लाए बिना सभी कर्मचारियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, जब तक कि सुसंगत नियमों में अन्यथा अनुबंधित न हो। नियम, 2014 के नियम 5(1)(i) में यह अनुबंधित है कि किसी व्यक्ति को अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त करने के लिए उसे विहित शैक्षणिक अर्हता पूरी करनी होगी। नियम 5 का सुसंगत उद्धरण इस प्रकार है :-

“5(1) यदि इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् किसी सरकारी सेवक की सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है और मृतक सरकारी सेवक का पति/पत्नी पहले से ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले किसी निगम या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन

<sup>1</sup> (2009) 7 एस. सी. सी. 205.

<sup>2</sup> (2009) 11 एस. सी. सी. 453.

नियोजित नहीं है, इस उद्देश्य के लिए आवेदन करने पर सरकारी सेवा में सिवाय उस पद के जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र के भीतर है, सामान्य भर्ती नियमों में छूट देते हुए एक उपयुक्त नियोजन दिया जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति -

(i) पद के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताओं को पूरा करता हो।”

(बल देने के लिए रेखांकन किया गया है)

12. नियम 5(1)(i) में प्रवेश स्तर का पात्रता मानदंड विहित किया गया है। नियम 5 के पहले परंतुक में यह विहित किया गया है कि यदि किसी ऐसे पद पर नियुक्ति की जाती है जिसके लिए कम्प्यूटर और टंकण का ज्ञान एक आवश्यक अर्हता के रूप में विहित किया गया है, तो नियुक्त व्यक्ति द्वारा इस अर्हता को नियमों में अनुबंधित समयावधि के भीतर अर्जित किया जाना आवश्यक है। यद्यपि प्रत्यर्थी के पास नियमों के अधीन विहित शैक्षणिक अर्हता थी किंतु उसने नियम 5(1)(i) के परंतुक के अधीन विहित अर्हताएं अर्जित नहीं की थी। इस न्यायालय ने पूर्व में पात्रता मानदंड और अतिरिक्त अर्हताओं दोनों की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया है। (प्रीति श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य<sup>1</sup> और गुजरात राज्य बनाम अरविंदकुमार टी. तिवारी<sup>2</sup> वाले मामले देखें)। प्रत्यर्थी के पास उक्त पद पर बने रहने के लिए पात्रता मानदंड और अर्हताएं दोनों होनी चाहिए। सहायक के पद पर नियुक्ति मिलने के पश्चात् प्रत्यर्थी को कम्प्यूटर में प्रवीणता प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने (जो उसने किया था) और एक अनुबंधित अवधि के भीतर टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने (जो उसने दो अवसरों के बावजूद प्राप्त नहीं की) की दोहरी शर्तों को पूरा करना अपेक्षित था। उच्च न्यायालय द्वारा किसी आनुकल्पिक पद पर नियुक्ति का निदेश नहीं दिया जा सकता था। यह उन दूसरे व्यक्तियों के स्थान पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर प्रवेश करने की अनुज्ञा देना होगा जो हो सकता है अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की

<sup>1</sup> (1999) 7 एस. सी. सी. 120.

<sup>2</sup> ए. आई. आर. 2012 एस. सी. 3281.

प्रतीक्षा कर रहे हों या जो व्यक्ति खुली प्रतियोगिता में नियुक्ति की ईप्सा कर रहे हैं, वे इसके पात्र होंगे ।

13. **मुकुल सागर** (उपर्युक्त) वाले मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अपने पूर्ववर्ती विनिश्चय का अवलंब लेते हुए जो दृष्टिकोण अपनाया गया था वह स्पष्ट रूप से गलत था । तथापि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि **मुकुल सागर** (उपर्युक्त) वाले मामले में का विनिश्चय विधि का सही सिद्धांत अधिकथित नहीं करता है, वर्तमान निर्णय का यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि राज्य को उस नियुक्ति के साथ छेड़छाड़ करने का निदेश दिया गया है जो मुकुल सागर वाले मामले में याची को प्रदान की गई हो सकती है ।

14. उपरोक्त कारण से, वर्तमान मामले में हम अपील में एकल न्यायाधीश और खंड न्यायपीठ के विचारों से सहमत होने में असमर्थ हैं ।

15. यह अपील खंड न्यायपीठ के तारीख 25 अगस्त, 2020 के आक्षेपित निर्णय और एकल न्यायाधीश के तारीख 5 नवंबर, 2019 के निर्णय को अपास्त करते हुए मंजूर की जाती है । प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष संस्थित की गई रिट याचिका इन परिस्थितियों में खारिज हो जाएगी ।

लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

### 2022 की सिविल अपील सं. 5213

(2021 की विशेष इजाजत याचिका (सिविल) से उद्भूत)

1. इजाजत दी गई ।

2. प्रत्यर्थी की माता अर्थ एवं सांख्य अधिकारी, मथुरा के कार्यालय में ज्येष्ठ सहायक के रूप में नियोजित थी । वर्ष 2015 में सेवा में रहते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी । प्रत्यर्थी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया और उसे कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दी गई । तारीख 30 मई, 2016 के नियुक्ति आदेश में नियम, 2014 के

नियम 8(1) की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। प्रत्यर्थी तारीख 16 मार्च, 2017 और 17 जुलाई, 2019 को टंकण परीक्षा में असफल रहा। तारीख 31 जुलाई, 2019 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया था। प्रत्यर्थी ने सेवा समाप्ति के आदेश को चुनौती देते हुए और बहाल करने के अनुतोष की ईप्सा करते हुए एक रिट याचिका (2019 की रिट याचिका (सिविल) सं. 18189) फाइल की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने तारीख 21 नवंबर, 2019 के अपने निर्णय में **मुकुल सागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** (उपर्युक्त) वाले मामले में के पूर्ववर्ती विनिश्चय का अवलंब लिया और याचियों को इस विवादक पर पुनर्विचार करने का निदेश दिया। खंड न्यायपीठ ने तारीख 2 सितंबर, 2020 के अपने निर्णय द्वारा 2020 की विशेष त्रुटि अपील सं. 169 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मोहम्मद रेहान खान, तारीख 25 अगस्त, 2020) में अपने विनिश्चय का अवलंब लेते हुए उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा फाइल की गई विशेष अपील (2020 की विशेष त्रुटि अपील सं. 168) को खारिज कर दिया।

3. चूंकि एकल न्यायाधीश द्वारा जिस विनिश्चय का अवलंब लिया गया है और मोहम्मद रेहान वाले मामले में खंड न्यायपीठ के विनिश्चय को उपरोक्त विनिश्चय में अननुमोदित कर दिया गया है, इसलिए वर्तमान अपील खंड न्यायपीठ के तारीख 2 सितंबर, 2020 के निर्णय और एकल न्यायाधीश के तारीख 21 नवंबर, 2019 के निर्णय को अपास्त करते हुए मंजूर की जाती है। प्रत्यर्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल की गई रिट याचिका खारिज हो जाएगी।

4. यह अपील उपरोक्त निबंधनों के अनुसार मंजूर की जाती है।

5. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा हो जाता है।

अपील मंजूर की गई।

जस.

[2022] 3 उम. नि. प. 336

नेत राम यादव

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

[2022 की सिविल अपील सं. 5237]

11 अगस्त, 2022

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जे. के. महेश्वरी

सेवा विधि [सपठित राजस्थान शैक्षणिक अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम 29 के उपनियम (10) का स्पष्टीकरण] – अनुरोध के आधार पर एक जिले/अंचल से दूसरे जिले/अंचल में स्थानांतरण – ज्येष्ठता में गिरावट – राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्तियों को उनकी नियुक्ति/तैनाती के समय उनके द्वारा दिए गए विकल्प के स्थान पर या उसके निकट नियुक्त/तैनात किए जाने का निदेश देते हुए परिपत्र जारी किया जाना – अपीलार्थी (निःशक्त) द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर उसे उसके गृह जिले में स्थानांतरित किया जाना – परिणामस्वरूप उसकी ज्येष्ठता में गिरावट किया जाना – अपीलार्थी द्वारा ज्येष्ठता को प्रत्यावर्तित करने के लिए अभ्यावेदन दिया जाना और खारिज होने पर उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल किया जाना – रिट याचिका खारिज हो जाना – अपील – चूंकि राज्य सरकार द्वारा परिपत्र जारी करके निःशक्त व्यक्तियों को एक विशेष फायदा प्रदत्त किया गया था, इसलिए परिपत्र जारी करने के समय पहले से नियुक्त निःशक्त कर्मचारियों को इसके फायदे से अपवर्जित करने और केवल इस परिपत्र के जारी करने के समय नियोजित निःशक्त कर्मचारियों पर लागू करने से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अतिक्रमण होता है और प्रत्यर्थियों को अपीलार्थी की ज्येष्ठता को प्रत्यावर्तित करने का निदेश देना उचित होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी को “ओबीसी” प्रवर्ग के एक विकलांग अभ्यर्थी, जिसकी शैक्षणिक अर्हता बी. ए., बी. एड है,

को सीधी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन ज्येष्ठ शिक्षक के रूप में चयनित किया गया था और उसे गंगानगर अंचल आबंटित किया गया था । अपीलार्थी की सेवा के निबंधन और शर्तें राजस्थान शैक्षणिक अधीनस्थ सेवा-नियम, 1971 द्वारा शासित थे । जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संघ) श्री गंगानगर के कार्यालय द्वारा जारी किए गए कार्यालय आदेश द्वारा अपीलार्थी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दीपलाना, हनुमानगढ़, बीकानेर में ज्येष्ठ शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था । दीपलाना, जहां अपीलार्थी नियुक्त था, वह अलवर जिले में अपीलार्थी के निवास स्थान बहरोड़ से लगभग 550 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है । राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए एक परिपत्र द्वारा सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को निदेश दिया गया था कि वे निःशक्तजनों की नियुक्ति/तैनाती उस स्थान पर या उसके आसपास करने पर विचार करें जहां वे नियुक्ति/तैनाती का विकल्प चुनते हैं । परिपत्र जारी करने के पश्चात्, अपीलार्थी ने एक अभ्यावेदन दिया कि अपीलार्थी को उसकी शारीरिक क्षमता पर विचार करते हुए उसके गृह जिला अलवर में स्थानांतरित कर दिया जाए । तत्पश्चात् अपीलार्थी का स्थानांतरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गूंती, अलवर के ज्येष्ठ शिक्षक के रूप में कर दिया गया । बाद में अपीलार्थी को कनिष्ठ व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया । तत्पश्चात्, विभाग की वेबसाइट पर प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य शिक्षकों की अस्थायी पात्रता सूची प्रकाशित की गई । उक्त सूची में अपीलार्थी का नाम नहीं था । अपीलार्थी को पता चला कि अपीलार्थी की राज्य स्तरीय ज्येष्ठता को परिवर्तित कर दिया गया था । अपीलार्थी ने अपनी ज्येष्ठता को प्रत्यावर्तित करने के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान को एक अभ्यावेदन दिया । तथापि, उसकी ज्येष्ठता को प्रत्यावर्तित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई । अपीलार्थी ने व्यथित होकर अपनी ज्येष्ठता में गिरावट को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका फाइल की जिसे खारिज कर दिया गया । अपीलार्थी द्वारा व्यथित होकर खंड न्यायपीठ के समक्ष अपील की गई । खंड न्यायपीठ द्वारा अपील को राजस्थान शैक्षणिक अधीनस्थ

सेवा नियम, 1971 के नियम 29 के उप नियम (10) के स्पष्टीकरण के प्रति निर्देश करते हुए खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – राजस्थान शैक्षणिक अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम 29 उपनियम (10) के स्पष्टीकरण का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि यह अनुरोध पर स्थानांतरण को हतोत्साहित करने के लिए सामान्य रूप से कर्मचारियों पर लागू होता है। वे अभ्यर्थी, जो स्थानांतरण के लिए अनुरोध करते हैं, वे ऐसा यह जानते हुए करते हैं कि उन्हें स्थानांतरित जिले और/या अंचल में ज्येष्ठता की हानि उठानी पड़ेगी। स्पष्टीकरण का आशय स्थानांतरित जिले और/या अंचल के विद्यमान कर्मचारियों की ज्येष्ठता की संरक्षा करना भी है। पूर्वोक्त स्पष्टीकरण राज्य स्तर की ज्येष्ठता में किसी परिवर्तन को प्राधिकृत नहीं करता है। ज्येष्ठता की हानि स्थानांतरित जिले/अंचल तक ही सीमित है और उस जिले और/या अंचल के बाहर स्थानांतरण के पश्चात् भी यह आने वाले समय के लिए लागू नहीं हो सकती है। अन्यथा भी, उन विकलांग अभ्यर्थियों को, जिन्हें ऊपर निर्दिष्ट तारीख 20 जुलाई, 2000 के परिपत्र क्र. सं. पी.15(3)पीआर.एसयू/ईवन/1/2000 द्वारा विशेष फायदा प्रदत्त किया गया है, सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए उक्त परिपत्र के निबंधनों के अनुसार स्थानांतरण करके ज्येष्ठता में गिरावट करते हुए तारीख 20 जुलाई, 2000 के परिपत्र का फायदा उठाने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह सही है कि अपीलार्थी को विकलांग व्यक्तियों को उनकी पसंद के स्थान पर या उसके निकट नियुक्ति/तैनाती करने के लिए तारीख 20 जुलाई, 2000 का परिपत्र जारी किए जाने से बहुत पहले वर्ष 1993 में नियुक्त किया गया था। तथापि, परिपत्र जारी करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जो विकलांग कर्मचारियों को एक सुविधाजनक स्थान पर तैनाती का विकल्प चुनने के लिए समर्थ बनाने के लिए है जो उस स्थान के पास हो सकता है जहां कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों के साथ मामूली तौर पर निवास करता है या उस स्थान पर या उसके निकट हो सकता है जहां विकलांग



कर्मचारी, अन्य बातों के साथ-साथ, परिवार के सदस्यों, नातेदारों, मित्रों की सहायता प्राप्त कर सकता है या संस्थागत समर्थन हो सकता है, इसलिए इस परिपत्र का फायदा उन अभ्यर्थियों को भी जो परिपत्र के जारी किए जाने से पूर्व नियुक्त किए गए थे, निस्संदेह पदों की उपलब्धता और अन्य सुसंगत कारकों के अधीन रहते हुए दिया जाना चाहिए। इस परिपत्र के जारी किए जाने के समय पर पहले से ही नियोजन में लगे विकलांग कर्मचारियों को इस परिपत्र के फायदे से वंचित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14/16 के अधीन उन कर्मचारियों के समता के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण होगा। उक्त परिपत्र को सरकारी संस्थानों में सेवा में शिक्षकों पर इस परिपत्र के जारी किए जाने के समय पर लागू किया गया है, जैसा कि अपर आयुक्त, निःशक्त व्यक्ति द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को जारी किए गए तारीख 21 सितंबर, 2001 की पूर्वोक्त संसूचना क्र. सं. एफ.16(1)(एएएमआईजे)/01/6705 से प्रतीत होता है, जिसमें उससे तारीख 20 जुलाई, 2000 के उक्त पत्र की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए यह अनुरोध किया गया था कि अपीलार्थी को जिगलाना (अलवर) में किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाए। निःशक्त/विकलांग व्यक्तियों को उपेक्षित रखना एक मानव अधिकार का मुद्दा है, जो विश्व भर में विचार-विमर्श और चर्चा का विषय रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक चिंता बढ़ रही है कि निःशक्त व्यक्तियों को उनकी निःशक्तता के कारण दरकिनार न किया जाए। निःशक्त व्यक्तियों के मानव अधिकारों के मुद्दे पर श्रृंखलाबद्ध बैठकों, चर्चाओं और विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की महासभा निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) को अपनाने के लिए प्रेरित हुई जिसका उद्देश्य निःशक्त व्यक्तियों के मानव अधिकारों और गरिमा की संरक्षा करना है। इसे वर्ष 2006 में अपनाया गया था और यूएनसीआरपीडी मई, 2008 में प्रवृत्त हुआ। भारत सहित लगभग 177 देशों ने यूएनसीआरपीडी का अनुसमर्थन किया है। यूएनसीआरपीडी में 50 अनुच्छेद हैं, जो निःशक्त व्यक्तियों के अंतर्निहित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को रेखांकित करते हैं। यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद कतिपय सामान्य सिद्धांतों पर आधारित

हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण निःशक्त व्यक्तियों की अंतर्निहित गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता के संबंध में है। भेदभाव विहिन का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसमें समाज में पूर्ण और प्रभावी सहभागिता और समावेशन के लिए उचित आवास और/या रियायतें सम्मिलित होंगी। मानव विविधता और मानवता के भाग के रूप में निःशक्त व्यक्तियों की भिन्नता और स्वीकृति के लिए सम्मान निःशक्त व्यक्तियों की गरिमा के मूल में निहित है। यूएनसीआरपीडी का भारत द्वारा अनुसमर्थन किया गया है। राज्य यूएनसीआरपीडी को प्रभावी करने के लिए आबद्ध कर हैं। शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए सभी कानूनों, नियमों, विनियमों, उप-विधियों, आदेशों और परिपत्रों का आवश्यक रूप से यूएनसीआरपीडी के सिद्धांतों के अनुरूप एक उद्देश्यपरक निर्वचन किया जाना चाहिए। अन्यथा भी, मानव अधिकार सभ्यता की शुरुआत से ही सभ्य समाज में अंतर्निहित अधिकार हैं, भले ही ऐसे अधिकारों की पहचान और संगणना संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा तारीख 10 दिसंबर, 1948 को अंगीकृत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जैसी अंतरराष्ट्रीय लिखतों या यूएनसीआरपीडी सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों में की गई हो। इसके अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 में अतिष्ठित समता के मूल अधिकार, अनुच्छेद 21 के अधीन कोई व्यवसाय, पेशा करने, दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार सहित अनुच्छेद 19 के अधीन गारंटीकृत मूल स्वतंत्रताओं के हकदार हैं, जिसका निर्वचन अब गरिमा के साथ जीने के अधिकार के रूप में किया गया है, जिसका निर्वचन निःशक्त व्यक्तियों के संबंध में उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए। शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं/असुविधाओं में से एक स्वतंत्र रूप से और आसानी से आने-जाने में असमर्थता है। निःशक्त व्यक्तियों के सामने आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य ने निःशक्त व्यक्तियों की, यथासाध्य, उनके पसंद के स्थानों पर तैनाती के लिए तारीख 20 जुलाई, 2000 की उक्त अधिसूचना/परिपत्र जारी किया है। शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए इस फायदे का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को ऐसे स्थान पर तैनात

करने के लिए समर्थ बनाना है, जहां सहायता आसानी से उपलब्ध हो सके। लंबी दूरी की यात्रा से बचने के लिए निवास से दूरी एक सुसंगत विचारणा हो सकती है। परिपत्र/सरकारी आदेश के माध्यम से निःशक्तों को जो फायदा दिया गया है उसका उपभोग करने के अधिकार को उसे ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन करके छीना नहीं जा सकता है जिससे यह फायदा निष्प्रभावी हो जाता हो। चूंकि रिट याचिका में स्पष्टीकरण की वैधता को कोई चुनौती नहीं दी गई है। इसलिए हम इस अपील में हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं। हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि उक्त स्पष्टीकरण ऐसे विकलांग अभ्यर्थियों पर किसी रीति में लागू नहीं हो सकता, जो उनके फायदे के लिए जारी फायदाप्रद कार्यालय आदेश/परिपत्र के निबंधनों के अनुसार अपने मामूली निवास स्थान के निकट किसी स्थान पर स्थानांतरण की ईप्सा करते हैं। बड़े सम्मान के साथ, उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ तथा खंड न्यायपीठ दोनों ने स्पष्टीकरण की व्याप्ति और परिधि की अनदेखी की है जो राज्य स्तर पर ज्येष्ठता को प्रभावित नहीं कर सकता है और न ही प्रभावित करता है। इस न्यायालय के मत में, उच्च न्यायालय को एक शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति की दुर्दशा के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने चलने-फिरने में शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों और सामान्य रूप से सक्षम व्यक्तियों के बीच के अंतर को नजरअंदाज करके विधि की गलती की है। उच्च न्यायालय इस बात का मूल्यांकन करने में असफल रहा है कि असमान व्यक्तियों के साथ उनकी विशेष आवश्यकताओं की अनदेखी करके समान व्यवहार करने से संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होता है। (पैरा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और 33)

### निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2000]

(2000) 1 एस. सी. सी. 644 :

**उप निरीक्षक रूपलाल और एक अन्य**

**बनाम उप राज्यपाल मार्फत मुख्य सचिव,**

**दिल्ली और अन्य ।**

19, 21

**अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2022 की सिविल अपील सं. 5237.**

2017 की डी. बी. सिविल विशेष अपील (रिट) सं. 2027 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर न्यायपीठ द्वारा तारीख 28 फरवरी, 2018 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** श्री राहुल श्याम भंडारी और श्री आकाश सिन्हा

**प्रत्यर्थियों की ओर से** सर्वश्री आशीष कुमार, अपर महाधिवक्ता, सुशील कुमार सिंह, जोर्धन आर. और संदीप कुमार झा

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने दिया ।

**न्या. बनर्जी** – इजाजत दी गई ।

2. अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर न्यायपीठ की एक खंड न्यायपीठ द्वारा 2017 की डी. बी. विशेष अपील रिट सं. 2027 को खारिज करते हुए और एकल न्यायपीठ द्वारा तारीख 13 दिसंबर, 2017 को पारित किए गए उस आदेश की अभिपुष्टि करते हुए तारीख 28 फरवरी, 2018 को पारित किए गए निर्णय और आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा एकल न्यायपीठ ने अपीलार्थी द्वारा उसकी ज्येष्ठता में पदावनति को चुनौती देते हुए फाइल की गई 2017 की रिट याचिका (सिविल) को खारिज कर दिया था ।

3. अपीलार्थी, “ओबीसी” प्रवर्ग के एक विकलांग अभ्यर्थी, जिसकी शैक्षणिक अर्हता बी. ए., बी. एड है, को सीधी प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन ज्येष्ठ शिक्षक के रूप में चयनित किया गया था ।

4. उप निदेशक (पूर्व) शिक्षा विभाग, बीकानेर अंचल, चुरु के तारीख 30 जुलाई, 1993 के एक कार्यालय आदेश क्र. सं. यूएनआईएसएचआई/बीका/चुरु/संस्था-बी/1233/69/92-93 द्वारा अपीलार्थी को ज्येष्ठ शिक्षक नियुक्त किया गया था और उसे गंगानगर अंचल आबंटित किया गया

था । अपीलार्थी की सेवा के निबंधन और शर्तें राजस्थान शैक्षणिक अधीनस्थ सेवा-नियम, 1971 द्वारा शासित थे ।

5. जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र संघ) श्री गंगानगर के कार्यालय द्वारा तारीख 10 अगस्त, 1993 को जारी किए गए कार्यालय आदेश क्र. सं. एनआईएसएचआईए/गंगा/संस्था-1/93-94/1071 के द्वारा अपीलार्थी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दीपलाना, हनुमानगढ़, बीकानेर में ज्येष्ठ शिक्षक नियुक्त किया गया था ।

6. पूर्वोक्त सरकारी आदेशों से यह साफ तौर पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी को विकलांग अभ्यर्थियों के प्रवर्ग में नियुक्त किया गया था । दीपलाना, जहां अपीलार्थी नियुक्त था, वह अलवर जिले में अपीलार्थी के निवास स्थान बहरोड़ से लगभग 550 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है ।

7. राजस्थान शारीरिक रूप से विकलांग नियोजन नियम, 1997 के अधीन अधीनस्थ मंत्रालयिक और चतुर्थ श्रेणी सेवा में 3 प्रतिशत पद निःशक्तजनों के लिए आरक्षित हैं । राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति पर भी पदों का आरक्षण लागू है ।

8. राजस्थान सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए तारीख 20 जुलाई, 2020 के एक परिपत्र क्र. सं. पी.15(3)पीआर.एसयू/ईवन/1/2000 द्वारा सभी नियुक्ति प्राधिकारियों को निदेश दिया गया था कि वे निःशक्तजनों की नियुक्ति/तैनाती उस स्थान पर या उसके आसपास करने पर विचार करें जहां वे नियुक्ति/तैनाती का विकल्प चुनते हैं ।

9. परिपत्र जारी करने के पश्चात्, अपीलार्थी ने एक अभ्यावेदन दिया कि अपीलार्थी को उसकी शारीरिक क्षमता पर विचार करते हुए उसके गृह जिला अलवर में स्थानांतरित कर दिया जाए ।

10. तारीख 21 सितंबर, 2001 की एक संसूचना क्र. सं. एफ16(1)एएएमआईजे/01/6705 जयपुर के द्वारा अपर आयुक्त, निःशक्तजन ने अपीलार्थी को विकलांग अभ्यर्थी के रूप में सामना की जाने वाली कठिनाइयों की ओर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान का ध्यान आकृष्ट किया जो अपने निवास से लगभग 550

किलो मीटर की दूरी पर तैनात था और निदेशक, माध्यमिक शिक्षा से अनुरोध किया कि अपीलार्थी को राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गिगलाना (अलवर) में स्थानांतरित कर दिया जाए ताकि वह बिना किसी बाधा के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सके ।

11. तत्पश्चात्, तारीख 19 अक्टूबर, 2002 के एक आदेश द्वारा उप शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) ने अपीलार्थी का स्थानांतरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गूंती, अलवर के ज्येष्ठ शिक्षक के रूप में कर दिया ।

12. तारीख 12 नवंबर, 2009 के एक आदेश द्वारा प्रधानाचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, दीपलाना, हनुमानगढ़ में अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया ताकि वह अलवर के गूंती में राजकीय माध्यमिक विद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर सके । यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी ने तारीख 13 नवंबर, 2002 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गूंती, अलवर में कार्यभार ग्रहण किया । अपीलार्थी की यह दलील है कि किसी भी समय अपीलार्थी को यह सूचित नहीं किया गया था कि उसके गृह जिले में स्थानांतरण के परिणामस्वरूप उसकी ज्येष्ठता में पदावनति हो जाएगी ।

13. तारीख 17 जुलाई, 2016 को अपीलार्थी को कनिष्ठ व्याख्याता के पद पर पदोन्नत किया गया और राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नंगलखोदिया, बहरोड़, अलवर में तैनात किया गया । तत्पश्चात्, तारीख 24 अप्रैल, 2017 को विभाग की वेबसाइट पर प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति हेतु योग्य शिक्षकों की अस्थायी पात्रता सूची प्रकाशित की गई । उक्त सूची में अपीलार्थी का नाम नहीं था । अपीलार्थी को पता चला कि अपीलार्थी की राज्य स्तरीय ज्येष्ठता को 870 से 1318 में परिवर्तित कर दिया गया था ।

14. यह प्रतीत होता है कि तारीख 11 सितंबर, 2007 के कार्यालय आदेश सं. शिविरा/मा/संस्था/वारी/के1/11968(2)/दिवेश/पुरुष/रा.स्टार/नमन-विलो/जोधपुर/2004/15 द्वारा आयुक्त, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान

ने अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य और मंडल स्तर की ज्येष्ठता सूची से अपीलार्थी का नाम हटा दिया गया ।

15. अपीलार्थी ने अपनी ज्येष्ठता को प्रत्यावर्तित करने के लिए निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान को एक अभ्यावेदन दिया । तथापि, उसकी ज्येष्ठता को प्रत्यावर्तित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई । अपीलार्थी ने व्यथित होकर अपनी ज्येष्ठता में पदावनति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका फाइल की ।

16. तारीख 13 दिसंबर, 2017 के आदेश द्वारा विद्वान् एकल न्यायपीठ ने एक गूढ़ आदेश द्वारा रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसके सुसंगत भाग को सुविधा के लिए इसमें नीचे उद्धृत किया जाता है :-

“3. याची ने तारीख 17 जुलाई, 2016 के आदेश में अपनी ज्येष्ठता स्थिति को चुनौती दी है, जिसके द्वारा उसे ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए उस सेवा की अवधि से इनकार किया गया है, जो उसने गंगानगर मंडल में दी थी । उसका यह पक्षकथन है कि उसे वर्ष 1993 में नियुक्त किया गया था और सेवा की संपूर्ण अवधि को ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए गिना जाना चाहिए ।

4. दस्तावजों का परिशीलन करने पर यह पता चलता है कि याची को तारीख 8 अगस्त, 1993 को शिक्षा विभाग के गंगानगर प्रभाग में नियुक्त किया गया था और हनुमानगढ़ में तैनात किया गया था । राज्य सरकार की तारीख 20 जुलाई, 2000 की नीति के आधार पर उसे उसके गृह जिले में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था और तदनुसार उसे अलवर में स्थानांतरित कर दिया गया था । राजस्थान शैक्षणिक सेवा नियम, 1970 के नियम 29 के अधीन अंतर्विष्ट उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण उसके अनुरोध पर किया जाता है तो नए प्रभाग में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से उसकी ज्येष्ठता पुनः निर्धारित की जाती है ।

5. तदनुसार, राज्य सरकार ने ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए पूर्ववर्ती सेवा की अवधि से इनकार कर दिया है। आदेश नियमानुसार है और किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।”

17. अपीलार्थी ने व्यथित होकर खंड न्यायपीठ में अपील की। खंड न्यायपीठ ने अपील को राजस्थान शैक्षणिक अधीनस्थ सेवा नियम, 1971 के नियम 29 के उप नियम (10) के स्पष्टीकरण, जिसे इसमें नीचे उद्धृत किया गया है, के प्रतिनिर्देश करके खारिज कर दिया :-

“29. ज्येष्ठता – .....

(10) यह कि परंतुक (8) और परंतुक (9) में निर्दिष्ट व्यक्ति एक ही तारीख को नियुक्त किए जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता का अवधारण, यथास्थिति, प्राइवेट संस्थान या स्थानीय निकाय में समान श्रेणी/समतुल्य पदों पर उनकी निरंतर सेवा की अवधि के आधार पर किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण :** ज्येष्ठ शिक्षक/शिक्षक या समतुल्य पदों पर कार्यरत व्यक्ति को जब एक जिले/रेंज से दूसरे जिले/रेंज में उसके स्वयं के अनुरोध पर स्थानांतरित किया जाता है, तो उसे नए जिले/रेंज में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से नए जिले/रेंज की ज्येष्ठता सूची में सबसे कनिष्ठतम व्यक्ति के ठीक नीचे रखा जाएगा और उस जिले/रेंज में जहां से उसे स्थानांतरित किया गया है, इस ज्येष्ठता का कोई अधिकार नहीं रहेगा।”

18. खंड न्यायपीठ ने यह मत व्यक्त किया :-

“याची-अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसिल यह दर्शित नहीं कर सके कि तारीख 20 जुलाई, 2000 के परिपत्र में विकलांग व्यक्तियों के स्थानांतरण के लिए उपबंध किया गया है और उस स्थिति में इस अनुरोध पर स्थानांतरण नहीं अपितु प्रशासनिक आधार पर माना जाएगा। आयुक्त, निःशक्तता द्वारा निर्दिष्ट किए गए तारीख 20 जुलाई, 2020 के परिपत्र में इसे केवल सेवा में नियुक्त अभ्यर्थियों की तैनाती के लिए उपदर्शित किया गया है। परिपत्र में विकलांग व्यक्ति की नियुक्ति पर उसकी इच्छा के



अनुसार या उसके गृह नगर के निकटतम स्थान पर तैनाती का उपबंध किया गया है। उपरोक्त व्यवस्था वर्ष 2000 में नियुक्ति पर तैनाती के लिए लाई गई थी न कि उन लोगों के स्थानांतरण के लिए जो इससे पहले और प्रस्तुत मामले में लगभग 7 वर्ष से पहले तैनात थे। नियम, 1971 के नियम 29 की उपेक्षा नहीं की जा सकती। याची-अपीलार्थी ने स्वयंमेव स्थानांतरण की ईप्सा की थी, इस प्रकार उसे जिले/अंचल में अंतिम अभ्यर्थी से नीचे रखकर ठीक ही ज्येष्ठता दी गई है।

तथ्यात्मक स्थिति तब भिन्न रही होती यदि सरकार द्वारा जारी परिपत्र में विकलांग व्यक्तियों को उनकी इच्छा के अनुसार स्थानांतरण का उपबंध किया गया होता और उन्हें प्रशासनिक पक्ष की ओर ले जाया जाता। उस स्थिति में, 1971 के नियमों के नियम 29 का उल्लंघन नहीं होता। इस तरह का कोई परिपत्र मौजूद नहीं है, बल्कि यह केवल नियुक्ति के समय तैनाती के लिए है इसलिए हम विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा तारीख 13 दिसंबर, 2017 को पारित किए गए आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं पाते हैं।”

19. राज्य सूची में अपीलार्थी की ज्येष्ठता में कमी पूरी तरह से मनमानी, अयुक्तियुक्त और भेदभावपूर्ण है। **उप निरीक्षक रूपलाल और एक अन्य बनाम उप राज्यपाल मार्फत मुख्य सचिव, दिल्ली और अन्य<sup>1</sup>** वाले मामले में इस न्यायालय ने भारत सरकार के तारीख 29 मई, 1986 के कार्यालय ज्ञापन की भर्त्सना की थी, जिसमें पिछली सेवा के फायदे से वंचित कर दिया गया था और इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया :-

“17. विधि में यह आवश्यक है कि यदि किसी स्थानांतरित पदधारी की पिछली सेवा को स्थानांतरित पद पर ज्येष्ठता के लिए गिना जाना है, तो दोनों पद समतुल्य होने चाहिए। इस मामले में तथा एंटनी मैथ्यू वाले पूर्ववर्ती मामले में प्रत्यर्थियों द्वारा किया

<sup>1</sup> (2000) 1 एस. सी. सी. 644.

गया एक आक्षेप यह है कि बीएसएफ में उप निरीक्षक का पद दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक (कार्यपालक) के पद के समतुल्य नहीं है। यह तर्क एकमात्र रूप से इस तथ्य पर आधारित है कि दोनों पदों का वेतनमान समान नहीं है। यद्यपि अधिकरण की मूल न्यायपीठ ने प्रत्यर्थी के इस तर्क को नामंजूर कर दिया था, जिसकी विशेष इजाजत याचिका के प्रक्रम पर इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई थी, तो भी इस तर्क का उसी अधिकरण की पश्चात्त्वर्ती न्यायपीठ द्वारा समर्थन किया गया था जिसका आदेश इन मामलों में हमारे समक्ष अपील में है। अतः हम अब इस तर्क पर विचार करने के लिए अग्रसर होंगे। दो पदों की समतुल्यता का आकलन समान वेतन के एकमात्र तथ्य के द्वारा नहीं किया जाता है। दो पदों की समानता का अवधारण करते समय 'वेतन' की बजाय बहुत से कारकों, जैसे कर्तव्यों की प्रकृति, उत्तरदायित्व, न्यूनतम अर्हता आदि को ध्यान में रखना होगा। इस न्यायालय द्वारा ऐसा बहुत पहले वर्ष 1968 में भारत संघ **बनाम** पी. के. राय [ए. आई. आर. एस. सी. 850 = (1968) 2 एस. सी. आर. 186] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है। उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने मुख्य सचिवों की समिति द्वारा अधिकथित कारकों को स्वीकार किया था जो समिति राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 से उद्भूत पदों की समानता के संबंध में विवादों का निपटारा करने के लिए गठित की गई थी। ये चार कारक हैं : (i) किसी पद की प्रकृति और कर्तव्य ; (ii) पद धारित करने वाले अधिकारी के उत्तरदायित्व और प्रयोक्तव्य शक्तियां ; (iii) पद की भर्ती के लिए विहित न्यूनतम अर्हताएं, यदि कोई है ; और (iv) पद का वेतन। यह दिखाई देता है कि पदों की समतुल्यता का पता लगाने के प्रयोजनार्थ किसी पद का वेतन अंतिम मानदंड है। यदि ऊपर उल्लिखित पहले तीन मानदंड पूर्ण हो जाते हैं तो इस तथ्य से कि दो पदों के वेतन भिन्न-भिन्न हैं, पद किसी प्रकार से 'असमतुल्य' नहीं बन जाएगा। प्रस्तुत मामले में, प्रत्यर्थियों का यह पक्षकथन नहीं है कि इसमें ऊपर वर्णित या उल्लिखित पहले तीन मानदंड संबंधित दोनों पदों के बीच किसी प्रकार से भिन्न हैं। इसलिए यह

अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अधिकरण द्वारा आक्षेपित आदेश में अपनाए गए इस दृष्टिकोण को आवश्यक रूप से नामंजूर किया जाना चाहिए कि बीएसएफ में उप निरीक्षक और दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक (कार्यपालक) के दोनों पद मात्र इस आधार पर समतुल्य नहीं हैं कि दोनों पदों का एक-समान वेतनमान नहीं है।”

20. इस न्यायालय ने भारत सरकार के तारीख 29 मई, 1986 के कार्यालय ज्ञापन पर विचार करते हुए यह मत व्यक्त किया और अभिनिर्धारित किया :-

“ज्ञापन के खंड (iv) के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि इस ज्ञापन के रचयिता ने प्रतिनियुक्त व्यक्ति की मूल विभाग में उसकी ज्येष्ठता की गणना करने के लिए उसके अधिकार के संबंध में असंगत दृष्टिकोण अपनाया है। खंड (iv) के आरंभिक भाग में स्पष्ट शब्दों में उसने यह कहा है कि यदि कोई प्रतिनियुक्त व्यक्ति मूल विभाग में नियमित आधार पर समतुल्य ग्रेड में है, तो उस ग्रेड में ऐसी नियमित सेवा को भी ज्येष्ठता निर्धारित करने में विचार में लिया जाएगा। पश्चात्पूर्ती भाग में ज्ञापन का रचयिता यह कहते हुए अग्रसर होता है -

‘..... इस शर्त के अधीन कि उसे ज्येष्ठता उस तारीख से दी जाएगी, जिस तारीख से वह पद धारित कर रहा है या जिस तारीख से उसे उसके मूल विभाग में उसी या समतुल्य ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है, जो भी पश्चात्पूर्ती है।’

‘जो भी पश्चात्पूर्ती है’ शब्दों का प्रयोग उस अधिकार को नकारता है जिसे ज्ञापन के खंड (iv) के पूर्वपूर्ती पैरा के अधीन प्रदत्त किया जाना अन्यथा ईप्सित था। हम इसके पीछे के तर्काधार को समझने में असमर्थ हैं। ‘जो भी पश्चात्पूर्ती है’ शब्दों का प्रयोग अयुक्तियुक्त होने के कारण इससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है। अपीलार्थियों की ओर से यह भी दलील

दी गई है कि इस ज्ञापन से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का भी अतिक्रमण होता है क्योंकि यह प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई सेवा को छीनता है जब उसे दिल्ली पुलिस में आमेलित किया जाता है, किसी सिविल सेवक के जिस अधिकार को विधि के प्राधिकार के बिना छीना नहीं जा सकता है ।

\*

\*

\*

23. उपरोक्त मामले में अधिकथित विनिश्चयाधार से यह स्पष्ट है कि कोई नियम, विनियम या कार्यपालिक अनुदेश जिसका प्रभाव किसी प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा मूल विभाग में समतुल्य काडर में की गई सेवा को प्रतिनियुक्त पद पर उसकी ज्येष्ठता की गणना करते समय छीनने का है तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अतिक्रमणकारी होगा । इसलिए नामंजूर करने के लिए दायी होगा । चूंकि आक्षेपित ज्ञापन समग्र रूप से प्रतिनियुक्त व्यक्तियों के उपरोक्त अधिकार को नहीं छीनता है और ज्ञापन के उल्लंघनकारी भाग को निकाल देने से, जैसा कि रिट याचिका में प्रार्थना की गई है, अपीलार्थियों के अधिकारों को परिरक्षित किया जा सकता है, हम अपीलार्थी-याचियों की प्रार्थना से सहमत हैं और ज्ञापन में उल्लंघनकारी शब्दों 'जो पश्चात्पूर्वी है' को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अतिक्रमणकारी अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए इसलिए उन शब्दों को आक्षेपित ज्ञापन के पाठ से अभिखंडित किया जा सकता है । परिणामतः, अपीलार्थी-याचियों का उनकी बीएसएफ में उप निरीक्षक के पद पर नियमित नियुक्ति की तारीख से दिल्ली पुलिस में उप निरीक्षक (कार्यपालक) के काडर में उनकी ज्येष्ठता की संगणना करते समय उनकी सेवा की गणना के अधिकार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।”

21. **उप निरीक्षक रूपलाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया कि कोई नियम, विनियम या कार्यपालक अनुदेश, जिसका प्रभाव किसी प्रतिनियुक्त व्यक्ति द्वारा मूल विभाग में समतुल्य काडर में की गई सेवा को प्रतिनियुक्ति पद पर उसकी ज्येष्ठता की गणना करते समय छीनने का है, तो यह भारत के

संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का अतिक्रमण होगा और इसलिए इसे रद्द किया जा सकता है। नियम 29 के उप नियम (10) के स्पष्टीकरण का प्रत्यर्थी-प्राधिकारियों द्वारा जिस रीति में निर्वचन किया गया है उससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का स्पष्ट रूप से अतिक्रमण होता है।

22. स्पष्टीकरण का परिशीलन करने पर यह प्रतीत होता है कि यह अनुरोध पर स्थानांतरण को हतोत्साहित करने के लिए सामान्य रूप से कर्मचारियों पर लागू होता है। वे अभ्यर्थी, जो स्थानांतरण के लिए अनुरोध करते हैं, वे ऐसा यह जानते हुए करते हैं कि उन्हें स्थानांतरित जिले और/या अंचल में ज्येष्ठता की हानि उठानी पड़ेगी। स्पष्टीकरण का आशय स्थानांतरित जिले और/या अंचल के विद्यमान कर्मचारियों की ज्येष्ठता की संरक्षा करना भी है। पूर्वोक्त स्पष्टीकरण राज्य स्तर की ज्येष्ठता में किसी परिवर्तन को प्राधिकृत नहीं करता है। ज्येष्ठता की हानि स्थानांतरित जिले/अंचल तक ही सीमित है और उस जिले और/या अंचल के बाहर स्थानांतरण के पश्चात् भी यह आने वाले समय के लिए लागू नहीं हो सकती है।

23. अन्यथा भी, उन विकलांग अभ्यर्थियों को, जिन्हें ऊपर निर्दिष्ट तारीख 20 जुलाई, 2000 के परिपत्र क्र. सं. पी.15(3)पीआर.एसयू/ईवन/1/2000 द्वारा विशेष फायदा प्रदत्त किया गया है, सभी व्यावहारिक प्रयोजनों के लिए उक्त परिपत्र के निबंधनों के अनुसार स्थानांतरण करके ज्येष्ठता में गिरावट करते हुए तारीख 20 जुलाई, 2000 के परिपत्र का फायदा उठाने के अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है।

24. यह सही है कि अपीलार्थी को विकलांग व्यक्तियों को उनकी पसंद के स्थान पर या उसके निकट नियुक्ति/तैनाती करने के लिए तारीख 20 जुलाई, 2000 का परिपत्र जारी किए जाने से बहुत पहले वर्ष 1993 में नियुक्त किया गया था। तथापि, परिपत्र जारी करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जो विकलांग कर्मचारियों को एक सुविधाजनक स्थान पर तैनाती का विकल्प चुनने के लिए समर्थ बनाने के लिए है जो उस स्थान के पास हो सकता है जहां कर्मचारी अपने परिवार के सदस्यों

के साथ मामूली तौर पर निवास करता है या उस स्थान पर या उसके निकट हो सकता है जहां विकलांग कर्मचारी, अन्य बातों के साथ-साथ, परिवार के सदस्यों, नातेदारों, मित्रों की सहायता प्राप्त कर सकता है या संस्थागत समर्थन हो सकता है, इसलिए इस परिपत्र का फायदा उन अभ्यर्थियों को भी जो परिपत्र के जारी किए जाने से पूर्व नियुक्त किए गए थे, निस्संदेह पदों की उपलब्धता और अन्य सुसंगत कारकों के अधीन रहते हुए दिया जाना चाहिए। इस परिपत्र के जारी किए जाने के समय पर पहले से ही नियोजन में लगे विकलांग कर्मचारियों को इस परिपत्र के फायदे से वंचित करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14/16 के अधीन उन कर्मचारियों के समता के मौलिक अधिकार का अतिक्रमण होगा।

25. उक्त परिपत्र को सरकारी संस्थानों में सेवा में शिक्षकों पर इस परिपत्र के जारी किए जाने के समय पर लागू किया गया है, जैसा कि अपर आयुक्त, निःशक्त व्यक्ति द्वारा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को जारी किए गए तारीख 21 सितंबर, 2001 की पूर्वोक्त संसूचना क्र. सं. एफ.16(1)(एएएमआईजे)/01/6705 से प्रतीत होता है, जिसमें उससे तारीख 20 जुलाई, 2000 के उक्त पत्र की ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए यह अनुरोध किया गया था कि अपीलार्थी को जिगलाना (अलवर) में किसी राजकीय माध्यमिक विद्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाए।

26. निःशक्त/विकलांग व्यक्तियों को उपेक्षित रखना एक मानव अधिकार का मुद्दा है, जो विश्व भर में विचार-विमर्श और चर्चा का विषय रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक चिंता बढ़ रही है कि निःशक्त व्यक्तियों को उनकी निःशक्तता के कारण दरकिनार न किया जाए।

27. निःशक्त व्यक्तियों के मानव अधिकारों के मुद्दे पर श्रृंखलाबद्ध बैठकों, चर्चाओं और विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप संयुक्त राष्ट्र की महासभा निःशक्त व्यक्तियों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीआरपीडी) को अपनाने के लिए प्रेरित हुई जिसका उद्देश्य निःशक्त

व्यक्तियों के मानव अधिकारों और गरिमा की संरक्षा करना है। इसे वर्ष 2006 में अपनाया गया था और यूएनसीआरपीडी मई, 2008 में प्रवृत्त हुआ। भारत सहित लगभग 177 देशों ने यूएनसीआरपीडी का अनुसमर्थन किया है।

28. यूएनसीआरपीडी में 50 अनुच्छेद हैं, जो निःशक्त व्यक्तियों के अंतर्निहित अधिकारों और स्वतंत्रताओं को रेखांकित करते हैं। यूएनसीआरपीडी के अनुच्छेद कतिपय सामान्य सिद्धांतों पर आधारित हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण निःशक्त व्यक्तियों की अंतर्निहित गरिमा और व्यक्तिगत स्वायत्तता के संबंध में है। भेदभाव विहिन का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसमें समाज में पूर्ण और प्रभावी सहभागिता और समावेशन के लिए उचित आवास और/या रियायतें सम्मिलित होंगी। मानव विविधता और मानवता के भाग के रूप में निःशक्त व्यक्तियों की भिन्नता और स्वीकृति के लिए सम्मान निःशक्त व्यक्तियों की गरिमा के मूल में निहित है।

29. यूएनसीआरपीडी का भारत द्वारा अनुसमर्थन किया गया है। राज्य यूएनसीआरपीडी को प्रभावी करने के लिए आबद्धकर हैं। शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए सभी कानूनों, नियमों, विनियमों, उप-विधियों, आदेशों और परिपत्रों का आवश्यक रूप से यूएनसीआरपीडी के सिद्धांतों के अनुरूप एक उद्देश्यपरक निर्वचन किया जाना चाहिए।

30. अन्यथा भी, मानव अधिकार सभ्यता की शुरुआत से ही सभ्य समाज में अंतर्निहित अधिकार हैं, भले ही ऐसे अधिकारों की पहचान और संगणना संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा तारीख 10 दिसंबर, 1948 को अंगीकृत मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा जैसी अंतरराष्ट्रीय लिखतों या यूएनसीआरपीडी सहित अन्य अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों में की गई हो। इसके अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 में अतिष्ठित समता के मूल अधिकार, अनुच्छेद 21 के अधीन कोई व्यवसाय, पेशा करने, दैहिक स्वतंत्रता के

अधिकार सहित अनुच्छेद 19 के अधीन गारंटीकृत मूल स्वतंत्रताओं के हकदार हैं, जिसका निर्वचन अब गरिमा के साथ जीने के अधिकार के रूप में किया गया है, जिसका निर्वचन निःशक्त व्यक्तियों के संबंध में उदारतापूर्वक किया जाना चाहिए ।

31. शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों द्वारा सामना की जाने वाली बाधाओं/असुविधाओं में से एक स्वतंत्र रूप से और आसानी से आने-जाने में असमर्थता है । निःशक्त व्यक्तियों के सामने आने वाली बाधाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य ने निःशक्त व्यक्तियों की, यथासाध्य, उनके पसंद के स्थानों पर तैनाती के लिए तारीख 20 जुलाई, 2000 की उक्त अधिसूचना/परिपत्र जारी किया है । शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए इस फायदे का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को ऐसे स्थान पर तैनात करने के लिए समर्थ बनाना है, जहां सहायता आसानी से उपलब्ध हो सके । लंबी दूरी की यात्रा से बचने के लिए निवास से दूरी एक सुसंगत विचारणा हो सकती है । परिपत्र/सरकारी आदेश के माध्यम से निःशक्तों को जो फायदा दिया गया है उसका उपभोग करने के अधिकार को उसे ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यक्षीन करके छीना नहीं जा सकता है जिससे यह फायदा निष्प्रभावी हो जाता हो ।

32. चूंकि रिट याचिका में स्पष्टीकरण की वैधता को कोई चुनौती नहीं दी गई है । इसलिए हम इस अपील में इसमें हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं । हम यह अभिनिर्धारित करते हैं कि उक्त स्पष्टीकरण ऐसे विकलांग अभ्यर्थियों पर किसी रीति में लागू नहीं हो सकता, जो उनके फायदे के लिए जारी फायदाप्रद कार्यालय आदेश/परिपत्र के निबंधनों के अनुसार अपने मामूली निवास स्थान के निकट किसी स्थान पर स्थानांतरण की ईप्सा करते हैं ।

33. बड़े सम्मान के साथ, उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ तथा खंड न्यायपीठ दोनों ने स्पष्टीकरण की व्याप्ति और परिधि की अनदेखी की है जो राज्य स्तर पर ज्येष्ठता को प्रभावित नहीं कर सकता



हैं और न ही प्रभावित करता है। हमारे मत में, उच्च न्यायालय को एक शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति की दुर्दशा के प्रति अधिक संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए था। उच्च न्यायालय ने चलने-फिरने में शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों और सामान्य रूप से सक्षम व्यक्तियों के बीच के अंतर को नजरअंदाज करके विधि की गलती की है। उच्च न्यायालय इस बात का मूल्यांकन करने में असफल रहा है कि असमान व्यक्तियों के साथ उनकी विशेष आवश्यकताओं की अनदेखी करके समान व्यवहार करने से संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होता है।

34. तदनुसार, यह अपील मंजूर की जाती है। खंड न्यायपीठ और एकल न्यायपीठ के निर्णय और आदेश अपास्त किए जाते हैं। तारीख 11 सितंबर, 2007 का कार्यालय आदेश सं. शिविरा/मा/संस्था/वारि/के-1/11968(2)/दिवेश/पुरुष/रा.स्टार/नमनवीलो/जोधपुर/2004/15 को अपास्त और अभिखंडित किया जाता है। प्रत्यर्थियों को निदेश दिया जाता है कि राज्य में अपीलार्थी की ज्येष्ठता को उसके द्वारा हनुमानगढ़ में की गई पिछली सेवा को ध्यान में रखते हुए मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित किया जाए।

अपील मंजूर की गई।

जस.

---

[2022] 3 उम. नि. प. 356

राजबीर सिंह

बनाम

पंजाब राज्य

[2010 की दांडिक अपील सं. 2152]

24 अगस्त, 2022

न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 – हत्या – शिकायतकर्ता द्वारा दूध बेचने का कारबार करने वाले अपने पड़ोसी अपीलार्थी-अभियुक्त से खरीदे गए दूध को उसकी पत्नी द्वारा पीने पर अभिकथित रूप से उसकी मृत्यु हो जाना – अभियुक्त और इत्तिलाकर्ता के बीच धन के लेन-देन को लेकर अभियुक्त द्वारा दूध में विष मिला दिए जाने का अभिकथन किया जाना – पारिस्थितिक साक्ष्य – दोषसिद्धि – संधार्यता – जहां मृतका की मरणोत्तर परीक्षा करने वाले डाक्टर द्वारा विषाक्तकरण का कोई लक्षण न पाया गया हो, रासायनिक परीक्षक को भेजे गए नमूनों से छेड़छाड़ करने की संभावना से इनकार न किया जा सकता हो, रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट संदेहास्पद हो, पारिस्थितिक साक्ष्य की श्रृंखला में कई सारी कड़ियां गायब और कमजोर पाई गई हों, अभियोजन पक्ष द्वारा पारिस्थितिक साक्ष्य और विषाक्तकरण के मामले में दोषसिद्धि अभिलिखित करने के लिए आवश्यक संघटकों में से कोई भी संघटक सिद्ध किया गया न पाया गया हो, वहां अभियुक्त के विरुद्ध मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित न होने पर उसे संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी-अभियुक्त शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) के पड़ोस में रहता था और दूध बेचने का कारबार करता था । शिकायतकर्ता के अनुसार, उसका पुत्र गुरशरण सिंह सवेरे लगभग 7.45 बजे राजबीर सिंह (अपीलार्थी) के मकान से एक किलो दूध लाया था । भैंसें खरीदने में अपीलार्थी की सहायता करने के

लिए और घरेलू आवश्यकताओं के लिए उसने लगभग 7/8 माह पहले इत्तिलाकर्ता से एक लाख रुपए उधार लिए थे । उसने इस संबंध में एक प्रोनोट भी निष्पादित किया था । गुरशरण सिंह (अभि. सा. 2) द्वारा लाया गया दूध रेफ्रिजरेटर में रखा था । लगभग 12.30 बजे अपराहन में उसकी पत्नी कुलदीप कौर उर्फ भजनो को भूख महसूस हुई और चूंकि वह कुछ थकावट के कारण आराम कर रही थी, इसलिए इत्तिलाकर्ता ने स्वयं रेफ्रिजरेटर में रखे जग से कुछ दूध निकाला और इसे गर्म करने के पश्चात् उसे दे दिया । दूध की एक घूंट भरने के पश्चात् उसने कहा कि दूध का स्वाद कड़वा है तथा एक और घूंट भरने के पश्चात् फिर से कहा कि दूध में कुछ खराबी है । इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता ने भी जग में रखे दूध को सूंघा जिससे एक तीखी गंध आ रही थी । इसी बीच, उसकी पत्नी को अपने होठों पर जलन महसूस हुई और बेचैन भी हो गई । इत्तिलाकर्ता ने अपने पुत्र गुरशरण सिंह (अभि. सा. 2) को बुलाया, जो अपनी माता को अपने स्कूटर पर बाल और सामान्य अस्पताल लेकर गया । वह भी पीछे-पीछे गया । चूंकि उसकी पत्नी की हालत बिगड़ रही थी इसलिए उसे सिविल अस्पताल, भटिंडा रेफर किया गया जहां कुछ समय के पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई । इत्तिलाकर्ता ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि उसे दृढ़ विश्वास है कि राजबीर सिंह और उसकी पत्नी शीला ने उसके परिवार को समाप्त करने के लिए दूध में कोई विषैला पदार्थ मिलाया था । उसकी पत्नी की मृत्यु विषैले दूध के कारण हुई थी । वह और उसकी पत्नी राजबीर सिंह से अपनी धनराशि मांग रहे थे किंतु वह बहाना बना रहा था और इस वैमनस्य के कारण उसने दूध में विष मिला दिया था, इसलिए एक रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की जाए और उचित कार्रवाई की जाए । अन्वेषण अधिकारी द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई । शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा गया । अन्वेषण अधिकारी ने अगले दिन घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थल नक्शा तैयार किया । उसने जग में रखे दूध के साथ-साथ उस उबाले हुए दूध का भी नमूना एकत्रित किया जो गिलास में पड़ा हुआ था । उन्हें पैक और मुहरबंद किया गया । जिन बर्तनों में दूध रखा था, उन्हें भी अभिरक्षा में लिया गया और सभी बरामद मर्दों का बरामदगी ज्ञापन तैयार किया गया । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन

साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए । केवल राजबीर सिंह-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया । विचारण न्यायाधीश ने तारीख 22 जनवरी, 2002 को अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप को पढ़कर सुनाया और उसने इससे इनकार किया, दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । उसके पश्चात् विचारण अग्रसर हुआ और पांच साक्षियों की परीक्षा की गई । विचारण न्यायालय ने तारीख 8 अप्रैल, 2005 के निर्णय द्वारा पाया कि वे सभी संघटक मौजूद हैं जिनसे विष देकर कारित की गई मृत्यु साबित होती है और अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप को साबित किया गया है । विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि अपीलार्थी की पत्नी शीला के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और तदनुसार उसे संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त कर दिया । तथापि, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई कमी नहीं पाई गई और तदनुसार अपील को खारिज कर दिया । अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – यह मामला विष देकर हत्या करने का पारिस्थितिक साक्ष्य का मामला है । अपीलार्थी द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित इस हेतु से इनकार किया गया है कि अपीलार्थी ने एक लाख रुपए का ऋण लिया था और एक प्रोनोट तथा रसीद निष्पादित की थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में कोई धन उधार लेने और प्रोनोट निष्पादित करने की बात से भी विनिर्दिष्ट रूप से इनकार किया गया है । अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 7 की प्रतिपरीक्षा के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन में भी स्थापित की गई प्रतिरक्षा यह थी कि इत्तिलाकर्ता कमेटियों का कारबार कर रहा था, जिसमें अपीलार्थी एक सदस्य था और इत्तिलाकर्ता से अपीलार्थी को रकम देय थी । इत्तिलाकर्ता द्वारा चलाई जा रही कमेटियों के कारबार में व्यतिक्रमी होने और वित्तीय हानि होने

की बात को स्वीकार किया गया है। अपीलार्थी के अनुसार, उसे इत्तिलाकर्ता से रकम देय थी और इत्तिलाकर्ता से उसकी वसूली से उसे वंचित करने के लिए उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है। अतः मिथ्या फंसाए जाने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रोनोट और रसीद का लिया गया अवलंब भी साबित नहीं किया गया है क्योंकि मूल प्रोनोट प्रस्तुत नहीं किया गया था बल्कि यह एक मिथ्या अभिवाक् किया गया था कि इसे सिविल कोर्ट के समक्ष फाइल किया गया था, जिसे अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए प्रदर्श डी/1 द्वारा झुठलाया गया है और दूसरी बात यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा इसे प्रमाणित करने वाले किसी साक्षी को पेश नहीं किया गया था। अगला प्रश्न जो विचार के लिए उद्भूत होता है, यह है कि क्या दूध में विषैला मिश्रण मिलाने का कार्य अपीलार्थी द्वारा किया गया था या इसे किसी और व्यक्ति द्वारा किया जा सकता था, और इसके दो पहलू हैं। पहला, दुर्भाग्यपूर्ण दिन सवेरे अपीलार्थी से दूध लेने के समय और मृतका द्वारा इसे पीने के समय तक के बीच लगभग 5.00 घंटे का समय है। दूसरा पहलू दुर्भाग्यपूर्ण दिन लगभग 12.30 बजे अपराह्न में दूध पीने के पश्चात् से अगले दिन तक का है जब अन्वेषण अधिकारी ने दूध का नमूना और बर्तन बरामद किए थे और कब्जे में लिए थे, जिसमें लगभग 20-24 घंटे का अंतराल था। अपीलार्थी से दूध लेने के समय से लेकर नमूने एकत्रित करने तक समय का कुल अंतराल 24 घंटे से अधिक का है। इस अवधि के दौरान विष मिलाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। प्रतिरक्षा पक्ष ने इस पहलू पर अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2, दोनों की प्रतिपरीक्षा की थी। अगला प्रश्न जो विचार के लिए उद्भूत होता है, यह है कि क्या मृतका की मृत्यु ऑर्गेनोफास्फोरस, एक विषैला मिश्रण पीने के कारण हुई थी या किसी अन्य कारण से। ऑर्गेनोफास्फोरस की एक अत्यंत तीक्ष्ण गंध होती है। इस गंध को इत्तिलाकर्ता, उसके पुत्र और मृतका द्वारा भी महसूस नहीं किया जा सका था। जिस दूध में कथित रूप से विष मिलाया गया था, वह रेफ्रिजरेटर से निकाला गया था, इसे उबालने के लिए एक पैन में डाला गया था और उसके पश्चात् मृतका को दिया गया था। यदि इसमें वास्तव में ऑर्गेनोफास्फोरस होता, तो इसकी गंध कमरे में फैल जाती।

मृतका, जो 45 वर्ष आयु की एक स्वस्थ स्त्री थी, इस दूध को नहीं पीती यदि दूध से तीक्ष्ण गंध आ रही होती। यहां तक कि इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) ने भी दूध को उबालते समय इसमें कोई दुर्गंध महसूस नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, डा. अवतार सिंह (अभि. सा. 4), जिसने शव-परीक्षा की थी, ने अपने दोनों कथनों में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि उसे शव से ऑर्गेनोफास्फोरस की कोई गंध आते हुए नहीं पाई थी। पहला कथन 8 अप्रैल, 2002 को अभिलिखित किया गया था और दूसरा कथन तारीख 3 नवंबर, 2003 को अभिलिखित किया था और दोनों कथनों में उसने यह कहा था कि उसने नाखूनों के रंग में और शरीर में भी कोई परिवर्तन नहीं देखा था, जो विषाक्तकरण के मामले में एक सामान्य लक्षण होता है। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया था कि शरीर के सभी अंग स्वस्थ थे। यद्यपि उसने स्वीकार किया था कि ऑर्गेनोफास्फोरस द्वारा विषाक्तकरण के मामले में मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, तथापि, उदर की बाह्य मांसपेशियों में कोई ऐंठन या सिकुड़न नहीं थी और ये मांसपेशियां स्वस्थ थीं। इस साक्षी के अनुसार, शव-परीक्षा के दौरान इस तथ्य के बावजूद विषाक्तकरण का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया था कि पुलिस के सभी कागजातों में इसके बारे में विषाक्तकरण का मामला बताया गया था। अभि. सा. 4 यह मत व्यक्त करने में सावधान रहा होगा कि क्या शव में विषाक्तकरण का कोई लक्षण मौजूद है या नहीं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मृत्यु किसी अन्य कारण से कारित की जा सकती थी किंतु विषाक्तकरण से नहीं। जहां तक रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट का संबंध है, यह ऊपर और इसमें इसके पश्चात् चर्चा किए गए कारणों से नमूनों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला हो सकता है। रसायन परीक्षक की तारीख 31 जनवरी, 2001 की रिपोर्ट (प्रदर्श पीएफ) और तारीख 5 फरवरी, 2001 की रिपोर्ट (प्रदर्श पीजी) द्वारा दूध, बर्तनों और विसरा में ऑर्गेनोफास्फोरस की मौजूदगी को साबित किया गया है। प्रयोगशाला में नमूना तारीख 22 सितंबर, 2000 को प्राप्त हुआ था, जबकि दोनों रिपोर्टों के अनुसार सहायक रसायन परीक्षक डा. संदीप कक्कड़ द्वारा इस नमूने को तारीख 22 नवंबर, 2000 को डा. ओ. पी. गोयल से उसके निलंबन के पश्चात् एक मुहरबंद स्थिति में नहीं अपितु एक खुले आवरण में प्राप्त किया

गया था । “यह खुला आवरण मेरे द्वारा तारीख 22 नवंबर, 2000 को डा. ओ. पी. गोयल से उसके निलंबन के पश्चात् प्राप्त किया गया” यह टिप्पण दोनों रिपोर्टों में लगातार “एक्स” अक्षर का प्रयोग करते हुए उपरिलेखन करके/काटकर टाइप किया गया है । प्रदर्श पीएफ में यह वर्णित है कि मुहरबंद पार्सल में तीन मुहरबंद जार थे जिनमें अंगों के भाग रखे गए थे । इस प्रदर्श पीएफ में किसी चौथे जार का वर्णन नहीं है, जबकि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट और डा. अवतार सिंह (अभि. सा. 4) के कथन के अनुसार, चार मुहरबंद पैकेट भेजे गए थे, तीन में अंगों के भाग रखे गए थे और एक में लवणीय घोल रखा गया था । परिणाम में तीन मुहरबंद जारों में ऑर्गेनोफास्फोरस मिश्रण की मौजूदगी का उल्लेख किया गया है और चौथे जार की अंतर्वस्तुओं में कोई विष न पाए जाने का भी उल्लेख किया गया है । प्रदर्श पीएफ की अंतर्वस्तुओं के वर्णन में चौथे जार का कोई उल्लेख नहीं था । सहायक रसायन परीक्षक, डा. संदीप कक्कड़ की दूसरी रिपोर्ट प्रदर्श पीजी घटना के अगले दिन अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई बरामदगी के संबंध में है, जिसमें उबला हुआ और बिना उबला दूध तथा बर्तन सम्मिलित थे । इस पर भी उसी प्रकार की कटिंग की गई थी और इसके साथ एक टिप्पण संलग्न था कि इसे एक खुले आवरण के रूप में तारीख 22 नवंबर, 2000 को डा. ओ. पी. गोयल से उसके निलंबन के पश्चात् प्राप्त किया गया था । रिपोर्ट किया गया परिणाम यह है कि प्रदर्श सं. (i) से (vi) सभी की अंतर्वस्तुओं में ऑर्गेनोफास्फोरस मिश्रण पाया गया था । रसायन परीक्षक की रिपोर्टों के अनुशीलन से निम्नलिखित संदेह उद्भूत होते हैं – (i) नमूने सहायक रसायन परीक्षक, जिसको विश्लेषण करना था, को मुहरबंद रूप में नहीं सौंपे गए थे । (ii) कटिंग किए जाने और पार्सलों के खुला होने के संबंध में एक ताजा टिप्पण होने से भी संदेह उत्पन्न होता है । (iii) नमूनों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है । अन्वेषण अधिकारी ने स्वीकार किया है कि यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था कि क्या कथित रूप से दूध में मिलाया गया विषैला पदार्थ अपीलार्थी के कब्जे में था या नहीं । निचले न्यायालय इस धारणा के आधार पर अग्रसर हुए कि ऑर्गेनोफास्फोरस हर घर में उपलब्ध होता है । उपरोक्त चर्चा से, यह पूरी तरह से स्पष्ट है

कि साक्ष्य की श्रृंखला में कई सारी गायब और कमजोर कड़ियां हैं । पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में और विषाक्तकरण के मामले में दोषसिद्धि अभिलिखित करने के लिए आवश्यक संघटकों में से कोई भी सिद्ध नहीं किया गया है । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष दोषिता को सिद्ध करने में असफल रहा है । (पैरा 35, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48)

### निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2012]	2012 की दांडिक अपील सं. 25 : रामनिवास बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा ;	39
[2003]	(2003) 1 एस. सी. सी. 169 : जयपाल बनाम हरियाणा राज्य ;	44
[1985]	[1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116 : शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य ।	35, 38

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की दांडिक अपील सं. 2152.**

2005 की दांडिक अपील सं. 355-डीबी में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के तारीख 29 अक्टूबर, 2009 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** सर्वश्री सूर्यनारायण सिंह, ज्येष्ठ अधिवक्ता, अनिल कुमार और टी. महिपाल

**प्रत्यर्थियों की ओर से** सुश्री जसप्रीत गोगिया और श्री करणवीर गोगिया

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने दिया ।

**न्या. नाथ**— यह अपील पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के तारीख 29 अक्टूबर, 2009 के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई



है, जिसके द्वारा अपीलार्थी द्वारा फाइल की गई अपील को सेशन न्यायाधीश, भटिंडा द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में "भारतीय दंड संहिता") की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध करते हुए और उसे कठोर आजीवन कारावास भुगतने तथा 1000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश देते हुए तारीख 8 अप्रैल, 2005 के निर्णय की पुष्टि करते हुए खारिज कर दिया गया था ।

2. अभियोजन की कहानी जोगिन्द्र सिंह (अभि. सा. 1-मृतका का पति) द्वारा तारीख 18 सितंबर, 2000 को 7.00 बजे अपराहन में पुलिस थाना कोतवाली, जिला भटिंडा में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के साथ आरंभ होती है । शिकायतकर्ता के अनुसार, उसका पुत्र गुरशरण सिंह सवेरे लगभग 7.45 बजे राजबीर सिंह (अपीलार्थी) के मकान से एक किलो दूध लाया था, जो पड़ोस में रहता है और डेरी फार्म का कारबार करता है तथा अपनी पत्नी शीला की सहायता से दूध बेचता है । अपीलार्थी पड़ोस में रहने के कारण शिकायतकर्ता का जानकार था । भैंसों खरीदने में अपीलार्थी की सहायता करने के लिए और घरेलू आवश्यकताओं के लिए उसने लगभग 7/8 माह पहले इत्तिलाकर्ता से एक लाख रुपए उधार लिए थे । उसने इस संबंध में एक प्रोनोट भी निष्पादित किया था । गुरशरण सिंह (अभि. सा. 2) द्वारा लाया गया दूध रेफ्रिजरेटर में रखा था । लगभग 12.30 बजे अपराहन में उसकी पत्नी कुलदीप कौर उर्फ भजनो को भूख महसूस हुई और चूंकि वह कुछ थकावट के कारण आराम कर रही थी, इसलिए इत्तिलाकर्ता ने स्वयं रेफ्रिजरेटर में रखे जग से कुछ दूध निकाला और इसे गर्म करने के पश्चात् उसे दे दिया । दूध की एक घूंट भरने के पश्चात् उसने कहा कि दूध का स्वाद कड़वा है तथा एक और घूंट भरने के पश्चात् फिर से कहा कि दूध में कुछ खराबी है । इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता ने भी जग में रखे दूध को सूंघा जिससे एक तीखी गंध आ रही थी । इसी बीच, उसकी पत्नी को अपने होठों पर जलन महसूस हुई और बेचैन भी हो गई । इत्तिलाकर्ता ने अपने पुत्र गुरशरण सिंह (अभि. सा. 2) को बुलाया, जो

अपनी माता को अपने स्कूटर पर बाल और सामान्य अस्पताल लेकर गया । वह भी पीछे-पीछे गया । चूंकि उसकी पत्नी की हालत बिगड़ रही थी इसलिए उसे सिविल अस्पताल, भटिंडा रेफर किया गया जहां कुछ समय के पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई । इत्तिलाकर्ता ने अपनी शिकायत में यह भी कहा कि उसे दृढ़ विश्वास है कि राजबीर सिंह और उसकी पत्नी शीला ने उसके परिवार को समाप्त करने के लिए दूध में कोई विषैला पदार्थ मिलाया था । उसकी पत्नी की मृत्यु विषैले दूध के कारण हुई थी । वह और उसकी पत्नी राजबीर सिंह से अपनी धनराशि मांग रहे थे किंतु वह बहाना बना रहा था और इस वैमनस्य के कारण उसने दूध में विष मिला दिया था, इसलिए एक रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की जाए और उचित कार्रवाई की जाए ।

3. डा. के. एस. बराड़ (अभि. सा. 12), बाल और सामान्य अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी ने कुलदीप कौर का परीक्षण करने के पश्चात् उसकी गंभीर हालत पर विचार करते हुए उसे सिविल अस्पताल रेफर कर दिया और पुलिस को भी सूचना भेजी । उप निरीक्षक बलवंत सिंह (अभि. सा. 7) जो कैनाल कालोनी पुलिस चौकी, भटिंडा का भारसाधक था, बाल और सामान्य अस्पताल के लिए रवाना हुआ और वहां से सिविल अस्पताल गया, जहां डाक्टर ने उसे कुलदीप कौर की मृत्यु के बारे में सूचित किया । वह अस्पताल में जोगिन्द्र सिंह (अभि. सा. 1) से मिला और उसने अपना कथन किया जिसे अभिलिखित किया गया और इसे उसको पढ़कर सुनाने के पश्चात् इस पर जोगिन्द्र सिंह (अभि. सा. 1) द्वारा हस्ताक्षर किए गए । उप निरीक्षक बलवंत सिंह (अभि. सा. 7) ने मामला रजिस्ट्रीकृत करने के लिए इस पर पृष्ठांकन (प्रदर्श पीए/1) किया । इसके आधार पर औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पीए/2) रजिस्ट्रीकृत की गई ।

4. अन्वेषण अधिकारी द्वारा मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (प्रदर्श पीई) तैयार की गई । शव को हैड कांस्टेबल कपूर चंद (अभि. सा. 5) और कांस्टेबल सतपाल (अभि. सा. 10) की अभिरक्षा में मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा गया । आवश्यक पुलिस कागजात तैयार किए गए । अन्वेषण अधिकारी ने अगले दिन घटनास्थल का निरीक्षण किया और स्थल नक्शा

(प्रदर्श पीके) तैयार किया । उसने जग में रखे दूध के साथ-साथ उस उबाले हुए दूध का भी नमूना एकत्रित किया जो गिलास में पड़ा हुआ था । उन्हें पैक और मुहरबंद किया गया । जिन बर्तनों में दूध रखा था, उन्हें भी अभिरक्षा में लिया गया और सभी बरामद मर्दों का बरामदगी ज्ञापन (प्रदर्श पीएम) तैयार किया गया । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे इसमें इसके पश्चात् “दंड प्रक्रिया संहिता” कहा गया है) की धारा 161 के अधीन साक्षियों के कथन अभिलिखित किए गए । केवल राजबीर सिंह-अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया ।

5. संज्ञान लिया गया । मजिस्ट्रेट ने मामले को विचारण के लिए सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया । विचारण न्यायाधीश ने तारीख 22 जनवरी, 2002 को अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप को पढ़कर सुनाया और उसने इससे इनकार किया, दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । उसके पश्चात् विचारण अग्रसर हुआ और पांच साक्षियों की परीक्षा की गई । तारीख 14 मार्च, 2003 को डा. के. एस. बराड़, जिसने पहले बाल और सामान्य अस्पताल में मृतका का परीक्षण किया था, की अभि. सा. 1 के रूप में परीक्षा की गई ; डा. अवतार सिंह, जिसने शव-परीक्षा की थी, की अभि. सा. 2 के रूप में परीक्षा की गई ; हैड कांस्टेबल सतपाल, जो शव-परीक्षा के लिए शव के साथ गया था और मुहरबंद नमूनों को प्रयोगशाला में लेकर गया था, की अभि. सा. 3 के रूप में परीक्षा की गई ; हैड कांस्टेबल कपूर चंद, जो शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए लेकर गया था, की अभि. सा. 4 के रूप में परीक्षा की गई और मृतका के पुत्र गुरशरण सिंह की अभि. सा. 5 के रूप में परीक्षा की गई ।

6. इस प्रक्रम पर, अपीलार्थी की पत्नी शीला देवी को तारीख 8 अप्रैल, 2003 के आदेश द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के अधीन समन किया गया । उसके पश्चात्, दोनों अभियुक्तों को तारीख 8 जुलाई, 2003 को पुनः भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन नए आरोप को पढ़कर सुनाया गया । दोनों अभियुक्तों ने आरोप से इनकार किया, दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । उन्होंने यह भी कहा कि वे

उन सभी साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करेंगे जिनकी पहले परीक्षा की जा चुकी है ।

7. अभिलेख से यह प्रतीत होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा पहले ही परीक्षा किए गए साक्षियों की विचारण न्यायालय के समक्ष पुनः परीक्षा, यद्यपि एक भिन्न क्रम में, की गई थी । अभियोजन पक्ष द्वारा सभी 12 साक्षियों की निम्नलिखित प्रकार से परीक्षा की गई थी :-

- i. अभि. सा. 1-जोगिन्द्र सिंह, इत्तिलाकर्ता ।
- ii. अभि. सा. 2 - गुरशरण सिंह, मृतका का पुत्र ।
- iii. अभि. सा. 3 - बलविन्द्र सिंह, इत्तिलाकर्ता का भाई, प्रोनोट को साबित करने के लिए ।
- iv. अभि. सा. 4 - डा. अवतार सिंह, जिसने शव-परीक्षा की थी ।
- v. अभि. सा. 5 - हैड कांस्टेबल कपूर चंद, जो मृतका के शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए लेकर गया था ।
- vi. अभि. सा. 6 - हैड कांस्टेबल दर्शन सिंह, जिसके पास मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट की वस्तुएं और मृतका के वस्त्रों के पार्सल को जमा किया गया था ।
- vii. अभि. सा. 7 - उप निरीक्षक बलवंत सिंह, अन्वेषण अधिकारी ।
- viii. अभि. सा. 8 - उप निरीक्षक मंजीत सिंह, जिसने तारीख 12 जून, 2001 को राजबीर सिंह को गिरफ्तार किया था ।
- ix. अभि. सा. 9 - सहायक उप निरीक्षक कुलदीप सिंह जिसने प्रोनोट (प्रदर्श पीबी) को कब्जे में लिया था और प्रोनोट के हाशिए पर के साक्षियों के कथन भी अभिलिखित किए थे ।

(इस प्रक्रम पर, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन तारीख 10 नवंबर, 2004 को दोनों अभियुक्तों के कथन उन्हें अपराध में आलिप्त करने वाली समस्त सामग्री दिखाते हुए अभिलिखित किए गए थे ।)

- x. अभि. सा. 10 - हैड कांस्टेबल सतपाल सिंह, जो बरामद सामग्री

और विसरा को प्रयोगशाला लेकर गया था ।

xi. अभि. सा. 11 - कांस्टेबल परमजीत सिंह, जिसने न्यायिक मजिस्ट्रेट को विशेष रिपोर्टें परिदत्त की थीं ।

xii. अभि. सा. 12 - डा. के. एस. बराड़, जिसने पहले बाल और सामान्य अस्पताल में मृतका का परीक्षण किया था ।

उपरोक्त तीन साक्षियों की परीक्षा करने के पश्चात् दोनों अभियुक्तों के समक्ष अपराध में आलिप्त करने वाली अतिरिक्त सामग्री प्रस्तुत की गई थी और तारीख 9 मार्च, 2005 को उनका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अनुपूरक कथन अभिलिखित किया गया था ।

8. दोनों अभियुक्तों की दो बार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन परीक्षा की गई थी और उन्हें अपराध में आलिप्त करने वाली संपूर्ण सामग्री बताई गई थी । उन्होंने अभियोजन साक्ष्य से इनकार किया और निर्दोष होने का अभिवाक् किया तथा कहा कि उन्हें मिथ्या रूप से फंसाया गया है । उनके द्वारा यह भी कहा गया कि शिकायतकर्ता कमेटियों का कारबार कर रहा था जिसमें अपीलार्थी भी उक्त कमेटियों का एक सदस्य था ; उसने कमेटियों के लिए संदाय किया था किंतु कमेटियों के कुछ सदस्यों ने शेष किस्तों का संदाय करने से इनकार कर दिया था, यद्यपि उन्होंने कमेटियों से पूर्ण रकम प्राप्त की थी ; इस कारण से शिकायतकर्ता की वित्तीय स्थिति बहुत कमजोर हो गई थी ; अपीलार्थी को कमेटियों की शोध्‍य रकम प्राप्त नहीं हुई थी और इत्तिलाकर्ता से इसकी मांग कर रहा था ; यही कारण है कि उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है जिससे शिकायतकर्ता को उक्त भार से छुटकारा मिल सके ; मृतका ने अपने परिवार के वित्तीय संकट के कारण आत्महत्या की होगी । अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, तथापि, उसने सिविल न्यायालय के तारीख 22 नवंबर, 2004 के आदेश की प्रति से संबंधित एक दस्तावेज (प्रदर्श डी-1) फाइल किया ।

9. दूध के नमूनों और उन बर्तनों को, जो अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत किए गए थे, विसरा के साथ रासायनिक परीक्षण के लिए

भेजा गया था । प्रयोगशाला से दो रिपोर्टें प्राप्त हुई थीं – एक रिपोर्ट तारीख 31 जनवरी, 2001 (प्रदर्श पीएफ) की है और दूसरी तारीख 5 फरवरी, 2001 (प्रदर्श पीजी) की है ।

10. प्रदर्श पीएस के अनुसार मुहरबंद पैकेट में अंतर्विष्ट था :-

- i. एक मुहरबंद जार में कथित रूप से मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े के भाग थे ;
- ii. एक मुहरबंद जार में कथित रूप से यकृत प्लीहा और गुर्दे के भाग थे ;
- iii. एक मुहरबंद जार में कथित रूप से बड़ी आंत और उदर के भाग थे ।

11. विश्लेषण में नमूने (i) से (iii) की अंतर्वस्तुओं में ऑर्गेनोफास्फोरस, जो कीटनाशी का एक समूह है, पाया गया था । नमूना (iv) की अंतर्वस्तुओं में कोई विष नहीं पाया गया था । प्रदर्श पीएफ की रिपोर्ट में नमूना (iv) का कोई उल्लेख नहीं है । शरीर के अंगों के केवल तीन नमूनों का वर्णन है । रिपोर्ट को काटा भी गया है, जिस पर बाद के प्रक्रम पर चर्चा की जाएगी ।

12. प्रदर्श पीजी निम्नलिखित छह मुहरबंद पार्सलों से मिलकर बना था :-

- i. सम्यक् रूप से मुहरबंद प्लास्टिक की शीशी जिसमें कथित रूप से बिना उबला दूध था ;
- ii. एक मुहरबंद प्लास्टिक की शीशी, जिसमें कथित रूप से मृतका को दिया गया उबला हुआ दूध था ;
- iii. एक मुहरबंद प्लास्टिक की शीशी, जिसमें कथित रूप से बिना उबले दूध से लिया गया दूध था ;
- iv. एक मुहरबंद स्टील का जग और उसके साथ दूध लगा हुआ खाली गिलास ;
- v. एक मुहरबंद डोलू और गिलास ;

vi. एक एल्यूमिनियम का फ्राइंग पेन ।

इस रिपोर्ट में भी प्रदर्श पीएफ के समान प्रकृति की कटिंग है । विश्लेषण के परिणाम के अनुसार नमूने (i) से (vi) की अंतर्वस्तुओं में ऑर्गेनोफास्फोरस, जो एक कीटनाशी का समूह है, पाया गया था ।

13. दोनों रिपोर्टों प्रदर्श पीएफ और प्रदर्श पीजी में यह उल्लेख किया गया है कि हस्ताक्षरकर्ता द्वारा डा. ओ. पी. गोयल से तारीख 22 नवंबर, 2000 को उसके निलंबन के पश्चात् खुला डिब्बा प्राप्त किया गया था ।

14. इस प्रक्रम पर मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट को निर्दिष्ट करना भी सुसंगत होगा । मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट (पीडी) के अनुसार, यह तारीख 19 सितंबर, 2000 को 11.10 बजे पूर्वाह्न में की गई थी । मृत्यु के कारण के संबंध में रिपोर्ट में यह कहा गया था कि इसे रसायन परीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् घोषित किया जाएगा । मृतका के शरीर पर कोई बाह्य या आंतरिक क्षति नहीं पायी गई थी । शरीर के सभी आंतरिक अंग स्वस्थ पाए गए थे । यह भी कहा गया था कि वह अधिसंभाव्य समय, जो मृत्यु और मरणोत्तर परीक्षा के बीच व्यतीत हुआ था, 24 घंटे के भीतर था । विसरा परिरक्षित रखा गया था और पुलिस को सौंपा गया था ।

15. विचारण न्यायालय ने तारीख 8 अप्रैल, 2005 के निर्णय द्वारा पाया कि वे सभी संघटक मौजूद हैं जिनसे विष देकर कारित की गई मृत्यु साबित होती है और अभियोजन पक्ष द्वारा आरोप को साबित किया गया है । विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि अपीलार्थी की पत्नी शीला के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है और तदनुसार उसे संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त कर दिया । तथापि, अपीलार्थी के विरुद्ध हत्या का आरोप सिद्ध किया गया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया । विचारण न्यायालय ने अपराध को विरल से विरलतम मामलों की परिधि में आने वाला नहीं पाया और तदनुसार उसे आजीवन कारावास भुगतने और 1000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर तीन माह

का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का दंडादेश दिया ।

16. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष 2005 की दांडिक अपील सं. 355 के रूप में रजिस्ट्रीकृत अपील फाइल की । उच्च न्यायालय ने तारीख 29 अक्टूबर, 2009 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई कमी नहीं पायी और तदनुसार अपील को खारिज कर दिया । इसके परिणामस्वरूप यह अपील उद्भूत हुई है ।

17. विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने पाया कि अपीलार्थी की दोषिता को सिद्ध करने के लिए परिस्थितियों की श्रृंखला पूर्ण है । दोनों न्यायालयों के अनुसार, अभियोजन पक्ष ने इत्तिलाकर्ता के पुत्र को प्रदान किए गए दूध में विष मिलाने और उसे मृतका द्वारा पीने के परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु होने के बारे में अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप को पूरी तरह सिद्ध किया गया है । निष्कर्ष यह है कि इत्तिलाकर्ता से लिए गए एक लाख रुपये के ऋण को लौटाने से मुक्ति पाने के लिए उक्त अपराध कारित करने का हेतु था । मृतका द्वारा पिए गए उबले हुए दूध, बिना उबले दूध, बर्तन (डोलू) जिसमें दूध रखा था और जिस गिलास में दूध दिया गया था, उन सभी का रासायनिक विश्लेषण करने पर उनमें विषैला पदार्थ ऑर्गेनोफास्फोरस अंतर्विष्ट था । दूसरी रासायनिक रिपोर्ट से भी यह प्रतिबिंबित होता है कि विश्लेषण के लिए भेजे गए मृतका के अंगों के भागों (विसरा) में वही पदार्थ ऑर्गेनोफास्फोरस था । दोनों निचले न्यायालयों ने रासायनिक विश्लेषण रिपोर्टों (प्रदर्श पीएफ और पीजी) का अवलंब लिया था ।

18. पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसिलों द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने के पश्चात् और न केवल अपील के अभिलेख पर की सामग्री अपितु विचारण के मूल अभिलेख का भी परिशीलन करने के पश्चात् हमारा यह मत है कि दोनों निचले न्यायालयों ने इसमें इसके पश्चात् दिए गए कारणों से दोषसिद्धि अभिलिखित करने में गलती कारित की थी ।

19. हम पहले संक्षेप में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए



साक्ष्य का उल्लेख करेंगे ।

20. अभि. सा. 1 जोगिन्द्र सिंह ने अपने कथन में अभियोजन पक्ष के वृत्तांत का समर्थन किया । उसने अपने निवास से दूध और बर्तनों की बरामदगी का भी ब्यौरा दिया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया था कि वह कमेटियों का कारबार चला रहा था जिनमें पांच कमेटियों में अपीलार्थी सदस्य था । कमेटियों के सदस्य किस्तों का संदाय करते थे । अपीलार्थी राजबीर सिंह कमेटियों का नियमित संदाय नहीं कर रहा था ; वह कमेटियों से संबंधित लेखा-जोखा बनाए नहीं रख रहा था । उसने इस बात से इनकार किया कि अभिकथित प्रोनोट और रसीद कमेटियों के लेन-देन के संबंध में निष्पादित किए गए थे । उसने यह भी कथन किया कि जब उसने गिलास या जग में रखे दूध को सूंघा था, तो उसे दूध और दोनों बर्तनों की गंध में कोई अंतर नहीं पाया था । उसने इस बात से भी इनकार किया कि वह अपने मकान में चूहे मारने का विष रखता था । उसने इस बात से भी इनकार किया कि कमेटी के कुछ सदस्य, जिन्होंने कमेटी की रकम प्राप्त की थी, व्यक्तिक्रमी बन गए थे और उन्होंने कमेटियों के निमित्त देय रकम का संदाय नहीं किया था । उसने उनके साथ अपने संबंध तनातनी के होने की बात से इनकार किया । उसने इस बात से भी इनकार किया कि उसका अपनी पत्नी के साथ कोई झगड़ा है और उसने वित्तीय संकट और पति-पत्नी के बीच झगड़ा होने के तथ्यों तथा पत्नी द्वारा आत्महत्या करने की बात से भी इनकार किया । उसे यह भी कहा गया था कि प्रोनोट के साक्षी कालियावाली मंडी के निवासी हैं, जहां वह पूर्व में निवास करता था । उसने स्वीकार किया कि प्रोनोट और रसीद को उस अवस्थान के किसी निवासी से प्रमाणित नहीं कराया गया था जहां वह और अपीलार्थी प्रोनोट के निष्पादन के समय ठहरे हुए थे । उससे यह भी कहा गया था कि प्रोनोट और रसीद के साक्षी राजबीर सिंह को नहीं जानते थे । उसने यह कथन किया कि उसकी पत्नी ने दोनों अस्पतालों में उल्टी नहीं की थी और वह बाल और सामान्य अस्पताल में केवल एक बार शौच के लिए गई थी । उससे यह कहा गया था कि उसकी पत्नी की मृत्यु विष के कारण नहीं हुई है अपितु तनाव और तंगहाली के कारण हुई थी और उसके द्वारा इस बात

से इनकार किया गया ।

21. अभि. सा. 2 गुरशरण सिंह, मृतका के पुत्र ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन के वृत्तांत का समर्थन किया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि राजबीर सिंह उसके पिता द्वारा चलाई जा रही कमेटियों का सदस्य था । उसका प्रदर्श डीए में अभिलिखित उसके इस कथन से सामना कराया गया था कि उसने यह कहा था कि उसके पिता ने कमेटियों के संबंध में राजबीर सिंह से धन उधार लिया था और एक लाख रुपए का प्रोनोट निष्पादित किया था । तथापि, उसने अभियोजन के इस पक्षकथन को दोहराया कि राजबीर सिंह (अपीलार्थी) ने उसके पिता से एक लाख रुपए प्राप्त किए थे और प्रोनोट निष्पादित किया था । इसके पश्चात् उसका प्रदर्श डीए में किए गए कथन से सामना कराया गया जिसमें उसने शीला द्वारा उससे जग लेने, दोनों अभियुक्त कमरे में होने और फिर अपीलार्थी द्वारा जग लेकर बाहर आने और इसे उसे सौंपने के बारे में उल्लेख नहीं किया था । उसने यह कथन किया कि उसने पुलिस के समक्ष किए गए कथन प्रदर्श डीए में इस तथ्य को बताया था किंतु इसे अभिलिखित नहीं किया गया था । उसने अपने मकान में चूहे मारने का विष रखने की बात से भी इनकार किया । उसने फिर यह स्वीकार किया कि कमेटियों के कुछ सदस्य कमेटियों की रकम ले गए थे और उसके पिता को रकम वापस नहीं की थी । उसने यह भी स्वीकार किया कि कमेटियों के अन्य सदस्य, जो नियमित रूप से किस्तों का संदाय कर रहे थे, उसके पिता से रकम की मांग कर रहे थे । उससे यह भी कहा गया था कि वे वित्तीय संकट का सामना कर रहे थे ; वित्तीय समस्या के कारण उसके माता-पिता के बीच झगड़ा होता रहता था और उसकी माता ने आत्महत्या की थी । उसके द्वारा इन सभी तीनों सुझावों से इनकार किया गया ।

22. प्रोनोट को अभि. सा. 3 बलविन्द्र सिंह द्वारा साबित किया गया है, जो इत्तिलाकर्ता का सगा भाई है । उसने यह स्वीकार किया है कि उसने कभी भी मूल प्रोनोट और रसीद को नहीं देखा था ।

23. अभि. सा. 4 डा. अवतार सिंह ने शव-परीक्षा की थी । उसने मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट और इसकी अंतर्वस्तुओं को साबित किया ।

उसने यह भी कथन किया कि उसने चार जार तैयार किए थे जिनमें से तीन जारों में विसरा रखा गया था और चौथे जार में संतृप्त लवणीय घोल था। उसने यह भी कथन किया कि उसने शव-परीक्षा करने से पूर्व सभी पुलिस कागजात प्राप्त किए थे। इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि रसायन परीक्षक की रिपोर्ट, प्रदर्श पीएफ प्राप्त होने के पश्चात् उसने मृत्यु का यह कारण घोषित किया था कि मृत्यु विसरा में पाए गए विषैले मिश्रण की वजह से हुई थी। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि विष के मामले में नाखूनों का रंग नीले रंग का हो जाता है और शरीर का रंग भी नीला हो जाता है। उसने यह कथन किया कि शरीर नीला नहीं था और इसलिए उसने मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं किया था। उसने यह भी कथन किया कि विसरा में शेष विष से दुर्गंध आती है। उससे पूछा गया था कि क्या उसे दुर्गंध आई थी या महसूस हुई थी, जिसके उत्तर में उसने यह कथन किया कि उसे मरणोत्तर परीक्षा करते समय न तो ऐसी गंध आई थी और न ही दुर्गंध महसूस हुई थी। उसने यह भी कथन किया कि उदर को खोलने के उपरांत दुर्गंध आएगी यदि यह ऑर्गनोफास्फोरस विष का मामला हो। उसने यह भी कथन किया कि उसे उदर को खोलने के पश्चात् कोई दुर्गंध नहीं आई थी और इसलिए मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में इस बारे में उल्लेख नहीं किया था। इसके पश्चात् उससे पूछा गया था कि क्या विष के मामले में शरीर की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे उसने इनकार किया किंतु उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसे विष के लक्षण दिखाई नहीं दिए थे और इस कारण उसने मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में इसका उल्लेख नहीं किया था। उसने यह भी कथन किया कि यदि दूध में ऑर्गनोफास्फोरस विष डाला जाता है तो इससे उस व्यक्ति को भी गंध आएगी जो उस बर्तन से कुछ दूरी पर खड़ा हो जिसमें ऐसे विष मिला दूध रखा हो।

24. अभि. सा. 5 हैड कांस्टेबल कपूर चंद एक औपचारिक साक्षी है, जो मृतका के शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए लेकर गया था और उसने अपने शपथपत्र (प्रदर्श पीएच) की अंतर्वस्तुओं की अभिपुष्टि की।

25. अभि. सा. 6 हैड कांस्टेबल दर्शन सिंह भी एक औपचारिक

साक्षी है जिसके पास मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट की वस्तुओं और मृतका के वस्त्र रखे पार्सल को जमा किया गया था । उसने अपने शपथपत्र (प्रदर्श पीजे) की अंतर्वस्तुओं की अभिपुष्टि की ।

26. अभि. सा. 7 उप निरीक्षक बलविन्द्र सिंह अन्वेषण अधिकारी है । उसने यह कथन किया कि उसे बाल और सामान्य अस्पताल से विषाक्तकरण के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके उपरांत वह वहां गया और बाद में सिविल अस्पताल गया जहां मृतका को स्थानांतरित किया गया था । सिविल अस्पताल में डाक्टर द्वारा उसे सूचित किया गया था कि कुलदीप कौर की पहले ही मृत्यु हो गई थी । वहां उसने इत्तिलाकर्ता का कथन अभिलिखित किया, उस पर उसके हस्ताक्षर लिए और उसने स्वयं मामला रजिस्ट्रीकृत करने के लिए पृष्ठांकन (प्रदर्श पीए/1) किया, जिसे उसने सम्यक् रूप से साबित किया और सहायक उप निरीक्षक हरबंस सिंह द्वारा अभिलिखित औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पीए/2) को भी साबित किया । उसने उसके पश्चात् मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट तैयार की और हैड कांस्टेबल कपूर चंद (अभि. सा. 5) और कांस्टेबल सतपाल (अभि. सा. 10) की अभिरक्षा में शव को शव-परीक्षा के लिए अनुरोध जापन (प्रदर्श पीडी) सहित भेजा । उसने इसके पश्चात् यह कथन किया कि अगले दिन वह मृतका के मकान पर गया और कच्चा स्थल नक्शा (प्रदर्श पीके) बनाया । उसने बर्तन और दूध एकत्रित किया और बरामदगी जापन (प्रदर्श पीएल) तैयार किया । उसके पश्चात्, वह सिविल अस्पताल गया जहां कांस्टेबल सतपाल द्वारा विसरा का पार्सल तथा मरणोत्तर परीक्षा करने वाले अभि. सा. 4 द्वारा दिए गए अन्य कागजातों के साथ-साथ अन्य वस्तुएं और अभि. सा. 4 द्वारा दिए गए वस्त्र सौंपे । उसने मामला संपत्ति को पुलिस थाना कोतवाली में हैड कांस्टेबल दर्शन सिंह के पास जमा कर दिया । अन्वेषण अधिकारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि वह अपीलार्थी राजबीर सिंह के मकान पर उसी दिन मकान की तलाशी के लिए नहीं गया था अपितु वहां बाद में गया था । उसने यह कथन किया कि उसे अपीलार्थी के मकान में कोई पात्र नहीं पाया था । उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपीलार्थी द्वारा विष खरीदने के संबंध में अन्वेषण नहीं किया था ।

उसने यह भी स्वीकार किया कि उसने इत्तिलाकर्ता के मकान की कोई तलाशी नहीं ली थी । उसने इसके पश्चात् यह कथन किया कि गुरशरण सिंह (अभि. सा. 2) ने यह कथन नहीं किया था कि राजबीर के साथ शीला भी मौजूद थी और वे पात्र को कमरे के अंदर ले गए थे और उन दोनों ने दूध डाला था । इस साक्षी ने फिर यह कथन किया कि वह नहीं कह सकता कि क्या कोई तारीख 18 से 19 सितंबर की मध्यवर्ती अवधि के दौरान दूध के साथ छेड़छाड़ कर सकता था । यह उल्लेख करना दिलचस्प है कि अन्वेषण अधिकारी का यह कहना है कि जब तारीख 19 सितंबर, 2000 को वह इत्तिलाकर्ता के मकान पर गया था और उसकी मौजूदगी में दूध को उबाला गया था, तो इससे अत्यधिक दुर्गंध आ रही थी । उसने यह भी कथन किया कि दो साक्षियों मंजीत सिंह और हरबंस सिंह (बरामदगी के साक्षी) ने यह कहा था कि अत्यधिक दुर्गंध आ रही है । उसने यह भी कथन किया कि बहुत से अन्य व्यक्ति राजबीर सिंह से दूध खरीद रहे थे किंतु उनमें से किसी को भी दूध की गुणवत्ता के बारे में शिकायत नहीं थी । उसने यह भी कथन किया कि उसने अन्वेषण के दौरान राजबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया था । तथापि, उसने इस बात से इनकार किया कि उसने राजबीर सिंह को गिरफ्तार नहीं किया था क्योंकि उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया कि दोनों अस्पतालों में डाक्टरों ने उसे यह नहीं बताया था कि मृतका ने उल्टी की थी या दस्त लगे थे ।

27. अभि. सा. 8 उप निरीक्षक मंजीत सिंह ने तारीख 12 जून, 2001 को अपीलार्थी को गिरफ्तार किया था ।

28. अभि. सा. 9 सहायक उप निरीक्षक कुलदीप सिंह ने यह कथन किया कि उसने तारीख 16 जुलाई, 2001 को प्रोनोट ('एक्स' के रूप में चिह्नित) कब्जे में लिया था और उसने हाशिए में रखे गए साक्षियों के कथन अभिलिखित किए थे । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा कि उसने मूल प्रोनोट और रसीद नहीं देखी थी ; उसे कोई जानकारी नहीं है कि क्या संदाय वास्तव में किया गया था या नहीं ।

29. अभि. सा. 10 सतपाल मरणोत्तर परीक्षा के लिए शव के साथ गया था और विसरा तथा बरामद किए गए बर्तन और दूध के पार्सल को

रासायनिक प्रयोगशाला में परिदत्त किए थे । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसे स्मरण नहीं है कि पार्सल पर कितनी मुहरें लगी हुई थीं । उसने यह भी कथन किया कि पार्सल तारीख 21 सितंबर, 2000 को 10-11 बजे पूर्वाह्न में प्राप्त हुआ था जिसे उसने अपने पास रखा था । रात्रि में इसे पुलिस थाने में रखा गया था और वह पूरी रात पुलिस थाने में ठहरा था । तारीख 22 सितंबर, 2000 को पार्सल प्रयोगशाला में परिदत्त किए गए थे ।

30. अभि. सा. 11 कांस्टेबल परमजीत सिंह ने यह कथन किया कि उसे तारीख 18 सितंबर, 2000 को 9.15 बजे अपराह्न में एक विशेष रिपोर्ट प्राप्त हुई थी और अगले दिन सवेरे 7.00 बजे उसने विशेष रिपोर्ट को न्यायिक मजिस्ट्रेट, भटिंडा को दिया था ।

31. अभि. सा. 12 डा. के. एस. बरार सुसंगत तारीख को बाल और सामान्य अस्पताल, भटिंडा में आपातकालीन अधिकारी के रूप में तैनात था । उसने यह कथन किया कि उक्त दिन को मृतका विषाक्तकरण के संदिग्ध मामले के साथ अस्पताल आई थी । उसने पुलिस को सूचित किया और उसके पश्चात् उसकी गंभीर हालत पर विचार करते हुए उसे सिविल अस्पताल रेफर कर दिया । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा कि रोगी के मुंह से फासजेन गैस की गंध आ रही थी और उसने रोगी को एल्यूमिनियम फास्फाइड विषाक्तकरण के संबंध में उपचार दिया था । उसने यह भी कथन किया कि रोगी उल्टी कर रही थी किंतु उसे स्मरण नहीं है कि उसने शौच किया था या नहीं । उसे यह सुझाव दिया गया था कि मृतका को कभी भी उपचार के लिए भर्ती नहीं किया गया था और वह पुलिस की प्रेरणा पर विलंब को कवर-अप करने के लिए मिथ्या रूप से साक्ष्य दे रहा है, इस बात से उसने इनकार किया । उसने यह भी कथन किया कि उसे रोगी के पहुंचने के समय पर उसके शरीर के तापमान के बारे में जानकारी नहीं है । उसने ओपीडी रजिस्टर भी प्रस्तुत नहीं किया था क्योंकि इसे मंगाया नहीं गया था ।

32. यह उल्लेख करना सुसंगत होगा कि अभि. सा. 10, 11 और 12 की परीक्षा अभियोजन पक्ष द्वारा अपना साक्ष्य समाप्त करने के पश्चात् तारीख 27 अक्टूबर, 2004 को की गई थी और दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 313 के अधीन दोनों अभियुक्तों के कथन तारीख 10 नवंबर, 2004 को अभिलिखित किए गए थे ।

33. विचारण न्यायालय हेतु पर चर्चा करते हुए इस आधार पर अग्रसर हुआ था कि अपीलार्थी ने प्रोनोट को निष्पादित करने की बात से इनकार नहीं किया था । यह तथ्य स्पष्ट रूप से सही नहीं है क्योंकि अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन तारीख 10 नवंबर, 2004 को अभिलिखित किए गए अपने कथन में विनिर्दिष्ट रूप से न केवल धन उधार लेने की बात से इनकार किया था अपितु इस बात से भी इनकार किया था कि उसने कभी भी प्रोनोट निष्पादित नहीं किया था । विरचित किए गए प्रश्न और उत्तर को नीचे उद्धृत किया जाता है :-

“प्रश्न : आपके विरुद्ध यह भी साक्ष्य है कि आपने अभि. सा. 5 गुरशरण सिंह के पिता से एक लाख रुपए की राशि उधार ली थी और तारीख 1 जनवरी, 2000 को इसके लिए एक प्रोनोट और रसीद निष्पादित की थी । अभियोजन साक्षी गुरशरण सिंह आपसे रकम की मांग कर रहा था और मामला शांत हो गया था तथा तारीख 18 सितंबर, 2000 को रकम का संदाय करने के लिए सहमति बनी थी । आपको इस बारे में क्या कहना है ?

उत्तर : मेरे विरुद्ध यह मिथ्या साक्ष्य है । मैंने कभी भी उक्त रकम उधार नहीं ली थी और मैंने कभी भी उक्त प्रोनोट निष्पादित नहीं किया था ।”

34. इसके अतिरिक्त, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी से दूध लेने के अभिकथित समय और इसे पीने के समय तक के बीच के समय अंतराल और नमूने एकत्रित करने के समय के बीच समय अंतराल पर विचार नहीं किया था । विचारण न्यायालय ने मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट और डा. अवतार सिंह जिसने शव-परीक्षा की थी, के कथन को कोई महत्व नहीं दिया था । ऑर्गेनोफास्फोरस मिश्रण का उपयोग इसकी अत्यधिक तीक्ष्ण गंध के कारण मानवघाती प्रयोजन के लिए करने की बात पर विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक् ध्यान नहीं दिया गया था ।

उच्च न्यायालय का निर्णय रहस्यमय था और साक्ष्य पर केवल सरसरी तौर पर विचार किया गया था ।

35. यह विष देकर हत्या करने का पारिस्थितिक साक्ष्य का मामला है । पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य<sup>1</sup> वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा यथा अधिकथित पांच स्वर्णिम सिद्धांत, जो पैरा 153 में उल्लिखित हैं, निम्नलिखित प्रकार से हैं :-

“153. इस विनिश्चय के सूक्ष्म-विश्लेषण से पता चलता है कि अभियुक्त के प्रतिकूल मामले को पूरी तरह सिद्ध मानने से पहले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए :

(1) वे परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिए ।

यहां यह उल्लेख किया जा सकता है कि इस न्यायालय ने यह इंगित किया था कि संबंधित परिस्थितियां ‘सिद्ध करनी होंगी’ या ‘की जानी चाहिए’ न कि की जा सकती हैं’ । ‘साबित की जा सकती हैं’ और ‘साबित करनी होंगी या की जानी चाहिए’ में केवल व्याकरणिक अंतर ही नहीं है, बल्कि विधिक अंतर है, जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य [1973] 3 उम. नि. प. 1011=(1973) 2 एस. सी. सी. 793. में अभिनिर्धारित किया था । उसमें न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था -

‘निश्चय ही यह एक प्राथमिक सिद्धांत है कि इससे पहले कि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सके, अभियुक्त दोषी होना चाहिए’ न कि केवल ‘दोषी हो सकता है’ और ‘हो सकता है’ तथा ‘होना चाहिए’ के बीच मानसिक अंतर बहुत लंबा है और अस्पष्ट अटकलों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करता है ।’

<sup>1</sup> [1985] 1 उम. नि. प. 995 = (1984) 4 एस. सी. सी. 116.



(2) इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना के अनुरूप होने चाहिएं अर्थात् इस बात के सिवाय कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य कल्पना के पोषक नहीं होने चाहिएं ;

(3) परिस्थितियां निश्चयक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं ;

(4) उन्हें साबित की जाने वाली हर उप-कल्पना के सिवाय हर संभावित उप-कल्पना अपवर्जित करनी चाहिए ; और

(5) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित हो कि संपूर्ण मानवीय अधिसंभाव्यता में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।”

36. पूर्वोक्त पांचों सिद्धांत अधिकथित करने से पूर्व न्यायमूर्ति फजल अली ने न्यायालय की ओर से निर्णय लिखते हुए पैरा 152 में न्यायमूर्ति महाजन द्वारा हनुमंत बनाम महाराष्ट्र राज्य वाले मामले से एक पैरा उद्धृत किया जिसे इसमें नीचे उद्धृत किया जाता है :-

“उन मामलों की चर्चा करने से पहले, जिनका अवलंब उच्च न्यायालय ने लिया है, हम एक दांडिक मामले में जो केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर निर्भर करता है, अपेक्षित प्रकृति, स्वरूप और आवश्यक सबूत के विषय में कुछ विनिश्चयों को प्रोद्धृत करना चाहेंगे । इस न्यायालय का मूलभूत और सबसे आधारभूत विनिश्चय हनुमंत बनाम मध्य प्रदेश राज्य [1952] एस. सी. आर. 1091 है । इस न्यायालय ने आज तक अनेक विनिश्चयों में इस मामले का बराबर अनुसरण और उपयोग किया है । उदाहरण के लिए, तुफेल (उर्फ) सिम्मी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1969] 3 एस. सी. 198 और रामगोपाल बनाम महाराष्ट्र राज्य [ए. आई. आर. 1972 एस. सी. 656] । हनुमंत के मामले में न्या. महाजन ने जो कुछ अधिकथित किया है, उसे उद्धृत करना उपयोगी होगा -

‘यह ध्यान रखना होगा कि जिन मामलों में साक्ष्य पारिस्थितिक साक्ष्य होता है, उनमें वे परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पहली बार पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिएं और इस प्रकार स्थापित सभी तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना के अनुरूप होने चाहिएं । साथ ही, वे परिस्थितियां निश्चयक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं तथा वे ऐसी होनी चाहिएं कि प्रत्येक कल्पना अपवर्जित हो जाए और वही शेष रहे जो साबित की जानी है । दूसरे शब्दों में, साक्ष्य की श्रृंखला ऐसी होनी चाहिए कि वह उतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और वह ऐसी हो कि यह दर्शित हो कि समस्त मानवीय संभावना के अंतर्गत वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।”

37. ये स्वर्णिम सिद्धांत अपरिवर्तित रहे हैं और अभी भी इनका अनुसरण किया जाता है । वर्तमान मामले में विचार किए जाने वाले विवाद्यों में से एक विवाद्यक यह है कि क्या साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण थी कि जिससे ऐसा कोई युक्तियुक्त आधार न बचे कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई परिकल्पना के सिवाय कोई अन्य परिकल्पना न की जा सके ।

38. विषाक्तकरण के मामले के संबंध में इस न्यायालय ने **शरद बिरधीचंद सारदा** (उपर्युक्त) वाले मामले में दोषसिद्धि अभिलिखित करने के लिए पैरा 165 में अतिरिक्त चार महत्वपूर्ण परिस्थितियों को भी अधिकथित किया जिन्हें इसमें नीचे उद्धृत किया जाता है :-

“165. जहां तक इस विषय का संबंध है, ऐसे मामलों में न्यायालय को साक्ष्य का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए और निम्नलिखित चार महत्वपूर्ण परिस्थितियां अवधारित करनी चाहिएं क्योंकि ये ही किसी दोषसिद्धि को न्यायोचित ठहरा सकती हैं -

- (1) अभियुक्त का मृतक को विष देने का स्पष्ट हेतु हो,
- (2) मृतक तथाकथित विष देने से मरा हो,

(3) अभियुक्त के पास विष हो,

(4) उसके पास मृतक को विष देने का अवसर हो ।”

39. शरद बिरधीचंद सारदा (उपर्युक्त) वाले मामले में अधिकथित सिद्धांत अपरिवर्तित रहे हैं और यहां तक कि हाल ही में तारीख 11 अगस्त, 2022 को इस न्यायालय ने रामनिवास बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा<sup>1</sup> वाले मामले में अनुमोदन के साथ इन सिद्धांतों का अवलंब लिया । यह भी सुस्थिर है कि संदेह चाहे कितना भी प्रबल हो, यह युक्तियुक्त संदेह के परे सबूत का स्थान नहीं ले सकता है ।

40. उपरोक्त विधिक स्थिति की पृष्ठभूमि में अब हम साक्ष्य का विश्लेषण करने और अपने निष्कर्ष निकालने के लिए अग्रसर होते हैं ।

41. अपीलार्थी द्वारा अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित इस हेतु से इनकार किया गया है कि अपीलार्थी ने एक लाख रुपए का ऋण लिया था और एक प्रोनोट तथा रसीद निष्पादित की थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में कोई धन उधार लेने और प्रोनोट निष्पादित करने की बात से भी विनिर्दिष्ट रूप से इनकार किया गया है । अभि. सा. 1, अभि. सा. 2, अभि. सा. 7 की प्रतिपरीक्षा के साथ-साथ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन कथन में भी स्थापित की गई प्रतिरक्षा यह थी कि इत्तिलाकर्ता कमेटियों का कारबार कर रहा था, जिसमें अपीलार्थी एक सदस्य था और इत्तिलाकर्ता से अपीलार्थी को रकम देय थी । इत्तिलाकर्ता द्वारा चलाई जा रही कमेटियों के कारबार में व्यतिक्रमी होने और वित्तीय हानि होने की बात को स्वीकार किया गया है । अपीलार्थी के अनुसार, उसे इत्तिलाकर्ता से रकम देय थी और इत्तिलाकर्ता से उसकी वसूली से उसे वंचित करने के लिए उसे मिथ्या रूप से फंसाया गया है । अतः मिथ्या फंसाए जाने की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है ।

42. प्रोनोट और रसीद का लिया गया अवलंब भी साबित नहीं किया गया है क्योंकि मूल प्रोनोट प्रस्तुत नहीं किया गया था बल्कि यह

<sup>1</sup> 2012 की दांडिक अपील सं. 25.

एक मिथ्या अभिवाक् किया गया था कि इसे सिविल कोर्ट के समक्ष फाइल किया गया था, जिसे अपीलार्थी द्वारा फाइल किए गए प्रदर्श डी/1 द्वारा झुठलाया गया है और दूसरी बात यह है कि अभियोजन पक्ष द्वारा इसे प्रमाणित करने वाले किसी साक्षी को पेश नहीं किया गया था ।

43. अगला प्रश्न जो विचार के लिए उद्भूत होता है, यह है कि क्या दूध में विषैला मिश्रण मिलाने का कार्य अपीलार्थी द्वारा किया गया था या इसे किसी और व्यक्ति द्वारा किया जा सकता था, और इसके दो पहलू हैं । पहला, दुर्भाग्यपूर्ण दिन सवेरे अपीलार्थी से दूध लेने के समय और मृतका द्वारा इसे पीने के समय तक के बीच लगभग 5.00 घंटे का समय है । दूसरा पहलू दुर्भाग्यपूर्ण दिन लगभग 12.30 बजे अपराह्न में दूध पीने के पश्चात् से अगले दिन तक का है जब अन्वेषण अधिकारी ने दूध का नमूना और बर्तन बरामद किए थे और कब्जे में लिए थे, जिसमें लगभग 20-24 घंटे का अंतराल था । अपीलार्थी से दूध लेने के समय से लेकर नमूने एकत्रित करने तक समय का कुल अंतराल 24 घंटे से अधिक का है । इस अवधि के दौरान विष मिलाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है । प्रतिरक्षा पक्ष ने इस पहलू पर अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2, दोनों की प्रतिपरीक्षा की थी ।

44. अगला प्रश्न जो विचार के लिए उद्भूत होता है, यह है कि क्या मृतका की मृत्यु ऑर्गेनोफास्फोरस, एक विषैला मिश्रण पीने के कारण हुई थी या किसी अन्य कारण से । ऑर्गेनोफास्फोरस की एक अत्यंत तीक्ष्ण गंध होती है । इस गंध को इत्तिलाकर्ता, उसके पुत्र और मृतका द्वारा भी महसूस नहीं किया जा सका था । जिस दूध में कथित रूप से विष मिलाया गया था, वह रेफ्रिजरेटर से निकाला गया था, इसे उबालने के लिए एक पैन में डाला गया था और उसके पश्चात् मृतका को दिया गया था । यदि इसमें वास्तव में ऑर्गेनोफास्फोरस होता, तो इसकी गंध कमरे में फैल जाती । मृतका, जो 45 वर्ष आयु की एक स्वस्थ स्त्री थी, इस दूध को नहीं पीती यदि दूध से तीक्ष्ण गंध आ रही होती । यहां तक कि इत्तिलाकर्ता (अभि. सा. 1) ने भी दूध को उबालते समय इसमें कोई

दुर्गंध महसूस नहीं की थी। **जयपाल बनाम हरियाणा राज्य**<sup>1</sup> वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट करना उपयोगी होगा। यह एक एल्यूमिनियम फास्फाइड (सल्फास) का मामला था, जिसकी भी एक अत्यंत तीक्ष्ण गंध होती है। यह मत व्यक्त किया गया कि ऐसे मिश्रण सामान्य तौर पर मानववध के मामले के बजाय आत्महत्या के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, डा. अवतार सिंह (अभि. सा. 4), जिसने शव-परीक्षा की थी, ने अपने दोनों कथनों में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि उसे शव से ऑर्गेनोफास्फोरस की कोई गंध आते हुए नहीं पाई थी। पहला कथन 8 अप्रैल, 2002 को अभिलिखित किया गया था और दूसरा कथन तारीख 3 नवंबर, 2003 को अभिलिखित किया था और दोनों कथनों में उसने यह कहा था कि उसने नाखूनों के रंग में और शरीर में भी कोई परिवर्तन नहीं देखा था, जो विषाक्तकरण के मामले में एक सामान्य लक्षण होता है। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया था कि शरीर के सभी अंग स्वस्थ थे। यद्यपि उसने स्वीकार किया था कि ऑर्गेनोफास्फोरस द्वारा विषाक्तकरण के मामले में मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, तथापि, उदर की बाह्य मांसपेशियों में कोई ऐंठन या सिकुड़न नहीं थी और ये मांसपेशियां स्वस्थ थीं। इस साक्षी के अनुसार, शव-परीक्षा के दौरान इस तथ्य के बावजूद विषाक्तकरण का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया था कि पुलिस के सभी कागजातों में इसके बारे में विषाक्तकरण का मामला बताया गया था। अभि. सा. 4 यह मत व्यक्त करने में सावधान रहा होगा कि क्या शव में विषाक्तकरण का कोई लक्षण मौजूद है या नहीं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मृत्यु किसी अन्य कारण से कारित की जा सकती थी किंतु विषाक्तकरण से नहीं। जहां तक रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट का संबंध है, यह ऊपर और इसमें इसके पश्चात् चर्चा किए गए कारणों से नमूनों के साथ छेड़छाड़ करने का मामला हो सकता है।

45. रसायन परीक्षक की तारीख 31 जनवरी, 2001 की रिपोर्ट (प्रदर्श पीएफ) और तारीख 5 फरवरी, 2001 की रिपोर्ट (प्रदर्श पीजी) द्वारा दूध, बर्तनों और विसरा में ऑर्गेनोफास्फोरस की मौजूदगी को साबित किया गया है। प्रयोगशाला में नमूना तारीख 22 सितंबर, 2000

<sup>1</sup> (2003) 1 एस. सी. सी. 169.

को प्राप्त हुआ था, जबकि दोनों रिपोर्टों के अनुसार सहायक रसायन परीक्षक डा. संदीप कक्कड़ द्वारा इस नमूने को तारीख 22 नवंबर, 2000 को डा. ओ. पी. गोयल से उसके निलंबन के पश्चात् एक मुहरबंद स्थिति में नहीं अपितु एक खुले आवरण में प्राप्त किया गया था। “यह खुला आवरण मेरे द्वारा तारीख 22 नवंबर, 2000 को डा. ओ. पी. गोयल से उसके निलंबन के पश्चात् प्राप्त किया गया” यह टिप्पण दोनों रिपोर्टों में लगातार “एक्स” अक्षर का प्रयोग करते हुए उपरिलेखन करके/काटकर टाइप किया गया है। प्रदर्श पीएफ में यह वर्णित है कि मुहरबंद पार्सल में तीन मुहरबंद जार थे जिनमें अंगों के भाग रखे गए थे। इस प्रदर्श पीएफ में किसी चौथे जार का वर्णन नहीं है, जबकि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट और डा. अवतार सिंह (अभि. सा. 4) के कथन के अनुसार, चार मुहरबंद पैकेट भेजे गए थे, तीन में अंगों के भाग रखे गए थे और एक में लवणीय घोल रखा गया था। परिणाम में तीन मुहरबंद जारों में आर्गनोफास्फोरस मिश्रण की मौजूदगी का उल्लेख किया गया है और चौथे जार की अंतर्वस्तुओं में कोई विष न पाए जाने का भी उल्लेख किया गया है। प्रदर्श पीएफ की अंतर्वस्तुओं के वर्णन में चौथे जार का कोई उल्लेख नहीं था। सहायक रसायन परीक्षक, डा. संदीप कक्कड़ की दूसरी रिपोर्ट प्रदर्श पीजी घटना के अगले दिन अन्वेषण अधिकारी द्वारा की गई बरामदगी के संबंध में है, जिसमें उबला हुआ और बिना उबला दूध तथा बर्तन सम्मिलित थे। इस पर भी उसी प्रकार की कटिंग की गई थी और इसके साथ एक टिप्पण संलग्न था कि इसे एक खुले आवरण के रूप में तारीख 22 नवंबर, 2000 को डा. ओ. पी. गोयल से उसके निलंबन के पश्चात् प्राप्त किया गया था। रिपोर्ट किया गया परिणाम यह है कि प्रदर्श सं. (i) से (vi) सभी की अंतर्वस्तुओं में आर्गनोफास्फोरस मिश्रण पाया गया था।

46. रसायन परीक्षक की रिपोर्टों के अनुशीलन से निम्नलिखित संदेह उद्भूत होते हैं :-

(i) नमूने सहायक रसायन परीक्षक, जिसको विश्लेषण करना था, को मुहरबंद रूप में नहीं सौंपे गए थे।

(ii) कटिंग किए जाने और पार्सलों के खुला होने के संबंध में एक ताजा टिप्पण होने से भी संदेह उत्पन्न होता है।

(iii) नमूनों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है ।

47. अन्वेषण अधिकारी ने स्वीकार किया है कि यह पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया गया था कि क्या कथित रूप से दूध में मिलाया गया विषैला पदार्थ अपीलार्थी के कब्जे में था या नहीं । निचले न्यायालय इस धारणा के आधार पर अग्रसर हुए कि ऑर्गेनोफास्फोरस हर घर में उपलब्ध होता है ।

48. उपरोक्त चर्चा से, यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि साक्ष्य की श्रृंखला में कई सारी गायब और कमजोर कड़ियां हैं । पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में और विषाक्तकरण के मामले में दोषसिद्धि अभिलिखित करने के लिए आवश्यक संघटकों में से कोई भी सिद्ध नहीं किया गया है । इस प्रकार, अभियोजन पक्ष दोषिता को सिद्ध करने में असफल रहा है ।

49. अभिलेख पर के साक्ष्य पर समग्र रूप से विचार करते हुए, हमारा यह दृढ़ मत है कि अभियोजन पक्ष ने आरोप को युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध नहीं किया है जिससे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि अभिलिखित की जा सके । तदनुसार, यह अपील मंजूर की जाती है, उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय के निर्णय अपास्त किए जाते हैं, अपीलार्थी को दोषमुक्त किया जाता है । वह पहले से जमानत पर है । उसके जमानत बंधपत्र को रद्द किया जाता है और प्रतिभुओं को उन्मोचित किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

---

[2022] 3 उम. नि. प. 386

राजस्थान राज्य और एक अन्य

बनाम

अल्ट्राटेक सीमेंट लि.

[2022 की सिविल अपील सं. 5841]

26 अगस्त, 2022

मुख्य न्यायमूर्ति एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति  
सी. टी. रविकुमार

पर्यावरण विधि [सपठित राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92] – भूमि का आबंटन – प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा एक गांव में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि क्रय किया जाना – कंपनी द्वारा सीमेंट विनिर्माण की परियोजना के लिए निकटवर्ती सरकारी भूमि से सटे खनन पट्टे अनुदत्त किए जाने के लिए आवेदन किया जाना – राज्य सरकार द्वारा आशय-पत्र जारी किया जाना किंतु निर्धारित अवधि के भीतर पर्यावरण मंजूरी अभिप्राप्त न होने पर आशय-पत्र को रद्द किया जाना – कंपनी द्वारा खनन अधिकरण के समक्ष पुनरीक्षण अर्जी फाइल किया जाना – अधिकरण द्वारा पुनरीक्षण अर्जी मंजूर करते हुए मामले पर नए सिरे से परीक्षा किए जाने का निदेश दिया जाना – राज्य सरकार द्वारा आशय-पत्र को कतिपय शर्तों के अनुपालन के अध्यक्षीन रहते हुए प्रत्यावर्तित किया जाना – बाद में अधिकरण द्वारा उक्त आशय-पत्र को रद्द कर दिया जाना – कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय में रिट याचिका फाइल किया जाना – रिट याचिका मंजूर हो जाने पर राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टे के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 'जोहड़' की भूमि के आबंटन के लिए उच्च न्यायालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र/आदेश अभिप्राप्त करने के अध्यक्षीन रहते हुए आशय-पत्र जारी किया जाना – कंपनी द्वारा उच्च न्यायालय की एकल न्यायपीठ के समक्ष रिट याचिका फाइल किया जाना – रिट याचिका खारिज हो जाने पर खंड न्यायपीठ के समक्ष अपील किया जाना – खंड न्यायपीठ द्वारा दस्तावेजों का



परिशीलन करने के पश्चात् जोहड़ की गैर-मुमकिन भूमि को कंपनी के पक्ष में आबंटित किए जाने का निदेश दिया जाना – राज्य सरकार द्वारा विषयांतर्गत भूमि को राजस्व अभिलेख में 'जोहड़' के रूप में अभिलिखित होने के आधार पर आबंटित न किया जाना – उच्च न्यायालय द्वारा कंपनी की रिट याचिका पर गुणागुण के आधार पर सुनवाई करते हुए जोहड़ की भूमि को आबंटित किए जाने का आदेश दिया जाना – राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील – तहसीलदार द्वारा स्थल निरीक्षण करके प्रस्तुत की गई दो रिपोर्टों से यह दर्शित होने पर कि विषयांतर्गत भूमि पर कोई 'जोहड़' विद्यमान नहीं है, न ही वहां कभी कोई जलाशय रहा है और न ही वहां कभी जल-भराव होता है, इसलिए विषयांतर्गत भूमि को कंपनी के पक्ष में आबंटित करने का निदेश देना न्यायोचित होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी-कंपनी ने तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू में स्थित चार गांवों में एक हजार हेक्टेयर भूमि में प्रतिवर्ष तीन मिलियन टन सीमेंट की क्षमता वाला एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के विचार से प्रत्यक्ष बातचीत द्वारा 400 हेक्टेयर भूमि क्रय/अर्जित की और भूमि के शेष भाग को व्यक्तिगत बातचीत द्वारा तथा साथ ही रिको (आरआईआईसीओ) के माध्यम से आबंटन द्वारा अर्जित करने के लिए कदम उठाए । सीमेंट विनिर्माण की इस परियोजना के निष्पादन के लिए प्रत्यर्थी-कंपनी ने अपीलार्थी-राज्य सरकार से वर्ष 2000-2001 में तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू में लाइम स्टोन (सीमेंट ग्रेड) के लिए साथ लगे हुए खनन पट्टे अनुदत्त करने के लिए आवेदन किया । दो खनन पट्टों के संबंध में अपीलार्थी-राज्य सरकार द्वारा तारीख 16 मार्च, 2002 को एक आशय पत्र जारी किया गया किंतु निर्धारित समय के भीतर पर्यावरण मंजूरी की अनुपलब्धता के कारण राज्य सरकार द्वारा उक्त आशय पत्र को तारीख 7 फरवरी, 2005 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया । प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा उक्त आदेश को खनन अधिकरण के समक्ष एक पुनरीक्षण अर्जी फाइल करके चुनौती दी गई, जिसे तारीख 19 जुलाई, 2007 के आदेश द्वारा मंजूर किया गया और मामले को विधि के अनुसार नए सिरे से परीक्षा करने के लिए राज्य सरकार को

वापस भेज दिया गया । अपीलार्थी-राज्य सरकार ने तारीख 22 नवंबर, 2007 के आदेश द्वारा कतिपय शर्तों के अनुपालन और प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा एक वचनबंध प्रस्तुत किए जाने के अध्यक्षीन रहते हुए आशय पत्र को प्रत्यावर्तित कर दिया । तथापि, खनन अधिकरण द्वारा तारीख 29 जुलाई, 2009 के आदेश द्वारा उक्त आशय पत्र को रद्द कर दिया गया । प्रत्यर्थी-कंपनी ने उक्त रद्दकरण आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका फाइल करके समावेदन किया, जिसे तारीख 19 अगस्त, 2010 के आदेश द्वारा मंजूर किया गया और अपीलार्थी-राज्य सरकार ने अंततः तारीख 28 अक्टूबर, 2010 को एक आशय पत्र जारी किया । इस बार जिला कलेक्टर, झुंझुनू ने खनन पट्टे के क्षेत्र में आने वाली सरकारी भूमि के आबंटन के लिए प्रत्यर्थी-कंपनी को एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए तारीख 23 फरवरी, 2012 को एक अनुमोदन पत्र जारी किया जो उसमें अनुबंधित कतिपय शर्तों के पूरा करने के अध्यक्षीन था । उपरोक्त पत्र में अंतर्विष्ट शर्त सं. (ii) को ध्यान में रखते हुए, जिसमें प्रत्यर्थी-कंपनी को उच्च न्यायालय से 'जोहड़' भूमि के आबंटन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र/आदेश प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, प्रत्यर्थी कंपनी ने एकल न्यायपीठ सिविल रिट याचिका फाइल करके उच्च न्यायालय में समावेदन किया । उक्त रिट याचिका के साथ स्थल के स्थल-निरीक्षण, तहसीलदार की रिपोर्ट और पक्षकारों के बीच पत्राचार से संबंधित कई दस्तावेज संलग्न थे जो यह प्रदर्शित करते हैं कि विषयांतर्गत भूमि जिसे 'जोहड़' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, न तो जलागम क्षेत्र में आती है, न ही वहां जल-भराव होता है और न ही विषयांतर्गत भूमि पर कोई जल का प्राकृतिक स्रोत विद्यमान है और इसलिए विषयांतर्गत भूमि के वर्गीकरण को 'सिवाई चाक' भूमि में संपरिवर्तित किया जा सकता है । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका में किए गए प्रकथनों से सहमत न होते हुए रिट याचिका को ग्रहण करने के प्रक्रम पर ही इस मताभिव्यक्ति के साथ खारिज कर दिया कि यह राज्य सरकार को विनिश्चय करना है कि विवादित भूमि 'जोहड़' भूमि है या नहीं है । प्रत्यर्थी कंपनी ने अपनी रिट याचिका के आरंभ में ही खारिज होने से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष खंड न्यायपीठ विशेष अपील फाइल की ।

खंड न्यायपीठ ने यह देखते हुए कि प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा मामले की नए सिरे से परीक्षा करने और राजस्व अभिलेख में आवश्यक संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किए गए कई अभ्यावेदन लंबित हैं, अपीलार्थी-राज्य सरकार को प्रत्यर्थी के अभ्यावेदनों पर विचार करने का आदेश दिया। पूर्वोक्त आदेश पारित करते समय यह स्पष्ट किया गया था कि यदि अपीलार्थी-राज्य सरकार प्रत्यर्थी-कंपनी के अभ्यावेदन का विनिश्चय नहीं करती है, तो अपील का विनिश्चय गुणागुण के आधार पर किया जाएगा। पूर्वोक्त आदेश के अनुपालन में, अपीलार्थी-राज्य सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिनिर्धारित करते हुए एक आदेश पारित किया कि विषयांतर्गत भूमि राजस्व अभिलेख में 'जोहड़' के रूप में अभिलिखित की गई है, इसलिए प्रत्यर्थी-कंपनी के पक्ष में कोई आबंटन नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी-राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए पूर्वोक्त दृष्टिकोण को देखते हुए, खंड न्यायपीठ प्रत्यर्थी की अपील पर गुणागुण के आधार पर सुनवाई करने के लिए अग्रसर हुई और अपील मंजूर की गई, जिसके अधीन अपीलार्थी-राज्य सरकार को प्रश्नगत विषयांतर्गत भूमि का आबंटन प्रत्यर्थी-कंपनी को करने और मामले में पारिणामिक कदम उठाने का निदेश दिया गया। उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर राज्य सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – यह अभिलेख का विषय है कि अपीलार्थी-राज्य सरकार ने तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा दो अवसरों पर स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् तैयार की गई रिपोर्टों को प्रश्नगत नहीं किया है। यह स्थिति अब भी वैसी ही है। तहसीलदार द्वारा पहली रिपोर्ट तारीख 19/27 अप्रैल, 2011 को और दूसरी रिपोर्ट तारीख 25 नवंबर, 2012/5 दिसंबर, 2012 को तैयार की गई थी। दोनों रिपोर्टों में यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाले गए थे कि 'जोहड़' के रूप में वर्गीकृत विषयांतर्गत भूमि पर कोई प्राकृतिक जल निकाय नहीं है और विषयांतर्गत भूमि न तो जलागम क्षेत्र के अंतर्गत आती है, न ही वहां कभी जल इकट्ठा होता है और वहां जल का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है जो विषयांतर्गत भूमि पर विद्यमान हो। इस स्थिति में हमें अपीलार्थी-राज्य सरकार की ओर से विद्वान् काउंसेल

को तहसीलदार द्वारा जिला कलेक्टर को गांव बसवा में आने वाली विषयांतर्गत भूमि के एक भाग के संबंध में तारीख 2 जुलाई, 2014 की इस संसूचना का अवलंब लेने के लिए अनुज्ञात करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि कुछ स्थानों पर एक पक्का तालाब मौजूद है, इतना ही नहीं जब दस्तावेजों को फाइल न करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। अपीलार्थी-राज्य सरकार द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करने की तारीख से ठीक पूर्व उच्च न्यायालय के समक्ष समुचित प्रक्रम पर पूर्वोक्त संसूचना आसानी से फाइल की जा सकती थी। अपीलार्थी-राज्य सरकार को किसी ने गांव बसवा के भीतर कुछ स्थानों पर तात्पर्यित पक्का तालाब मौजूद होने के सुसंगत फोटोग्राफ प्रस्तुत करने से नहीं रोका था। अपीलार्थी-राज्य सरकार का पक्षकथन यह नहीं है कि तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा अस्तित्व स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् प्रस्तुत की गई पूर्ववर्ती रिपोर्टों को छलसाधित किया गया था या असद्भाविक रीति में तैयार किया गया था, न ही अपील में ऐसा कोई प्रकथन किया गया है कि तत्कालीन तहसीलदार, नवलगढ़ के विरुद्ध स्थल निरीक्षण की गलत रिपोर्टें तैयार करने के लिए विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई थी। उक्त स्थिति को देखते हुए, तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा तैयार की गई दो निरीक्षण रिपोर्टों को त्यक्त करने का कोई कारण नहीं है जो अभिलेख का भाग हैं। उक्त दोनों रिपोर्टों में स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि विषयांतर्गत भूमि पर कोई प्राकृतिक जल का निकाय नहीं है और प्रस्तावित खनन पट्टे के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला 'गैर-मुमकिन जोहड़' जलागम क्षेत्र के जलभराव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अतः यह न्यायालय तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा जिला कलेक्टर झुंझुनू को संबोधित तारीख 7 जुलाई, 2014 के पत्र को कोई महत्व देने से इनकार करता है। राजस्व विभाग द्वारा तारीख 26 जून, 2012, 17 अप्रैल, 2013 और 26 जुलाई, 2017 को जारी किए गए परिपत्रों से भी अपीलार्थी-राज्य सरकार को कोई सहायता नहीं मिल सकती है और इसका साधारण कारण यह है कि उक्त परिपत्र उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन में जारी किए गए थे, जिनमें ग्राम पंचायत की भूमि से अधिक्रमण हटाने और वहां से अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने का निदेश दिया गया था।

वर्तमान मामला उपरोक्त प्रवर्गों के अंतर्गत नहीं आता है और इसका साधारण कारण यह है कि प्रत्यर्थी-कंपनी ने खनन प्रयोजन के लिए भूमि के आबंटन के लिए उचित माध्यम से आवेदन किया था ; उसने अपेक्षित पर्यावरण मंजूरी के साथ-साथ अपीलार्थी-राज्य सरकार द्वारा जारी आशय पत्र प्राप्त किया था । खनन पट्टे के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि के आरक्षण और आबंटन के लिए राज्य सरकार से आवश्यक अनुमोदनों के साथ प्रत्यर्थी-कंपनी ने विषयांतर्गत भूमि पर एक संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्व प्राधिकारियों को समावेदन किया था और यह अनुरोध किया था कि कतिपय स्थानों पर 'जोहड़' के रूप में वर्णित भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेखों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं, जहां वास्तव में कोई 'जोहड़' विद्यमान नहीं था । पूर्वोक्त पत्र प्राप्त होने के पश्चात्, सचिव, राजस्व विभाग ने तारीख 1 फरवरी, 2013 को जिला कलेक्टर, झुंझुनू को अन्य बातों के साथ-साथ स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करते हुए एक पत्र संबोधित किया कि 'जिला कलेक्टर' होने के नाते केवल उसे स्पष्ट करना चाहिए कि क्या प्रश्नगत भूमि एक 'जोहड़' भूमि है या नहीं और उक्त प्रमाणन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाना है । अतः जिला कलेक्टर को स्वयं स्थल का दौरा करने और मामले में जांच करने तथा इसके पश्चात् समुचित आदेश जारी करने का निदेश दिया गया था । उक्त निदेशों के अनुपालन में जिला कलेक्टर ने तारीख 26 फरवरी, 2013 को उप सचिव, राजस्व विभाग को एक अन्य पत्र लिखा जिसमें यह दोहराया गया कि राजस्व अभिलेखों में विषयांतर्गत भूमि के सुसंगत खसरा संख्याओं में कोई जलाशय अभिलिखित नहीं है और इसी पृष्ठभूमि में उसके द्वारा तहसीलदार, नवलगढ़ के राजस्व अभिलेखों में प्रमाणन के आधार पर भूमि की श्रेणी के परिवर्तन की सिफारिश करते हुए तारीख 19 दिसंबर, 2012 का पत्र जारी किया गया था । जिला कलेक्टर द्वारा पुनः यह उल्लेख किया गया था कि तहसीलदार की रिपोर्ट और पुराने तथा वर्तमान राजस्व अभिलेखों की प्रतियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में 'जोहड़' के रूप में प्रविष्ट है, की श्रेणी के परिवर्तन के संबंध में आदेश जारी किए जाएं । आक्षेपित निर्णय में पूर्वोक्त सामग्री की विस्तार से परीक्षा की गई है । उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत, गांव बसवा द्वारा पारित प्रस्ताव और

ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर भी विचार किया है जिसमें यह अभिलिखित है कि विषयांतर्गत भूमि पर कभी भी पानी का संचयन नहीं हुआ है और ग्राम पंचायत को खनन पट्टे के प्रयोजन के लिए प्रत्यर्थी-कंपनी को उक्त भूमि प्रदान किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि उसे खनन पट्टे के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी-कंपनी से उसी गांव में समान माप की विकसित भूमि प्राप्त होती हो। प्रत्यर्थी-कंपनी ने उच्च न्यायालय को भी यह वचन दिया है कि गांव के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखा जाएगा। प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा दिए गए वचनों में से एक यह है कि आनुकल्पिक 'जोहड़' के विकास के लिए चिह्नित स्थल की पहचान की जाएगी और इसे योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा जिससे एक जलागम क्षेत्र, जल संचयन संरचना और मवेशी चराई भूमि का सृजन किया जा सके। पूर्वोक्त कारणों से, यह न्यायालय आक्षेपित निर्णय में निकाले गए निष्कर्षों से सहमत है, जिसे कायम रखा जाता है। अपीलार्थी-राज्य सरकार को आज से चार सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी-कंपनी के पक्ष में विषयांतर्गत भूमि के आबंटन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कदम उठाने का निदेश दिया जाता है। प्रत्यर्थी-कंपनी विषयांतर्गत भूमि के आबंटन के लिए प्रतिकरात्मक उपाय के रूप में आसपास के गांवों के फायदे के लिए समयाबद्ध क्रियाकलाप शुरू करने के लिए इसी समय-सीमा के भीतर राज्य सरकार के पास एक नया वचनपत्र फाइल करेगी, जैसा कि उसके द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया था। (पैरा 8, 9, 10, 11 और 19)

### निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

- |        |   |       |
|--------|---|-------|
| [2020] | (2020) 17 एस. सी. सी. 157 :<br>एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लि. बनाम<br>रोहित प्रजापति और अन्य ; | 4, 17 |
| [2017] | (2017) 9 एस. सी. सी. 499 :<br>कॉमन कॉज बनाम भारत संघ ;  | 4, 16 |

- [2016] (2016) 9 एस. सी. सी. 300 :  
इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लि. बनाम पटेल  
विपुलकुमार रामजीभाई और अन्य ; 4, 16
- [2011] (2011) 7 एस. सी. सी. 338 :  
टी. एन. गोदरवर्मन थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ  
और अन्य में लाफार्ज उमियम माइनिंग  
प्रा. लि. (आवेदक) ; 4, 14
- [2011] 2011 एस. सी. सी. ऑन लाइन राज. 3197 :  
महा निदेशक, अनुसंधान और विकास बनाम  
राजस्थान राज्य और अन्य ; 3.4, 4, 18
- [2011] (2011) 11 एस. सी. सी. 396 :  
जगपाल सिंह और अन्य बनाम  
पंजाब राज्य और अन्य ; 4, 15
- [2004] (2004) 4 डब्ल्यूएलसी (राज.) 435 :  
अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य  
और अन्य ; 3.3, 3.7, 4, 5, 18
- [2000] (2000) 10 एस. सी. सी. 664 :  
नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ ; 13
- [1999] (1999) 2 एस. सी. सी. 718 :  
आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम  
प्रोफेसर एम. वी. नायडू (सेवानिवृत्त)  
और अन्य ; 4
- [1996] (1996) 5 एस. सी. सी. 647 :  
वेल्लोर सिटिजंस वेलफेयर फोरम बनाम  
भारत संघ और अन्य । 4, 12

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2022 की सिविल अपील सं. 5841.

2013 की खंड न्यायपीठ सिविल विशेष अपील (रिट) सं. 73 में  
राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा तारीख 26 फरवरी, 2016 को

पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

**अपीलार्थियों की ओर से**

सर्वश्री डा. मनीष सिंघवी, ज्येष्ठ अधिवक्ता, अर्पित प्रकाश, विकल्प शर्मा और मिलिंद कुमार

**प्रत्यर्थी की ओर से**

सर्वश्री हरेन्द्र रावल, ज्येष्ठ अधिवक्ता, उज्ज्वल शर्मा, महेश अग्रवाल और पी. सी. अग्रवाल

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने दिया ।

**न्या. कोहली – इजाजत दी गई ।**

2. अपीलार्थी-राजस्थान राज्य (संक्षेप में 'राज्य सरकार') ने राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर की एक खंड न्यायपीठ द्वारा तारीख 26 फरवरी, 2016 को पारित किए गए उस निर्णय को चुनौती दी है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी-अल्ट्राटेक सीमेंट लि. (संक्षेप में 'कंपनी') द्वारा फाइल की गई एक रिट याचिका (2012 की एकल न्यायपीठ सिविल रिट याचिका सं. 15416) को विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज करते हुए तारीख 5 अक्टूबर, 2012 को पारित किए गए आदेश को अपास्त कर दिया था और उसकी अपील को अपीलार्थी-राज्य सरकार को यह निदेश देते हुए मंजूर किया था कि तारीख 23 फरवरी, 2012 के आबंटन पत्र के निबंधनों के अनुसार तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू में एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रत्यर्थी-कंपनी के पक्ष में भूमि के आबंटन की प्रक्रिया की जाए ।

3. संक्षेप में मामले के तथ्यों का एक संक्षिप्त अवलोकन आवश्यक है ।

3.1 प्रत्यर्थी-कंपनी ने तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू में स्थित चार गांवों में एक हजार हेक्टेयर भूमि में प्रतिवर्ष तीन मिलियन टन सीमेंट की क्षमता वाला एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के विचार से प्रत्यक्ष बातचीत द्वारा 400 हेक्टेयर भूमि क्रय/अर्जित की और भूमि के शेष भाग को व्यक्तिगत बातचीत द्वारा तथा साथ ही रिको (आरआईआईसीओ) के



माध्यम से आबंटन द्वारा अर्जित करने के लिए कदम उठाए। सीमेंट विनिर्माण की इस परियोजना के निष्पादन के लिए प्रत्यर्थी-कंपनी ने अपीलार्थी-राज्य सरकार से वर्ष 2000-2001 में तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू में लाइम स्टोन (सीमेंट ग्रेड) के लिए साथ लगे हुए खनन पट्टे अनुदत्त करने के लिए आवेदन किया। दो खनन पट्टों के संबंध में अपीलार्थी-राज्य सरकार द्वारा तारीख 16 मार्च, 2002 को एक आशय पत्र जारी किया गया था किंतु निर्धारित समय के भीतर पर्यावरण मंजूरी की अनुपलब्धता के कारण राज्य सरकार द्वारा उक्त आशय पत्र को तारीख 7 फरवरी, 2005 के आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया था। प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा उक्त आदेश को खनन अधिकरण के समक्ष एक पुनरीक्षण अर्जी फाइल करके चुनौती दी गई, जिसे तारीख 19 जुलाई, 2007 के आदेश द्वारा मंजूर किया गया और मामले को विधि के अनुसार नए सिरे से परीक्षा करने के लिए राज्य सरकार को वापस भेज दिया गया। अपीलार्थी-राज्य सरकार ने तारीख 22 नवंबर, 2007 के आदेश द्वारा कतिपय शर्तों के अनुपालन और प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा एक वचनबंध प्रस्तुत किए जाने के अध्यक्षीन रहते हुए आशय पत्र को प्रत्यावर्तित कर दिया। तथापि, खनन अधिकरण द्वारा तारीख 29 जुलाई, 2009 के आदेश द्वारा उक्त आशय पत्र को रद्द कर दिया गया। प्रत्यर्थी-कंपनी ने उक्त रद्दकरण आदेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका फाइल करके समावेदन किया, जिसे तारीख 19 अगस्त, 2010 के आदेश द्वारा मंजूर किया गया और अपीलार्थी-राज्य सरकार ने अंततः तारीख 28 अक्टूबर, 2010 को एक आशय पत्र जारी किया।

3.2 इस बार जिला कलेक्टर, झुंझुनू ने खनन पट्टे के क्षेत्र में आने वाली सरकारी भूमि के आबंटन के लिए प्रत्यर्थी-कंपनी को एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए तारीख 23 फरवरी, 2012 को एक अनुमोदन पत्र जारी किया जो उसमें अनुबंधित कतिपय शर्तों के पूरा करने के अध्यक्षीन था। जिला कलेक्टर, झुंझुनू द्वारा जारी उपर्युक्त पत्र को इसमें नीचे उद्धृत किया जाता है :-

“श्रीमान जी,

उपरोक्त वर्णित विषय के अधीन उपरोक्त निर्दिष्ट पत्र द्वारा

राज्य सरकार ने सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए खनन पट्टे के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि के आरक्षण और आबंटन के लिए अनुमोदन प्रदान किया है जो एल. आर. अधिनियम की धारा 92 के अधीन प्रदान किया जाता है, जो नीचे वर्णित शर्तों के पूरा होने के अध्यक्षीन होगा :-

(i) खनन पट्टे में दिए गए क्षेत्र में चरागाह के रूप में अभिलिखित भूमि के आबंटन का अनुमोदन आवेदक-कंपनी के पक्ष में इस शर्त के अध्यक्षीन दिया जाता है कि कंपनी उसी गांव में इसे खरीदने के पश्चात् और इसे चराई भूमि में विकसित करने के पश्चात् आबंटित भूमि के बराबर भूमि का अभ्यर्पण करेगी और इसे भूमि की चाहरदिवारी की बाड़ लगाने के पश्चात् संबंधित ग्राम पंचायत को भी उपलब्ध कराएगी ।

(ii) जैसा कि कंपनी द्वारा आवेदन किया गया है, खनन पट्टे के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गैर-मुमकिन जोहड़ भूमि के आबंटन के लिए कंपनी के पक्ष में सैद्धांतिक सहमति इस शर्त के अध्यक्षीन दी जाती है कि कंपनी अन्य भूमि खरीदेगी और उसे जोहड़ के रूप में विकसित करेगी तथा उसे ग्राम पंचायत को सौंप देगी । कंपनी जोहड़ भूमि के आबंटन के लिए माननीय उच्च न्यायालय से अभिप्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र/आदेश भी प्रस्तुत करेगी ।

(iii) आबंटन के लिए कंपनी के आवेदन पर विचार तभी किया जाएगा जब वह खनन पट्टे वाले क्षेत्र में स्थित गैर-मुमकिन आबादी विद्यालय, कब्रिस्तान, मस्जिद आदि के लिए पंचायत राज विभाग और शिक्षा विभाग के सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा/अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगी ।

(iv) खनन पट्टा क्षेत्र में 0.32 हेक्टेयर भूमि अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. के नाम में अभिलिखित है । अपीलार्थी-कंपनी के पक्ष में उपरोक्त भूमि अजमेर विद्युत वितरण निगम लि. से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने

पर आबंटित की जाएगी ।

(v) आपके प्रस्ताव के अनुसार इस प्रयोजन के लिए गैर मुमकिन बणी और गैर-मुमकिन मार्ग की वर्गीकृत भूमि, जो खनन पट्टा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, के आबंटन के लिए नियमानुसार सहमति जारी की जाती है । अतः कृपया उपरोक्त कार्रवाई सुनिश्चित करें ।

संलग्न : यथा उपरोक्त ।

हस्ता/-

जिला कलेक्टर, झुंझुनू

3.3 उपरोक्त पत्र में अंतर्विष्ट शर्त सं. (ii) को ध्यान में रखते हुए, जिसमें प्रत्यर्थी-कंपनी को उच्च न्यायालय से 'जोहड़' भूमि के आबंटन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र/आदेश प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, प्रत्यर्थी कंपनी ने 2012 की एसबी सिविल रिट याचिका सं. 15416 फाइल करके उच्च न्यायालय में समावेदन किया । उक्त रिट याचिका के साथ स्थल के स्थल-निरीक्षण, तहसीलदार की रिपोर्ट और पक्षकारों के बीच पत्राचार से संबंधित कई दस्तावेज संलग्न थे जो यह प्रदर्शित करते हैं कि विषयांतर्गत भूमि जिसे 'जोहड़' के रूप में वर्गीकृत किया गया था, न तो जलागम क्षेत्र में आती है, न ही वहां जल-भराव होता है और न ही विषयांतर्गत भूमि पर कोई जल का प्राकृतिक स्रोत विद्यमान है और इसलिए विषयांतर्गत भूमि के वर्गीकरण को 'सिवाई चाक' भूमि में संपरिवर्तित किया जा सकता है । विद्वान् एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका में किए गए प्रकथनों से सहमत न होते हुए रिट याचिका को ग्रहण करने के प्रक्रम पर ही इस मताभिव्यक्ति के साथ खारिज कर दिया कि यह राज्य सरकार को विनिश्चय करना है कि विवादित भूमि 'जोहड़' भूमि है या नहीं और यह कि न्यायालय अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य और अन्य<sup>1</sup> वाले मामले में उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के निर्णय से आबद्ध है ।

<sup>1</sup> (2004) 4 डब्ल्यूएलसी (राज.) 435.

3.4 प्रत्यर्थी कंपनी ने अपनी रिट याचिका के आरंभ में ही खारिज होने से असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष 2013 की खंड न्यायपीठ विशेष अपील (रिट) सं. 73 के रूप में एक अपील फाइल की। खंड न्यायपीठ ने यह देखते हुए कि प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा मामले की नए सिरे से परीक्षा करने और राजस्व अभिलेख में आवश्यक संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किए गए कई अभ्यावेदन लंबित हैं, तारीख 23 नवंबर, 2015 के आदेश द्वारा अपीलार्थी-राज्य सरकार को **महा निदेशक, अनुसंधान और विकास बनाम राजस्थान राज्य और अन्य<sup>1</sup>** वाले मामले, विशिष्ट रूप से इसके पैरा 3, में की गई मताभिव्यक्तियों, जिसे इसमें नीचे उद्धृत किया जाता है, को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी के अभ्यावेदनों पर विचार करने का निदेश दिया :-

“तथ्यों के आधार पर यह स्वीकार किया गया है कि वास्तव में स्थल पर कोई गैर-मुमकिन नदी मौजूद नहीं है, इसलिए इस न्यायालय की खंड न्यायपीठ द्वारा अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य और अन्य वाले मामले में किया गया विनिश्चय आबंटन करने में प्रत्यर्थियों के आड़े नहीं आएगा। पूर्वोक्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए और आवश्यकता की प्रकृति पर विचार करते हुए हम निदेश देते हैं कि जैसा कि आश्वासन दिया गया है, आज से छह सप्ताह के भीतर आबंटन की प्रक्रिया पूर्ण की जाए।”

पूर्वोक्त आदेश पारित करते समय यह स्पष्ट किया गया था कि यदि अपीलार्थी-राज्य सरकार प्रत्यर्थी-कंपनी के अभ्यावेदन का विनिश्चय नहीं करती है, तो अपील का विनिश्चय गुणागुण के आधार पर किया जाएगा।

3.5 पूर्वोक्त आदेश के अनुपालन में, अपीलार्थी-राज्य सरकार ने तारीख 25 जनवरी, 2016 को, अन्य बातों के साथ-साथ, यह अभिनिर्धारित करते हुए एक आदेश पारित किया कि विषयांतर्गत भूमि राजस्व अभिलेख में 'जोहड़' के रूप में अभिलिखित की गई है, इसलिए

<sup>1</sup> 2011 एस. सी. सी. ऑन लाइन राज. 3197.

प्रत्यर्थी-कंपनी के पक्ष में कोई आबंटन नहीं किया जा सकता । अपीलार्थी-राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए पूर्वोक्त दृष्टिकोण को देखते हुए, खंड न्यायपीठ प्रत्यर्थी की अपील पर गुणागुण के आधार पर सुनवाई करने के लिए अग्रसर हुई और इसे आक्षेपित निर्णय के आधार पर मंजूर किया, जिसके अधीन अपीलार्थी-राज्य सरकार को प्रश्नगत विषयांतर्गत भूमि का आबंटन प्रत्यर्थी-कंपनी को करने और मामले में पारिणामिक कदम उठाने का निदेश दिया गया ।

3.6 उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में विनिर्दिष्ट रूप से यह अभिलिखित किया है कि अपीलार्थी-राज्य सरकार की ओर से विद्वान् काउंसेल ने न्यायालय के समक्ष भी इस तथ्य को विवादग्रस्त नहीं किया कि यद्यपि प्रश्नगत विषयांतर्गत भूमि को 'जोहड़' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो भी यह न तो किसी जलागम क्षेत्र के अंतर्गत आती है, न ही वहां कभी जल-भराव होता है और विषयांतर्गत भूमि पर जल का कोई प्राकृतिक स्रोत भी नहीं है । न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि क्षेत्र की स्थलाकृति को देखते हुए प्रश्नगत स्थल का किसी अन्य प्रयोजन के लिए कतई कोई उपयोग नहीं है । वास्तव में, खनन के लिए चयनित उक्त स्थल में वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य चूना पत्थर के भंडार हैं और इसका चयन ग्राम पंचायत, बसवा के साथ उचित परामर्श करने के पश्चात् किया गया था । इस प्रकार, भूमि की प्रास्थिति के संबंध में तहसीलदार, भूमि अभिलेख, नवलगढ़ द्वारा फाइल की गई तथ्यों का पता लगाने संबंधी रिपोर्ट को अस्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं था । वास्तव में, उक्त रिपोर्टों को अपीलार्थी-राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से स्वीकार किया गया था ।

3.7 आक्षेपित निर्णय में यह अभिलिखित किया गया है कि विद्वान् एकल न्यायाधीश द्वारा निर्दिष्ट **अब्दुल रहमान** (उपर्युक्त) वाले मामले में न्यायालय ने राज्य सरकार को केवल जलागम क्षेत्रों को उनके मूल स्वरूप में प्रत्यावर्तित करने के लिए एक योजना तैयार करने का निदेश दिया था । उक्त निर्णय में लोक न्यास के रूप में धारित संपत्ति के अन्यसंक्रामण को प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है सिवाय इस तथ्य को उजागर करने के कि इस तरह के किसी अन्यसंक्रामण के लिए उच्च

स्तर की न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता होगी और इस प्रकार लोक न्यास के सिद्धांत और संधार्य विकास के सिद्धांत के बीच एक संतुलन सृजित किया गया है। यह मत व्यक्त किया गया था कि मामले में एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, विशेष रूप से जब 'जोहड़' के रूप में वर्गीकृत क्षेत्र किसी जलागम क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, न ही वहां इसे 'जोहड़' से 'सवाई चाक' भूमि के प्रवर्ग में अवर्गीकृत किए जाने के लिए कोई प्राकृतिक जलाशय है।

4. अपीलार्थी-राज्य सरकार की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् स्थायी काउंसिल श्री मिलिंद कुमार ने आक्षेपित निर्णय को यह दलील देते हुए चुनौती दी कि यह निर्णय **अब्दुल रहमान** (उपर्युक्त) वाले मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय के प्रतिकूल है, जिसमें खंड न्यायापीठ ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि नदी की भूमि या अन्य जल निकायों का निर्माण क्रियाकलाप के लिए उपयोग करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है और तालाब/जलाशय के जलागम को किसी व्यक्तिगत/वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आबंधित नहीं किया जाएगा ; यह कि 'जोहड़' की भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग करने से पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है ; यह कि उच्च न्यायालय ने **महा निदेशक, अनुसंधान और विकास** (उपर्युक्त) वाले मामले का अवलंब लेकर गलती की है ; यह कि **वेल्लोर सिटिजंस वेल्फेयर फोरम बनाम भारत संघ और अन्य<sup>1</sup>**, आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाम **प्रोफेसर एम. वी. नायडू (सेवानिवृत्त) और अन्य<sup>2</sup>**, टी. एन. गोदरवर्मन **थिरुमुलपाद बनाम भारत संघ और अन्य में लाफार्ज उमियम माइनिंग प्रा. लि. (आवेदक)<sup>3</sup>**, **इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लि. बनाम पटेल विपुलकुमार रामजीभाई और अन्य<sup>4</sup>**, **कॉमन कॉज बनाम भारत संघ<sup>5</sup>**, **एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लि. बनाम रोहित प्रजापति और अन्य<sup>6</sup>** वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चय हैं

<sup>1</sup> (1996) 5 एस. सी. सी. 647.

<sup>2</sup> (1999) 2 एस. सी. सी. 718.

<sup>3</sup> (2011) 7 एस. सी. सी. 338.

<sup>4</sup> (2016) 9 एस. सी. सी. 300.

<sup>5</sup> (2017) 9 एस. सी. सी. 499.

<sup>6</sup> (2020) 17 एस. सी. सी. 157.

जिनमें पर्यावरण संबंधी मामलों में पूर्वावधानी के सिद्धांत के उपयोग पर प्रकाश डाला गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि सबूत का भार उस परियोजना के प्रस्तावक पर है जो यथास्थिति को बदलने या पर्यावरण पर प्रभाव डालने का प्रस्ताव कर रहा है। **जगपाल सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य**<sup>1</sup> वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय के प्रति भी निर्देश किया गया, जिसमें सभी राज्य सरकारों को ग्रामसभा की भूमि के अवैध अधिभोगियों की बेदखली के लिए और उस क्षेत्र के ग्रामीणों के सामान्य उपयोग के लिए उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए स्कीम तैयार करने के लिए निदेश जारी किए गए थे। अपीलार्थी-राज्य सरकार की ओर से विद्वान् काउंसिल ने हाल ही में फाइल किए गए कुछ अतिरिक्त दस्तावेजों, विशिष्ट रूप से तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा जिला कलेक्टर को संबोधित तारीख 7 जुलाई, 2014 के पत्र को निर्दिष्ट किया जिसमें जिला झुंझुनू में अर्थात् गांव बसवा में खनन क्षेत्र के रूप में पहचान किए गए चार गांवों में से एक में भूमि की प्रास्थिति का उल्लेख किया गया था और कहा गया था कि उक्त गांव के कुछ खसरा संख्याओं में एक पक्का तालाब विद्यमान है जो बारिश के पानी के जलागम के रूप में कार्य करता है। राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए कुछ परिपत्रों को भी उद्धृत किया गया है जिनमें कहा गया है कि राजस्व अभिलेखों में दर्ज किए गए सभी आबंटन जो वर्ष 1955 के पश्चात् नाला, नदी, तालाब, बांध या कटबंध के रूप में दर्ज किए गए थे और कृषि प्रयोजन से गैर-कृषि प्रयोजन में भूमि के वर्गीकरण को बदलकर परिवर्तित किए गए थे, उन्हें आबंटन के वर्गीकरण के लिए सुसंगत तथ्यों के साथ सक्षम न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाए।

5. प्रत्यर्थी-कंपनी की ओर से हाजिर होने वाले ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री हिरेन पी. रावल द्वारा पूर्वोक्त दलीलों का खंडन किया गया, जिन्होंने यह दलील दी कि वर्तमान अपील संधार्य नहीं है जबकि अपीलार्थी-राज्य सरकार ने पहले ही प्रत्यर्थी-कंपनी को उच्च न्यायालय से अनापत्ति प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करने के अध्यक्षीन विषयांतर्गत भूमि का खनन के प्रयोजन के लिए उपयोग करने के लिए अपनी सैद्धांतिक सहमति दी है।

<sup>1</sup> (2011) 11 एस. सी. सी. 396.

जब एक बार उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय में अभिव्यक्त किए गए मत के निबंधनों के अनुसार अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिया है, तो वर्तमान अपील फाइल करने का कोई कारण नहीं था। गुणागुण के आधार पर, यह दलील दी गई कि भूमि के उस खंड के वर्गीकरण के संबंध में राजस्व अभिलेख में त्रुटि को सुधारने से इनकार करने के लिए अपीलार्थी-राज्य सरकार के पास कोई उचित कारण नहीं है, जिसके भाग को 'गैर-मुमकिन जोहड़' अर्थात् जलाशय भूमि के रूप में इस तथ्य के बावजूद गलत रूप से वर्गीकृत किया गया है कि तहसीलदार, नवलगढ़ और जिला कलेक्टर, झुंझुनू ने दो रिपोर्टें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख करते हुए प्रस्तुत की थीं कि विषयांतर्गत भूमि पर किसी सुसंगत समय पर कोई जलाशय नहीं था। उक्त दलीलों को सिद्ध करने के लिए विद्वान् काउंसिल ने तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत की गई तारीख 19/27 अप्रैल, 2011 और 25 नवंबर, 2012/5 दिसंबर, 2012 की दो रिपोर्टों को निर्दिष्ट किया। उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान जिला कलेक्टर, झुंझुनू द्वारा राज्य सरकार को मामले की परीक्षा करने और समुचित आदेश पारित करने के लिए कहते हुए की गई सिफारिशों की ओर भी आकर्षित किया। उन्होंने विशिष्ट रूप से जिला कलेक्टर, झुंझुनू द्वारा राज्य सरकार के राजस्व विभाग के उप सचिव को संबोधित तारीख 19 दिसंबर, 2012 और 26 फरवरी, 2013 के पत्रों को निर्दिष्ट किया, जिनमें तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों के आधार पर राजस्व अभिलेखों में भूमि के वर्ग को 'गैर-मुमकिन जोहड़' से 'सवाई चक' भूमि में बदलने की सिफारिश की गई थी। विद्वान् काउंसिल ने यह उल्लेख किया कि अपीलार्थी-राज्य सरकार ने किसी प्रक्रम पर भी तहसीलदार की रिपोर्टें या जिला कलेक्टर द्वारा की गई सिफारिशों को विवादग्रस्त नहीं किया है। इसके बजाय, वह **अब्दुल रहमान** (उपर्युक्त) वाले मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड न्यायापीठ के निर्णय का उल्लेख यह मूल्यांकन किए बिना कर रहा है कि उक्त निर्णय में यह घोषणा नहीं की गई है कि किसी लोक न्यास के रूप में धारित संपत्ति के अन्यसंक्रामण को पूरी तरह से प्रतिषिद्ध किया गया है। यह दलील दी गई कि कोई विनिश्चय करने से पूर्व प्रत्येक मामले की तथ्यात्मक स्थिति की परीक्षा करनी होगी और प्रस्तुत मामले में



अपीलार्थी-राज्य सरकार द्वारा यह विवादग्रस्त नहीं किया गया है कि विषयांतर्गत भूमि किसी जलागम क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है, वहां जल इकट्ठा नहीं होता है और वहां भूमि पर कोई प्राकृतिक जलाशय नहीं है। कुल मिलाकर, यह टाल-मटोल करने की बात जो वर्ष 2000 में आरंभ हुई थी और अब तक जारी है, प्रत्यर्थी-कंपनी के पक्ष में जारी की गई पर्यावरण मंजूरी वर्ष 2022 के अंत में समाप्त होने वाली है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी-राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया आशय पत्र स्वतः रद्द हो जाएगा, इस प्रकार प्रत्यर्थी-कंपनी बिना किसी गलती के असहाय रह जाएगी। अतः यह दलील दी गई कि आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी तथ्य का पता लगाने संबंधी रिपोर्टों पर आधारित है जिन्हें अपीलार्थी-राज्य सरकार द्वारा आज की तारीख तक प्रश्नगत नहीं किया गया है।

6. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई दलीलें सुनीं, आक्षेपित निर्णय और अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों का परिशीलन किया। इस न्यायालय के विचार के लिए उद्भूत एकमात्र विवादक यह है कि जब एक बार अपीलार्थी-राज्य सरकार द्वारा पहले ही प्रत्यर्थी-कंपनी के पक्ष में खनन पट्टे के अधीन सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए विषयांतर्गत भूमि के आरक्षण और आबंटन के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी गई थी और तारीख 23 फरवरी, 2012 के अनुमोदन पत्र में अंतःस्थापित इस शर्त का कि प्रत्यर्थी-कंपनी को 'गैर-मुमकिन जोहड़' के आबंटन को अनुज्ञात करते हुए उच्च न्यायालय से प्राप्त एक अनापत्ति प्रमाणपत्र/आदेश प्रस्तुत करना चाहिए, आक्षेपित निर्णय के फलस्वरूप समाधान हो जाने पर क्या अपीलार्थी-राज्य सरकार की प्रेरणा पर फिर भी इसके विरुद्ध चुनौती दी जा सकती है ?

7. आक्षेपित निर्णय के परिशीलन से वे निम्नलिखित कारक उपदर्शित होते हैं जिनसे उच्च न्यायालय प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा फाइल की गई अपील को मंजूर करने के लिए प्रभावित हुआ था :-

(क) तहसीलदार, नवलगढ़ ने प्रश्नगत विषयांतर्गत भूमि का अस्तित्व स्थल निरीक्षण किया था और जिला कलेक्टर,

झुंझुनू को तारीख 19 अप्रैल, 2011 को यह उल्लेख करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कि 'जोहड़' के रूप में वर्गीकृत विषयांतर्गत भूमि न तो जलागम क्षेत्र के अंतर्गत आती है, न ही वहां कभी जल इकट्ठा होता है और विषयांतर्गत भूमि पर जल का कोई प्राकृतिक स्रोत मौजूद नहीं है ; तहसीलदार, भू-अभिलेख, नवलगढ़ द्वारा पुनः विषयांतर्गत भूमि का निरीक्षण किया गया था और उसने तारीख 25 नवंबर, 2015/5 दिसंबर, 2012 को जिला कलेक्टर, झुंझुनू को एक रिपोर्ट, अन्य बातों के साथ-साथ, यह उल्लेख करते हुए भेजी थी कि विषयांतर्गत भूमि पर कोई प्राकृतिक जल निकास नहीं है और प्रस्तावित खनन पट्टे के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला 'गैर-मुमकिन जोहड़' पानी इकट्ठा होने वाले क्षेत्र या जलागम क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है । इसलिए भूमि की श्रेणी को बदलने और इसे 'सवाई चक' भूमि के रूप में अभिलिखित करने के लिए एक सिफारिश की गई थी ;

- (ख) यह कि जिला कलेक्टर, झुंझुनू ने राजस्व अभिलेखों को सही करने और 'सवाई चक' भूमि के रूप में अभिलिखित किए जाने के लिए भूमि के वर्गीकरण को बदलने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने हेतु दो अलग-अलग अवसरों पर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशों की थीं ;
- (ग) यह कि जिला कलेक्टर, झुंझुनू ने राज्य सरकार से तारीख 1 फरवरी, 2013 की संसूचना प्राप्त होने पर, जिसमें उसे मामले की पुनः परीक्षा करने और समुचित आदेश पारित करने का आह्वान किया गया था, पुनः एक बार तारीख 26 फरवरी, 2013 के पत्र द्वारा एक सिफारिश की थी कि इस मामले में राजस्व अभिलेख को ठीक करने के लिए आवश्यक आदेश दिए जाने चाहिए ;
- (घ) यह कि ग्राम पंचायत बसवा, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनू ने तारीख 3 फरवरी, 2011 को संकल्प सं. 21 पारित किया था जिसमें कहा गया था कि विषयांतर्गत भूमि में कभी भी

पानी जमा नहीं हुआ है और ग्राम पंचायत को खनन पट्टे के प्रयोजनों के लिए 'जोहड़' के रूप में वर्गीकृत उक्त भूमि को प्रत्यर्थी-कंपनी को देने में कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कंपनी उसी गांव में ग्राम पंचायत को समान माप में विकसित भूमि दे दे ;

(ड) न्यायालय ने प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा आसपास के गांवों के फायदे के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप आरंभ करने के लिए रिट कार्यवाहियों में दिए गए वचन पर विचार किया –

- (i) उसी गांव में खनन क्रियाकलाप क्षेत्र में 'जोहड़' भूमि के स्थान पर 'जोहड़' के रूप में समान और आनुकल्पिक भूमि विकसित की जाए जिससे ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं का फायदा मिल सके ।
- (ii) खनन क्षेत्र में एक जलाशय का निर्माण ।
- (iii) क्षेत्र में भूजल रिचार्जिंग को बढ़ाने के लिए जल संचयन संरचनाओं का विकास ।
- (iv) आसपास के गांवों में सीएसआर क्रियाकलापों की शुरुआत ।

(च) प्रत्यर्थी-कंपनी ने न्यायालय के समक्ष एक वचन दिया कि आनुकल्पिक 'जोहड़' के लिए स्थल का विकास एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाएगा जहां जलागम क्षेत्र, जल संचयन संरचनाओं और मवेशी चराई भूमि को विकसित किया जाएगा । कंपनी ने भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए उपयुक्त जल निकासी पैटर्न विकसित करने के लिए डग-सह-बोर वेल (डीसीबी वेल) को अंतःक्षेपण कूप में संपरिवर्तित करने का भी वचन दिया ।

8. यह अभिलेख का विषय है कि अपीलार्थी-राज्य सरकार ने तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा दो अवसरों पर स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् तैयार की गई रिपोर्टों को प्रश्नगत नहीं किया है । यह स्थिति अब भी वैसी ही है । तहसीलदार द्वारा पहली रिपोर्ट तारीख 19/27

अप्रैल, 2011 को और दूसरी रिपोर्ट तारीख 25 नवंबर, 2012/5 दिसंबर, 2012 को तैयार की गई थी । दोनों रिपोर्टों में यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाले गए थे कि 'जोहड़' के रूप में वर्गीकृत विषयांतर्गत भूमि पर कोई प्राकृतिक जल निकाय नहीं है और विषयांतर्गत भूमि न तो जलागम क्षेत्र के अंतर्गत आती है, न ही वहां कभी जल इकट्ठा होता है और वहां जल का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है जो विषयांतर्गत भूमि पर विद्यमान हो । इस स्थिति में हमें अपीलार्थी-राज्य सरकार की ओर से विद्वान् काउंसेल को तहसीलदार द्वारा जिला कलेक्टर को गांव बसवा में आने वाली विषयांतर्गत भूमि के एक भाग के संबंध में तारीख 2 जुलाई, 2014 की इस संसूचना का अवलंब लेने के लिए अनुज्ञात करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि कुछ स्थानों पर एक पक्का तालाब मौजूद है, इतना ही नहीं जब दस्तावेजों को फाइल न करने का कोई स्पष्टीकरण नहीं किया गया है । अपीलार्थी-राज्य सरकार द्वारा आक्षेपित निर्णय पारित करने की तारीख से ठीक पूर्व उच्च न्यायालय के समक्ष समुचित प्रक्रम पर पूर्वोक्त संसूचना आसानी से फाइल की जा सकती थी । अपीलार्थी-राज्य सरकार को किसी ने गांव बसवा के भीतर कुछ स्थानों पर तात्पर्यित पक्का तालाब मौजूद होने के सुसंगत फोटोग्राफ प्रस्तुत करने से नहीं रोका था । अपीलार्थी-राज्य सरकार का पक्षकथन यह नहीं है कि तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा अस्तित्व स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् प्रस्तुत की गई पूर्ववर्ती रिपोर्टों को छलसाधित किया गया था या असद्भाविक रीति में तैयार किया गया था, न ही अपील में ऐसा कोई प्रकथन किया गया है कि तत्कालीन तहसीलदार, नवलगढ़ के विरुद्ध स्थल निरीक्षण की गलत रिपोर्टें तैयार करने के लिए विभागीय कार्रवाई आरंभ की गई थी । उक्त स्थिति को देखते हुए, तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा तैयार की गई दो निरीक्षण रिपोर्टों को त्यक्त करने का कोई कारण नहीं है जो अभिलेख का भाग हैं । उक्त दोनों रिपोर्टों में स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि विषयांतर्गत भूमि पर कोई प्राकृतिक जल का निकाय नहीं है और प्रस्तावित खनन पट्टे के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला 'गैर-मुमकिन जोहड़' जलागम क्षेत्र के जलभराव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है । अतः हम तहसीलदार, नवलगढ़ द्वारा जिला कलेक्टर झुंझुनू को संबोधित तारीख 7 जुलाई, 2014 के पत्र को कोई महत्व देने

से इनकार करते हैं ।

9. राजस्व विभाग द्वारा तारीख 26 जून, 2012, 17 अप्रैल, 2013 और 26 जुलाई, 2017 को जारी किए गए परिपत्रों से भी अपीलार्थी-राज्य सरकार को कोई सहायता नहीं मिल सकती है और इसका साधारण कारण यह है कि उक्त परिपत्र उच्च न्यायालय और इस न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन में जारी किए गए थे, जिनमें ग्राम पंचायत की भूमि से अधिक्रमण हटाने और वहां से अप्राधिकृत अधिभोगियों को बेदखल करने का निदेश दिया गया था । वर्तमान मामला उपरोक्त प्रवर्गों के अंतर्गत नहीं आता है और इसका साधारण कारण यह है कि प्रत्यर्थी-कंपनी ने खनन प्रयोजन के लिए भूमि के आबंटन के लिए उचित माध्यम से आवेदन किया था ; उसने अपेक्षित पर्यावरण मंजूरी के साथ-साथ अपीलार्थी-राज्य सरकार द्वारा जारी आशय पत्र प्राप्त किया था । खनन पट्टे के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि के आरक्षण और आबंटन के लिए राज्य सरकार से आवश्यक अनुमोदनों के साथ प्रत्यर्थी-कंपनी ने विषयांतर्गत भूमि पर एक संयंत्र स्थापित करने के लिए राजस्व प्राधिकारियों को समावेदन किया था और यह अनुरोध किया था कि कतिपय स्थानों पर 'जोहड़' के रूप में वर्णित भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेखों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं, जहां वास्तव में कोई 'जोहड़' विद्यमान नहीं था । इस संदर्भ में, जिला कलेक्टर, झुंझुनू द्वारा की गई सिफारिशों का महत्व हो जाता है । इस संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा पहला पत्र अपीलार्थी- राज्य सरकार के राजस्व विभाग के उप सचिव को तारीख 19 दिसंबर, 2012 को संबोधित किया गया था, जिसके सुसंगत उद्धरण को नीचे उद्धृत किया जाता है :-

“जब इस संबंध में तहसीलदार, नवलगढ़ से एक स्थल निरीक्षण रिपोर्ट मांगी गई थी, तो उन्होंने तारीख 5.12.12 के अपने पत्र सं. 2501 द्वारा सूचित किया कि खसरा सं. 493 क्षेत्र 3.96 हेक्टेयर की गैर-मुमकिन जोहड़ भूमि पर एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, खसरा सं. 546 रकबा 16.73 हेक्टेयर, खसरा सं. 608 रकबा 17.55 हेक्टेयर, खसरा सं. 649 रकबा 4.81 हेक्टेयर, खसरा सं. 1304/493 रकबा 0.14 हेक्टेयर और खसरा सं.

1316/608 रकबा 0.11 हेक्टेयर भूमि गांव बसवा में स्थित है और शेष भूमि जलागम क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है। उपरोक्त वर्णित खसरा संख्याओं की भूमि पर कोई प्राकृतिक जलाशय नहीं है, न ही यह जलागम क्षेत्र में है। तहसीलदार, नवलगढ़ ने इसकी श्रेणी में परिवर्तन करने और इसे सवाई चक भूमि घोषित करने की सिफारिश की है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उपरोक्त विनिश्चयों के परिप्रेक्ष्य में और पत्र सं. 2501, तारीख 5.12.12 (प्रति संलग्न) और संवत् 2067-2070 के लिए जमाबंदी की संलग्न प्रति के साथ तहसीलदार की रिपोर्ट को इसके साथ संलग्न करते हुए यह निवेदन है कि तहसीलदार की रिपोर्ट का विश्लेषण किया गया है और मैं रिपोर्ट से संतुष्ट हूँ। खसरा सं. 493 क्षेत्र 3.96 हेक्टेयर की गैर-मुमकिन जोहड़ भूमि, खसरा सं. 546 रकबा 16.73 हेक्टेयर, खसरा सं. 608 रकबा 17.55 हेक्टेयर, खसरा सं. 649 रकबा 4.81 हेक्टेयर, खसरा सं. 1304/493 रकबा 0.14 हेक्टेयर और खसरा सं. 1316/608 रकबा 0.11 हेक्टेयर भूमि गांव बसवा में स्थित है, खसरा सं. 546 की 16.73 हेक्टेयर भूमि में से 0.10 हेक्टेयर भूमि पर एक राजकीय प्राथमिक विद्यालय है, की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार यह सिफारिश की जाती है कि उपरोक्त भूमि की श्रेणी को परिवर्तित किया जाए और इसे विधि के अनुसार मैसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. कं. को आबंटित किया जाए।”

10. पूर्वोक्त पत्र प्राप्त होने के पश्चात्, सचिव, राजस्व विभाग ने तारीख 1 फरवरी, 2013 को जिला कलेक्टर, झुंझुनू को अन्य बातों के साथ-साथ स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करते हुए एक पत्र संबोधित किया कि 'जिला कलेक्टर' होने के नाते केवल उसे स्पष्ट करना चाहिए कि क्या प्रश्नगत भूमि एक 'जोहड़' भूमि है या नहीं और उक्त प्रमाणन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जाना है। अतः जिला कलेक्टर को स्वयं स्थल का दौरा करने और मामले में जांच करने तथा इसके पश्चात् समुचित आदेश जारी करने का निदेश दिया गया था। उक्त निदेशों के अनुपालन में जिला कलेक्टर ने तारीख 26 फरवरी, 2013 को उप सचिव, राजस्व विभाग को एक अन्य पत्र लिखा जिसमें यह दोहराया

गया कि राजस्व अभिलेखों में विषयांतर्गत भूमि के सुसंगत खसरा संख्यांकों में कोई जलाशय अभिलिखित नहीं है और इसी पृष्ठभूमि में उसके द्वारा तहसीलदार, नवलगढ़ के राजस्व अभिलेखों में प्रमाणन के आधार पर भूमि की श्रेणी के परिवर्तन की सिफारिश करते हुए तारीख 19 दिसंबर, 2012 का पत्र जारी किया गया था। जिला कलेक्टर द्वारा पुनः यह उल्लेख किया गया था कि तहसीलदार की रिपोर्ट और पुराने तथा वर्तमान राजस्व अभिलेखों की प्रतियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित भूमि, जो राजस्व अभिलेखों में 'जोहड़' के रूप में प्रविष्ट है, की श्रेणी के परिवर्तन के संबंध में आदेश जारी किए जाएं।

11. आक्षेपित निर्णय में पूर्वोक्त सामग्री की विस्तार से परीक्षा की गई है। उच्च न्यायालय ने ग्राम पंचायत, गांव बसवा द्वारा पारित प्रस्ताव और ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर भी विचार किया है जिसमें यह अभिलिखित है कि विषयांतर्गत भूमि पर कभी भी पानी का संचयन नहीं हुआ है और ग्राम पंचायत को खनन पट्टे के प्रयोजन के लिए प्रत्यर्थी-कंपनी को उक्त भूमि प्रदान किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि उसे खनन पट्टे के प्रयोजन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी-कंपनी से उसी गांव में समान माप की विकसित भूमि प्राप्त होती हो। प्रत्यर्थी-कंपनी ने उच्च न्यायालय को भी यह वचन दिया है कि गांव के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखा जाएगा। प्रत्यर्थी-कंपनी द्वारा दिए गए वचनों में से एक यह है कि आनुकल्पिक 'जोहड़' के विकास के लिए चिह्नित स्थल की पहचान की जाएगी और इसे योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा जिससे एक जलागम क्षेत्र, जल संचयन संरचना और मवेशी चराई भूमि का सृजन किया जा सके।

12. उपरोक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए, अपीलार्थी-राज्य सरकार की ओर से विद्वान् काउंसिल द्वारा उद्धृत निर्णयों का जो अवलंब लिया गया है, उसे भ्रामक पाया गया है। **वेल्लोर सिटिजंस वेलफेयर फोरम और आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** (उपर्युक्त) वाले मामलों में इस न्यायालय ने संधार्य विकास के एक पहलू के रूप में विकास और पारिस्थितिकी की अवधारणा के बीच सामंजस्य की आवश्यकता को

मान्यता दी है । भारत के संविधान के सुसंगत अनुच्छेदों, जिनमें अनुच्छेद 21, 47, 48-क 51-क (छ) सम्मिलित हैं, जो पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करते हैं, पर प्रकाश डाला गया है और पूर्वावधानी सिद्धांत तथा प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को देश की पर्यावरण विधि का भाग घोषित किया गया है । यह भी स्वीकार किया गया है कि सबूत का भार उस इकाई पर पड़ना चाहिए जो ऐसे क्रियाकलाप का प्रस्ताव कर रही है जो पर्यावरण के लिए संभाव्य रूप से हानिप्रद है । उपरोक्त स्थिति के बारे में कोई विवाद नहीं किया जा सकता है, किंतु पूर्वोक्त निर्णयों में से कोई भी प्रस्तुत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सुसंगत नहीं है क्योंकि प्रत्यर्थी-कंपनी पर यह प्रदर्शित करने के लिए कोई भार नहीं डाला गया है कि उसके द्वारा स्थापित किया जाने वाला प्रस्तावित उद्योग क्षेत्र की पारिस्थितिकी को कोई गंभीर और/या अप्रवर्तनीय हानि नहीं पहुंचाएगा । इसके विपरीत, स्वयं अपीलार्थी-राज्य सरकार के राजस्व विभाग का यह आधार है कि क्षेत्र की पारिस्थितिकी को कोई नुकसान होने की संभावना नहीं है क्योंकि स्थल निरीक्षण से प्रकट होता है कि विषयांतर्गत भूमि पर ऐसा कोई तालाब विद्यमान नहीं है जो प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है ।

13. **नर्मदा बचाओ आंदोलन बनाम भारत संघ<sup>1</sup>** वाले मामले में इस न्यायालय को पूर्वावधानी सिद्धांत पर चर्चा करने का अवसर मिला था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उक्त सिद्धांत और सबूत का उस व्यक्ति पर तत्संबंधी भार, जो यथास्थिति को बदलना चाहता है, सामान्यतया प्रदूषण फैलाने वाली या अन्य परियोजनाओं पर या उद्योग के मामले में वहां लागू होगा, जहां होने वाले नुकसान की सीमा ज्ञात नहीं है । किंतु जब परियोजना का प्रभाव ज्ञात है, तब संधार्य विकास के सिद्धांत लागू हो जाएंगे जो यह सुनिश्चित करेंगे कि पारिस्थितिकी संतुलन को संरक्षित करने के लिए न्यूनकारी उपाय किए जा सकते हैं । प्रस्तुत मामले में, क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को होने वाले नुकसान के बारे में डेटा या वैज्ञानिक सामग्री की उपलब्धता की कमी के कारण कोई अनिश्चितता नहीं है । इसके बजाय, राजस्व प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर विस्तृत स्थल निरीक्षण किया गया है जो यह सिद्ध

<sup>1</sup> (2000) 10 एस. सी. सी. 664.



करता है कि विषयांतर्गत भूमि पर कोई 'जोहड़' मौजूद नहीं है। इसके बावजूद, प्रत्यर्थी-कंपनी को एक न्यूनकारी उपाय के रूप में उसी क्षेत्र पर एक आनुकल्पिक 'जोहड़' एक योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने का निदेश दिया गया है जिसे उसने निष्पादित करने का बीड़ा उठाया है।

14. **लाफार्ज उमियम माइनिंग प्रा. लि.** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने इस तथ्य को मान्यता दी है कि पर्यावरण के विभिन्न पहलू हैं और सबसे मूलभूत आवश्यकताओं के लिए पर्यावरणीय संसाधनों के उपयोग हेतु मनुष्यों की सार्वभौमिक निर्भरता अपरिहार्य रूप से पर्यावरणीय संरक्षण पर विभिन्न स्तरों पर और जोखिम के उन कारकों पर विकल्प बनाने की आवश्यकता है जिनको विनियमित किया जाना है, जैसा कि संधार्य विकास की अवधारणा द्वारा मान्यता दी गई है। यह स्वीकार करते हुए कि 'सामान्य' सिद्धांतों को अधिकथित करना असंभव है और बहुत कुछ प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा, इसलिए इस न्यायालय ने यह राय व्यक्त की कि देखने वाली बात यह है कि कितना संरक्षण पर्याप्त होगा और क्या संसाधनों का अन्य उपयोगों के लिए अपवर्तन करने से उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी और साथ ही पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण जोखिम के बीच एक अच्छा संतुलन बनाए रखा जाएगा। प्रस्तुत मामले में ऐसा अच्छा संतुलन बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है जब स्वीकृत रूप से स्थल निरीक्षणों से यह दर्शित होता है कि विषयांतर्गत भूमि पर ऐसा कोई 'जोहड़' मौजूद नहीं है जिसके राजस्व अभिलेखों में परिवर्तन करने के कारण प्रभावित होने की संभावना है।

15. **जगपाल सिंह** (उपर्युक्त) वाले मामले में जारी किए गए निदेश भी, जिसमें राज्य सरकारों से ग्राम सभा की भूमि के अवैध/अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली के लिए स्कीम तैयार करने के लिए कहा गया था, प्रत्यर्थी-कंपनी के आड़े नहीं आते हैं। उक्त निदेश का उद्देश्य शीघ्रता से अवैध अधिभोगियों को हटाने के लिए एक स्कीम तैयार करना था। यह बात प्रत्यर्थी-कंपनी को राजस्व अभिलेखों में सुधार करने के लिए न्यायालय में समावेदन करने के लिए नहीं रोकती है जब राजस्व प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई स्थल निरीक्षण रिपोर्टों से दर्शित होता है कि विषयांतर्गत भूमि पर कोई जल निकाय या जलागम क्षेत्र नहीं है।

16. **इलेक्ट्रोथर्म (इंडिया) लि.** (उपर्युक्त) वाले मामले में पर्यावरण संबंधी मंजूरी की प्रक्रिया की आज्ञापक आवश्यकता के रूप में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था और न्यायालय ने विनिश्चय करने की प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक सुनवाई को समाप्त करने पर नाराजगी व्यक्त की थी। **कॉमन कॉज** (उपर्युक्त) वाले मामले में उड़ीसा राज्य में अवैध/विधिविरुद्ध खनन के पहलू से अवगत कराया गया और यह मत व्यक्त किया गया कि न्यायालय खनन नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकते या खनन क्रियाकलाप की सीमा अधिकथित नहीं कर सकते, जिसकी अनुज्ञा राज्य/केंद्र सरकार द्वारा दी जानी चाहिए। प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर उक्त विनिश्चय का कोई उपयोजन नहीं है जहां अपीलार्थी-राज्य सरकार ने पहले ही प्रत्यर्थी-कंपनी के पक्ष में एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक सहमति दी है और उच्च न्यायालय को केवल उस विषयांतर्गत भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेखों में सुधार करने के पहलू की जांच करना अपेक्षित था जहां 'जोहड़' का उल्लेख किया गया था किंतु स्थल पर कोई जोहड़ मौजूद नहीं था।

17. **एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के समक्ष विवादक लंबे समय तक पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त किए बिना उद्योगों के संचालन और ऐसे अननुपालन के कारण उनके दायित्व के संबंध में था। यह देखते हुए कि उद्योगों ने पर्यावरणीय मंजूरी अभिप्राप्त करने की विधिक रूप से बाध्यता का अपवंचन किया था, इसलिए यह अभिनिर्धारित किया गया कि नियमों और विनियमों की अवज्ञा और अननुपालन के लिए उन पर शास्ति अधिरोपित की जानी चाहिए। इस मामले में, प्रत्यर्थी-कंपनी ने स्वीकृत रूप से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त की है और इसके बावजूद अपीलार्थी और राज्य सरकार द्वारा पैदा की गई विभिन्न बाधाओं के कारण इसकी प्रयोजना शुरु नहीं हो पाई है। स्पष्ट रूप से, वर्तमान मामला प्रत्यर्थी-कंपनी पर शास्ति अधिरोपित करने के लिए किसी सन्नियमों के भंग का नहीं है।

18. यहां तक कि **अब्दुल रहमान** (उपर्युक्त) वाले मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के निर्णय को भी अपीलार्थी-राज्य सरकार द्वारा गलत रूप से समझा जा रहा है। उक्त

निर्णय में जलागम क्षेत्र को इसके मूलभूत स्वरूप में प्रत्यावर्तित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था जिसके लिए एक योजना तैयार करने का निदेश दिया गया था जिसमें जलागम क्षेत्रों का सीमांकन, जल निकासी चैनलों का सीमांकन आदि सम्मिलित था। उक्त निर्णय में कहीं भी यह मत व्यक्त नहीं किया गया है कि स्थल निरीक्षण करने के पश्चात् राजस्व अभिलेखों में तालाब के रूप में भूमि के वर्णन को ठीक नहीं किया जा सकता है। हम प्रत्यर्थी-कंपनी की ओर से विद्वान् काउंसेल द्वारा इस दलील को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि स्थल पर किसी तालाब के अभाव में **अब्दुल रहमान** (उपर्युक्त) वाले मामले में किया गया विनिश्चय एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए विषयांतर्गत भूमि के आबंटन के लिए प्रत्यर्थी-कंपनी के आवेदन की प्रक्रिया में बाधा नहीं बन सकता है। उच्च न्यायालय ने **महानिदेशक, अनुसंधान और विकास** (उपर्युक्त) वाले मामले को ठीक ही निर्दिष्ट किया है, जिसमें इस तथ्य को देखते हुए कि स्थल पर कोई 'गैर मुमकिन' नदी मौजूद नहीं है, यह मत व्यक्त किया गया था कि **अब्दुल रहमान** (उपर्युक्त) वाले मामले में उच्च न्यायालय का विनिश्चय याची को भूमि का आबंटन करने के आड़े नहीं आएगा।

19. पूर्वोक्त कारणों से, हम आक्षेपित निर्णय में निकाले गए निष्कर्षों से सहमत हैं, जिसे कायम रखा जाता है। अपीलार्थी-राज्य सरकार को आज से चार सप्ताह के भीतर प्रत्यर्थी-कंपनी के पक्ष में विषयांतर्गत भूमि के आबंटन की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कदम उठाने का निदेश दिया जाता है। प्रत्यर्थी-कंपनी विषयांतर्गत भूमि के आबंटन के लिए प्रतिकरात्मक उपाय के रूप में आसपास के गांवों के फायदे के लिए समयाबद्ध क्रियाकलाप शुरू करने के लिए इसी समय-सीमा के भीतर राज्य सरकार के पास एक नया वचनपत्र फाइल करेगी, जैसा कि उसके द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष फाइल किया गया था। यह अपील खारिज की जाती है और पक्षकार अपना-अपना खर्च स्वयं वहन करेंगे।

अपील खारिज की गई।

जस.

[2022] 3 उम. नि. प. 414

राजस्थान राज्य और एक अन्य

बनाम

फूल सिंह

[2022 की सिविल अपील सं. 5930]

2 सितंबर, 2022

न्यायमूर्ति एस. रविन्द्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया

सेवा विधि [सपठित दंड संहिता, 1860 की धारा 392 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 3/25] – प्रत्यर्थी-अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध आपराधिक मामला रजिस्ट्रीकृत किया जाना – अपचारी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां भी आरंभ किया जाना – विभागीय कार्यवाहियों में आरोप साबित होने पर उसे सेवा से पदच्युत किया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया जाना किंतु अपील न्यायालय द्वारा उसे संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त किया जाना – कर्मचारी द्वारा दांडिक कार्यवाही में दोषमुक्ति के पश्चात् सेवा में बहाली के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना – आवेदन खारिज हो जाना – उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी की पदच्युति को अभिखंडित किया जाना और सेवा में बहाल करने का आदेश दिया जाना – संधार्यता – जब किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया हो और उन्हीं तथ्यों और आरोपों के आधार पर विभागीय कार्यवाही भी आरंभ की गई हो और आरोप साबित होने पर अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा उसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया हो किंतु दांडिक न्यायालय द्वारा उसे संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त कर दिया गया हो, तो उसे केवल इस आधार पर स्वतः सेवा में बहाल नहीं किया जा सकता कि उसे दांडिक कार्यवाहियों में दोषमुक्त कर दिया गया है क्योंकि विभागीय कार्यवाही और दांडिक कार्यवाही में मूलभूत अंतर यह है कि विभागीय कार्यवाही में अपचारी कर्मचारी को 'अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता' के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है किंतु दांडिक कार्यवाही में

**अभियोजन पक्ष को अपना पक्षकथन 'युक्तियुक्त संदेह के परे' साबित करना होता है, अतः उच्च न्यायालय के निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है ।**

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी फूल सिंह वर्ष 1997 में राजस्थान पुलिस सेवा में एक कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुआ था । उसी वर्ष जब वह धौलपुर (राजस्थान) जिले के मानिया पुलिस थाने में तैनात था, उसने अभिकथित रूप से घोर अनुशासनहीनता के अतिरिक्त एक दंडनीय अपराध भी किया । इसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी के विरुद्ध पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 307 और आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 392 और आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन आरोप विरचित किए गए । इसी बीच, अपचारी कांस्टेबल के विरुद्ध तीन आरोपों पर एक विभागीय कार्यवाही भी आरंभ की गई थी । अंततः अनुशासनिक कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी के विरुद्ध सभी तीनों आरोप साबित हो गए और उसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया । विचारण न्यायालय द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 392 और आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । फूल सिंह द्वारा इस आदेश को अपील में चुनौती दी गई और विद्वान् सेशन न्यायाधीश, धौलपुर द्वारा अपील मंजूर की गई तथा अभियुक्त को "संदेह का फायदा" देते हुए विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया । प्रत्यर्थी ने अपनी दोषमुक्ति के पश्चात् सेवा में अपनी बहाली के लिए प्राधिकारियों के समक्ष एक आवेदन दिया । चूंकि प्राधिकारियों ने अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए उसके द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका फाइल की गई । उसकी सेवा से पदच्युति को चुनौती हालांकि आपराधिक मामले में उसकी दोषमुक्ति के बाद ही दी गई थी, फिर भी चुनौती विभिन्न आधारों पर दी गई थी, जैसे कि सेवा समाप्ति का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाना, जांच रिपोर्ट की आपूर्ति नहीं करना, साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने की मंजूरी नहीं देना आदि । इन सभी आधारों को विद्वान् एकल

न्यायाधीश का समर्थन नहीं मिला, सिवाय प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए इस आधार के कि अब चूंकि उसने एक ही प्रकार के आरोपों पर दांडिक विचारण का सामना किया था, जहां उसे अंततः सेशन न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था इसलिए उसकी पदच्युति का आदेश अभिखंडित किए जाने योग्य है और उसे सेवा में बहाल किया जाना चाहिए। विद्वान् एकल न्यायाधीश ने उसकी रिट याचिका मंजूर कर ली और उसकी पदच्युति के आदेश को अभिखंडित कर दिया तथा 50 प्रतिशत पिछले वेतन के साथ उसकी बहाली के आदेश दिए। राजस्थान राज्य द्वारा उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष इस आदेश के विरुद्ध एक अपील फाइल की गई, जिसे खारिज कर दिया गया। राजस्थान राज्य द्वारा व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – इस विषय पर विधि में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए कि विभागीय कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही से भिन्न होती है। इन दोनों के बीच मौलिक अंतर यह है कि जहां विभागीय कार्यवाही में किसी अपचारी कर्मचारी को “अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता” के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, वहीं दांडिक न्यायालय में अभियोजन पक्ष को अपने पक्षकथन को “युक्तियुक्त संदेह के परे” साबित करना होता है। संक्षेप में, दोनों कार्यवाहियों के बीच अंतर साक्ष्य की प्रकृति और उसकी संवीक्षा के स्तर में निहित है। इसलिए दोनों अधिकरण अलग-अलग स्तरों पर कार्य करते हैं। इस कारण से, इस न्यायालय ने सतत रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति को दांडिक विचारण में दोषमुक्त कर दिया गया है, उसे स्वयमेव सेवा में बहाल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, वर्तमान मामले में विद्वान् एकल न्यायाधीश तथा राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने राजस्थान पुलिस के अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करके और कैप्टन एम. पाल एंथनी वाले मामले का अवलंब लेकर पूरी तरह से गलत किया था। अनुशासनिक प्राधिकारी ही इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सक्षम है कि कोई “कदाचार” किया गया है या नहीं। न्यायाधीश के

लिए मुख्य सरोकार यह होना चाहिए कि क्या ऐसा निष्कर्ष उचित प्रक्रिया का अनुसरण करके, नैसर्गिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करते हुए निकाला गया है या नहीं। प्रस्तुत मामले में, प्रत्यर्थी को विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया था और अपील में अपील न्यायालय द्वारा उसे केवल “संदेह का फायदा” देते हुए दोषमुक्त किया गया था। अतः प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति एक सम्मानजनक दोषमुक्ति नहीं है, अपितु “संदेह का फायदा” देने के कारण की गई दोषमुक्ति है। इन परिस्थितियों में और ऊपर उल्लिखित अनुसार विधि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह अपील मंजूर की जाती है और विद्वान् एकल न्यायाधीश के तारीख 29 जनवरी, 2014 के आदेश और राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर न्यायपीठ की खंड न्यायपीठ के तारीख 9 सितंबर, 2020 के आदेश तद्वारा अपास्त किए जाते हैं। (पैरा 8, 12, 13 और 14)

### निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2020]	(2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 886 : राजस्थान राज्य बनाम हीम सिंह ;	12
[2019]	(2019) 20 एस. सी. सी. 588 : भारत संघ बनाम सीताराम मिश्रा ;	11
[2005]	(2005) 7 एस. सी. सी. 764 : अजीत कुमार नाग बनाम महा प्रबंधक (पीजे), इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. ;	11
[1999]	(1999) 3 एस. सी. सी. 679 : कैप्टन एम. पाल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइंस लि. और एक अन्य ।	9, 10, 11

अपीली (सिविल) अधिकारिता : 2022 की सिविल अपील सं. 5930.

2014 की खंड न्यायपीठ विशेष अपील (रिट) सं. 1274 में

राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा तारीख 9 सितंबर, 2020 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

**अपीलार्थियों की ओर से** श्री विशाल मेघवाल और श्री मिलिंद कुमार  
**प्रत्यर्थी की ओर से** सर्वश्री विकास वर्मा, (सुश्री) सपना वर्मा,  
 शफीक अहमद और वी. इलांचीड़ियान

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने दिया ।

**न्या. धूलिया** – इजाजत दी गई । राजस्थान राज्य ने राजस्थान उच्च न्यायालय (जयपुर न्यायपीठ) की खंड न्यायपीठ द्वारा तारीख 9 सितंबर, 2020 को पारित किए गए आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष यह अपील की है । खंड न्यायपीठ ने आक्षेपित आदेश द्वारा विद्वान् एकल न्यायाधीश के उस आदेश को कायम रखा है जिसमें वर्तमान प्रत्यर्थी की सेवा से पदच्युति को अभिखंडित करते हुए उसकी रिट याचिका मंजूर की थी ।

2. प्रत्यर्थी फूल सिंह वर्ष 1997 में राजस्थान पुलिस सेवा में एक कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुआ था । उसी वर्ष जब वह धौलपुर (राजस्थान) जिले के मानिया पुलिस थाने में तैनात था, उसने अभिकथित रूप से घोर अनुशासनहीनता के अतिरिक्त एक दंडनीय अपराध भी किया । तारीख 15 अक्टूबर, 1987 की सायंकाल में वह लोकमान व्यक्ति के साथ शहर में घूम रहा था । प्रत्यर्थी उस समय ड्यूटी पर नहीं था किंतु वह पुलिस वर्दी में था, जब उसने अभिकथित रूप से महेश कुमार नामक व्यक्ति को पकड़ा और उससे 100 रुपए की मांग की । महेश कुमार के मना करने पर फूल सिंह ने उसे अपनी मोटरसाइकिल के कागजात दिखाने के लिए कहा और जब वह ये कागजात नहीं दिखा पाया, तो फूल सिंह ने उस मोटरसाइकिल को लेकर भागने की कोशिश की । इस बीच, महेश कुमार द्वारा शोर मचाने के कारण महेश कुमार के समर्थन में भीड़ भी इकट्ठा हो गई । उस समय फूल सिंह ने अभिकथित रूप से भीड़ की ओर एक बंदूक ("पचपेरा") लहराई, किंतु फिर भी भीड़ द्वारा उसका तब तक पीछा किया गया, जब तक वह अपने घर के अंदर जाने में सफल नहीं हो गया, जो कि पास में



ही था । अपने घर के अंदर घुसते ही उसने अपनी बंदूक से गोलियां चलाई जिससे घर में रहने वाले लोग अर्थात् उसके परिवार के सदस्य क्षतिग्रस्त हो गए और इसके अतिरिक्त संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा । इसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी के विरुद्ध मानिया पुलिस थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 307 और पुलिस अधिनियम की धारा 34 के साथ पठित आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (सं. 146/187) दर्ज की गई । मामले में अन्वेषण के पश्चात् फूल सिंह और लोकमान के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । अंततः विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 392 और आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन आरोप विरचित किए गए । इसके बाद विचारण न्यायालय ने फूल सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 और आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन दोषसिद्ध किया और उसे तारीख 31 मार्च, 1994 के आदेश द्वारा व्यतिक्रम शर्तों के साथ उपरोक्त दोनों अपराधों में से प्रत्येक के लिए एक वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने का दंडादेश दिया । सह-अभियुक्त लोकमान को दोषमुक्त कर दिया गया । फूल सिंह द्वारा इस आदेश को अपील में चुनौती दी गई और विद्वान् सेशन न्यायाधीश, धौलपुर ने अपील मंजूर की और अभियुक्त को “संदेह का फायदा” देते हुए विचारण न्यायालय के आदेश को अपास्त कर दिया ।

3. इसी बीच, अपचारी कांस्टेबल के विरुद्ध तीन आरोपों पर एक विभागीय कार्यवाही भी आरंभ की गई, जो इस प्रकार हैं :-

**“आरोप सं. 1 :** वर्ष 1987 में तारीख 15 अक्टूबर, 1987 को जब आप फूल सिंह कांस्टेबल सं. 386 पुलिस थाना मानिया में तैनात थे, उस समय लगभग 3.00 बजे अपराहन में आपने संतरी के रूप में ड्यूटी पर न होते हुए भी पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और आपने शराब पी रखी थी तथा अत्यधिक नशे में आप कस्बा मानिया में घूमते रहे और शिव राम कच्छी से उसकी लाइसेंसशुदा पचपेरा (राइफल) छीन ली ।

**आरोप सं. 2 :** तारीख 15 अक्टूबर, 1987 को आप वर्दी पहने हुए नशे की हालत में लोकमान गुर्जर के साथ बेड़िया कस्बा

मोहल्ले में गए और ड्यूटी पर न होते हुए भी बिना किसी प्राधिकार के आपने महेश कुमार पुत्र शिव हरे ब्राह्मण, निवासी पटपारा, धौलपुर से उसकी राजदूत मोटरसाइकिल से संबंधित दस्तावेजों की मांग की और अभद्र तरीके से गाली-गलौज भी की और 100/- रुपए की रिश्वत भी मांगी तथा महेश कुमार से मोटरसाइकिल सं. आरजेडी 7722 बलपूर्वक लूट करके छीन ली और जिसके कारण बहुत से लोग इक्के हो गए और आपका पीछा किया ।

**आरोप सं. 3 :** जनता द्वारा पीछा किए जाने पर आप पुलिस थाना मानिया के परिसर में बने अपने क्वार्टर में पहुंचे और नशे की हालत में आत्मरक्षा में अपने घर के अंदर से उस पचपेरा से गोली चलाई, जिसे आपने शिव राम से छीन लिया था किंतु गोली क्वार्टर के चौक में बालकनी में लगी और परिणामस्वरूप बालकनी के टूटे हुए टुकड़े आपके परिवार के सदस्यों पर गिरे और जिसके कारण आपके परिवार के सदस्य क्षतिग्रस्त हो गए और उक्त घटना के परिणामस्वरूप आपके विरुद्ध तारीख 15 अक्टूबर, 1987 को भारतीय दंड संहिता की धारा 392, 307/34 और आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 146 दर्ज की गई और उसके पश्चात् अन्वेषण किया गया ।”

विभागीय कार्यवाही में 14 अभियोजन साक्षियों की परीक्षा की गई । इनमें से कुछ साक्षियों ने अभियोजन पक्ष का समर्थन किया, कुछ ने नहीं किया । इसके अतिरिक्त, तात्विक प्रदर्शों जैसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, मोटरसाइकिल के अभिग्रहण के ज्ञापन की भी जांच की गई और सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यर्थी के श्वास का अल्कोहल परीक्षण भी किया गया जिसका परिणाम सकारात्मक था अर्थात् प्रत्यर्थी ने शराब पी रखी थी । अपचारी कांस्टेबल ने भी नौ प्रतिरक्षा साक्षियों की परीक्षा कराई ।

अंततः अनुशासनिक कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी के विरुद्ध सभी तीनों आरोप साबित हो गए और उसे तारीख 18 दिसंबर, 1989 के आदेश द्वारा सेवा से पदच्युत कर दिया गया । अनुशासनिक प्राधिकारी के इस आदेश को प्रत्यर्थी द्वारा अपील में ले जाया गया और अपील प्राधिकारी द्वारा तारीख 23 अगस्त, 1990 को यह अपील भी खारिज कर दी गई ।

इसके पश्चात् एक पुनर्विलोकन आवेदन भी फाइल किया गया और उसे भी तारीख 3 जून, 1994 को खारिज कर दिया गया। जिस समय अर्थात् तारीख 3 जून, 1994 को पुनर्विलोकन प्राधिकारी ने प्रत्यर्थी के पुनर्विलोकन आवेदन को खारिज किया था, उस समय विचारण न्यायालय द्वारा तारीख 31 मार्च, 1994 को प्रत्यर्थी को, जो दांडिक विचारण का भी सामना कर रहा था, भारतीय दंड संहिता की धारा 392 और आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था, जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है। बाद में, जैसा कि हमें ज्ञात है, उसकी दोषसिद्धि के आदेश को सेशन न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया गया था।

4. प्रत्यर्थी फूल सिंह ने अपनी दोषमुक्ति के पश्चात् सेवा में अपनी बहाली के लिए प्राधिकारियों के समक्ष एक आवेदन दिया। चूंकि प्राधिकारियों ने अनुकूल प्रतिक्रिया नहीं दी, इसलिए उसने वर्ष 1998 में राजस्थान उच्च न्यायालय के विद्वान् एकल न्यायाधीश के समक्ष एक रिट याचिका फाइल की। उसकी सेवा से पदच्युति को चुनौती हालांकि आपराधिक मामले में उसकी दोषमुक्ति के बाद ही दी गई थी, फिर भी चुनौती विभिन्न आधारों पर दी गई थी, जैसे कि सेवा समाप्ति का आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पारित नहीं किया जाना, जांच रिपोर्ट की आपूर्ति नहीं करना, साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने की मंजूरी नहीं देना आदि। इन सभी आधारों को विद्वान् एकल न्यायाधीश का समर्थन नहीं मिला, सिवाय प्रत्यर्थी द्वारा उठाए गए इस आधार के कि अब चूंकि उसने एक ही प्रकार के आरोपों पर दांडिक विचारण का सामना किया था, जहां उसे अंततः सेशन न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था इसलिए उसकी पदच्युति का आदेश अभिखंडित किए जाने योग्य है और उसे सेवा में बहाल किया जाना चाहिए। विद्वान् एकल न्यायाधीश ने उसकी रिट याचिका मंजूर कर ली और उसकी पदच्युति के आदेश को अभिखंडित कर दिया तथा 50 प्रतिशत पिछले वेतन के साथ उसकी बहाली के आदेश दिए। राजस्थान राज्य ने उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष इस आदेश के विरुद्ध एक अपील फाइल की, जिसे तारीख 9 सितंबर, 2020 को खारिज कर दिया गया। राजस्थान राज्य

अब राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित बहाली के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष आया है ।

5. हमें यह दोहराना होगा कि राजस्थान उच्च न्यायालय ने रिट याचिका और विशेष अपील दोनों में प्रत्यर्थी फूल सिंह के पक्षकथन को केवल इस आधार पर मंजूर किया था कि अब चूंकि उसे एक दांडिक न्यायालय द्वारा उन्हीं तथ्यों और आरोपों पर दोषमुक्त कर दिया गया है, जिनके आधार पर उसने विभागीय कार्यवाही का सामना किया था इसलिए विभागीय कार्यवाहियों में पारित आदेश अभिखंडित किए जाने योग्य हैं और उसे सेवा में बहाल किया जाना चाहिए । जैसा कि हमने पहले ही उल्लेख किया है, प्रत्यर्थी की ओर से प्रक्रियात्मक विसंगतियों, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण और निष्पक्ष व्यवहार न करने या प्राधिकारी की अधिकारिता की कमी को चुनौती देते हुए दिए गए तर्कों में से किसी को भी विद्वान् एकल न्यायाधीश या खंड न्यायापीठ का समर्थन नहीं मिला था ।

6. राज्य, जो इस न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी है, का पक्षकथन यह है कि प्रत्यर्थी एक अनुशासित बल का सदस्य था । विभागीय कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी के विरुद्ध अत्यंत गंभीर आरोप थे । उसे जनता को धमकाने और जबरदस्ती धन का उद्घापन करने, शराब के नशे में सार्वजनिक स्थान पर घूमने और फिर एक अग्न्यायुध का प्रयोग करने और लोगों को क्षतियां कारित करने के लिए आरोपित किया गया था, जो सभी अत्यंत गंभीर आरोप थे । प्रत्यर्थी को विभागीय कार्यवाहियों में अपना पक्षकथन रखने का पूरा अवसर दिया गया था । उसे अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करने का भी अवसर दिया गया था और उसने वास्तव में नौ प्रतिरक्षा साक्षियों को भी पेश किया था जिनकी विभागीय कार्यवाहियों में परीक्षा की गई थी । अनुशासनिक प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला कि अपचारी कांस्टेबल (प्रत्यर्थी) ने घोर अनुशासनहीनता और लापरवाही के साथ-साथ कर्तव्यों की अवहेलना और दुर्यवहार तथा कदाचार का कार्य किया था, और इन सभी कार्यों से उसने राजस्थान पुलिस की छवि को सार्वजनिक रूप से धूमिल किया था । इन परिस्थितियों में, अपचारी अधिकारी को पुलिस सेवा में नहीं रखा जा

सकता और इसलिए उसे तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत कर दिया गया। राज्य का यह भी तर्क था कि जहां तक विभागीय कार्यवाहियों का संबंध है, दांडिक न्यायालय द्वारा उसे दोषमुक्त किए जाने का कोई महत्व नहीं है।

7. अतः इस न्यायालय के समक्ष प्रश्न केवल यह है कि क्या प्रत्यर्थी को इस कारण से सेवा में बहाल किया जा सकता है कि अब उन्हीं आरोपों पर उसे एक दांडिक न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है ?

8. इस विषय पर विधि में कोई अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए कि विभागीय कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही से भिन्न होती है। इन दोनों के बीच मौलिक अंतर यह है कि जहां विभागीय कार्यवाही में किसी अपचारी कर्मचारी को “अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता” के आधार पर दोषी ठहराया जा सकता है, वहीं दांडिक न्यायालय में अभियोजन पक्ष को अपने पक्षकथन को “युक्तियुक्त संदेह के परे” साबित करना होता है। संक्षेप में, दोनों कार्यवाहियों के बीच अंतर साक्ष्य की प्रकृति और उसकी संवीक्षा के स्तर में निहित है। इसलिए दोनों अधिकरण अलग-अलग स्तरों पर कार्य करते हैं। इस कारण से, इस न्यायालय ने सतत रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति को दांडिक विचारण में दोषमुक्त कर दिया गया है, उसे स्वयमेव सेवा में बहाल नहीं किया जा सकता है।

9. जो भी स्थिति हो, सेवा से पदच्युति के पश्चात् अपचारी कर्मचारी को जब उसे समान आरोपों और तथ्यों के आधार पर किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है, तो वह बहाली की मांग करता है। इसके पश्चात् कैप्टन एम. पाल एंथनी बनाम भारत गोल्ड माइंस लि. और एक अन्य<sup>1</sup> वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का जोरदार अवलंब लिया गया। वर्तमान प्रत्यर्थी द्वारा विद्वान् एकल न्यायाधीश तथा राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के समक्ष भी इस विनिश्चय का अवलंब लिया गया था। दोनों

<sup>1</sup> (1999) 3 एस. सी. सी. 679.

न्यायालयों ने प्रत्यर्थी के पक्ष में अपना विनिश्चय देते समय इस निर्णय का अवलंब लिया है। कैप्टन एम. पाल एंथनी (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय ने वास्तव में यह अभिनिर्धारित किया था कि चूंकि उनके समक्ष याची को एक दांडिक न्यायालय द्वारा समान आरोपों पर दोषमुक्त कर दिया गया था इसलिए उसे सेवा में बहाल किया जाना चाहिए, यद्यपि उसे विभागीय कार्यवाही का सामना करने के पश्चात् सेवा से पदच्युत कर दिया गया था। किंतु कैप्टन एम. पाल एंथनी (उपर्युक्त) वाले मामले का मूल्यांकन इसके विशिष्ट तथ्यों की पृष्ठभूमि में किया जाना चाहिए।

10. कैप्टन एम. पाल एंथनी वर्ष 1985 में 'भारत गोल्ड माइंस लि.', जो कर्नाटक में कोलार गोल्ड माइंस में सोने के खनन का काम करती थी, में एक 'सुरक्षा अधिकारी' के रूप में कार्यरत थे। तारीख 2 जून, 1985 को पुलिस अधीक्षक द्वारा कैप्टन एम. पाल एंथनी (जिसका हमें यहां 'याची' के रूप में भी उल्लेख करना चाहिए) के आवास पर छापेमारी की गई, जहां से 4.5 ग्राम वजन की एक स्पंच की सोने की गेंद और 1276 ग्राम 'सोनायुक्त रेत' बरामद की गई। उसे तत्काल सेवा से निलंबित कर दिया गया और उसी दिन एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई। अगले दिन याची को एक आरोप पत्र प्राप्त हुआ और इसलिए उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां भी आरंभ की गईं। इसके पश्चात्, याची ने अपने अनुशासनिक प्राधिकारियों के समक्ष एक आवेदन दिया जिसमें यह अनुरोध किया गया कि आपराधिक कार्यवाहियों के निष्कर्ष आने तक विभागीय कार्यवाहियों पर रोक लगा दी जाए किंतु उसके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया। इसी बीच वह अपने गृह राज्य केरल लौट आए और अनुशासनिक कार्यवाहियों को स्थगित करने का अनुरोध किया। इस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया गया। याची के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाहियां चलीं जिनमें उसे कदाचार का दोषी पाया गया। तारीख 7 जून, 1986 को याची को सेवा से पदच्युत कर दिया गया। उसके निलंबन की पूरी अवधि के दौरान उसे कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया गया। तारीख 3 फरवरी, 1987 को कैप्टन एम. पाल एंथनी को दांडिक विचारण में इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया

कि अभियोजन पक्ष अपने पक्षकथन को, विशिष्ट रूप से उस पुलिस छापे को, जिस पर पूरा मामला आधारित था, सिद्ध करने में असफल रहा था। याची ने अपनी दोषमुक्ति के तुरंत पश्चात् दांडिक न्यायालय के निर्णय की एक प्रति अपने विभागीय प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की और अपनी बहाली के लिए अनुरोध किया। यह अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया और परिणामस्वरूप याची ने एक विभागीय अपील फाइल की और उसे भी खारिज कर दिया गया। इसके पश्चात् उसने कर्नाटक उच्च न्यायालय में समावेदन किया, जहां न्यायालय द्वारा उसकी रिट याचिका मंजूर की गई और उसकी बहाली का आदेश इस आधार पर दिया गया कि याची को एक दांडिक न्यायालय द्वारा उन्हीं आरोपों पर दोषमुक्त कर दिया गया है और इसलिए उसे अवश्य सेवा में बहाल किया जाना चाहिए। राज्य ने खंड न्यायपीठ के समक्ष एक विशेष अपील फाइल की जिसे मंजूर किया गया और विद्वान् एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त कर दिया गया। याची (कैप्टन एम. पाल एंथनी) ने इसके पश्चात् इस न्यायालय के समक्ष कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ के आदेश को चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय मामले का विनिश्चय करते समय दो बातों से प्रभावित हुआ। पहला स्वीकृत तथ्य यह था कि याची को उसकी निलंबनाधीन अवधि के दौरान कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया गया था और इसलिए जब वह केरल में रह रहा था तब वह कर्नाटक में विभागीय कार्यवाही का सामना करने की स्थिति में नहीं था। दूसरा पहलू यह था कि याची को दो कार्यवाहियों में एक ही प्रकार के तथ्यों के आधार पर आरोपित किया जा रहा था और इसलिए उसने विभागीय प्राधिकारियों से दांडिक मामले का निष्कर्ष आने तक विभागीय कार्यवाहियों पर रोक लगाने का अनुरोध किया था और उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया था। यह पहलू वह सबसे महत्वपूर्ण पहलू प्रतीत होता है जिससे यह न्यायालय प्रभावित हुआ था, क्योंकि इस न्यायालय की यह राय थी कि आरोपों में (दांडिक न्यायालय और विभाग दोनों में) पुलिस द्वारा की गई "छापेमारी" से संबंधित तथ्य और विधि का एक जटिल प्रश्न अंतर्वलित था और इसलिए विभागीय कार्यवाहियों को रोक दिया जाना चाहिए था और उसे दांडिक कार्यवाहियों के परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में उसके

निवास से अभिकथित रूप से 'सोने की स्पंच गैद' और 'सोनायुक्त रेत' बरामद किए गए थे । "छापेमारी और बरामदगी" का यह तथ्य, जो इस मामले का आधार था, नासाबित हुआ था । इन परिस्थितियों में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि याची को बहाल किया जाना चाहिए । इस प्रकार **कैप्टन एम. पाल एंथनी** (उपर्युक्त) वाले मामले का मूल्यांकन उसके विशिष्ट तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए और हमारे विचार में यह मामला सार्वभौमिक अनुप्रयोग की विधि अधिकथित नहीं करता है ।

11. हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां तक **कैप्टन एम. पाल एंथनी** (उपर्युक्त) वाले मामले का संबंध है, हमारे पास बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जिनमें इस न्यायालय ने सतत रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि दोनों कार्यवाहियां अर्थात् दांडिक और विभागीय, पूरी तरह से भिन्न हैं और मात्र इस कारण कि किसी व्यक्ति को किसी दांडिक विचारण में दोषमुक्त कर दिया गया है, इसके परिणामस्वरूप स्वयमेव सेवा में बहाली नहीं हो जाएगी, जबकि उसे विभागीय कार्यवाही में दोषी पाया गया है । हम इनमें से कुछ विनिश्चयों को निर्दिष्ट कर सकते हैं । **भारत संघ** बनाम **सीताराम मिश्रा**<sup>1</sup> वाले मामले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के एक कांस्टेबल को लापरवाह और उपेक्षावान होने के लिए आरोपित किया गया था और इसलिए उसे सेवा से हटा दिया गया था । इस मामले के तथ्य यह थे कि कांस्टेबल से अपनी 9 एम. एम. कार्बाइन बंदूक की मेगजीन को निकालते समय दुर्घटनावश आठ रांड गोलियां चल गईं जिसके परिणामस्वरूप एक कांस्टेबल की मृत्यु हो गई, जो उस समय उसी बैरक में था । कांस्टेबल को अनुशासनिक कार्यवाहियों में कदाचार का दोषी पाया गया और उसे सेवा से पदच्युत कर दिया गया । इसी बीच, कांस्टेबल का एक दांडिक विचारण में भी भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के अधीन अपराध के लिए विचारण किया गया, जहां उसे दोषमुक्त कर दिया गया । इसके पश्चात् उसने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी सेवा से पदच्युति को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका फाइल की । रिट

<sup>1</sup> (2019) 20 एस. सी. सी. 588.



याचिका खारिज कर दी गई किंतु बाद में एक खंड न्यायपीठ के समक्ष अपील करने पर विद्वान् एकल न्यायाधीश के आदेश को अपास्त कर दिया गया और यह आदेश दिया गया कि चूंकि उस समय तक कांस्टेबल को दांडिक न्यायालय में दोषमुक्त कर दिया गया था, इसलिए वह सेवा में बहाल किए जाने का दायी है और चूंकि उस समय तक वह सेवा से सेवानिवृत्त हो चुका था, इसलिए यह निदेश दिया गया कि उसे सेवा में माना जाए और उसे पिछला वेतन और पेंशन दिए जाएं । इस न्यायालय ने भारत संघ द्वारा फाइल की गई अपील का विनिश्चय करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि जिन आधारों पर उच्च न्यायालय ने यह विनिश्चय किया है वे निरर्थक थे और केवल इस कारण कि कर्मचारी को दांडिक न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया था, इसका स्वयमेव यह अर्थ नहीं है कि वह सेवा में बहाल किए जाने का हकदार है, चूंकि उसे अनुशासनिक कार्यवाही का सामना करने के पश्चात् सेवा से पदच्युत किया गया था । इसका कारण यह है कि अनुशासनिक कार्यवाहियां एक भिन्न सबूत के मानक द्वारा शासित होती हैं, जो उससे भिन्न होते हैं, किसी दांडिक कार्यवाही में लागू होते हैं । दांडिक विचारण में आरोप को युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर होता है, जबकि विभागीय कार्यवाही में आरोपों को अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता के आधार पर साबित करना होता है । उपरोक्त मामले में इस न्यायालय द्वारा “दांडिक अपराध” और “कदाचार” के बीच विभेद को भी स्पष्ट किया गया है । इनमें से एक को दांडिक न्यायालय में और दूसरे को विभागीय कार्यवाही में साबित करना होता है, और भले ही दोनों एक ही तरह के तथ्यों से उद्भूत होते हैं, फिर भी दोनों के बीच स्पष्ट विभेद है और केवल इस कारण कि किसी व्यक्ति को दांडिक विचारण में दोषमुक्त कर दिया गया है, यह बात “कदाचार” के उन निष्कर्षों को उलटने की कोटि में नहीं आएगी, जो विभागीय कार्यवाहियों में निकाले गए थे । इस न्यायालय ने यह भी मत व्यक्त किया कि उच्च न्यायालय ने ठीक वैसे ही गलती की है, जो **एम. पाल एंथनी** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए विनिश्चय से ‘गलत निष्कर्ष निकालकर’ की है । इसलिए हमें **सीताराम मिश्रा** (उपर्युक्त) वाले मामले में इस न्यायालय के निर्णय के दो पैराग्राफ को यहां उद्धृत करना

होगा :-

“14. यह तथ्य कि प्रथम प्रत्यर्थी को दांडिक विचारण के दौरान दोषमुक्त कर दिया गया था, कदाचार के उस निष्कर्ष को दूषित करने के आधार के रूप में स्वतः लागू नहीं हो सकता है जो अनुशासनिक कार्यवाहियों के दौरान निकाला गया है। हमारे मत में, उच्च न्यायालय ने एम. पाल एंथनी **बनाम** भारत गोल्ड माइंस लि. [(1999) 3 एस. सी. सी. 679 = 1999 एस. सी. सी. (एल एंड एस) 810] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय से एक गलत निष्कर्ष निकाला है। उच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय में अधिकथित निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लेख किया था (एस. सी. सी. पृ. 687, पैरा 13) –

‘13. .... विभागीय कार्यवाहियों में सबूत का मानक अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता का होता है, जबकि दांडिक मामले में आरोप को अभियोजन पक्ष द्वारा युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करना पड़ता है। मामूली अपवाद वहां हो सकता है जहां विभागीय कार्यवाहियां और दांडिक मामला एक ही तरह के तथ्यों पर आधारित हो और दोनों कार्यवाहियों में किसी फेरफार के बिना साक्ष्य भी समान हो।’

निस्संदेह, यह सही है कि दांडिक विचारण में आरोप एक सह-कर्म की मृत्यु से उद्भूत हुआ था जो उस आयुध से गोली चलने के परिणामस्वरूप हुई थी, जिसे बल के सदस्य के रूप में प्रथम प्रत्यर्थी को सौंपा गया था। किंतु कदाचार का आरोप प्रथम प्रत्यर्थी द्वारा अपने आयुध को संभालने में लापरवाही और किस तरीके से संभाला जाना चाहिए, उसके संबंध में विभागीय अनुदेशों का पालन करने में उसकी विफलता के आधार पर है। परिणामतः, आपराधिक मामले में दोषमुक्ति अनुशासनिक जांच के दौरान अधिरोपित शास्ति को अपास्त करने का आधार नहीं था। अतः अनुशासनिक मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन के प्रयोग को शासित करने वाले मानदंडों को ध्यान में रखते हुए हमारा यह मत है कि उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ का निर्णय [सीताराम मिश्रा **बनाम**

भारत संघ, 2007 एस. सी. सी. ऑनलाइन कलकत्ता 718 = (2008) 1 कलकत्ता लॉ जर्नल 863] संधार्य नहीं है ।”

**अजीत कुमार नाग बनाम महा प्रबंधक (पीजे), इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि.**<sup>1</sup> वाले मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने विधि की स्थिति को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया है :-

“11. .... हमारे मत में, विधि पूरी तरह से सुस्थिर है । किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोषमुक्ति किए जाने से नियोजक नियमों और विनियमों के अनुसार शक्ति का प्रयोग करने से वंचित नहीं हो जाता है । दांडिक और विभागीय दोनों कार्यवाहियां पूरी तरह से भिन्न हैं । वे भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं और उनके भिन्न-भिन्न उद्देश्य हैं । दांडिक विचारण का उद्देश्य अपराधी को समुचित दंड देना है, जबकि जांच कार्यवाहियों का प्रयोजन अपचारी से विभागीय तौर पर निपटना और सेवा नियमों के अनुसार शास्ति अधिरोपित करना है । दांडिक विचारण में कुछ परिस्थितियों में या कतिपय अधिकारियों के समक्ष अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध में आलिप्त करने वाला कथन साक्ष्य में पूरी तरह से अग्राह्य है । साक्ष्य और प्रक्रिया के ऐसे कड़े नियम विभागीय कार्यवाहियों पर लागू नहीं होंगे । सबूत की मात्रा, जो दोषसिद्धि के आदेश के लिए आवश्यक है, वह अपचारिता की दोषसिद्धि अभिलिखित करने के लिए आवश्यक सबूत की मात्रा से भिन्न है । दोनों कार्यवाहियों में साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित नियम भी समान नहीं हैं । दांडिक विधि में, सबूत का भार अभियोजन पक्ष पर है और जब तक अभियोजन पक्ष अभियुक्त की दोषिता को ‘युक्तियुक्त संदेह के परे’ साबित नहीं कर देता है, उसे न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध नहीं किया जा सकता है । दूसरी ओर, विभागीय जांच में अपचारी अधिकारी पर शास्ति ‘अधिसंभाव्यता की प्रबलता’ के आधार पर अभिलिखित निष्कर्ष के आधार पर अधिरोपित की जा सकती है .....।”

12. इस प्रकार, वर्तमान मामले में विद्वान् एकल न्यायाधीश तथा राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड न्यायपीठ ने राजस्थान पुलिस के

<sup>1</sup> (2005) 7 एस. सी. सी. 764.

अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश में हस्तक्षेप करके और **कैप्टन एम. पाल एंथनी** (उपर्युक्त) वाले मामले का अवलंब लेकर पूरी तरह से गलत किया था। अनुशासनिक प्राधिकारी ही इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सक्षम है कि कोई “कदाचार” किया गया है या नहीं। न्यायाधीश के लिए मुख्य सरोकार यह होना चाहिए कि क्या ऐसा निष्कर्ष उचित प्रक्रिया का अनुसरण करके, नैसर्गिक न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करते हुए निकाला गया है या नहीं। इस पहलू को इस न्यायालय के एक हाल ही के निर्णय (**राजस्थान राज्य बनाम हीम सिंह<sup>1</sup>**) में रेखांकित किया गया है। सुसंगत पैरा को इसमें नीचे उद्धृत किया जाता है :-

“39. अनुशासनिक मामलों में न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रयोग करते हुए इस स्पेक्ट्रम के दो छोर होते हैं। प्रथम छोर संयम के नियम का प्रतीक है। दूसरा छोर यह परिभाषित करता है कि हस्तक्षेप कब अनुज्ञेय है। संयम का नियम न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे को सीमित करता है। यह एक विधिमान्य कारण के लिए है। कदाचार किया गया है या नहीं, इसका अवधारण मुख्य रूप से अनुशासनिक प्राधिकारी के अधिकार-क्षेत्र में आता है। न्यायाधीश अनुशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करता है। न ही न्यायाधीश एक नियोजक के रूप में कार्य करता है। अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निकाले गए तथ्य संबंधी निष्कर्ष का आदर किया जाना इस विचार को मान्यता देना है कि यह नियोजक ही है जो उनकी सेवा के कुशल संचालन के लिए उत्तरदायी है। अनुशासनिक जांच में नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन किया जाना चाहिए। किंतु वे साक्ष्य के उन कड़े नियमों द्वारा शासित नहीं होते हैं जो न्यायिक कार्यवाहियों पर लागू होते हैं। अतः सबूत का मानक युक्तियुक्त संदेह के परे सबूत के मानक जितना कठोर मानक नहीं है जो दांडिक विचारण को शासित करता है अपितु एक सिविल मानक है जो अधिसंभाव्यताओं की प्रबलता द्वारा शासित होता है। प्रबलता के नियम के भीतर, संदर्भ और विषय के आधार पर अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। स्पेक्ट्रम का प्रथम छोर सम्मान और स्वायत्तता पर आधारित है - जो एक तथ्यान्वेषण प्राधिकारी

<sup>1</sup> (2020) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 886.

के रूप में अनुशासनिक प्राधिकारी की स्थिति का सम्मान और सेवा में अनुशासन और दक्षता को बनाए रखने में नियोजक की स्वायत्तता का सम्मान है। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर यह सिद्धांत है कि जब जांच के निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित न हों या जब वे अनुचितता से ग्रसित हों, तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप कर सकता है। महत्वपूर्ण साक्ष्य पर विचार करने में विफलता एक ऐसी स्थिति है जिसे विधि द्वारा तथ्य का अनुचित अवधारण समझा जाता है। आनुपातिकता हमारे विधिशास्त्र की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। सेवा विधिशास्त्र ने लंबे समय से इस बात को मान्यता प्रदान की है कि न्यायालय के प्राधिकार को इसमें तब हस्तक्षेप करना चाहिए जब निष्कर्ष या शास्ति साक्ष्य या कदाचार की तुलना में अननुपातिक हो। न्यायिक शिल्प इन दोनों छोरों के किनारों के बीच एक स्थिर संतुलन बनाए रखना है जिसे इस स्पेक्ट्रम के दो छोर कहा जाता है। न्यायाधीश न्यायिक पुनर्विलोकन करते समय केवल मंत्रोच्चार की भांति मौखिक समीक्षाएं नहीं करते हैं। एक प्रारंभिक या शुरुआती स्तर की जांच यह अवधारण करने के लिए की जाती है कि क्या अनुशासनिक जांच में निकाला गया निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित है। यह न्यायालय की अंतश्चेतना का समाधान करने के लिए है कि क्या कदाचार के आरोप का समर्थन करने और अनुचितता से बचने के लिए कोई साक्ष्य है। किंतु यह न्यायालय को अनुशासनिक जांच में साक्ष्य संबंधी निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन करने या ऐसे दृष्टिकोण को प्रतिस्थापित करने की अनुज्ञा नहीं देता है जो न्यायाधीश को अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। ऐसा करने से उस प्रथम सिद्धांत को ठेस पहुंचेगी जिसकी रूपरेखा ऊपर दी गई है। सामान्य बुद्धि का प्रयोग भी अंतिम मार्गदर्शक सिद्ध होता है जिसके बिना न्यायाधीशों द्वारा निर्णय देने का शिल्प व्यर्थ है।”

यह सही है कि कैप्टन एम. पाल एंथनी (उपर्युक्त) वाले मामले के अलावा इस न्यायालय ने कुछ मामलों में ऐसे कर्मचारी की बहाली में हस्तक्षेप नहीं किया, जिसे अनुशासनिक कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया था और केवल दांडिक कार्यवाहियों में उसकी दोषमुक्ति के कारण उसे सेवा में बहाल कर दिया गया था, किंतु ऐसे

मामलों में न्यायालय के लिए वजह यह थी कि लगभग ऐसे सभी मामलों में दोषमुक्ति ससम्मान दोषमुक्ति थी न कि किसी तकनीकी आधार पर या “संदेह के फायदे” के आधार पर की गई दोषमुक्ति थी ।

13. प्रस्तुत मामले में, प्रत्यर्थी को विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया था और अपील में अपील न्यायालय द्वारा उसे केवल “संदेह का फायदा” देते हुए दोषमुक्त किया गया था । अपील प्राधिकारी के तारीख 26 नवंबर, 1994 के आदेश का प्रभावी भाग निम्नलिखित है :-

“अतः पूर्वोक्त विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से प्रत्यर्थी/अभियोजन पक्ष के विरुद्ध वर्तमान अपील मंजूर की जाती है और मुंसिफ और न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर के अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तारीख 21 मार्च, 1994 को पारित निर्णय और दंडादेश को तद्वारा अभिखंडित किया जाता है और उपरोक्त अपीलार्थी/अभियुक्त फूल सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 392 और आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के अधीन आरोप के लिए संदेह का फायदा देते हुए दोषमुक्त किया जाता है ।”

14. अतः प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थी की दोषमुक्ति एक सम्मानजनक दोषमुक्ति नहीं है, अपितु “संदेह का फायदा” देने के कारण की गई दोषमुक्ति है । इन परिस्थितियों में और ऊपर उल्लिखित अनुसार विधि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह अपील मंजूर की जाती है और विद्वान् एकल न्यायाधीश के तारीख 29 जनवरी, 2014 के आदेश और राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर न्यायपीठ की खंड न्यायपीठ के तारीख 9 सितंबर, 2020 के आदेश तद्वारा अपास्त किए जाते हैं ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

[2022] 3 उम. नि. प. 433

शिव कुमार

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

[2022 की दांडिक अपील सं. 1503]

7 सितंबर, 2022

न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 411 – चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना – अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करके उसे अपनी दुकान पर सस्ती दरों पर बेचते हुए पाया जाना – विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना और अपील में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किया जाना – संधार्यता – जहां मामले के अभिलेख से यह दर्शित होता हो कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभियुक्त के कब्जे से अभिगृहीत की गई वस्तुओं का अभिग्रहण ज्ञापन तैयार करने में त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई हो, अभिग्रहण के साक्षियों के परिसाक्ष्य में स्पष्ट विरोधाभास पाए गए हों, अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा हो कि अभियुक्त को इस बात की जानकारी थी कि उसके कब्जे से अभिगृहीत की गई वस्तुएं चुराई हुई वस्तुएं हैं, वहां अभियुक्त द्वारा अपनी दुकान पर ऐसी वस्तुओं को मात्र सस्ती दर पर बेचने से स्वतः यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि उसे जानकारी थी कि वस्तुएं चुराई हुई हैं, अतः धारा 411 के अधीन आरोप को साबित करने के लिए आपराधिक मनःस्थिति का आवश्यक संघटक सिद्ध न होने पर अभियुक्त दोषमुक्ति का हकदार है ।

इस मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता ने नगर निरीक्षक, शहर कोतवाली, सतना को इस इत्तिला के साथ एक लिखित रिपोर्ट दी कि इत्तिलाकर्ता की एक्सेल ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अधीन संचालित घरेलू वस्तुओं से लदा हुआ एक ट्रक सतना में माल का

परिदान करने के लिए इंदौर से रवाना हुआ था । गुरमेल सिंह द्वारा चलाया जा रहा ट्रक तारीख 8 फरवरी, 2003 को परिवहन कार्यालय, इंदौर से चला था, तथापि, तारीख 12 मार्च, 2003 तक सतना में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में असफल रहा । तारीख 14 मार्च, 2003 को इत्तिलाकर्ता ने यह ज्ञात होने पर कि ट्रक गल्ला मंडी, सतना में खड़ा हुआ है, पाया कि लदा हुआ माल ट्रक से गायब था । आरंभ में, भारतीय दंड संहिता की धारा 406 के अधीन अपराध के लिए एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी किंतु पुलिस अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि ट्रक झाड़वर की साधु सिंह उर्फ विजयभान सिंह द्वारा सह-अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र के साथ मिलकर हत्या कर दी गई है । ट्रक में लदे हुए माल को लूट लिया गया था और वे चुराई हुई वस्तुएं वर्तमान अपीलार्थी शिव कुमार और सह-अभियुक्त शत्रुघ्न प्रसाद द्वारा अभिकथित रूप से यह जानते हुए कि वस्तुएं चुराई हुई संपत्ति हैं, बेईमानी से प्राप्त की गई थीं । अभियोजन का यह भी पक्षकथन था कि प्रश्नगत माल को दोनों अभियुक्तों द्वारा बहुत सस्ती दर पर बेचा गया था और उन्हें, तदनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन अपराधों के लिए आरोपित किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्त साधु सिंह को हत्या के अपराध और संबद्ध आरोपों के लिए दोषसिद्ध किया गया । यह भी अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में समर्थ रहा है कि अपीलार्थी शिव कुमार और सह-अभियुक्त शत्रुघ्न प्रसाद ने ट्रक से लूटी गई वस्तुओं को पूरी तरह से यह जानते हुए प्राप्त किया था कि वे चुराई हुई संपत्ति हैं और तद्वारा दोनों अभियुक्तों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया था । विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने यह पाया कि ट्रक से लूटी गई वस्तुएं अपीलार्थी और सह-अभियुक्त शत्रुघ्न प्रसाद के कब्जे से अभिग्रहण ज्ञापन द्वारा अभिगृहीत की गई थीं । दोनों अभियुक्त वस्तुओं को सस्ती दरों पर बेचते हुए पाए गए थे । अतः यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियुक्त इस तथ्य से अभिज्ञ थे कि उनसे अभिगृहीत की गई वस्तुएं चुराई हुई संपत्ति हैं । तदनुसार, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया और अपील में भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन इस दोषसिद्धि की उच्च



न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के माध्यम से अभिपुष्टि की गई । अभियुक्त द्वारा उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – पुलिस थाना, पन्नागढ़ में भरत सिंह ठाकुर (अभि. सा. 22) उप निरीक्षक था जिसे कम कीमत पर वस्त्रों और बर्तनों के बेचे जाने के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी । इस अभि. सा. 22 ने अभिग्रहण ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर साबित करते हुए यह अभिस्वीकृति की थी कि अभियुक्त शिव कुमार का एक बर्तनों का स्टोर है और सबसे प्रासंगिक बात यह है कि “जल्दबाजी के कारण” अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-4) पर मुहर नहीं लगाई गई थी । अभि. सा. 22 के परिसाक्ष्य से यह सुझाव मिलता है कि अभिग्रहण ज्ञापन तैयार करने में एक त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई थी और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके परिसाक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता है कि अपीलार्थी इस बात से अभिज्ञ था कि उसने जो वस्तुएं प्राप्त की हैं उनका ट्रक से चुराए गए माल से कोई संबंध है । इस प्रकार, पुलिस थाना, कोतवाली, सतना में उप निरीक्षक जी. पी. तिवारी ने अभि. सा. 24 के रूप में अपने परिसाक्ष्य में यह अभिस्वीकृति करते हुए कि अपीलार्थी शिव कुमार से अभिगृहीत की गई वस्तुओं के लिए अभिग्रहण प्रक्रिया नहीं अपनाई थी और कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलार्थी इस बात से अभिज्ञ था कि उससे अभिगृहीत माल चुराई हुई संपत्ति हैं । नितिन जैन (अभि. सा. 5), उप निरीक्षक भरत सिंह ठाकुर (अभि. सा. 22) और उप निरीक्षक जी. पी. तिवारी (अभि. सा. 24) के परिसाक्ष्यों में भी विरोधाभास पूरी तरह से स्पष्ट है । उदाहरण के लिए, अभि. सा. 5 के अनुसार, बर्तन उप निरीक्षक जी. पी. तिवारी (अभि. सा. 24) द्वारा नितिन जैन (अभि. सा. 5) की मौजूदगी में अभिगृहीत किए गए थे, तथापि, उप निरीक्षक जी. पी. तिवारी (अभि. सा. 24) ने अपने परिसाक्ष्य में किसी संपत्ति का अभिग्रहण करने की बात से इनकार किया था और इसका कारण अधिकारिता का अभाव होना बताया गया था और यह उल्लेख किया गया था कि “अभिग्रहण पुलिस थाना, पन्नागढ़ द्वारा किया जाना चाहिए न कि पुलिस थाना कोतवाली, सतना के अधिकारी द्वारा” । उपरोक्त के अतिरिक्त, दिलचस्प बात यह

है कि उप निरीक्षक जी. पी. तिवारी (अभि. सा. 24) के परिसाक्ष्य को पुलिस थाना, पन्नागढ़ के उप निरीक्षक भरत सिंह ठाकुर (अभि. सा. 22) द्वारा इस आशय का समर्थन दिया गया है कि अभि. सा. 24 अभिग्रहण प्रक्रिया के दौरान शिव कुमार के मकान पर मौजूद नहीं था। उसने इस बात से भी इनकार किया कि अभि. सा. 24 ने नितिन जैन (अभि. सा. 5) को अभिग्रहण का साक्षी बनने के लिए शिव कुमार के मकान पर बुलाया था। इसके अतिरिक्त, उप निरीक्षक जी. पी. तिवारी (अभि. सा. 24) द्वारा अभिग्रहण जापन लिखे जाने की बात का अभि. सा. 24 द्वारा भी समर्थन नहीं किया गया है। इन सभी विसंगतियों को देखते हुए, अभिग्रहण के साक्ष्य को पूरी तरह से अविश्वसनीय पाया जाता है। इसके अतिरिक्त, एक अभियुक्त के प्रकटन कथन को इस सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी को यह जानकारी थी कि बर्तन चुराया हुआ माल है। अभियोजन पक्ष ऐसे किसी आधार को भी सिद्ध करने में असफल रहा है कि अपीलार्थी को यह विश्वास था कि उससे अभिगृहीत किए गए बर्तन चुराई हुई वस्तुएं थीं। कम कीमत पर बर्तनों को बेचने के तथ्य से स्वतः यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अपीलार्थी को उन वस्तुओं के चुराई गई होने की जानकारी थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन आरोप के लिए आपराधिक मनःस्थिति के आवश्यक संघटक को स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं किया गया है। (पैरा 18, 19, 20, 22 और 23)

### निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

- |        |   |      |
|--------|---|------|
| [2010] | (2010) 10 एस. सी. सी. 374 :<br>शंभू दास उर्फ बिजोए दास और एक अन्य<br>बनाम असम राज्य ;                 | 10.1 |
| [2007] | (2007) 8 एस. सी. सी. 120 :<br>हरियाणा राज्य औद्योगिक विकास निगम<br>बनाम कॉर्प मेन्यूफेक्चरिंग कंपनी ; | 24   |
| [1980] | (1980) सप्ली. एस. सी. सी. 336 :<br>नागप्पा डोंडीबा कलाल बनाम कर्नाटक राज्य ;                          | 10.2 |

- [1964] ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1184 :  
हरिचरण कुर्मी और एक अन्य बनाम बिहार राज्य ; 11
- [1963] ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1572 :  
डा. विमला बनाम दिल्ली प्रशासन ; 14
- [1954] ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 39 :  
त्रिंबक बनाम मध्य प्रदेश राज्य । 21, 25

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2022 की दांडिक अपील सं. 1503.**

2006 की दांडिक अपील सं. 1261 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के तारीख 12 मार्च, 2019 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

- अपीलार्थी की ओर से** सर्वश्री लव कुमार अग्रवाल, (सुश्री) ज्योति मिश्रा, (सुश्री) उषा गर्ग, राजेन्द्र प्रसाद और शिव कुमार वत्स
- प्रत्यर्थी की ओर से** सर्वश्री जाँयदीप राय, अपर महाधिवक्ता, गोपाल झा, (सुश्री) भारती त्यागी और उमेश कुमार यादव

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय ने दिया ।

**न्या. राय** – इजाजत दी गई ।

2. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री लव कुमार अग्रवाल को सुना । प्रत्यर्थी-मध्य प्रदेश राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री गोपाल झा को भी सुना ।

3. इस अपील में 2006 की दांडिक अपील सं. 1261 में तारीख 12 मार्च, 2019 के निर्णय को चुनौती दी गई है जिसके अधीन विचारण न्यायालय द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में “भारतीय दंड संहिता”) की धारा 411 के अधीन की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय द्वारा कायम रखा गया था । ऐसी दोषसिद्धि के लिए अपीलार्थी को दो वर्ष के कठोर कारावास और 1,000/- रुपए के जुर्माने

तथा जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर तीन माह के अतिरिक्त कठोर कारावास का दंडादेश दिया गया था ।

4. इस अपील में आरंभ में तारीख 4 अक्टूबर, 2019 को केवल दंडादेश की मात्रा पर सीमित सूचना जारी की गई थी किंतु तारीख 9 मई, 2022 को अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसिल की दलील पर विचार करने के पश्चात् इस न्यायालय ने स्वयं दोषसिद्धि की चुनौती की परीक्षा करने का विनिश्चय किया । पूर्व में, अपीलार्थी को तारीख 6 सितंबर, 2019 के न्यायालय के आदेश द्वारा अभ्यर्पण करने से छूट दी गई थी ।

5. उच्च न्यायालय ने सामान्य निर्णय में तीन अपीलों का निपटारा किया था जिसमें साधु सिंह उर्फ विजयभान सिंह पटेल नामक व्यक्ति द्वारा फाइल की गई अपील भी सम्मिलित थी जिसे हत्या और अन्य अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया गया था और अन्य कारावास के साथ-साथ आजीवन कारावास के लिए दंडादिष्ट किया गया था । अपीलार्थी और शत्रुघ्न प्रसाद नामक व्यक्ति को हत्या के मामले में आरोपित नहीं किया गया था किंतु चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के अपराध के लिए आरोपित किए गए थे और भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किए गए थे ।

6. अभियोजन का पक्षकथन, जैसा कि आक्षेपित निर्णय से प्रकट होता है, यह है कि तारीख 14 फरवरी, 2003 को शिकायतकर्ता अभय कुमार जैन (अभि. सा. 26) ने नगर निरीक्षक, शहर कोतवाली, सतना को इस इत्तिला के साथ एक लिखित रिपोर्ट दी कि इत्तिलाकर्ता की एक्सेल ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अधीन संचालित घरेलू वस्तुओं से लदा हुआ एक ट्रक सतना में माल का परिदान करने के लिए इंदौर से रवाना हुआ था । गुरमेल सिंह द्वारा चलाया जा रहा ट्रक तारीख 8 फरवरी, 2003 को परिवहन कार्यालय, इंदौर से चला था, तथापि, तारीख 12 मार्च, 2003 तक सतना में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में असफल रहा । तारीख 14 मार्च, 2003 को इत्तिलाकर्ता ने यह ज्ञात होने पर कि ट्रक गल्ला मंडी, सतना में खड़ा हुआ है, पाया कि लदा हुआ माल ट्रक से गायब था । आरंभ में, 2003 के अपराध सं. 183 में भारतीय दंड

संहिता की धारा 406 के अधीन अपराध के लिए एक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी किंतु पुलिस अन्वेषण के दौरान यह पता चला कि ट्रक ड्राइवर की साधु सिंह उर्फ विजयभान सिंह द्वारा सह-अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र के साथ मिलकर हत्या कर दी गई है। ट्रक में लदे हुए माल को लूट लिया गया था और वे चुराई हुई वस्तुएं वर्तमान अपीलार्थी शिव कुमार और सह-अभियुक्त शत्रुघ्न प्रसाद द्वारा अभिकथित रूप से यह जानते हुए कि वस्तुएं चुराई हुई संपत्ति हैं, बेईमानी से प्राप्त की गई थीं। अभियोजन का यह भी पक्षकथन है कि प्रश्नगत माल को दोनों अभियुक्तों द्वारा बहुत सस्ती दर पर बेचा गया था और उन्हें, तदनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन अपराधों के लिए आरोपित किया गया था।

7. विचारण न्यायालय ने सह-अभियुक्त साधु सिंह को हत्या के अपराध और संबद्ध आरोपों के लिए दोषसिद्ध किया। यह भी अभिनिर्धारित किया कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में समर्थ रहा है कि अपीलार्थी शिव कुमार और सह-अभियुक्त शत्रुघ्न प्रसाद ने ट्रक से लूटी गई वस्तुओं को पूरी तरह से यह जानते हुए प्राप्त किया था कि वे चुराई हुई संपत्ति हैं और तद्वारा दोनों अभियुक्तों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया था।

8. विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने यह पाया कि ट्रक से लूटी गई वस्तुएं अपीलार्थी और सह-अभियुक्त शत्रुघ्न प्रसाद के कब्जे से अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-4 और प्रदर्श पी-5) द्वारा अभिगृहीत की गई थीं। दोनों अभियुक्त वस्तुओं को सस्ती दरों पर बेचते हुए पाए गए थे। अतः यह निष्कर्ष निकाला गया कि अभियुक्त इस तथ्य से अभिज्ञ थे कि उनसे अभिगृहीत की गई वस्तुएं चुराई हुई संपत्ति हैं। तदनुसार, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को दोषसिद्ध किया गया और अपील में भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन इस दोषसिद्धि की उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय के माध्यम से अभिपुष्टि की गई।

**काउंसेलों की दलीलें :**

9. अपीलार्थी के विरुद्ध दोषिता के निर्णय की वैधता को चुनौती देते

हुए विद्वान् काउंसेल श्री लव कुमार अग्रवाल ने यह दलील दी कि भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के आवश्यक संघटकों को कतई सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि अभियोजन पक्ष यह दर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा था कि अभियुक्त को यह जानकारी थी कि अभिगृहीत वस्तुएं लूटे गए ट्रक से चुराई गई थीं । अतः यह दलील दी गई कि जब तक अभियुक्तों को उनके द्वारा बेची गई वस्तुओं की प्रकृति की जानकारी होना सिद्ध नहीं किया जाता है, भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन उसकी दोषसिद्धि को विधि में संधार्य नहीं रखा जा सकता है ।

10.1 दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री गोपाल झा ने निचले न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन किया । उनके अनुसार, अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री और साक्ष्य हैं जिनसे युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्त की दोषिता सिद्ध होती है । राज्य की ओर से काउंसेल ने **शंभू दास उर्फ बिजोए दास और एक अन्य बनाम असम राज्य<sup>1</sup>** वाले मामले का भी आक्षेपित दोषसिद्धि को संधार्य रखने के लिए अवलंब लिया, जिसमें न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू ने अनुच्छेद 136 के अधीन शक्ति का अवलंब लेते हुए निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :-

“16. यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को पुनः नहीं खोलेगा जब तथ्य विषयक समवर्ती निष्कर्ष हों और विधि का कोई प्रश्न अंतर्वलित न हो तथा निष्कर्ष अनुचित न हो । संविधान का अनुच्छेद 136 किसी पक्षकार को अपील का अधिकार प्रदत्त नहीं करता है । यह केवल उच्चतम न्यायालय को वहां उपयुक्त मामलों में यदा-कदा हस्तक्षेप किए जाने की वैवेकिक शक्ति प्रदत्त करता है जहां अवैधता या मिथ्या बोध या साक्ष्य का पठन करने में गलती या तात्त्विक साक्ष्य की अनदेखी करने, अपवर्जित करने या अवैध रूप से ग्रहण करने के परिणामस्वरूप

<sup>1</sup> (2010) 10 एस. सी. सी. 374.

न्याय की गंभीर हानि हुई है।”

10.2 राज्य की ओर से काउंसिल द्वारा यह बताया गया कि संपत्ति तारीख 10 फरवरी, 2003 से तब तक अपीलार्थी के कब्जे में थी जब वे अन्य अभियुक्तों राजू उर्फ राजेन्द्र और साधु उर्फ विजयभान सिंह के प्रकटन कथनों के आधार पर तारीख 27 जून, 2003 को बरामद की गई थी। चूंकि वस्तुएं सस्ती दरों पर बेची जा रही थीं, इससे यह तर्कसंगत निष्कर्ष निकलता है कि अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन संघटकों का समाधान हो जाता है। श्री झा ने अपनी दलील के समर्थन में **नागप्पा डोंडीबा कलाल बनाम कर्नाटक राज्य<sup>1</sup>** वाले मामले का अवलंब लिया, जिसमें न्यायमूर्ति एस. मुर्तजा फजल अली ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया था :-

“3. .... प्रारंभ में, चूंकि आभूषण चुराई हुई संपत्ति होना साबित किया गया है, जिसे अपीलार्थी द्वारा यह जानते हुए प्राप्त किया गया था कि वे चुराई हुई संपत्ति हैं। इस प्रकार अभियुक्त को साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अधीन उपधारणा के आधार पर और संपत्ति चुराई हुई है यह जानते हुए इसके प्राप्तकर्ता के रूप में भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता है।”

**विश्लेषण और निष्कर्ष :**

11. **हरिचरण कुर्मी और एक अन्य बनाम बिहार राज्य<sup>2</sup>** वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रकटन कथन को शासित करने वाली विधि की चर्चा की गई थी। यह मत व्यक्त किया गया था :-

“12. .... । ऐसे किसी दांडिक मामले पर विचार करते समय जहां अभियोजन पक्ष एक अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति का अवलंब दूसरे अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध लेता है, वहां अपनाया जाने वाला उचित दृष्टिकोण यह है कि ऐसे अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अन्य साक्ष्य पर विचार करना चाहिए और यदि

<sup>1</sup> (1980) सप्ली. एस. सी. सी. 336.

<sup>2</sup> ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 1184.

उक्त साक्ष्य समाधानप्रद प्रतीत होता है और न्यायालय यह अभिनिर्धारित करने के लिए तैयार है कि उक्त साक्ष्य से उक्त अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध विरचित आरोप को कायम रखा जा सकता है तो, न्यायालय स्वयं को यह आश्वस्त करने की दृष्टि से संस्वीकृति पर विचार कर सकता है कि जो निष्कर्ष वह अन्य साक्ष्य से वह निकालने के लिए तैयार है, वह ठीक है .....।”

12. इस मामले में, यद्यपि मर्दों की बरामदगी की गई थी, तो भी अभियोजन पक्ष को अपीलार्थी को यह जानकारी होने के आवश्यक संघटक को भी अवश्य सिद्ध करना चाहिए था कि ऐसा माल चुराई हुई संपत्ति है । अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र और साधु उर्फ विजयभान सिंह के प्रकटन कथन का एकमात्र अवलंब भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन दोषसिद्धि के लिए अन्यथा सटीक नहीं होगा ।

13. भारतीय दंड संहिता की धारा 411 निम्नलिखित प्रकार से है :-

“411. चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करना – जो कोई किसी चुराई हुई संपत्ति को यह जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, बेईमानी से प्राप्त करेगा या रखेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा ।”

ऊपर उद्धृत शास्तिक धारा को चार खंडों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात् – जो कोई, (i) बेईमानी से ; (ii) किसी चुराई हुई संपत्ति को प्राप्त करेगा या रखेगा ; (iii) यह जानते हुए ; या (iv) विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह चुराई हुई संपत्ति है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।

14. “बेईमानी से” को भारतीय दंड संहिता की धारा 24 में इस प्रकार परिभाषित किया गया है, “जो कोई इस आशय से कोई कार्य करता है कि एक व्यक्ति को सदोष अभिलाभ कारित करे या अन्य



व्यक्ति को सदोष हानि कारित करे, वह उस कार्य को “बेईमानी से” करता है, यह कहा जाता है।” किसी अपराध के लिए मुख्य संघटक, वास्तव में, आपराधिक मनःस्थिति है। **डा. विमला बनाम दिल्ली प्रशासन**<sup>1</sup> वाले मामले में निम्नलिखित पैरा में न्यायमूर्ति के. सुब्बा राव द्वारा इस बात को अच्छी तरह स्पष्ट किया गया था :-

“9क. कोटमराजू वेंकटराजू बनाम एम्परर [(1905) आई. एल. आर. 28 मद्रास 90, 96, 97] वाले मामले में मद्रास उच्च न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ को एक ऐसे व्यक्ति के मामले पर विचार करना था जिसने मद्रास विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा में एक प्राइवेट अभ्यर्थी के रूप में दाखिला अभिप्राप्त करने के लिए एक मान्यताप्राप्त उच्च विद्यालय के मुख्याध्यापक द्वारा तात्पर्यित रूप से हस्ताक्षरित यह प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया था कि उसका सद् चरित्र है और उसकी आयु 20 वर्ष है। उस मामले में यह पाया गया था कि अभ्यर्थी ने मुख्याध्यापक के हस्ताक्षर को गढ़ा था। न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त कूटरचना करने का दोषी था। मुख्य न्यायमूर्ति व्हाइट ने यह मत व्यक्त किया :-

‘कपट-वंचित करने के आशय से, वास्तव में, प्रवंचना करने से कुछ अधिक अभिप्रेत है।’ उन्होंने निम्नलिखित उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट किया :

‘**क ख** से एक झूठ बोलता है और **ख** उस पर विश्वास कर लेता है। **ख** से प्रवंचना की जाती है किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि **क** का आशय **ख** को कपट-वंचित करना था। किंतु, जैसा कि मुझे प्रतीत होता है, यदि **क** इस आशय से **ख** से झूठ बोलता कि **ख** को कुछ वैसा करना चाहिए जिससे **क** को अपना स्वयं का फायदा या लाभ होना है, और यदि वह कार्य किया जाता है तो

<sup>1</sup> ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1572.

उससे ख को हानि होगी या उसका अहित होगा, तो क का आशय ख को कपट-वंचित करने का है ।’

विद्वान् मुख्य न्यायमूर्ति ने अपनी विचारधारा को निम्नलिखित मताभिव्यक्तियों द्वारा उपदर्शित किया, जिसका अब उठाए गए प्रश्न से कुछ सरोकार है –

‘तथापि, मैं इस संबंध में यह मत व्यक्त कर सकता हूँ कि संहिता की धारा 24 द्वारा व्यक्ति बेईमानी से कोई कार्य करता है और जो इसे सदोष लाभ या सदोष हानि कारित करने के आशय से करता है । यह आवश्यक नहीं है कि आशय इन दोनों को कारित करने का होना चाहिए । इस परिभाषा की समरूपता के आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रवंचना करके एक ओर, या तो कोई फायदा या लाभ प्राप्त करने का आशय हो, या दूसरी ओर, हानि या अहित कारित करने का आशय हो, वह कपट-वंचित करने का आशय होता है ।’

किंतु उन्होंने उस मामले में पाया कि दोनों अवयव मौजूद थे । न्यायमूर्ति बैसन ने पृष्ठ 114 पर यह उल्लेख किया –

‘मेरी यह राय है कि वह कृत्य मात्र उस लाभ के कारण कपटपूर्ण नहीं था जो अभियुक्त अपनी प्रवंचना के माध्यम से स्वयं के लिए प्राप्त करने का आशय रखता था अपितु उस क्षति के कारण भी कपटपूर्ण था जो विश्वविद्यालय को इसके परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से पहुंचना लाजिमी था और इसके माध्यम से जनता को पहुंचती यदि इसे नियंत्रित नहीं किया जाता । विश्वविद्यालय को क्षति पहुंचती है यदि इसकी उप विधियों का अपवंचन करके यह घोषणा करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि कतिपय व्यक्तियों ने मैट्रिकुलेशन के लिए विहित शर्तों

को पूरा किया है और मैट्रिकुलेशन के फायदे के हकदार हैं, जबकि वास्तव में उन्होंने उन शर्तों को पूरा नहीं किया है क्योंकि उसकी परीक्षाओं का महत्व जनता की दृष्टि में कम हो जाता है यदि यह पाया जाता है कि विश्वविद्यालय का प्रमाणपत्र जिसे उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण करके प्राप्त किया है, इस बात की गारंटी नहीं है कि उन्होंने उन शर्तों को वास्तव में पूरा किया है जिनके आधार पर ही विश्वविद्यालय उन्हें उत्तीर्ण का सत्यापन करने और मैट्रिकुलेशन के फायदे के लिए स्वीकार करने की घोषणा करता है ।’

न्यायमूर्ति बोडम ने विद्वान् मुख्य न्यायमूर्ति और न्यायमूर्ति बैसन से सहमति व्यक्त की । यह विनिश्चय स्टीफन द्वारा अधिकथित इस सिद्धांत को स्वीकार करता है अर्थात् कपट-वंचना करने का आशय दो अवयवों से बनता है, पहला है प्रवंचना करने का आशय और दूसरा है किसी व्यक्ति को या तो वास्तव में क्षति कारित करने का आशय रखना या संभाव्य क्षति पहुंचने का जोखिम ; किंतु विद्वान् न्यायाधीश संहिता की धारा 24 में ‘बेईमानी से’ की परिभाषा की समरूपता के आधार पर यह अभिनिर्धारित करने के लिए भी तैयार थे कि प्रवंचना करने वाले को फायदा या लाभ प्राप्त करने का आशय होने से दूसरी शर्त का समाधान हो जाता है ।”

15. यह सिद्ध करने के लिए कि कोई व्यक्ति चुराई हुई संपत्ति का व्योहार कर रहा है, उस व्यक्ति के “विश्वास” के कारक का प्रमुख महत्व है । सफल अभियोजन के लिए, यह सिद्ध करना पर्याप्त नहीं है कि अभियुक्त या तो लापरवाह था या उसके पास यह विचार करने का कारण था कि संपत्ति चुराई हुई है, या वह उसके द्वारा उपाप्त माल की प्रकृति को समझने के लिए पर्याप्त जांच-पड़ताल करने में असफल रहा

था । हो सकता है प्रश्नगत माल का आरंभिक कब्जा अवैध न हो किंतु उस माल को इस जानकारी के साथ प्रतिधारित करना कि यह चुराई हुई संपत्ति है, इसे आपराधिक बना देता है ।

16. उपरोक्त पहलू के आधार पर, राज्य की ओर से श्री गोपाल झा ने विशिष्ट रूप से अभिग्रहण जापन के साथ-साथ अभि. सा. 5, अभि. सा. 22 और अभि. सा. 24 के साक्ष्य को भी यह दलील देने के लिए निर्दिष्ट किया कि उनके साक्ष्य से सिद्ध होता है कि अपीलार्थी इस बात से अभिज्ञ था कि वह चुराए हुए माल का व्यौहार कर रहा है । इस आधार पर महत्वपूर्ण रूप से यह देखा जा सकता है कि 2003 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 407 (तारीख 25 जून, 2003) में ट्रक सं. एमपी 09/डी0559 में लदे माल (बर्तनों, वस्त्रों, होजरी का माल और विद्युत के माल) का कुल मूल्य 12,50,000/- रुपए दर्शाया गया है । तथापि, अभिग्रहण जापन (तारीख 27 जून, 2003) में अपीलार्थी के कब्जे से अभिकथित रूप से अभिगृहीत वस्तुओं (स्टील की वस्तुएं, टॉर्च, एल्यूमिनियम बॉक्स) का मूल्य केवल 20,000/- रुपए दर्शाया गया है । पृथक् और अतुलनीय आंकड़ों पर विचार करते हुए, इन मूल्यों का भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन दोषिता का समर्थन करने के लिए युक्तियुक्त रूप से अंतःसंयोजन नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, अपीलार्थी प्रायिक अनुक्रम में अपनी दुकान में बर्तन बेचता है और उससे अभिगृहीत की गई ऐसी घरेलू वस्तुएं उसके कब्जे में होने के बारे में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है ।

17. राज्य की ओर से विद्वान् काउंसिल ने आगे यह उल्लेख किया कि अभियुक्त शिव कुमार की स्टील के बर्तनों की दुकान है और ट्रक से चुराई गई कुछ वस्तुएं उसकी दुकान में बेची गई थीं । इस पर नितिन जैन (अभि. सा. 5) का परिसाक्ष्य सुसंगत हो जाता है । तथापि, अभि. सा. 5 ने यह कथन किया था कि अपीलार्थी की दुकान में एक विशिष्ट चिह्न के बर्तन नहीं बेचे जाते हैं । महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे ट्रक में ले जाए जा रहे बर्तनों का विशेष चिह्न याद नहीं था । अभि. सा. 5 के

अनुसार, उसे याद नहीं है कि क्या अभिगृहीत माल का ब्यौरा अपीलार्थी के मकान में नोट किया गया था या इसे बाद में तैयार किया गया था। उसके परिसाक्ष्य में यह भी उल्लेख है कि वह उप निरीक्षक जी. पी. तिवारी (अभि. सा. 24) से अन्य अभियुक्त शत्रुघ्न प्रसाद की दुकान पर मिला था और शत्रुघ्न प्रसाद को गिरफ्तार करने के पश्चात् ही पुलिस ने वर्तमान अपीलार्थी शिव कुमार को गिरफ्तार किया था। अभि. सा. 5 के साक्ष्य से कतई यह सिद्ध नहीं होता है कि अपीलार्थी शिव कुमार को यह भान था कि उसकी दुकान से अभिगृहीत किया गया माल चुराई हुई वस्तुएं थीं।

18. इसके अतिरिक्त, पुलिस थाना, पन्नागढ़ में भरत सिंह ठाकुर (अभि. सा. 22) उप निरीक्षक था जिसे कम कीमत पर वस्त्रों और बर्तनों के बेचे जाने के बारे में सूचना प्राप्त हुई थी। इस अभि. सा. 22 ने अभिग्रहण ज्ञापन पर अपने हस्ताक्षर साबित करते हुए यह अभिस्वीकृति की थी कि अभियुक्त शिव कुमार का एक बर्तनों का स्टोर है और सबसे प्रासंगिक बात यह है कि "जल्दबाजी के कारण" अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-4) पर मुहर नहीं लगाई गई थी। अभि. सा. 22 के परिसाक्ष्य से यह सुझाव मिलता है कि अभिग्रहण ज्ञापन तैयार करने में एक त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई थी और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके परिसाक्ष्य से यह दर्शित नहीं होता है कि अपीलार्थी इस बात से अभिज्ञ था कि उसने जो वस्तुएं प्राप्त की हैं उनका ट्रक से चुराए गए माल से कोई संबंध है।

19. इस प्रकार, पुलिस थाना, कोतवाली, सतना में उप निरीक्षक जी. पी. तिवारी ने अभि. सा. 24 के रूप में अपने परिसाक्ष्य में यह अभिस्वीकृति करते हुए कि अपीलार्थी शिव कुमार से अभिगृहीत की गई वस्तुओं के लिए अभिग्रहण प्रक्रिया नहीं अपनाई थी और कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि अपीलार्थी इस बात से अभिज्ञ था कि उससे अभिगृहीत माल चुराई हुई संपत्ति हैं।

20. नितिन जैन (अभि. सा. 5), उप निरीक्षक भरत सिंह ठाकुर

(अभि. सा. 22) और उप निरीक्षक जी. पी. तिवारी (अभि. सा. 24) के परिसाक्ष्यों में भी विरोधाभास पूरी तरह से स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, अभि. सा. 5 के अनुसार, बर्तन उप निरीक्षक जी. पी. तिवारी (अभि. सा. 24) द्वारा नितिन जैन (अभि. सा. 5) की मौजूदगी में अभिगृहीत किए गए थे, तथापि, उप निरीक्षक जी. पी. तिवारी (अभि. सा. 24) ने अपने परिसाक्ष्य में किसी संपत्ति का अभिग्रहण करने की बात से इनकार किया था और इसका कारण अधिकारिता का अभाव होना बताया गया था और यह उल्लेख किया गया था कि “अभिग्रहण पुलिस थाना, पन्नागढ़ द्वारा किया जाना चाहिए न कि पुलिस थाना कोतवाली, सतना के अधिकारी द्वारा”। उपरोक्त के अतिरिक्त, दिलचस्प बात यह है कि उप निरीक्षक जी. पी. तिवारी (अभि. सा. 24) के परिसाक्ष्य को पुलिस थाना, पन्नागढ़ के उप निरीक्षक भरत सिंह ठाकुर (अभि. सा. 22) द्वारा इस आशय का समर्थन दिया गया है कि अभि. सा. 24 अभिग्रहण प्रक्रिया के दौरान शिव कुमार के मकान पर मौजूद नहीं था। उसने इस बात से भी इनकार किया कि अभि. सा. 24 ने नितिन जैन (अभि. सा. 5) को अभिग्रहण का साक्षी बनने के लिए शिव कुमार के मकान पर बुलाया था। इसके अतिरिक्त, उप निरीक्षक जी. पी. तिवारी (अभि. सा. 24) द्वारा अभिग्रहण ज्ञापन लिखे जाने की बात का अभि. सा. 24 द्वारा भी समर्थन नहीं किया गया है। इन सभी विसंगतियों को देखते हुए, अभिग्रहण के साक्ष्य को पूरी तरह से अविश्वसनीय पाया जाता है।

21. **त्रिंबक बनाम मध्य प्रदेश राज्य**<sup>1</sup> वाले मामले में इस न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन दोषसिद्धि के लिए आवश्यक संघटकों पर चर्चा की थी। न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन ने अपनी पांडित्यपूर्ण राय में ठीक ही यह मत व्यक्त किया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन दोषिता को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को अवश्य सिद्ध करना चाहिए कि, :-

“5. (1) चुराई हुई संपत्ति अभियुक्त के कब्जे में थी, (2)

<sup>1</sup> ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 39.

अभियुक्त के कब्जे में संपत्ति आने से पूर्व वह अभियुक्त की बजाय किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में थी, और (3) अभियुक्त को यह जानकारी थी कि संपत्ति चुराई हुई संपत्ति है .....।”

22. जब हम यथा प्रतिपादित विधिक प्रतिपादना को वर्तमान परिस्थितियों में लागू करते हैं, तो अपरिहार्य निष्कर्ष यह निकलता है कि अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि अपीलार्थी को यह जानकारी थी कि उसके कब्जे से अभिगृहीत की गई वस्तुएं चुराया हुआ माल है । अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन आरोप को सिद्ध करने के लिए उसके विरुद्ध इस आवश्यक अवयव को सिद्ध नहीं किया गया था ।

23. इसके अतिरिक्त, एक अभियुक्त के प्रकटन कथन को इस सबूत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि अपीलार्थी को यह जानकारी थी कि बर्तन चुराया हुआ माल है । अभियोजन पक्ष ऐसे किसी आधार को भी सिद्ध करने में असफल रहा है कि अपीलार्थी को यह विश्वास था कि उससे अभिगृहीत किए गए बर्तन चुराई हुई वस्तुएं थीं । कम कीमत पर बर्तनों को बेचने के तथ्य से स्वतः यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अपीलार्थी को उन वस्तुओं के चुराई गई होने की जानकारी थी । भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन आरोप के लिए आपराधिक मनःस्थिति के आवश्यक संघटक को स्पष्ट रूप से सिद्ध नहीं किया गया है । इस पहलू पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्य को मर्चेंट ऑफ वेनिस में गेशियानो के चरित्र की तरह “निरर्थक बात करते रहना” (विलियम शेक्सपियर, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ऐक्ट 1, दृश्य 1) कहना उचित होगा ।

24. इस प्रकार के मामले में, जहां मूलभूत साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और विधि का झुकाव, समवर्ती निष्कर्ष होते हुए, अपीलार्थी के पक्ष में है, इस न्यायालय को सुधारात्मक अधिकारिता का प्रयोग करना चाहिए जैसा कि परिस्थितियों में न्यायोचित हो । इसलिए हरियाणा राज्य औद्योगिक

**विकास निगम बनाम कॉर्प मेन्यूफेक्चरिंग कंपनी<sup>1</sup>** वाले मामले का अनुसरण करते हुए अपीलार्थी के साथ न्याय करने के लिए अनुच्छेद 136 के अधीन असाधारण अधिकारिता के प्रयोग को उचित पाया गया है, जिसे अपराध में उसकी आपराधिक मनःस्थिति को सिद्ध करने के लिए अपेक्षित साक्ष्य के बिना दोषी ठहराया गया था ।

25. इन परिस्थितियों में, जहां यह सिद्ध नहीं किया गया है कि अपीलार्थी ने चुराई हुई संपत्ति को बेईमानी से इस ज्ञान और विश्वास के साथ प्राप्त किया था कि उसके कब्जे में पाया गया माल चुराया हुआ है, अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन दोषसिद्धि को, हमारे मत में, कायम नहीं रखा जा सकता है । इसलिए **त्रिंबक** (उपर्युक्त) वाले मामले में की कसौटी को लागू करते हुए अवश्य यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि अपीलार्थी को गलत रूप से दोषसिद्ध किया गया था । अतः हम अपीलार्थी की दोषमुक्ति का आदेश देते हैं । यह अपील इस आदेश के साथ मंजूर की जाती है ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

---

<sup>1</sup> (2007) 8 एस. सी. सी. 120.



[2022] 3 उम. नि. प. 451

राजू उर्फ राजेन्द्र प्रसाद

बनाम

राजस्थान राज्य

[2022 की दांडिक अपील सं. 1559]

और

श्रीमती सुमन देवी

बनाम

राजस्थान राज्य

[2022 की दांडिक अपील सं. 1560]

19 सितंबर, 2022

न्यायमूर्ति एम. आर. शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302/34 – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – दोषसिद्धि – अपीलार्थी-अभियुक्तों (मृतक की पत्नी और सह-अभियुक्त) के बीच अभिकथित रूप से अयुक्त संबंध होना – पति-पत्नी के बीच विवाद के कारण पत्नी द्वारा अपने मायके चला जाना – मृतक द्वारा उसे और बालकों को वापस लाने के लिए ससुराल जाना – मृतक का शव अगले दिन पेड़ से लटके हुए पाया जाना – कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न होना – अपीलार्थी-अभियुक्तों को मृतक की हत्या कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया जाना – संधार्यता – जहां अभिकथित अपराध में अभियुक्तों की अंतर्ग्रस्तता को उपदर्शित करते हुए कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य न हो, अभियुक्तों को अंतिम बार मृतक के साथ देखे जाने का भी कोई साक्ष्य न हो, अभियोजन पक्ष अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने और घटनाओं की ऐसी पूर्ण श्रृंखला को सिद्ध करने में असफल रहा हो जिससे यह निष्कर्ष निकलता हो कि केवल अभियुक्तों ने ही मृतक की हत्या की थी, वहां निचले न्यायालयों द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और अभियुक्तों को दोषमुक्त करना उचित होगा ।

इस अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि मूल शिकायतकर्ता-मृतक के भाई द्वारा अपने भाई की हत्या करने के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध एक शिकायत/प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । शिकायत/प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि उसके भाई का विवाह उसकी (शिकायतकर्ता) साली सुमन देवी के साथ हुआ था । उसके भाई और उसकी पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव था । यह अभिकथन किया गया था कि अभियुक्त सुमन देवी के सह-अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र प्रसाद के साथ अयुक्त संबंध थे । अभियुक्त सुमन देवी विवाद और मनमुटाव के कारण अपने माता-पिता के घर रहने लगी थी । उसका भाई-मृतक अपनी पत्नी और बालकों को वापस लाने के लिए ससुराल गया था । तथापि, अगले दिन सवेरे उसे पता चला कि उसके भाई ने आत्महत्या कर ली है और उसका शव एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया था । यह अभिकथन किया गया था कि उसके भाई की हत्या सुमन देवी, ससुर मोती राम, सास लखपति देवी, साले विक्रम और राजू उर्फ राजेन्द्र प्रसाद द्वारा आपस में षड्यंत्र करके की गई थी । उसके पश्चात्, अन्वेषण पूर्ण होने पर अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । अपीलार्थी-अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 या अनुकल्पतः भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया । अपीलार्थी-अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा उनका पूर्वोक्त अपराध के लिए विचारण किया गया । विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् और मृतक की पुत्री शिवानी (अभि. सा. 6) और अभियुक्त सुमन देवी तथा सुमन देवी की बहिन सुनीता (अभि. सा. 7) के अभिसाक्ष्यों का अवलंब लेकर अपीलार्थी-अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें फाइल कीं । उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपीलें खारिज कर दी गईं और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और

आदेश की पुष्टि की गई। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलों को खारिज करते हुए और दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हुए पारित किए गए निर्णय और आदेश से व्यथित होकर मूल अभियुक्तों द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – यह मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है। ऐसा कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है जिसके द्वारा यह कहा जा सके कि अपीलार्थियों ने मृतक को जान से मारा था या उसकी हत्या की थी। अपराध में अपीलार्थियों की अंतर्ग्रस्तता को इंगित करते हुए अभिलिखित किया गया कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है और जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, अभियोजन का पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है, पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में परिस्थितियों पर संचयी रूप से विचार करते हुए एक इतनी पूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए कि यही निष्कर्ष निकलता हो कि सभी मानवीय अधिसंभाव्यता में अपराध अभियुक्त द्वारा कारित किया गया था, किसी और के द्वारा नहीं और दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य अवश्य पूर्ण होना चाहिए और अभियुक्त की दोषिता के सिवाय किसी अन्य परिकल्पना का पोषक नहीं होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त की दोषिता के संगत होना चाहिए अपितु उसकी निर्दोषिता के असंगत भी होना चाहिए। इन परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष दोषिता और घटनाओं की ऐसी पूर्ण श्रृंखला को साबित करने में असफल रहा है जिससे केवल यह निष्कर्ष निकलता हो कि अपीलार्थी-अभियुक्तों ने ही मृतक की हत्या कारित की थी और/या उसको जान से मारा था। इन परिस्थितियों में और पारिस्थितिक साक्ष्य पर विनिश्चयों में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित की गई विधि को लागू करते हुए इस न्यायालय की यह राय है कि विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्तों को ऐसे पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करके एक बहुत ही गंभीर गलती की है। अपीलार्थी-अभियुक्तों की भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए

दोषसिद्धि संधार्य नहीं है । (पैरा 7.1, 7.6 और 7.7)

### निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2020]	(2020) 3 एस. सी. सी. 747 : मोहम्मद यूनुस अली तरफदार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य ;	4.3 7.4
[2020]	(2020) 10 एस. सी. सी. 166 : अनवर अली और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ;	4.3, 7.4
[2010]	(2010) 9 एस. सी. सी. 189 : बाबू बनाम केरल राज्य ;	7.2
[2010]	(2010) 8 एस. सी. सी. 593 : जी. पार्श्वनाथ बनाम कर्नाटक राज्य ।	7.3

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2022 की दांडिक अपील सं. 1559-1560.**

2018 की दांडिक अपील सं. 106 और 107 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से**

सुश्री संगीता कुमार, सुश्री चित्रांगदा राष्ट्रवरा, सर्वश्री मानवेंद्र सिंह, दशरथ सिंह, अभिजीत सिंह, (सुश्री) गुंजन नेगी, शिव औतार सिंह सेंगर, आदित्य प्रताप सिंह चौहान, ऐश्वर्य मिश्रा और गुपु कैप्टन करण सिंह भाटी

**प्रत्यर्थियों की ओर से**

सुश्री गुरकिरत कौर, सुश्री असिया और श्री मिलिंद कुमार

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एम. आर. शाह ने दिया ।

**न्या. शाह** – 2018 की डीबी दांडिक अपील सं. 106 और 107 में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित किए गए उस आक्षेपित

निर्णय और आदेश से व्यथित होकर मूल अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र प्रसाद और श्रीमती सुमन देवी ने वर्तमान अपीलें फाइल की हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इस अपील में अपीलार्थियों-मूल अभियुक्तों द्वारा उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करने पर फाइल की गई उक्त अपीलों को खारिज कर दिया था ।

2. मूल शिकायतकर्ता प्रकाश - मृतक के भाई ने अपने भाई नरेन्द्र उर्फ गोलिया की हत्या करने के लिए अभियुक्तों के विरुद्ध एक शिकायत/प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की । शिकायत/प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि उसके भाई नरेन्द्र का विवाह उसकी (शिकायतकर्ता) साली सुमन देवी के साथ हुआ था । उसके भाई और उसकी पत्नी के बीच कुछ मनमुटाव था । यह अभिकथन किया गया था कि अभियुक्त सुमन देवी के सह-अभियुक्त राजू उर्फ राजेन्द्र प्रसाद के साथ अयुक्त संबंध थे । अभियुक्त सुमन देवी विवाद और मनमुटाव के कारण अपने माता-पिता के घर रहने लगी थी । उसका भाई-मृतक तारीख 26 सितंबर, 2016 को अपनी पत्नी और बालकों को वापस लाने के लिए ससुराल गया था । तथापि, अगले दिन सवेरे उसे पता चला कि उसके भाई ने आत्महत्या कर ली है और उसका शव एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया था । यह अभिकथन किया गया था कि उसके भाई की हत्या सुमन देवी, ससुर मोती राम, सास लखपति देवी, साले विक्रम और राजू उर्फ राजेन्द्र प्रसाद द्वारा आपस में षड्यंत्र करके की गई थी । उसके पश्चात्, अन्वेषण पूर्ण होने पर अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र फाइल किया गया । अपीलार्थी-अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 या अनुकल्पतः भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया । अपीलार्थी-अभियुक्तों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और इसलिए विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा उनका पूर्वोक्त अपराध के लिए विचारण किया गया ।

2.1 अभियोजन पक्ष ने अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप को सिद्ध करने के लिए मृतक की पुत्री अभि. सा. 6 शिवानी और अभियुक्त सुमन देवी तथा सुमन देवी की बहिन अभि. सा. 7 सुनीता सहित कुल मिलाकर 15 साक्षियों की परीक्षा की । अभियोजन साक्ष्य बंद होने के पश्चात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के भी कथन

अभिलिखित किए गए । विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का मूल्यांकन करने के पश्चात् और मृतका की पुत्री अभि. सा. 6, शिवानी और अभियुक्त सुमन देवी तथा सुमन देवी की बहिन अभि. सा. 7 सुनीता के अभिसाक्ष्यों का अवलंब लेकर अपीलार्थी-अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उन्हें आजीवन कारावास भुगतने और 20,000/- रुपए के जुर्माने का दंडादेश दिया ।

2.2 विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें फाइल कीं । उच्च न्यायालय ने आक्षेपित सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा उक्त अपीलें खारिज कर दीं और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय और आदेश की पुष्टि की ।

2.3 उच्च न्यायालय द्वारा अपीलों को खारिज करते हुए और दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश की पुष्टि करते हुए पारित किए गए आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और संतुष्ट होकर मूल अभियुक्तों ने वर्तमान अपीलें फाइल की हैं ।

3. संबंधित अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल सुश्री संगीता कुमार और सुश्री चित्रांगदा राष्ट्रवरा हाजिर हुईं और प्रत्यर्थी-राजस्थान राज्य की ओर से सुश्री गुरकिरत कौर हाजिर हुईं ।

4. संबंधित अपीलार्थी-अभियुक्तों की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल ने जोरदार रूप से यह दलील दी कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए दोषी ठहराकर बहुत गंभीर गलती की है ।

4.1 अपीलार्थी-मूल अभियुक्तों की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल द्वारा जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि यह मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । कतई कोई प्रत्यक्षदर्शी

साक्ष्य नहीं है। यह दलील दी गई कि अपीलार्थियों के विरुद्ध तनिक भी साक्ष्य नहीं है, जिसके द्वारा यह कहा जा सके कि अपीलार्थियों ने मृतक को जान से मारा था और/या उसकी हत्या की थी।

4.2 अपीलार्थी-मूल अभियुक्तों की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल द्वारा जोरदार रूप से यह दलील दी गई कि अभि. सा. 6 शिवानी, मृतक की पुत्री और अभियुक्त सुमन देवी को 'प्रमुख साक्षी' कहा जा सकता है, जिन्होंने अपने अभिसाक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थियों को अपने पिता की हत्या करते हुए नहीं देखा था। यह दलील दी गई कि यहां तक कि अभि. सा. 6 के अभिसाक्ष्य से अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध और साबित नहीं किया है कि अपीलार्थी-अभियुक्तों को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था। यह दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष घटनाओं की संपूर्ण श्रृंखला को सिद्ध और साबित करने में असफल रहा है। यह दलील दी गई कि इसलिए अपीलार्थी-अभियुक्तों की भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि असंभार्य है।

4.3 अभियुक्तों की ओर से हाजिर होने वाली विद्वान् काउंसेल ने **मोहम्मद यूनुस अली तरफदार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य<sup>1</sup>** तथा **अनवर अली और एक अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य<sup>2</sup>** वाले मामलों में इस न्यायालय के विनिश्चय का अपनी इन दलीलों के समर्थन में जोरदार रूप से अवलंब लिया कि चूंकि अभियुक्तों की दोषिता को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब ली गई परिस्थितियां पूर्ण नहीं हैं और उक्त परिस्थितियों से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि सभी मानवीय अधिसंभाव्यता में हत्या अवश्य अपीलार्थी-अभियुक्तों द्वारा की गई थी और इसलिए अपीलार्थियों को ऐसे पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्ध नहीं किया जाना चाहिए था।

5. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल द्वारा प्रस्तुत अपीलार्थियों का जोरदार रूप से विरोध किया गया है।

5.1 यह दलील दी गई कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष ने

<sup>1</sup> (2020) 3 एस. सी. सी. 747.

<sup>2</sup> (2020) 10 एस. सी. सी. 166.

यह सिद्ध और साबित किया है कि सुमन देवी और मृतक के बीच मनमुटाव और विवाद था। यह दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष ने सटीक साक्ष्य प्रस्तुत करके और मृतक की पुत्री तथा अभियुक्त सुमन देवी की परीक्षा करके और अन्य साक्षियों की परीक्षा करके यह सिद्ध और साबित किया है कि पूर्ववर्ती दिन/रात्रि में झगड़ा हुआ था और अभियुक्त राजू और अन्य ने मृतक को धमकी दी थी। यह दलील दी गई कि अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में जब अभियोजन पक्ष ने उस हेतु और परिस्थितियों को सिद्ध किया है जिसके परिणामस्वरूप यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तों ने मृतक की हत्या कारित की थी, तो विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, दोनों ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए ठीक ही दोषसिद्ध किया है। यह दलील दी गई कि चिकित्सा साक्ष्य - मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से साबित होता है कि मृतक की हत्या की गई थी/उसे जान से मारा गया था।

5.2 उपरोक्त दलीलें देते हुए प्रस्तुत अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया गया।

6. संबंधित पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसिलों को विस्तारपूर्वक सुना।

7. हमने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश तथा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश का परिशीलन किया है। हमने अभिलेख पर के संपूर्ण साक्ष्य का भी पुनर्मूल्यांकन किया है।

7.1 प्रारंभ में, यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि यह मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है। ऐसा कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है जिसके द्वारा यह कहा जा सके कि अपीलार्थियों ने मृतक को जान से मारा था या उसकी हत्या की थी। अपराध में अपीलार्थियों की अंतर्ग्रस्तता को इंगित करते हुए अभिलिखित किया गया कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है और जैसा कि इसमें ऊपर मत व्यक्त किया गया है, अभियोजन का पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है। जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अनेक विनिश्चयों में अभिनिर्धारित किया गया है,



पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में परिस्थितियों पर संचयी रूप से विचार करते हुए एक इतनी पूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए कि यही निष्कर्ष निकलता हो कि सभी मानवीय अधिसंभाव्यता में अपराध अभियुक्त द्वारा कारित किया गया था, किसी और के द्वारा नहीं और दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य अवश्य पूर्ण होना चाहिए और अभियुक्त की दोषिता के सिवाय किसी अन्य परिकल्पना का पोषक नहीं होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त की दोषिता के संगत होना चाहिए अपितु उसकी निर्दोषिता के असंगत भी होना चाहिए ।

7.2 **बाबू बनाम केरल राज्य**<sup>1</sup> वाले मामले में पैरा 22 से 24 में निम्नलिखित मत व्यक्त और अभिनिर्धारित किया गया है :-

“22. कृष्ण **बनाम** राज्य [(2008) 15 एस. सी. सी. 430] वाले मामले में इस न्यायालय ने अपने बहुत सारे पूर्ववर्ती निर्णयों पर विचार करने के पश्चात् निम्नलिखित मत व्यक्त किया (एस. सी. सी. पृ. 435 पैरा 15) –

‘15 .... इस न्यायालय ने अनेक विनिश्चयों में सतत् रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि जब कोई मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित होता है, तो ऐसा साक्ष्य निम्नलिखित कसौटियों पर खरा उतरना चाहिए :

(i) परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, अवश्य सटीक रूप से और दृढ़तापूर्वक सिद्ध की जानी चाहिए ;

(ii) वे परिस्थितियां अभियुक्त की दोषिता को अचूक रूप से इंगित करते हुए निश्चायक प्रवृत्ति की होनी चाहिए ;

(iii) परिस्थितियों पर संचयी रूप से विचार करने पर एक इतनी पूर्ण श्रृंखला बननी चाहिए कि केवल यह निष्कर्ष निकलता हो कि सभी मानवीय अधिसंभाव्यता में अपराध अभियुक्त द्वारा कारित किया गया था, किसी

<sup>1</sup> (2010) 9 एस. सी. सी. 189.

और के द्वारा नहीं ; और

(iv) दोषसिद्धि कायम रखने के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य अवश्य पूर्ण होना चाहिए और अभियुक्त की दोषिता के सिवाय किसी अन्य परिकल्पना का पोषक नहीं होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त की दोषिता के अनुरूप होना चाहिए अपितु उसकी निर्दोषिता के अनुरूप भी होना चाहिए । {गंभीर **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(1982) 2 एस. सी. सी. 351 वाला मामला देखें ]} ।'

23. शरद बिरधीचंद शारदा **बनाम** महाराष्ट्र राज्य [(1984) 4 एस. सी. सी. 116] वाले मामले में पारिस्थितिक साक्ष्य पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यह साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर था कि श्रृंखला पूर्ण हो और अभियोजन पक्ष के कथन में किसी कमी या दोष को मिथ्या प्रतिरक्षा या अभिवाक् द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है । इससे पूर्व कि पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सके, पूर्ववर्ती शर्तों को अवश्य पूरी तरह सिद्ध किया जाना चाहिए । वे हैं (एस. सी. सी. पृ. 185 पैरा 153) –

(i) वे परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिए । संबंधित परिस्थितियां 'सिद्ध करनी होंगी' या 'की जानी चाहिए' न कि 'की जा सकती हैं' ;

(ii) इस प्रकार सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना के अनुरूप होने चाहिएं अर्थात् इस बात के सिवाय कि अभियुक्त दोषी है, किसी अन्य कल्पना के पोषक नहीं होने चाहिएं ;

(iii) परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं ;

(iv) उन्हें साबित की जाने वाली हर उप कल्पना के सिवाय हर संभावित उप कल्पना अपवर्जित की जानी चाहिए ; और

(v) साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे अवश्य यह दर्शित हो कि संपूर्ण मानवीय अधिसंभाव्यता में वह कार्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य **बनाम** सतीश [(2005) 3 एस. सी. सी. 114] और पवन **बनाम** उत्तरांचल राज्य [(2009) 15 एस. सी. सी. 259] वाले मामले में इस न्यायालय द्वारा इसी प्रकार के मत को दोहराया गया है ।

24. सुब्रमण्यम **बनाम** तमिलनाडु राज्य [(2009) 14 एस. सी. सी. 415] वाले मामले में दहेज मृत्यु पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि एक साथ रहने का तथ्य एक मजबूत परिस्थिति है किंतु मृतका पर हिंसा करने के किसी साक्ष्य के अभाव में इसे निश्चायक सबूत अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अवश्य कुछ साक्ष्य होना चाहिए कि पति और केवल पति इसके लिए उत्तरदायी था । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया साक्ष्य ऐसी प्रकृति का नहीं होना चाहिए जो अपीलार्थी की दोषसिद्धि को असंभार्य बना सके । {रमेशभाई **बनाम** राजस्थान राज्य [(2009) 12 एस. सी. सी. 603 वाला मामला देखें] ।”

7.3 जी. पार्श्वनाथ बनाम कर्नाटक राज्य<sup>1</sup> वाले मामले में पैरा 23 और 24 में निम्नलिखित मत व्यक्त और अभिनिर्धारित किया गया है :-

“23. उन मामलों में जहां साक्ष्य पारिस्थितिक प्रकृति का है, वे परिस्थितियां जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, प्रथम बार में पूरी तरह सिद्ध की जानी चाहिएं । प्रत्येक तथ्य जिसका अवलंब लिया जाना है, अलग-अलग साबित किया जाना चाहिए ।

<sup>1</sup> (2010) 8 एस. सी. सी. 593.

तथापि, इस सिद्धांत को लागू करते हुए एक ओर तो प्राथमिक या मूलभूत कहे जाने वाले तथ्यों और दूसरी ओर उनसे निकाले जाने वाले तथ्य संबंधी निष्कर्ष के बीच अवश्य एक प्रभेद किया जाना चाहिए। प्राथमिक तथ्यों के सबूत के संबंध में, न्यायालय को साक्ष्य पर विचार करना चाहिए और यह विनिश्चय करना चाहिए कि क्या उस साक्ष्य से कोई विशिष्ट तथ्य साबित होता है और यदि वह तथ्य साबित हो जाता है, तो इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि क्या उस तथ्य से अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकलता है। समस्या के इस पहलू पर विचार करते हुए संदेह के फायदा का सिद्धांत लागू होता है। यद्यपि मामले में कोई कड़ी लुप्त नहीं होनी चाहिए, तो भी यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक कड़ी प्रस्तुत किए गए साक्ष्य की सतह पर दिखाई पड़नी चाहिए और इनमें से कुछ कड़ियों के बारे में निष्कर्ष साबित तथ्यों से निकाला जाना होगा। ये निष्कर्ष निकालते हुए, न्यायालय को सामान्य अनुक्रम की स्वाभाविक घटनाओं और मानव आचरण तथा विशिष्ट मामले के तथ्यों से उनके संबंधों को ध्यान में रखना चाहिए। उसके पश्चात् न्यायालय को साबित तथ्यों के प्रभाव पर विचार करना चाहिए।

24. दोषसिद्धि के प्रयोजन के लिए पारिस्थितिक साक्ष्य की पर्याप्तता का विनिश्चय करते हुए न्यायालय को सभी साबित तथ्यों के कुल संचयी प्रभाव पर विचार करना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक दोषिता के निष्कर्ष को सुदृढ़ करता हो और इन सभी तथ्यों पर एक साथ विचार करने पर संयुक्त प्रभाव अभियुक्त की दोषिता को सिद्ध करने में निश्चयक है, तो दोषसिद्धि न्यायोचित होगी, यद्यपि हो सकता है कि इन तथ्यों में से एक या अधिक स्वयमेव निश्चयक न हो/न हों। सिद्ध किए गए तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की कल्पना के अनुरूप होने चाहिए और प्रत्येक कल्पना अपवर्जित हो जाए और वही शेष रहे जो साबित की जानी है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि इससे पूर्व कि अभियोजन पक्ष केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में सफल हो सके, उसे अभियुक्त द्वारा सुझाई गई प्रत्येक कल्पना, चाहे वह कितनी भी बेतुकी और

काल्पनिक हो, को अपवर्जित किया जाना आवश्यक है। साक्ष्य की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की दोषिता के अनुरूप निष्कर्ष निकालने के लिए कोई भी युक्तियुक्त आधार न बचे और उससे यह दर्शित हो कि संपूर्ण मानवीय अधिसंभाव्यता में वह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होगा, जहां श्रृंखला में की विभिन्न कड़ियां स्वयमेव पूर्ण हैं, तो मिथ्या अभिवाक् या मिथ्या प्रतिरक्षा को केवल न्यायालय को आश्वस्त करने के लिए सहायता माना जा सकता है।”

**7.4 मोहम्मद यूनुस अली तरफदार (उपर्युक्त) और अनवर अली और एक अन्य (उपर्युक्त)** वाले मामलों में के पश्चात्त्वर्ती विनिश्चयों में इस न्यायालय द्वारा इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया गया है।

7.5 पूर्वोक्त विनिश्चयों में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए इस बात पर विचार किया जाना है कि क्या इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उच्च न्यायालय और विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करके न्यायोचित किया है ?

7.6 अभि. सा. 6, जिसे प्रमुख साक्षी कहा जा सकता है और जिसके अभिसाक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी-अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, के अभिसाक्ष्य पर विचार करने पर यहां तक कि यह भी नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध और साबित किया है कि अभियुक्तों को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था। अभि. सा. 6 ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि कुछ झगड़े के पश्चात् दादी मृतक को कमरे में ले गई थी जहां मृतक सोने चला गया था। उसके पश्चात् वह भी सोने चली गई थी और जब सवेरे वह जागी, तो उसे पता चला कि उसके पापा को पेड़ पर लटके हुए पाया गया है। उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया था कि उसने किसी व्यक्ति को उसके पिता की पिटाई करते हुए नहीं देखा था। इस प्रकार, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तों को अंतिम बार मृतक के साथ देखा गया था। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक के कमरे में चले जाने और सो जाने के पश्चात् क्या घटित हुआ था।

7.7 इन परिस्थितियों में, अभियोजन पक्ष दोषिता और घटनाओं की ऐसी पूर्ण श्रृंखला को साबित करने में असफल रहा है जिससे केवल यह निष्कर्ष निकलता हो कि अपीलार्थी-अभियुक्तों ने ही मृतक की हत्या कारित की थी और/या उसको जान से मारा था। इन परिस्थितियों में और पारिस्थितिक साक्ष्य पर पूर्वोक्त विनिश्चयों में इस न्यायालय द्वारा अधिकथित की गई विधि को लागू करते हुए हमारी यह राय है कि विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्तों को ऐसे पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध करके एक बहुत ही गंभीर गलती की है। अपीलार्थी-अभियुक्तों की भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि संघार्य नहीं है।

8. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से दोनों अपीलें सफल होती हैं। विद्वान् विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी-मूल अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध करते हुए पारित किए गए दोषसिद्धि के निर्णय और आदेश तद्वारा अभिखंडित और अपास्त किए जाते हैं और अभियुक्तों को उस अपराध के लिए दोषमुक्त किया जाता है, जिसके लिए उन्हें दोषसिद्ध किया गया है। अपीलार्थी-अभियुक्तों को, यदि उनकी किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है, तुरंत छोड़ दिया जाए। तदनुसार, प्रस्तुत अपीलें मंजूर की जाती हैं।

अपीलें मंजूर की गईं।

जस.

## संसद् के अधिनियम

### सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008

(2009 का अधिनियम संख्यांक 6)

[7 जनवरी, 2009]

सीमित दायित्व भागीदारी की विरचना और विनियमन का तथा  
उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का  
उपबंध करने के लिए  
अधिनियम

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

#### अध्याय 1

#### प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ** - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश है ।

2. **परिभाषाएं** - (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार के संबंध में "पते" से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(i) यदि व्यष्टि है तो उसके प्रायिक निवास स्थान का

पता ; और

(ii) यदि निगम निकाय है तो उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता ;

(ख) “अधिवक्ता” से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 (1961 का 25) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (क) में यथापरिभाषित अधिवक्ता अभिप्रेत है ;

(ग) “अपील अधिकरण” से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10चद की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(घ) “निगम निकाय” से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथापरिभाषित कंपनी अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं -

(i) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी ;

(ii) भारत के बाहर निगमित सीमित दायित्व भागीदारी ;  
और

(iii) भारत के बाहर निगमित कंपनी,

किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं -

(i) एकल निगम ;

(ii) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी ; और

(iii) कोई अन्य निगम निकाय [जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथापरिभाषित कंपनी या इस अधिनियम में यथापरिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी नहीं है], जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ;

(ड) “कारबार” में प्रत्येक व्यापार, वृत्ति, सेवा और उपजीविका



सम्मिलित हैं ;

(च) “चार्टर्ड अकाउंटेंट” से चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 (1949 का 38) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिप्रेत है जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है ;

(छ) “कंपनी सचिव” से कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ग) में यथापरिभाषित कंपनी सचिव अभिप्रेत है जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है ;

(ज) “लागत लेखापाल” से लागत और संकर्म लेखापाल अधिनियम, 1959 (1959 का 23) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ख) में यथापरिभाषित कोई लागत लेखापाल अभिप्रेत है जिसने उस अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन व्यवसाय प्रमाणपत्र अभिप्राप्त कर लिया है ;

(झ) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के संबंध में “न्यायालय” से धारा 77 के उपबंधों के अनुसार अधिकारिता रखने वाला न्यायालय अभिप्रेत है ;

(ञ) “अभिहित भागीदार” से धारा 7 के अनुसरण में भागीदार के रूप में अभिहित कोई भागीदार अभिप्रेत है ;

(ट) “अस्तित्व” से कोई निगम निकाय अभिप्रेत है और धारा 18, धारा 46, धारा 47, धारा 48, धारा 49, धारा 50, धारा 52 और धारा 53 के प्रयोजनों के लिए इसके अंतर्गत भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन स्थापित फर्म भी है ;

(ठ) सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में “वित्तीय वर्ष” से वर्ष की 1 अप्रैल से आगामी वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि अभिप्रेत है :

परंतु वर्ष की 30 सितंबर के पश्चात् निगमित सीमित दायित्व

भागीदारी की दशा में, वित्तीय वर्ष, उस वर्ष के अगले आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त हो सकेगा ;

(ड) “विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी” से भारत के बाहर विरचित, निगमित या रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी अभिप्रेत है और जो भारत के भीतर कारबार का कोई स्थान स्थापित करती है ;

(ढ) “सीमित दायित्व भागीदारी” से इस अधिनियम के अधीन विरचित और रजिस्ट्रीकृत भागीदारी अभिप्रेत है ;

(ण) “सीमित दायित्व भागीदारी करार” से सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों के बीच या सीमित दायित्व भागीदारी और उसके भागीदारों के बीच कोई लिखित करार अभिप्रेत है, जो भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों तथा उस सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में उनके अधिकारों और कर्तव्यों का अवधारण करता है ;

(त) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार के संबंध में “नाम” से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(i) यदि व्यष्टि है तो उसका मुख्य नाम, मध्य नाम और उपनाम ; और

(ii) यदि निगम निकाय है तो उसका रजिस्ट्रीकृत नाम ;

(थ) सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में “भागीदार” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो सीमित दायित्व भागीदारी करार के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में भागीदार बनता है ;

(द) “विहित” से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(ध) “रजिस्ट्रार” से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन कंपनियों को रजिस्ट्रीकृत करने के कर्तव्य वाला रजिस्ट्रार, या अपर, संयुक्त, उप या सहायक रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;

(न) “अनुसूची” से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(प) “अधिकरण” से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10चख की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो उस अधिनियम में हैं ।

## अध्याय 2

### सीमित दायित्व भागीदारी की प्रकृति

**3. सीमित दायित्व भागीदारी का निगम निकाय होना - (1)** सीमित दायित्व भागीदारी ऐसा निगम निकाय है, जिसे इस अधिनियम के अधीन विरचित और निगमित किया गया है तथा जिसका इसके भागीदारों से पृथक् विधिक अस्तित्व है ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी का शाश्वत् उत्तराधिकार होगा ।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों में किसी परिवर्तन से सीमित दायित्व भागीदारी की विद्यमानता, अधिकार या दायित्व प्रभावित नहीं होंगे ।

**4. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 का लागू न होना -** जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के उपबंध सीमित दायित्व भागीदारी को लागू नहीं होंगे ।

**5. भागीदार -** कोई व्यक्ति या निगम निकाय सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार हो सकेगा :

परंतु व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार होने के लिए समर्थ नहीं होगा, यदि, -

(क) वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा विकृतचित्त पाया गया है और ऐसा निष्कर्ष प्रवर्तन में है ;

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ; या

(ग) उसने दिवालिया न्यायनिर्णीत किए जाने के लिए आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है ।

**6. भागीदारों की न्यूनतम संख्या** - (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी में कम से कम दो भागीदार होंगे ।

(2) यदि किसी समय सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की संख्या दो से कम हो जाती है और सीमित दायित्व भागीदारी इस प्रकार संख्या के कम होने के दौरान छह मास से अधिक के लिए कारबार जारी रखती है, तो वह व्यक्ति, जो उस समय के दौरान सीमित दायित्व भागीदारी का एकमात्र भागीदार है जब वह उन छह मास के पश्चात् इस प्रकार कारबार करता रहा है और उसे उस तथ्य की जानकारी है कि वह अकेला ही उसका कारबार चला रहा है, तो वह उस अवधि के दौरान सीमित दायित्व भागीदारी को उपगत बाध्यताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा ।

**7. अभिहित भागीदार** - (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी के कम से कम दो अभिहित भागीदार होंगे, जो व्यक्ति हों और उनमें से कम से कम एक भारत में निवासी होगा :

परंतु ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, जिसमें सभी भागीदार निगम निकाय हैं या जिसमें एक या अधिक भागीदार व्यक्ति और निगम निकाय हैं, कम से कम दो व्यक्ति जो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार हैं या ऐसे निगम निकायों के नामनिर्देशित हैं, अभिहित भागीदारों के रूप में कार्य करेंगे ।

**स्पष्टीकरण** - इस धारा के प्रयोजन के लिए “भारत में निवासी” पद से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ठीक पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान एक सौ बयासी दिन से अन्यून की अवधि के लिए भारत में ठहरा है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, -

(i) यदि निगमन दस्तावेज, -

(क) यह विनिर्दिष्ट करता है कि अभिहित भागीदार कौन होंगे तो ऐसे व्यक्ति निगमन पर अभिहित भागीदार होंगे ; या

(ख) यह कथन करता है कि सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक भागीदार समय-समय पर अभिहित भागीदार होगा तो प्रत्येक ऐसा भागीदार अभिहित भागीदार होगा ;

(ii) कोई भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी करार द्वारा और उसके अनुसार अभिहित भागीदार बन सकेगा और कोई भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी करार के अनुसार अभिहित भागीदार नहीं रहेगा ।

(3) कोई व्यक्ति किसी सीमित दायित्व भागीदारी में तभी अभिहित भागीदार होगा जब उसने सीमित दायित्व भागीदारी में उस रूप में कार्य करने के लिए ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, पूर्व सहमति दे दी हो ।

(4) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे प्रत्येक व्यक्ति की, जिसने अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए अपनी पूर्व सहमति अपनी नियुक्ति के तीस दिन के भीतर ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, दे दी है, विशिष्टियां रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा ।

(5) अभिहित भागीदार होने के लिए पात्र व्यक्ति ऐसी शर्तों और अपेक्षाओं को जो विहित की जाएं, पूरा करेगा ।

(6) सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार केंद्रीय सरकार से अभिहित भागीदार पहचान संख्या अभिप्राप्त करेगा और उक्त प्रयोजन के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 266क से धारा 266छ (जिसमें दोनों धाराएं भी सम्मिलित हैं) के उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे ।

**8. अभिहित भागीदारों के दायित्व** - जब तक कि इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित न हो, कोई अभिहित भागीदार -

(क) ऐसे सभी कार्यों, विषयों और बातों को करने के लिए उत्तरदायी होगा जो सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन की बाबत की जानी अपेक्षित हैं, जिसके अंतर्गत

इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे किसी दस्तावेज, विवरणी, विवरण और इसी प्रकार की रिपोर्ट को जो सीमित दायित्व भागीदारी करार में विनिर्दिष्ट किया जाए, फाइल करना भी है ; और

(ख) उन उपबंधों के किसी उल्लंघन के लिए सीमित दायित्व भागीदारी पर अधिरोपित सभी शास्तियों के लिए दायी होगा ।

**9. अभिहित भागीदारों में परिवर्तन** - सीमित दायित्व भागीदारी किसी कारण से हुई रिक्ति के तीस दिन के भीतर अभिहित भागीदार को नियुक्त कर सकेगी और धारा 7 की उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध ऐसे नए अभिहित भागीदार के संबंध में लागू होंगे :

परंतु यदि कोई अभिहित भागीदार नियुक्त नहीं किया जाता है या यदि किसी समय केवल एक अभिहित भागीदार है तो प्रत्येक भागीदार अभिहित भागीदार समझा जाएगा ।

**10. धारा 7, धारा 8 और धारा 9 के उल्लंघन के लिए दंड** - (1) यदि सीमित दायित्व भागीदारी धारा 7 की उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) यदि सीमित दायित्व भागीदारी, धारा 7 की उपधारा (4) और उपधारा (5), धारा 8 या धारा 9 के उपबंधों का उल्लंघन करती है, तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

### अध्याय 3

#### सीमित दायित्व भागीदारी का निगमन और उसके आनुषंगिक विषय

**11. निगमन दस्तावेज** - (1) निगमित की जाने वाली सीमित दायित्व भागीदारी के लिए, -

(क) लाभ की दृष्टि से किसी विधि युक्त कारबार को चलाने के लिए सहयोजित दो या अधिक व्यक्ति निगमन दस्तावेज पर

अपने नाम हस्ताक्षरित करेंगे ;

(ख) निगमन दस्तावेज ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, उस राज्य के रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा, जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित है ; और

(ग) निगमन दस्तावेज के साथ विहित प्ररूप में या तो किसी अधिवक्ता या कंपनी सचिव या चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखापाल द्वारा, जो सीमित दायित्व भागीदारी की विरचना में लगा हुआ है और ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जिसने निगमन दस्तावेज पर अपना नाम हस्ताक्षरित किया है, किया गया यह कथन फाइल किया जाएगा कि निगमन और उससे पूर्व के और उसके आनुषंगिक विषयों के संबंध में इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है ।

(2) निगमन दस्तावेज, -

(क) ऐसे प्ररूप में होगा, जो विहित किया जाए ;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के नाम का कथन होगा ;

(ग) सीमित दायित्व भागीदारी के प्रस्तावित कारबार का कथन होगा ;

(घ) सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते का कथन होगा ;

(ङ) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के, जो निगमन पर सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार होंगे, नाम और पते का कथन होगा ;

(च) ऐसे व्यक्तियों के, जो निगमन पर सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार होंगे, नाम और पते का कथन होगा ;

(छ) प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित ऐसी अन्य सूचना अंतर्विष्ट होगी, जो विहित की जाए ।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन ऐसा

कथन करता है जिसके बारे में वह -

(क) यह जानता है कि वह मिथ्या है ; या

(ख) यह विश्वास नहीं करता है कि वह सही है,

तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

**12. रजिस्ट्रीकरण द्वारा निगमन** - (1) जब धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) द्वारा अधिरोपित अपेक्षाओं का अनुपालन हो गया है तब रजिस्ट्रार निगमन दस्तावेज को रखेगा और जब तक उस उपधारा के खंड (क) द्वारा अधिरोपित अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया जाता है तब तक वह चौदह दिन की अवधि के भीतर -

(क) निगमन दस्तावेज को रजिस्ट्रीकृत नहीं करेगा ; और

(ख) यह प्रमाणपत्र नहीं देगा कि सीमित दायित्व भागीदारी निगमन दस्तावेज में विनिर्दिष्ट नाम से निगमित की गई है ।

(2) रजिस्ट्रार, धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन परिदत्त विवरण को पर्याप्त साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकेगा कि उस उपधारा के खंड (क) द्वारा अधिरोपित अपेक्षा का अनुपालन कर दिया गया है ।

(3) उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन जारी प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार द्वारा हस्ताक्षरित और उसकी कार्यालय मुद्रा द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

(4) प्रमाणपत्र इस बात का निर्णायक साक्ष्य होगा कि सीमित दायित्व भागीदारी उसमें विनिर्दिष्ट नाम से निगमित की गई है ।

**13. सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और उसमें परिवर्तन** - (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी का एक रजिस्ट्रीकृत कार्यालय होगा जिसको सभी संसूचनाएं और सूचनाएं संबोधित की जा सकेंगी और जहां वे प्राप्त की जाएंगी ।



(2) किसी दस्तावेज की तामील सीमित दायित्व भागीदारी या उसके भागीदार या अभिहित भागीदार पर डाक में डाले जाने के प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या ऐसी किसी अन्य रीति से, जो विहित की जाए, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर और ऐसे किसी अन्य पते पर, जो सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट रूप से घोषित किया जाए, ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित किए जाएं, भेजकर की जा सकेगी ।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन कर सकेगी, ऐसे परिवर्तन की सूचना रजिस्ट्रार के पास ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, फाइल कर सकेगी और ऐसा परिवर्तन इस प्रकार सूचना फाइल करने पर ही प्रभावी होगा ।

(4) यदि सीमित दायित्व भागीदारी इस धारा के किन्हीं उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी और उसका प्रत्येक भागीदार जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

**14. रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव** - रजिस्ट्रीकरण पर, सीमित दायित्व भागीदारी अपने नाम से -

(क) वाद लाने और उसके विरुद्ध वाद लाए जाने ;

(ख) संपत्ति का, चाहे स्थावर हो या जंगम, मूर्त हो या अमूर्त, अर्जन करने, स्वामित्व रखने, धारण करने, विकास या व्ययन करने ;

(ग) यदि उसने एक मुद्रा रखने का विनिश्चय किया है तो सामान्य मुद्रा रखने ; और

(घ) ऐसे अन्य कार्यों और बातों को करने और कराने, जिन्हें निगम निकाय विधिमान्य रूप से कर या करा सकता है,

के लिए समर्थ होगी ।

**15. नाम** - (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी के नाम में या तो "सीमित दायित्व भागीदारी" शब्द या "सी. दा. भा." संक्षेपाक्षर, उसके

नाम के अंतिम अक्षरों के रूप में होंगे ।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे नाम से रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी जो केंद्रीय सरकार की राय में -

(क) अवांछनीय है ; या

(ख) किसी अन्य भागीदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी या निगम निकाय या रजिस्ट्रीकृत व्यापार चिह्न या ऐसे किसी व्यापार चिह्न के समरूप है या उससे बहुत कुछ मिलता-जुलता है, जो व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 (1999 का 47) के अधीन किसी अन्य व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन की विषयवस्तु है ।

**16. नाम का आरक्षण -** (1) कोई व्यक्ति ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाएं, -

(क) प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी के नाम के रूप में ; या

(ख) उस नाम के रूप में जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी अपने नाम का परिवर्तन करने का प्रस्ताव करती है,

आवेदन में उपवर्णित नाम के आरक्षण के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर और विहित फीस के संदाय पर, रजिस्ट्रार, इस विषय में केंद्रीय सरकार द्वारा विहित नियमों के अधीन रहते हुए, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आरक्षित किया जाने वाला नाम वह नाम नहीं है जिसे धारा 15 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी आधार पर खारिज किया जाए, रजिस्ट्रार द्वारा सूचना की तारीख से तीन मास की अवधि के लिए नाम आरक्षित कर सकेगा ।

**17. सीमित दायित्व भागीदारी के नाम का परिवर्तन -** (1) धारा 15 और धारा 16 में किसी बात के होते हुए भी, जहां केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि सीमित दायित्व भागीदारी किसी ऐसे नाम से रजिस्ट्रीकृत की गई है (चाहे अनवधानता से या अन्यथा और चाहे

मूल रूप से या नाम में परिवर्तन द्वारा) जो -

(क) धारा 15 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट नाम है ; या

(ख) किसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारी या निगम निकाय या अन्य नाम के समरूप है या उससे इतना मिलता-जुलता है, जिससे भूल होने की संभावना है,

वहां केंद्रीय सरकार, ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी को अपने नाम में परिवर्तन करने का निदेश दे सकेगी और सीमित दायित्व भागीदारी उक्त निदेश का, निदेश की तारीख के पश्चात् तीन मास के भीतर या ऐसी दीर्घतर अवधि के भीतर, जो केंद्रीय सरकार अनुज्ञात करे, पालन करेगी ।

(2) कोई ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी जो, उपधारा (1) के अधीन दिए गए किसी निदेश का पालन करने में असफल रहती है, जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का अभिहित भागीदार जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

**18. कतिपय परिस्थितियों में नाम के परिवर्तन के निदेश के लिए आवेदन** - (1) कोई अस्तित्व जिसका नाम पहले से ही किसी ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसे बाद में निगमित किया गया है, नाम के समरूप है, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, धारा 17 में निर्दिष्ट आधार पर किसी सीमित दायित्व भागीदारी को अपना नाम परिवर्तन करने के लिए निदेश देने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रार, धारा 17 की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आधार पर किसी सीमित दायित्व भागीदारी को कोई निदेश देने के लिए उपधारा (1) के अधीन किसी आवेदन पर तभी विचार करेगा जब रजिस्ट्रार को उस नाम से सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से चौबीस मास के भीतर आवेदन प्राप्त हुआ हो ।

**19. रजिस्ट्रीकृत नाम का परिवर्तन** - कोई सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रीकृत अपने नाम में ऐसे परिवर्तन की सूचना

ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, उसके पास फाइल करके परिवर्तन कर सकेगी ।

**20. "सीमित दायित्व भागीदारी" या "सी. दा. भा." शब्दों के अनुचित प्रयोग के लिए शास्ति** - यदि किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा किसी ऐसे नाम या अभिनाम के अधीन कारबार चलाया जाता है जिसके अंत में "सीमित दायित्व भागीदारी" या "सी. दा. भा." शब्द या उनका कोई संक्षिप्त रूप या नकल शब्द हैं तो वह व्यक्ति या उनमें से प्रत्येक व्यक्ति जब तक सीमित दायित्व भागीदारी के रूप में सम्यक् रूप से निगमित नहीं किया गया है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

**21. नाम और सीमित दायित्व का प्रकाशन** - (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके बीजकों, शासकीय पत्राचार और प्रकाशनों पर निम्नलिखित अंकित हो, अर्थात् :-

(क) सीमित दायित्व भागीदारी का नाम, उसके रजिस्ट्रीकरण कार्यालय का पता और रजिस्ट्रीकरण संख्या ; और

(ख) यह कथन कि यह सीमित दायित्व के साथ रजिस्ट्रीकृत है ।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी ।

#### अध्याय 4

#### भागीदार और उनके संबंध

**22. भागीदार बनने के लिए पात्रता** - सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन पर, वे व्यक्ति जिन्होंने निगमन दस्तावेज पर अपने नाम हस्ताक्षरित किए हैं, उसके भागीदार होंगे और कोई अन्य व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी करार द्वारा और उसके अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार बन सकेगा ।

**23. भागीदारों के संबंध** - (1) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों के पारस्परिक अधिकार

और कर्तव्य तथा सीमित दायित्व भागीदारी और उसके भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य भागीदारों के बीच या सीमित दायित्व भागीदारी और उसके भागीदारों के बीच सीमित दायित्व भागीदारी करार द्वारा शासित होंगे ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी करार और उसमें किए गए किन्हीं परिवर्तनों को यदि कोई हों, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाएं, रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा ।

(3) उन व्यक्तियों के बीच, जो निगमन दस्तावेज पर अपना नाम हस्ताक्षरित करते हैं, सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन से पूर्व लिखित में किया गया कोई करार सीमित दायित्व भागीदारी पर बाध्यताएं अधिरोपित कर सकेगा, परंतु यह तब जब ऐसे करार का सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन के पश्चात् सभी भागीदारों द्वारा अनुसमर्थन कर दिया गया हो ।

(4) किसी विषय से संबंधित करार के अभाव में, भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों तथा सीमित दायित्व भागीदारी और भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों को उस विषय से संबंधित उपबंधों द्वारा जो पहली अनुसूची में उपवर्णित हैं, अवधारित किया जाएगा ।

**24. भागीदारी हित का समाप्त हो जाना -** (1) कोई व्यक्ति, भागीदार न रहने के संबंध में अन्य भागीदारों के साथ किसी करार के अनुसार या अन्य भागीदारों के साथ करार के अभाव में, भागीदारी त्यागने के अपने आशय की अन्य भागीदारों को तीस दिन से अन्यून की लिखित में सूचना देकर सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रह सकेगा ।

(2) कोई व्यक्ति, -

(क) अपनी मृत्यु या सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन पर ;  
या

(ख) यदि उसे किसी सक्षम न्यायालय द्वारा विकृतचित्त

घोषित कर दिया गया है ; या

(ग) यदि उसने दिवालिया के रूप में न्यायनिर्णीत होने के लिए आवेदन किया है या उसे दिवालिया के रूप में घोषित किए जाने पर,

किसी सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहेगा ।

(3) जहां, कोई व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहा है (जिसे इसमें इसके पश्चात् "पूर्व भागीदार" कहा गया है) वहां पूर्व भागीदार को, (सीमित दायित्व भागीदारी के साथ संव्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के संबंध में) सीमित दायित्व भागीदार का तब तक भागीदार माना जाएगा, जब तक -

(क) उस व्यक्ति को यह सूचना नहीं दे दी गई हो कि पूर्व भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहा है ; या

(ख) रजिस्ट्रार को यह सूचना नहीं दे दी गई हो कि पूर्व भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहा है ।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी में किसी भागीदार के न रहने से ही भागीदार की, सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य भागीदार के प्रति या किसी अन्य व्यक्ति के प्रति बाध्यता, जो उसके भागीदार रहने के दौरान उपगत हुई हो, निर्मोचित नहीं होती है ।

(5) जहां सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार, भागीदार नहीं रहता है, वहां जब तक सीमित दायित्व भागीदारी करार में अन्यथा उपबंधित न हो, पूर्व भागीदार या पूर्व भागीदार की मृत्यु या दिवालियेपन के परिणामस्वरूप उसके हिस्से का हकदार कोई व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी से, पूर्व भागीदार के भागीदार न रहने की तारीख को अवधारित सीमित दायित्व भागीदारी को संचित हानियों की कटौती करने के पश्चात् निम्नलिखित प्राप्त करने का हकदार होगा -

(क) सीमित दायित्व भागीदारी में पूर्व भागीदार के वास्तव में किए गए पूंजी अभिदाय के बराबर रकम ;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के संचित लाभों में हिस्सा लेने का उसका अधिकार ।

(6) पूर्व भागीदार या पूर्व भागीदार की मृत्यु या दिवालियापन के परिणामस्वरूप उसके हिस्से के हकदार किसी व्यक्ति को सीमित दायित्व भागीदारी के प्रबंध में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

**25. भागीदारों के परिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण** - (1) प्रत्येक भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी को अपने नाम या पते में परिवर्तन की सूचना, ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिन की अवधि के भीतर देगा ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी, -

(क) जहां कोई व्यक्ति भागीदार बनता है या भागीदार नहीं रहता है, वहां उसके भागीदार बनने या न रहने की तारीख से तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास सूचना फाइल करेगी ; और

(ख) जहां भागीदार के नाम या पते में कोई परिवर्तन है, वहां ऐसे परिवर्तन के तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास सूचना फाइल करेगी ।

(3) उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाइल की गई सूचना -

(क) ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ होगी, जो विहित की जाए ;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और ऐसी रीति में अधिप्रमाणित की जाएगी जो विहित की जाए ; और

(ग) यदि वह आने वाले भागीदार के संबंध में है तो उसमें उस भागीदार द्वारा यह कथन होगा कि वह भागीदार बनने की सहमति देता है, जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित होगा ।

(4) यदि सीमित दायित्व भागीदारी उपधारा (2) के उपबंधों का उल्लंघन करती है तो सीमित दायित्व भागीदारी और सीमित दायित्व

भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(5) यदि कोई भागीदार उपधारा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो, ऐसा भागीदार जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(6) कोई व्यक्ति, जो सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार नहीं रहा है, उपधारा (3) में निर्दिष्ट सूचना रजिस्ट्रार के पास स्वयं फाइल कर सकेगा, यदि उसके पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रार के पास सूचना फाइल नहीं कर सकेगी और भागीदार द्वारा फाइल की गई किसी सूचना की दशा में रजिस्ट्रार, सीमित दायित्व भागीदारी से इस आशय की पुष्टि प्राप्त करेगा जब तक कि सीमित दायित्व भागीदारी ने भी ऐसी सूचना फाइल नहीं कर दी हो :

परंतु जहां सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा पंद्रह दिन के भीतर कोई पुष्टि नहीं की गई है वहां रजिस्ट्रार इस धारा के अधीन भागीदार न रहने वाले व्यक्ति द्वारा दी गई सूचना को रजिस्ट्रार करेगा ।

## अध्याय 5

### सीमित दायित्व भागीदारी और भागीदारों के दायित्वों का विस्तार और परिसीमा

**26. अभिकर्ता के रूप में भागीदार** - किसी सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के प्रयोजन के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी का अभिकर्ता है न कि अन्य भागीदारों का ।

**27. सीमित दायित्व भागीदारी के दायित्व की सीमा** - (1) सीमित दायित्व भागीदारी, किसी भागीदार द्वारा किसी व्यक्ति के साथ संव्यवहार करने में की गई किसी बात के लिए आबद्ध नहीं है यदि -

(क) भागीदार को वास्तव में सीमित दायित्व भागीदारी के



लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने का कोई प्राधिकार नहीं है ; और

(ख) वह व्यक्ति यह जानता है कि उसको कोई प्राधिकार नहीं है या वह यह नहीं जानता है या उसे यह विश्वास है कि वह सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार है ।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी दायी है, यदि सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के दौरान उसकी ओर से या उसके प्राधिकार से किसी सदोष कार्य या लोप के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति के प्रति दायी है ।

(3) सीमित दायित्व भागीदारी की कोई बाध्यता, चाहे वह संविदा से उद्भूत हुई हो या अन्यथा, मुख्य रूप से सीमित दायित्व भागीदारी की बाध्यता होगी ।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी के दायित्वों की पूर्ति सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति से की जाएगी ।

**28. भागीदार के दायित्व की सीमा** - (1) कोई भागीदार धारा 27 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी बाध्यता के लिए केवल सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार होने के कारण प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं है ।

(2) धारा 27 की उपधारा (3) और इस धारा की उपधारा (1) के उपबंध किसी भागीदार के सदोष कार्य या लोप के लिए उसके व्यक्तिगत दायित्व को प्रभावित नहीं करेंगे, किंतु कोई भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के किसी अन्य भागीदार के सदोष कार्य या लोप के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा ।

**29. व्यपदेशन** - (1) जो कोई मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा यह व्यपदेशन करता है या जानकर यह व्यपदेशन किया जाने देता है कि वह सीमित दायित्व भागीदारी में भागीदार है, वह किसी ऐसे व्यक्ति के प्रति दायी है जिसने किसी ऐसे व्यपदेशन के भरोसे उस सीमित दायित्व भागीदारी को उधार दिया है चाहे वह व्यक्ति जिसने अपने भागीदार होने का व्यपदेशन किया है या जिसके भागीदार होने का

व्यपदेशन किया गया है यह ज्ञान रखता हो या नहीं कि वह व्यपदेशन ऐसे उधार देने वाले व्यक्ति तक पहुंचा है :

परंतु जहां कोई उधार किसी सीमित दायित्व भागीदारी ने ऐसे व्यपदेशन के परिणामस्वरूप प्राप्त किया है वहां सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे व्यक्ति के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसने इस प्रकार भागीदार होने के बारे में स्वयं व्यपदेशन किया है या जिसका व्यपदेशन किया था उसके द्वारा प्राप्त उधार की सीमा तक या उस पर व्युत्पन्न किसी वित्तीय फायदे की सीमा तक दायी होगा ।

(2) जहां भागीदार की मृत्यु के पश्चात् कारबार उसी सीमित दायित्व भागीदारी के नाम से चालू रखा जाता है वहां उस नाम का या मृतक भागीदार के नाम का भागरूप उपयोग किए जाते रहना स्वयं में उस भागीदार के विधिक प्रतिनिधि को या उसकी संपदा को सीमित दायित्व, भागीदारी के किसी कार्य के लिए जो उसकी मृत्यु के पश्चात् किया गया हो, दायी नहीं बनाएगा ।

**30. कपट की दशा में असीमित दायित्व -** (1) किसी सीमित दायित्व भागीदारी या उसके किसी भागीदार द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी या किसी अन्य व्यक्ति के लेनदारों के साथ कपटपूर्ण आशय या किसी कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए किए गए किसी कार्य की दशा में, सीमित दायित्व भागीदारी और उन भागीदारों का दायित्व, जिन्होंने लेनदारों के साथ कपटपूर्ण आशय से या किसी कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए कार्य किया है, सीमित दायित्व भागीदारी के सभी या किन्हीं ऋणों या अन्य दायित्वों के लिए असीमित होंगे :

परंतु यदि ऐसा कोई कार्य किसी भागीदार द्वारा किया गया है तो सीमित दायित्व भागीदारी तब तक उसी सीमा तक दायी होगी जिस तक भागीदार दायी है जब तक सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि ऐसा कार्य सीमित दायित्व भागीदारी की जानकारी या प्राधिकार के बिना किया गया था ।

(2) जहां कोई कारबार ऐसे आशय से या ऐसे प्रयोजन के लिए किया जाता है जो उपधारा (1) में उल्लिखित है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो

पूर्वोक्त रीति में कारबार करने के लिए जानबूझकर पक्षकार था, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(3) जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या अभिहित भागीदार या किसी कर्मचारी ने सीमित दायित्व भागीदारी के कार्य कपटपूर्ण रीति से किए हैं, वहां ऐसी किन्हीं दांडिक कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उद्भूत हों, सीमित दायित्व भागीदारी और ऐसा कोई भागीदार या अभिहित भागीदार या कर्मचारी किसी व्यक्ति को, जिसको ऐसे आचरण के कारण कोई हानि या नुकसानी हुई है, प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा :

परंतु ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी तब दायी नहीं होगी, यदि ऐसे किसी भागीदार या अभिहित भागीदार या कर्मचारी ने सीमित दायित्व भागीदारी की जानकारी के बिना कपटपूर्वक कार्य किया है ।

**31. निर्णायक कार्य** - (1) न्यायालय या अधिकरण, किसी सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या कर्मचारी के विरुद्ध उद्ग्रहणीय किसी शास्ति को कम कर सकेगा या उसका अधित्यजन कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि :-

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के ऐसे भागीदार या कर्मचारी ने ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के अन्वेषण के दौरान उपयोगी सूचना उपलब्ध कराई है ; या

(ख) जब किसी भागीदार या कर्मचारी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर (चाहे अन्वेषण के दौरान हो या नहीं) सीमित दायित्व भागीदारी, या सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या कर्मचारी को इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के अधीन सिद्धदोष ठहराया जाता है ।

(2) किसी सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या किसी कर्मचारी को केवल इस कारण सेवोन्मुक्त, पदावनत, निलंबित, धमकाया,

उत्पीड़ित न किया जाए या उसके साथ उसकी सीमित दायित्व भागीदारी या नियोजन के निबंधनों और शर्तों के विरुद्ध किसी अन्य रीति में विभेद न किया जाए कि उसने उपधारा (1) के अनुसरण में सूचना प्रदान की है या सूचना उपलब्ध कराई है ।

## अध्याय 6

### अभिदाय

**32. अभिदाय का स्वरूप** - (1) किसी भागीदार के अभिदाय में मूर्त, जंगम या स्थावर या अमूर्त संपत्ति या सीमित दायित्व भागीदारी में अन्य फायदे सम्मिलित हो सकेंगे, जिसके अंतर्गत धनराशि, वचनपत्र, नकद या संपत्ति के अभिदाय के लिए अन्य करार और की गई या की जाने वाली सेवाओं के लिए संविदाएं भी हैं ।

(2) प्रत्येक भागीदार के अभिदाय के अधीन धनीय मूल्य का लेखा रखा जाएगा और सीमित दायित्व भागीदारी के लेखाओं में ऐसी रीति में जो विहित की जाए, प्रकट किया जाएगा ।

**33. अभिदाय करने की बाध्यता** - (1) किसी सीमित दायित्व भागीदारी में धन या अन्य संपत्ति या अन्य फायदे का अभिदाय करने या उसके लिए कोई सेवा करने की किसी भागीदार की बाध्यता सीमित दायित्व भागीदारी के करार के अनुसार होगी ।

(2) किसी सीमित दायित्व भागीदारी का कोई लेनदार, जो उस करार में वर्णित किसी बाध्यता के आधार पर भागीदारों के बीच किसी समझौते की सूचना के बिना ऋण देता है या अन्यथा कार्य करता है, ऐसे भागीदार के विरुद्ध मूल बाध्यता को प्रवृत्त कर सकेगा ।

## अध्याय 7

### वित्तीय प्रकटन

**34. लेखा बहियों, अन्य अभिलेखों का रखा जाना और उनकी संपरीक्षा, आदि** - (1) सीमित दायित्व भागीदारी, अपनी विद्यमानता के प्रत्येक वर्ष के कामकाज के संबंध में, नकदी आधार पर या प्रोद्घवन आधार पर ऐसी समुचित लेखा बहियां, जो विहित की जाएं, और लेखा की दोहरी

प्रविष्टि प्रणाली के अनुसार रखेगी और उन्हें ऐसी अवधि के लिए, जो विहित की जाए, अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखेगी ।

(2) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत से छह मास की अवधि के भीतर, उक्त वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन तक का उक्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा और शोधन क्षमता का विवरण ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए तैयार करेगी और ऐसा विवरण सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा ।

(3) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी उपधारा (2) के अनुसरण में तैयार किए गए लेखा और शोधन क्षमता का विवरण प्रत्येक वर्ष विहित समय के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसी फीस सहित, जो विहित की जाएं, रजिस्ट्रार को फाइल करेगी ।

(4) सीमित दायित्व भागीदारी के लेखाओं की संपरीक्षा ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, की जाएगी :

परंतु केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सीमित दायित्व भागीदारी के किसी वर्ग या वर्गों को इस उपधारा की अपेक्षाओं से छूट प्रदान कर सकेगी ।

(5) ऐसी कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो इस धारा के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहती है, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी और ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

**35. वार्षिक विवरणी** - (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी, अपने वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के साठ दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास ऐसे प्ररूप और रीति में, और ऐसी फीस सहित, जो विहित की जाए, सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित एक वार्षिक विवरणी फाइल करेगी ।

(2) ऐसी कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो इस धारा के उपबंधों के अनुपालन में असफल रहती है, जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रुपए से

कम का नहीं होगा, किंतु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी ।

(3) यदि सीमित दायित्व भागीदारी इस धारा के उपबंधों का उल्लंघन करती है, तो ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का अभिहित भागीदार, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

**36. रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए दस्तावेजों का निरीक्षण** - प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा रजिस्ट्रार को फाइल किए गए निगमन दस्तावेज, भागीदारों के नाम और उसमें किए गए परिवर्तन, यदि कोई हों, लेखा और शोधन क्षमता विवरण तथा वार्षिक विवरणी किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, निरीक्षण के लिए उपलब्ध होंगी ।

**37. मिथ्या कथन के लिए शास्ति** - यदि इस अधिनियम के किसी उपबंध द्वारा अपेक्षित या उसके प्रयोजनों के लिए किसी विवरणी, विवरण या अन्य दस्तावेज में कोई व्यक्ति ऐसा कथन करता है, -

(क) जो किसी सारवान् विशिष्ट में मिथ्या है और उसे उसके मिथ्या होने का ज्ञान है ; या

(ख) जो किसी सारवान् तथ्य का सारवान् होने की जानकारी होते हुए लोप करता है,

तो वह, इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी, जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा किंतु जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा ।

**38. सूचना प्राप्त करने की रजिस्ट्रार की शक्ति** - (1) ऐसी सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से, जो इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार आवश्यक समझे, रजिस्ट्रार सीमित दायित्व भागीदारी के वर्तमान से पूर्व भागीदार या अभिहित या कर्मचारी सहित किसी व्यक्ति से युक्तियुक्त अवधि के भीतर किसी प्रश्न का

उत्तर देने या कोई घोषणा करने या कोई ब्यौरे या विशिष्टियां प्रदाय करने की लिखित में अपेक्षा कर सकेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति रजिस्ट्रार द्वारा मांगे गए ऐसे प्रश्न का उत्तर नहीं देता है या ऐसी घोषणा नहीं करता है या ऐसे ब्यौरों या विशिष्टियों का युक्तियुक्त समय या रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए समय के भीतर प्रदाय नहीं करता है, या जब रजिस्ट्रार का ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तर या घोषणा या उपलब्ध कराए गए ब्यौरे या विशिष्टियों से समाधान नहीं होता है तो रजिस्ट्रार को उस व्यक्ति को उसके समक्ष या किसी निरीक्षक या किसी अन्य लोक अधिकारी के समक्ष, जिसे रजिस्ट्रार अभिहित करे, यथास्थिति, ऐसे प्रश्न का उत्तर देने या घोषणा करने या ऐसे ब्यौरों का प्रदाय करने के लिए उपस्थित होने के लिए समन करने की शक्ति होगी ।

(3) कोई व्यक्ति, जो किसी विधिमान्य कारण के बिना, इस धारा के अधीन किसी समन या रजिस्ट्रार की अध्यपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है, जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

**39. अपराधों का शमन** - केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन ऐसे किसी अपराध का, जो केवल जुर्माने से दंडनीय है, ऐसे व्यक्ति से, जिसके बारे में युक्तियुक्त रूप से संदेह है कि उसने अपराध किया है ऐसी राशि का, जो अपराध के लिए विहित अधिकतम जुर्माने की रकम तक की हो सकेगी, संग्रहण करके, शमन कर सकेगी ।

**40. पुराने अभिलेखों का नष्ट किया जाना** - रजिस्ट्रार, भौतिक रूप में इलेक्ट्रॉनिक रूप में उसके पास फाइल किए गए या रजिस्ट्रीकृत किसी दस्तावेज को ऐसे नियमों के, जो विहित किए जाएं, अनुसार नष्ट कर सकेगा ।

**41. विवरणी आदि देने के कर्तव्य का प्रवर्तन** - (1) यदि कोई सीमित दायित्व भागीदारी, -

(क) इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के किसी उपबंध का, जो किसी रीति में रजिस्ट्रार के पास कोई विवरणी, लेखा या

अन्य दस्तावेज फाइल करने या किसी विषय की उसको सूचना देने की अपेक्षा करता है, अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है ; या

(ख) किसी दस्तावेज को संशोधित करने या पूरा करने और पुनः प्रस्तुत करने या नए सिरे से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के रजिस्ट्रार के किसी अनुरोध का अनुपालन करने में व्यतिक्रम करती है,

और सीमित दायित्व भागीदारी पर उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली सूचना की तामील के पश्चात् चौदह दिन के भीतर व्यतिक्रम को दूर करने में असफल रहती है, तो अधिकरण, रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन पर, उस सीमित दायित्व भागीदारी या उसके अभिहित भागीदारों या उसके भागीदारों को यह निदेश करते हुए आदेश कर सकेगा कि वे ऐसे समय के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है, व्यतिक्रम को दूर करें ।

(2) ऐसे किसी आदेश में यह उपबंध हो सकेगा कि आवेदन के सभी खर्च और उसके आनुषंगिक व्यय उस सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(3) इस धारा की कोई बात, इस धारा में निर्दिष्ट किसी व्यतिक्रम के संबंध में उस सीमित दायित्व भागीदार पर शास्ति अधिरोपित करने वाले इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के किसी अन्य उपबंध के प्रवर्तन को सीमित नहीं करेगी ।

## अध्याय 8

### भागीदारी अधिकारों का समनुदेशन और अंतरण

**42. भागीदार का अंतरणीय हित** - (1) सीमित दायित्व भागीदारी करार के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी के लाभ और हानियों में हिस्सा बंटाने और वितरण प्राप्त करने के भागीदार के अधिकार पूर्णतः या भागतः अंतरणीय हैं ।

(2) उपधारा (1) के अनुसरण में किसी भागीदार द्वारा किसी अधिकार के अंतरण से ही सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार का असहयोजन या विघटन और परिसमापन नहीं हो जाता है ।

(3) इस धारा के अनुसरण में अधिकारों के अंतरण से ही अंतरिती



या समनुदेशिती सीमित दायित्व भागीदारी के प्रबंध में भाग लेने या उसके क्रियाकलापों को संचालित करने का या सीमित दायित्व भागीदारी के संव्यवहारों से संबंधित सूचना तक पहुंच प्राप्त करने का हकदार नहीं बन जाता है ।

## अध्याय 9

### अन्वेषण

**43. सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण - (1)** केंद्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण करने और उस पर ऐसी रीति में, जो वह निदेश दे, रिपोर्ट देने के लिए निरीक्षक के रूप में एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त करेगी, यदि -

(क) अधिकरण, या तो स्वःप्रेरणा से या सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की कुल संख्या के एक बटा पांच से अन्यून भागीदारों से प्राप्त किसी आवेदन पर, आदेश द्वारा यह घोषणा करता है कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण किया जाना चाहिए ; या

(ख) कोई न्यायालय, आदेश द्वारा यह घोषणा करता है कि किसी सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण किया जाना चाहिए ।

(2) केंद्रीय सरकार किसी सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण करने और उस पर ऐसी रीति में जो वह निदेश दे, रिपोर्ट देने के लिए, निरीक्षक के रूप में एक या अधिक सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी ।

(3) उपधारा (2) के अनुसरण में निरीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित दशा में की जा सकेगी, -

(क) यदि सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की कुल संख्या के एक बटा पांच से अन्यून भागीदार समर्थक साक्ष्य और ऐसी प्रतिभूति रकम के साथ, जो विहित की जाएं, आवेदन करते हैं ; या

(ख) यदि सीमित दायित्व भागीदारी ऐसा आवेदन करती है कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण किया जाना चाहिए ; या

(ग) यदि केंद्रीय सरकार की राय में, यह सुझाव देने वाली परिस्थितियां हैं कि -

(i) सीमित दायित्व भागीदारी का कारबार उसके लेनदारों, भागीदारों या किसी अन्य व्यक्ति को कपट वंचित करने के आशय से या अन्यथा किसी कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए या उसके किन्हीं या किसी भागीदार के प्रतिकूल किसी अन्यायपूर्ण या अनुचित रीति में किया जा रहा है या किया गया है या सीमित दायित्व भागीदारी किसी कपटपूर्ण या विधिविरुद्ध प्रयोजन के लिए बनाई गई थी ; या

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं किए जा रहे हैं ; या

(iii) रजिस्ट्रार या किसी अन्य अन्वेषण या विनियामक अभिकरण की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, पर्याप्त कारण हैं कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण किया जाना चाहिए ।

**44. अन्वेषण के लिए भागीदारों द्वारा आवेदन -** धारा 43 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों द्वारा आवेदन के समर्थन में ऐसा साक्ष्य दिया जाएगा जो अधिकरण यह दर्शित करने के प्रयोजन के लिए अपेक्षा करे कि आवेदकों के पास अन्वेषण की अपेक्षा करने के लिए ठोस कारण है, और केंद्रीय सरकार, निरीक्षक को नियुक्त करने से पूर्व, आवेदकों से अन्वेषण के खर्चों के संदाय के लिए ऐसी राशि की, जो विहित की जाए, प्रतिभूति देने की अपेक्षा कर सकेगी ।

**45. फर्म, निगम निकाय या संगम को निरीक्षक के रूप में नियुक्त न किया जाना -** किसी फर्म, निगम निकाय या अन्य संगम को निरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

**46. संबंधित अस्तित्वाँ आदि के कामकाज का अन्वेषण करने की निरीक्षकों की शक्ति** - (1) यदि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज का अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक अपने अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी ऐसे अस्तित्व के कामकाज का अन्वेषण करना भी आवश्यक समझता है, जो सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारी के किसी वर्तमान या पूर्व भागीदार या अभिहित भागीदार से पूर्व में सहयोजित रहा है या वर्तमान में सहयोजित है तो निरीक्षक को ऐसा करने की शक्ति होगी और अन्य अस्तित्व या भागीदार या अभिहित भागीदार के कामकाज की, जहां तक वह यह समझता है कि उसके अन्वेषण के परिणाम सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज के अन्वेषण से सुसंगत हैं, रिपोर्ट करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अस्तित्व या भागीदार या अभिहित भागीदार की दशा में, निरीक्षक, केंद्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना उसके कामकाज का अन्वेषण करने और उस पर रिपोर्ट देने की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा :

परंतु इस उपधारा के अधीन अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व, केंद्रीय सरकार, अस्तित्व या भागीदार या अभिहित भागीदार को यह हेतुक दर्शित करने के लिए कि ऐसा अनुमोदन क्यों नहीं प्रदान किया जाना चाहिए, युक्तियुक्त अवसर देगी ।

**47. दस्तावेजों और साक्ष्य का प्रस्तुत किया जाना** - (1) सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार और भागीदारों का यह कर्तव्य होगा कि -

(क) वे, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य अस्तित्व के या उससे संबंधित सभी बहियों और कागजपत्रों को, जो उनकी अभिरक्षा में या शक्ति के अधीन हैं, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत करें ; और

(ख) अन्वेषण के संबंध में ऐसी सभी सहायता निरीक्षक को दें, जिसे देने में वे युक्तियुक्त रूप से समर्थ हैं ।

(2) निरीक्षक, केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अस्तित्व से भिन्न किसी अस्तित्व से, उस सरकार के पूर्व अनुमोदन से उसके या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को ऐसी सूचना देने या उसके समक्ष ऐसी बहियों और कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे, यदि ऐसी सूचना देना या ऐसी बहियों या कागजपत्रों को प्रस्तुत करना उसके अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत या आवश्यक है।

(3) निरीक्षक, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत किन्हीं बहियों और कागजपत्रों को तीस दिन के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा और तत्पश्चात् उन्हें सीमित दायित्व भागीदारी, अन्य अस्तित्व या व्यष्टि को, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से बहियां और कागजपत्र प्रस्तुत किए गए हैं, लौटा देगा :

परंतु निरीक्षक बहियों और कागजपत्रों को, यदि उनकी पुनः आवश्यकता पड़े, मंगा सकेगा :

परंतु यह और कि यदि उपधारा (2) के अधीन प्रस्तुत बहियों और कागजपत्रों की अधिप्रमाणित प्रतियां निरीक्षक को प्रस्तुत की जाती हैं, तो वह संबंधित अस्तित्व या व्यक्ति को बहियां और कागजपत्र लौटा देगा।

(4) कोई निरीक्षक शपथ पर निम्नलिखित की जांच कर सकेगा -

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति ;

(ख) केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या किसी अन्य अस्तित्व के कामकाज से संबंधित कोई अन्य व्यक्ति ; और

(ग) तदनुसार शपथ दिला सकेगा और उस प्रयोजन के लिए उन व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति से, अपने समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) यदि कोई व्यक्ति युक्तियुक्त कारण के बिना -

(क) केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निरीक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष कोई

ऐसी बही या कागजपत्र प्रस्तुत करने में, जिसे प्रस्तुत करना उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन उसका कर्तव्य है ; या

(ख) ऐसी कोई जानकारी देने में, जिसका दिया जाना उपधारा (2) के अधीन उसका कर्तव्य है ;

(ग) निरीक्षक के समक्ष तब व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में, जब उपधारा (4) के अधीन ऐसा करने की अपेक्षा की जाए या किसी प्रश्न का उत्तर देने में, जो उस उपधारा के अनुसरण में निरीक्षक द्वारा पूछा जाए ; या

(घ) किसी जांच के टिप्पणों पर हस्ताक्षर करने में,

असफल रहता है या उससे इनकार करता है, तो वह जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पच्चीस हजार रुपए तक का हो सकेगा और अतिरिक्त जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात्, जिसके पश्चात् व्यतिक्रम जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(6) उपधारा (4) के अधीन किसी जांच के टिप्पण लेखबद्ध किए जाएंगे और उस व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे, जिसकी शपथ पर परीक्षा की गई थी और ऐसे टिप्पणों की एक प्रति उस व्यक्ति को दी जाएगी, जिसकी इस प्रकार शपथ पर परीक्षा की गई है तथा उसके पश्चात् उसे निरीक्षक द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जाएगा ।

**48. निरीक्षक द्वारा दस्तावेजों का अभिग्रहण** - (1) जहां, अन्वेषण के दौरान, निरीक्षक के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य अस्तित्व या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार या अभिहित भागीदार की या उससे संबंधित बहियों और कागजपत्रों को नष्ट, विरूपित, उनमें फेरफार, मिथ्याकृत किया जा सकता है या उन्हें छिपाया जा सकता है, तो निरीक्षक, यथास्थिति, उस प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को, जिसकी अधिकारिता है, ऐसी बहियों और कागजपत्रों को अभिग्रहण करने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(2) मजिस्ट्रेट, आवेदन पर विचार करने और निरीक्षक की सुनवाई करने के पश्चात्, यदि आवश्यक हो, आदेश द्वारा निरीक्षक को -

(क) उस स्थान या स्थानों में, जहां ऐसी बहियां और कागजपत्र रखे गए हैं, ऐसी सहायता सहित, जो अपेक्षित हो, प्रवेश करने ;

(ख) आदेश में विनिर्दिष्ट रीति में उस स्थान या उन स्थानों की तलाशी लेने ;

(ग) उन बहियों और कागजपत्रों का, जिन्हें निरीक्षक अपने अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, अभिग्रहण करने, के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(3) निरीक्षक, इस धारा के अधीन अभिगृहीत बहियों और कागजपत्रों को अन्वेषण के निष्कर्ष के अपश्चात् की ऐसी अवधि के लिए, जो वह आवश्यक समझे, अपनी अभिरक्षा में रखेगा और तत्पश्चात् उन्हें संबंधित अस्तित्व या व्यक्ति को, जिसकी अभिरक्षा या शक्ति से वे अभिगृहीत किए गए थे, लौटा देगा और ऐसे लौटाए जाने की सूचना मजिस्ट्रेट को देगा :

परंतु बहियां और कागजपत्र छह मास से अधिक की लगातार अवधि के लिए अभिगृहीत नहीं रखे जाएंगे :

परंतु यह और कि निरीक्षक, यथापूर्वोक्त ऐसी बहियों और कागजपत्रों को लौटाने से पूर्व, उन पर या उनके किसी भाग पर पहचान चिह्न लगा सकेगा ।

(4) इस धारा में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी या अभिग्रहण, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन की गई तलाशियों या अभिग्रहणों से संबंधित उस संहिता के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

**49. निरीक्षक की रिपोर्ट** - (1) निरीक्षक, और यदि केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए, उस सरकार को अंतरिम रिपोर्ट देंगे और अन्वेषण के निष्कर्ष पर केंद्रीय सरकार को अंतिम रिपोर्ट देंगे और ऐसी

रिपोर्ट लिखित में या मुद्रित रूप में होगी, जैसा केंद्रीय सरकार निदेश दे ।

(2) केंद्रीय सरकार, -

(क) निरीक्षकों द्वारा दी गई किसी रिपोर्ट (अंतरिम रिपोर्ट से भिन्न) की एक प्रति सीमित दायित्व भागीदारी को, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर और रिपोर्ट में कार्रवाई किए गए या उससे संबंधित किसी अन्य अस्तित्व या व्यक्ति को भी भेजेगी ;

(ख) यदि, वह ठीक समझे, तो उसकी एक प्रति रिपोर्ट से संबंधित या उससे प्रभावित किसी व्यक्ति या अस्तित्व को, अनुरोध पर और विहित फीस के संदाय पर दे सकेगी ।

**50. अभियोजन** - यदि, धारा 49 के अधीन रिपोर्ट से, केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में या किसी अन्य अस्तित्व के संबंध में, जिसके कामकाज का अन्वेषण किया गया है, कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी रहा है, जिसके लिए वह दायी है, तो केंद्रीय सरकार, उस अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति का अभियोजन कर सकेगी ; और, यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य अस्तित्व के सभी भागीदारों, अभिहित भागीदारों और अन्य कर्मचारियों तथा अभिकर्ताओं के अभियोजन के संबंध में, केंद्रीय सरकार को ऐसी सभी सहायता देने का कर्तव्य होगा, जिसे देने के लिए वे युक्तियुक्त रूप से समर्थ हैं ।

**51. सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आवेदन** - यदि ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिसमापन किए जाने के लिए दायी है और धारा 49 के अधीन किसी ऐसी रिपोर्ट से केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि किन्हीं ऐसी अन्य परिस्थितियों के कारण जो धारा 43 की उपधारा (3) के खंड (ग) के उपखंड (i) या उपखंड (ii) में निर्दिष्ट हैं, ऐसा करना समीचीन है, तो केंद्रीय सरकार जब तक कि सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा पहले से परिसमापन नहीं कर दिया जाता है, केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा, इस आधार पर कि इसका परिसमापन किया जाना न्यायसंगत तथा

साम्यापूर्ण है, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए अधिकरण के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत कराएगी।

**52. नुकसानी या संपत्ति की वसूली के लिए कार्यवाहियां** - यदि धारा 49 के अधीन किसी रिपोर्ट से केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में सीमित दायित्व भागीदारी या किसी अन्य अस्तित्व द्वारा, जिसके कार्यों का अन्वेषण किया गया है, -

(क) ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसे अन्य अस्तित्व के संवर्धन या विरचना या प्रबंधन के संबंध में कोई कपट, अपकरण या अन्य कदाचार की बाबत नुकसानियों की वसूली के लिए ; या

(ख) ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसे अन्य अस्तित्व की किसी संपत्ति की, जिसका दुरुपयोजन किया गया है या जिसे सदोष प्रतिधारित किया गया है, वसूली के लिए, कार्यवाहियां की जानी चाहिए, तो केंद्रीय सरकार, उस प्रयोजन के लिए स्वयं कार्यवाही कर सकेगी।

**53. अन्वेषण के खर्च** - (1) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक द्वारा अन्वेषण के और उसके आनुषंगिक खर्चों को प्रथम बार केंद्रीय सरकार द्वारा चुकाया जाएगा ; किंतु निम्नलिखित व्यक्ति नीचे वर्णित सीमा तक केंद्रीय सरकार को ऐसे खर्चों की बाबत प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी होंगे, अर्थात् :-

(क) ऐसे किसी व्यक्ति को, जो अभियोजन पर सिद्धदोष ठहराया गया है या जिसे धारा 52 के आधार पर की गई कार्यवाहियों में किसी संपत्ति की नुकसानी के लिए संदाय करने या बहाली का आदेश दिया गया है उन्हीं कार्यवाहियों में, उस सीमा तक उक्त खर्चों का संदाय करने के लिए आदेश दिया जा सकेगा, जो, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराने वाले या ऐसी नुकसानियों का संदाय करने का आदेश करने वाले या ऐसी संपत्ति की बहाली करने वाले न्यायालय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) कोई अस्तित्व जिसके नाम में यथापूर्वोक्त कार्यवाहियां की जाती हैं, कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप उसके द्वारा वसूल की



गई किसी धनराशि या संपत्ति की रकम या मूल्य की सीमा तक दायी होगा ;

(ग) जब तक अन्वेषण के परिणामस्वरूप धारा 50 के अनुसरण में कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाता तब तक, -

(i) निरीक्षक की रिपोर्ट से संबंधित कोई अस्तित्व, भागीदार या अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति केंद्रीय सरकार को संपूर्ण व्ययों की बाबत प्रतिपूर्ति करने का तब तक और उस सीमा तक दायी होगा जब तक केंद्रीय सरकार अन्यथा निदेश न दे ; और

(ii) जहां धारा 43 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसरण में निरीक्षक की नियुक्ति की गई थी, वहां अन्वेषण के लिए आवेदक, उस सीमा तक, यदि कोई हो, जो केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट करे, दायी होंगे ।

(2) ऐसी कोई रकम, जिसके लिए सीमित दायित्व भागीदारी या अन्य अस्तित्व उपधारा (1) के खंड (ख) के आधार पर दायी है, उस खंड में वर्णित धनराशियों या संपत्ति पर पहला प्रभार होगी ।

(3) उन व्ययों की रकम, जिनकी बाबत कोई सीमित दायित्व भागीदारी, अन्य अस्तित्व, कोई भागीदार या अन्य अभिहित भागीदार या कोई अन्य व्यक्ति उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (i) के अधीन केंद्रीय सरकार को प्रतिपूर्ति करने के लिए दायी है, भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूलनीय होगी ।

(4) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, केंद्रीय सरकार द्वारा उपगत या धारा 52 के आधार पर की गई कार्यवाहियों के संबंध में उपगत कोई लागत या व्यय, कार्यवाहियों को चलाने के लिए अन्वेषण के व्यय समझे जाएंगे ।

**54. निरीक्षक की रिपोर्ट का साक्ष्य होना** - इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियुक्त किसी निरीक्षक या किन्हीं निरीक्षकों की रिपोर्ट, यदि कोई हो, की ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित

प्रति, रिपोर्ट में अंतर्विष्ट किसी विषय के संबंध में साक्ष्य के रूप में किसी विधिक कार्यवाही में ग्राह्य होगी ।

## अध्याय 10

### सीमित दायित्व भागीदारी का संपरिवर्तन

**55. फर्म से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन** - कोई फर्म, इस अध्याय और दूसरी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी ।

**56. प्राइवेट कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन** - कोई प्राइवेट कंपनी इस अध्याय और तीसरी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी ।

**57. असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन** - कोई असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी इस अध्याय और चौथी अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी ।

**58. रजिस्ट्रीकरण और संपरिवर्तन का प्रभाव** - (1) रजिस्ट्रार, यह समाधान हो जाने पर कि, यथास्थिति, किसी फर्म, प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी ने दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची के उपबंधों का अनुपालन किया है, इस अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए, ऐसी अनुसूची के अधीन प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों को रजिस्टर करेगा और यह कथन करते हुए कि सीमित दायित्व भागीदारी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई है, ऐसे प्ररूप में, जो रजिस्ट्रार अवधारित करे, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा :

परंतु सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, यथास्थिति, संबंधित फर्म रजिस्ट्रार या कंपनी रजिस्ट्रार को, जिसके पास वह, यथास्थिति, भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) या कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत थी, सीमित दायित्व भागीदारी के संपरिवर्तन और

उसकी विशिष्टियों के बारे में ऐसी रीति और प्ररूप में सूचना देगी, जो केंद्रीय सरकार विहित करे ।

(2) ऐसे संपरिवर्तन पर, फर्म के भागीदार, यथास्थिति, प्राइवेट कंपनी या असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी के शेयरधारक वह सीमित दायित्व भागीदारी जिसमें ऐसी फर्म या ऐसी कंपनी संपरिवर्तित की गई है और सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार, यथास्थिति, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची के उन उपबंधों से आबद्ध होंगे जो उन्हें लागू हों ।

(3) ऐसे संपरिवर्तन पर, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की तारीख से ही संपरिवर्तन के प्रभाव ऐसे होंगे, जो, यथास्थिति, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं ।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची या चौथी अनुसूची के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही, -

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नाम से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी होगी ;

(ख) यथास्थिति, फर्म या कंपनी में निहित सभी मूर्त (जंगम या स्थावर) और अमूर्त संपत्ति, यथास्थिति, फर्म या कंपनी से संबंधित सभी आस्तियां, हित, अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और, यथास्थिति, फर्म या कंपनी के संपूर्ण उपक्रम किसी और आश्वासन, कार्रवाई या विलेख के बिना सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे ; और

(ग) यथास्थिति, फर्म या कंपनी विघटित हुई और, यथास्थिति, फर्म रजिस्ट्रार या कंपनी रजिस्ट्रार के अभिलेख से हटा दी गई समझी जाएगी ।

## अध्याय 11

### विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी

59. विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी - केंद्रीय सरकार, कंपनी

अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों को ऐसे उपांतरणों सहित, जो समुचित प्रतीत हों, या ऐसी संरचना वाले ऐसे विनियामक तंत्र को, जो विहित किया जाए, लागू या सम्मिलित करके भारत में विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा कारबार के स्थान की स्थापना करने और उनमें अपने कारबार करने के संबंध में उपबंध करने के लिए नियम बना सकेगी ।

## अध्याय 12

### सीमित दायित्व भागीदारी का समझौता, ठहराव या पुनर्निर्माण

**60. सीमित दायित्व भागीदारी का समझौता या ठहराव -** (1) जहां, -

(क) किसी सीमित दायित्व भागीदारी और उसके लेनदारों के बीच ; या

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी और उसके भागीदारों के बीच,

समझौता या ठहराव का प्रस्ताव है, वहां अधिकरण, सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारी के किसी लेनदार या भागीदार के या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, समापक के आवेदन पर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए या अधिकरण निदेश दे, यथास्थिति, लेनदारों या भागीदारों का अधिवेशन बुलाए जाने, आयोजित और संचालित किए जाने का आदेश कर सकेगा ।

(2) यदि अधिवेशन में, यथास्थिति, लेनदारों या भागीदारों के मूल्य में तीन-चौथाई का प्रतिनिधित्व करने वाला बहुमत किसी समझौते या ठहराव के लिए सहमत हो जाता है तो समझौता या ठहराव, यदि अधिकरण द्वारा मंजूर किया गया हो, आदेश द्वारा, यथास्थिति, सभी लेनदारों या भागीदारों पर और सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी की दशा में, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, समापक पर और सीमित दायित्व भागीदारी के अभिदायकर्ताओं पर भी आबद्धकर होगा :

परंतु अधिकरण द्वारा किसी समझौते या ठहराव को मंजूरी देने

वाला कोई आदेश तभी किया जाएगा जब अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति ने, जिसके द्वारा उपधारा (1) के अधीन आवेदन किया गया है, शपथपत्र द्वारा या अन्यथा अधिकरण को सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित सभी तात्विक तथ्यों को, जिनके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी की नवीनतम वित्तीय स्थिति और सीमित दायित्व भागीदारी के संबंध में लंबित कोई अन्वेषण कार्यवाहियां भी हैं, प्रकट कर दिया है।

(3) उपधारा (2) के अधीन अधिकरण द्वारा किया गया आदेश सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा, ऐसा आदेश किए जाने के पश्चात् तीस दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जाएगा और वह इस प्रकार फाइल किए जाने के पश्चात् ही प्रभावी होगा।

(4) यदि उपधारा (3) का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है, सीमित दायित्व भागीदारी और सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(5) अधिकरण, इस धारा के अधीन उसे आवेदन किए जाने के पश्चात्, किसी समय, सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध किसी वाद या कार्यवाही के आरंभ किए जाने या जारी रखे जाने को, ऐसे निबंधनों पर, जो अधिकरण ठीक समझे, आवेदन को अंतिम रूप से निपटाए जाने तक रोक सकेगा।

### **61. समझौता या ठहराव लागू करने की अधिकरण की शक्ति -**

(1) जहां अधिकरण, धारा 60 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी की बाबत समझौता या ठहराव को मंजूर करने वाला कोई आदेश करता है, वहां, -

(क) उसे समझौते या ठहराव के क्रियान्वयन का अधीक्षण करने की शक्ति होगी ; और

(ख) वह ऐसा आदेश किए जाने के समय या उसके पश्चात् किसी भी समय, किसी विषय के संबंध में ऐसे निदेश दे सकेगा या समझौते या ठहराव में ऐसे उपांतरण कर सकेगा, जो वह समझौते

या ठहराव के समुचित कार्यकरण के लिए आवश्यक समझे ।

(2) यदि पूर्वोक्त अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि धारा 60 के अधीन मंजूर किया गया कोई समझौता या ठहराव उपांतरणों सहित या उसके बिना समाधानप्रद रूप में कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है तो वह, स्वप्रेरणा से या सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज में हितबद्ध किसी व्यक्ति के आवेदन पर, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन के लिए आदेश कर सकेगा और ऐसा आदेश इस अधिनियम की धारा 64 के अधीन किया गया आदेश समझा जाएगा ।

**62. सीमित दायित्व भागीदारी के पुनर्निर्माण या समामेलन को सुकर बनाने के लिए उपबंध -** (1) जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी और किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच, जो उस धारा में वर्णित हैं, प्रस्तावित समझौते या ठहराव की मंजूरी के लिए धारा 60 के अधीन कोई आवेदन अधिकरण को किया जाता है और अधिकरण को यह दर्शित किया जाता है कि -

(क) समझौता या ठहराव किसी सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारियों के पुनर्निर्माण या किन्हीं दो या अधिक सीमित दायित्व भागीदारियों के समामेलन की स्कीम के प्रयोजनों या उसके संबंध में प्रस्तावित किया गया है ; और

(ख) स्कीम के अधीन संबंधित किसी सीमित दायित्व भागीदारी का (जिसे इस धारा में "अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी" कहा गया है) संपूर्ण उपक्रम, संपत्ति या दायित्व या उसका कोई भाग किसी दूसरी सीमित दायित्व भागीदारी में (जिसे इस धारा में "अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी" कहा गया है) अंतरित किया जाना है,

वहां अधिकरण, समझौते या ठहराव की मंजूरी देने वाले आदेश द्वारा या पश्चात्त्वर्ती आदेश द्वारा निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात् :-

(i) किसी अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी के संपूर्ण उपक्रम, संपत्ति या दायित्वों या उसके किसी भाग का अंतरिती सीमित

दायित्व भागीदारी में अंतरण ;

(ii) किसी अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध लंबित किन्हीं विधिक कार्यवाहियों का अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखा जाना ;

(iii) किसी अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन के बिना विघटन ;

(iv) ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में किए जाने वाले उपबंध, जो ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में, जो अधिकरण निदेश दे, समझौते या ठहराव से विसम्मति रखता है ; और

(v) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक विषय, जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों कि पुनर्निर्माण या समामेलन पूर्णतः और प्रभावी रूप से किया जाएगा :

परंतु किसी सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसका परिसमापन किया जा रहा है, किसी अन्य सीमित दायित्व भागीदारी या सीमित दायित्व भागीदारियों से समामेलन की किसी स्कीम के प्रयोजनों के लिए या उसके संबंध में प्रस्तावित किसी समझौते या ठहराव को अधिकरण द्वारा तभी मंजूरी दी जाएगी, जब अधिकरण को रजिस्ट्रार से यह रिपोर्ट प्राप्त हो गई हो कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज ऐसी रीति में नहीं किए गए हैं, जिससे उसके भागीदारों के हितों या लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो :

परंतु यह और कि खंड (iii) के अधीन किसी अंतरक सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन का कोई आदेश अधिकरण द्वारा तभी किया जाएगा जब शासकीय समापक ने सीमित दायित्व भागीदारी की बहियों और कागजपत्रों की संवीक्षा करने पर अधिकरण को यह रिपोर्ट दे दी हो कि सीमित दायित्व भागीदारी के कामकाज ऐसी रीति में नहीं किए गए हैं, जिससे उसके भागीदारों के हितों या लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

(2) जहां इस धारा के अधीन कोई आदेश किसी संपत्ति या

दायित्वों के अंतरण के लिए उपबंध करता है वहां उस आदेश के आधार पर वह संपत्ति अंतरिती सीमित दायित्व भागीदारी को अंतरित होगी और उसमें निहित हो जाएगी और ऐसे दायित्व उसमें अंतरित होंगे और उसके दायित्व बन जाएंगे ; तथा किसी संपत्ति की दशा में, यदि आदेश ऐसा निदेश करे, ऐसे किसी प्रभार से मुक्त होगी, जो समझौते या ठहराव के कारण, प्रभाव में नहीं रहा है ।

(3) इस धारा के अधीन कोई आदेश किए जाने के पश्चात् तीस दिन के भीतर, ऐसी प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी, जिसके संबंध में आदेश किया गया है, उसकी प्रमाणित प्रति रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार के पास फाइल कराएगी ।

(4) यदि उपधारा (3) के उपबंधों का अनुपालन करने में व्यतिक्रम किया जाता है तो सीमित दायित्व भागीदारी, सीमित दायित्व भागीदारी का प्रत्येक अभिहित भागीदार, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

**स्पष्टीकरण** - इस धारा में, "संपत्ति" के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार की संपत्ति, अधिकार और शक्तियां भी हैं ; और "दायित्वों" के अंतर्गत प्रत्येक प्रकार के कर्तव्य भी हैं ।

## अध्याय 13

### परिसमापन और विघटन

**63. परिसमापन और विघटन** - सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन या तो स्वेच्छा से या अधिकरण द्वारा किया जा सकेगा और इस प्रकार परिसमापित सीमित दायित्व भागीदारी विघटित हो सकेगी ।

**64. वे परिस्थितियां, जिनमें सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जा सकेगा** - सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जा सकेगा -

(क) यदि सीमित दायित्व भागीदारी वह विनिश्चय करती है कि सीमित दायित्व भागीदारी का अधिकरण द्वारा परिसमापन किया जाए ;



(ख) यदि छह मास से अधिक की अवधि के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की संख्या दो से कम रहती है ;

(ग) यदि सीमित दायित्व भागीदारी अपने ऋणों का संदाय करने में असमर्थ है ;

(घ) यदि सीमित दायित्व भागीदारी ने भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था के हितों के विरुद्ध कार्य किया है ;

(ङ) यदि सीमित दायित्व भागीदारी ने लगातार किन्हीं पांच वित्तीय वर्षों के संबंध में लेखा और शोधनक्षमता का विवरण या वार्षिक विवरणी रजिस्ट्रार के पास फाइल करने में व्यतिक्रम किया है ; या

(च) यदि अधिकरण की यह राय है कि यह न्यायोचित और साम्यापूर्ण है कि सीमित दायित्व भागीदारी का परिसमापन कर दिया जाए ।

**65. परिसमापन और विघटन के लिए नियम** - केंद्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी के परिसमापन और विघटन से संबंधित उपबंधों के लिए नियम बना सकेगी ।

#### अध्याय 14

#### प्रकीर्ण

**66. सीमित दायित्व भागीदारी के साथ भागीदार के कारबार संव्यवहार** - कोई भागीदारी सीमित भागीदारी को धन उधार दे सकेगा और उसके साथ अन्य कारबार कर सकेगा और ऋण या अन्य संव्यवहारों के संबंध में उसके वही अधिकार और बाध्यताएं होंगी जो ऐसे व्यक्ति के हैं, जो भागीदार नहीं है ।

**67. कंपनी अधिनियम के उपबंधों का लागू होना** - (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, यह निदेश दे सकेगी कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) का कोई उपबंध, -

(क) किसी सीमित दायित्व भागीदार को लागू होगा ; या

(ख) किसी सीमित दायित्व भागीदारी को ऐसे अपवाद, उपांतरण और अनुकूलन के साथ लागू होगा, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना को जारी किए जाने का अनुमोदन न करने के लिए सहमत हो जाएं तो वह अधिसूचना, यथास्थिति, जारी नहीं की जाएगी या दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो वह उस उपांतरित रूप में ही जारी की जाएगी, जिस पर दोनों सदन सहमत हों ।

**68. दस्तावेजों का इलेक्ट्रानिक रूप में फाइल किया जाना - (1)** इस अधिनियम के अधीन फाइल, अभिलिखित या रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित किसी दस्तावेज को ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, फाइल, अभिलिखित या रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा ।

(2) रजिस्ट्रार के पास इलेक्ट्रानिक रूप में फाइल किए गए या उसको प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज की कोई प्रति या उससे कोई उद्धरण, जो रजिस्ट्रार द्वारा प्रदाय या जारी किया जाता है और जिसे ऐसे दस्तावेज की सत्यप्रति या उद्धरण के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अनुसार अंकीय चिह्नक के माध्यम से प्रमाणित किया गया है, किन्हीं कार्यवाहियों में मूल दस्तावेज के समान विधिमान्यता के रूप में साक्ष्य में ग्राह्य होगा ।

(3) रजिस्ट्रार द्वारा प्रदाय की गई कोई सूचना जो रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रार के पास फाइल किए गए या उसको प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज के सत्य उद्धरण के रूप में अंकीय चिह्नक के माध्यम से

रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किया गया है, किन्हीं कार्यवाहियों में साक्ष्य में ग्राह्य होगी और यह उपधारणा की जाएगी कि वह जब तक उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए, ऐसे दस्तावेज से सत्य उद्धरण है ।

**69. अतिरिक्त फीस का संदाय** - इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रार के पास फाइल या रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित कोई दस्तावेज या विवरणी यदि उसमें उपबंधित समय में फाइल या रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाती है तो उस समय के पश्चात् उस तारीख से, जिस तक उसे फाइल किया जाना चाहिए, तीन सौ दिन की अवधि तक, ऐसी किसी फीस के अतिरिक्त, जो ऐसे दस्तावेज या विवरणी को फाइल करने के लिए संदेय हों, ऐसे विलंब के प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपए की अतिरिक्त फीस के संदाय पर फाइल या रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी :

परंतु ऐसा दस्तावेज या विवरणी, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य कार्रवाई या दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस धारा में विनिर्दिष्ट फीस और अतिरिक्त फीस के संदाय पर तीन सौ दिन की ऐसी अवधि के पश्चात् भी फाइल की जा सकेगी ।

**70. वर्धित दंड** - यदि कोई सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार या अभिहित भागीदार कोई अपराध करता है तो सीमित दायित्व भागीदारी या कोई भागीदार या अभिहित भागीदार दूसरे या पश्चात्वर्ती अपराध के लिए यथाउपबंधित कारावास से दंडनीय होगा, किंतु ऐसे अपराधों की दशा में, जिसके लिए कारावास के साथ या उसे छोड़कर जुर्माना विहित किया गया है, जुर्माने से, जो ऐसे अपराध के लिए जुर्माने की रकम का दुगुना होगा, दंडनीय होगा ।

**71. अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना** - इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में ।

**72. अधिकरण और अपील अधिकरण की अधिकारिता** - (1) अधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के द्वारा या उसके

अधीन उसे प्रदत्त किए जाएं ।

(2) अधिकरण के किसी आदेश या विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति अपील अधिकरण को अपील कर सकेगा और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 10चथ, धारा 10चयक, धारा 10छ, धारा 10छघ, धारा 10छड और धारा 10छच के उपबंध ऐसी अपील के संबंध में लागू होंगे ।

**73. अधिकरण द्वारा पारित किसी आदेश के अननुपालन के संबंध में शास्ति** - जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन अधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश का पालन करने में असफल रहता है तो वह कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा ।

**74. साधारण शास्तियां** - कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी ऐसे अपराध का दोषी है जिसके लिए स्पष्ट रूप से कोई दंड उपबंधित नहीं किया गया है, जुर्माने का जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, किंतु जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा और अतिरिक्त जुर्माने का, जो उस प्रथम दिन के, जिसके पश्चात् व्यतिक्रम जारी रहता है, पश्चात् के प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए तक का हो सकेगा, दायी होगा ।

**75. रजिस्टर से निष्क्रिय सीमित दायित्व भागीदारी का नाम काटने की रजिस्ट्रार की शक्ति** - जहां रजिस्ट्रार के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि सीमित दायित्व भागीदारी इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कारबार नहीं चला रही है या अपना प्रचालन नहीं कर रही है, वहां सीमित दायित्व भागीदारी का नाम ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा :

परंतु रजिस्ट्रार, इस धारा के अधीन किसी सीमित दायित्व भागीदारी का नाम काटने से पूर्व ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

**76. सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा अपराध** - जहां सीमित

दायित्व भागीदारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन किया गया कोई अपराध, -

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या भागीदारों या अभिहित भागीदार या अभिहित भागीदारों की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया ; या

(ख) उस सीमित भागीदारी के भागीदार या भागीदारों या अभिहित भागीदार या अभिहित भागीदारों की ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ,

साबित होता है, वहां यथास्थिति, सीमित दायित्व भागीदार का भागीदार या उसके भागीदार या उसका अभिहित भागीदार या उसके अभिहित भागीदार और वह सीमित दायित्व भागीदार उस अपराध के दोषी होंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने तथा दंडित किए जाने के लिए दायी होंगे ।

**77. न्यायालय की अधिकारिता** - तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम में किसी प्रतिकूल उपबंध के होते हुए भी, यथास्थिति, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट को इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने की अधिकारिता होगी और उक्त अपराध की बाबत दंड अधिरोपित करने की शक्ति होगी ।

**78. अनुसूचियों में परिवर्तन करने की शक्ति** - (1) केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम की किसी अनुसूची में अंतर्विष्ट उपबंधों में से किसी उपबंध को परिवर्तित कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित कोई परिवर्तन इस प्रकार प्रभावी होगा मानो वह अधिनियम में अधिनियमित किया गया हो और वह, जब तक अधिसूचना में अन्यथा निदेश न हो अधिसूचना की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा किया गया प्रत्येक परिवर्तन, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा

जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिवर्तन में कोई उपांतरण करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु परिवर्तन के ऐसे उपांतरण या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**79. नियम बनाने की शक्ति** - (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :-

(क) धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन अभिहित भागीदार द्वारा दी जाने वाली पूर्व सहमति का प्ररूप और रीति ;

(ख) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए सहमत होने वाले प्रत्येक व्यष्टि की विशिष्टियों का प्ररूप और रीति ;

(ग) धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन अभिहित भागीदार बनने के लिए किसी व्यष्टि की पात्रता से संबंधित शर्तें और अपेक्षाएं ;

(घ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन निगमन दस्तावेज फाइल करने की रीति और उसके लिए संदेय फीस का संदाय ;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन फाइल की जाने वाली विवरणी का प्ररूप ;

(च) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन निगमन दस्तावेज का प्ररूप ;

(छ) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (छ) के अधीन प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित निगमन दस्तावेज में अंतर्विष्ट की जाने वाली जानकारी ;

(ज) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी या किसी भागीदार या अभिहित भागीदार पर दस्तावेजों की तामील करने की रीति और वह प्ररूप और रीति, जिसमें सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा कोई अन्य पता घोषित किया जा सकेगा ;

(झ) धारा 13 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार को सूचना देने का प्ररूप और रीति और रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के परिवर्तन के संबंध में शर्तें ;

(ञ) धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रार को आवेदन करने की रीति और संदेय फीस की रकम ;

(ट) वह रीति जिसमें धारा 16 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा नाम आरक्षित किए जाएंगे ;

(ठ) वह रीति जिसमें धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन किसी अस्तित्व द्वारा आवेदन किया जा सकेगा ;

(ड) धारा 19 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के नाम-परिवर्तन की सूचना का प्ररूप और रीति तथा संदेय फीस की रकम ;

(ढ) धारा 23 की उपधारा (2) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी करार और उसमें किए गए परिवर्तन का प्ररूप और रीति और संदेय फीस की रकम ;

(ण) धारा 25 की उपधारा (3) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन सूचना का प्ररूप, संदेय फीस की रकम और विवरण के अधिप्रमाणन की रीति ;

(त) धारा 32 की उपधारा (2) के अधीन किसी भागीदार के

अभिदाय के धनीय मूल्य का लेखा रखने और प्रकटन की रीति ;

(थ) धारा 34 की उपधारा (1) के अधीन लेखा बहियां और उनके रखे जाने की अवधि ;

(द) धारा 34 की उपधारा (2) के अधीन लेखा और शोधनक्षमता के विवरण का प्ररूप और रीति ;

(ध) धारा 34 की उपधारा (3) के अधीन लेखा और शोधनक्षमता का विवरण फाइल करने का प्ररूप, रीति, फीस और समय ;

(न) धारा 34 की उपधारा (4) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के लेखाओं की संपरीक्षा ;

(प) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक विवरणी का प्ररूप और रीति और उसके लिए संदेय फीस ;

(फ) धारा 36 के अधीन निगमन दस्तावेज, भागीदारों के नाम और उसमें किए गए परिवर्तनों, लेखा और शोधनक्षमता विवरण और वार्षिक विवरणी के निरीक्षण की रीति और उसके लिए संदेय फीस की रकम ;

(ब) धारा 40 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों का किसी रूप में नष्ट किया जाना ;

(भ) धारा 43 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन प्रतिभूति के रूप में अपेक्षित रकम ;

(म) धारा 44 के अधीन दी जाने वाली प्रतिभूति की रकम ;

(य) धारा 49 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन, प्रति देने के लिए संदेय फीस ;

(यक) धारा 54 के अधीन निरीक्षक की रिपोर्ट के अधिप्रमाणन की रीति ;

(यख) धारा 58 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन संपरिवर्तन के बारे में विशिष्टियों का प्ररूप और रीति ;



(यग) धारा 59 के अधीन विदेशी सीमित दायित्व भागीदारियों द्वारा भारत में कारबार के स्थान की स्थापना करने और कारबार करने और विनियामक तंत्र तथा उसकी संरचना के संबंध में ;

(यघ) धारा 60 की उपधारा (1) के अधीन अधिवेशन बुलाने, आयोजित और संचालित करने की रीति ;

(यङ) धारा 65 के अधीन सीमित दायित्व भागीदारियों के परिसमापन और विघटन के संबंध में ;

(यच) धारा 68 की उपधारा (1) के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप में दस्तावेज फाइल करने की रीति और शर्तें ;

(यछ) धारा 75 के अधीन रजिस्टर से सीमित दायित्व भागीदारियों के नाम काटने की रीति ;

(यज) दूसरी अनुसूची के पैरा 4 के उपपैरा (क) के अधीन विशिष्टियों वाले विवरण का प्ररूप और रीति तथा फीस की रकम ;

(यझ) दूसरी अनुसूची के पैरा 5 के परंतुक के अधीन संपरिवर्तन के बारे में विशिष्टियों की रीति और प्ररूप ;

(यञ) तीसरी अनुसूची के पैरा 3 के उपपैरा (क) के अधीन विवरण का प्ररूप और रीति तथा संदेय फीस की रकम ;

(यट) तीसरी अनुसूची के पैरा 4 के परंतुक के अधीन संपरिवर्तन के बारे में विशिष्टियों का प्ररूप और रीति ;

(यठ) चौथी अनुसूची के पैरा 4 के उपपैरा (क) के अधीन विवरण का प्ररूप और रीति तथा संदेय फीस की रकम ; और

(यड) चौथी अनुसूची के पैरा 5 के परंतुक के अधीन संपरिवर्तन के बारे में विशिष्टियों की रीति और प्ररूप ।

(3) इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों

में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**80. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति** - (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, और जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

**81. संक्रमणकालीन उपबंध** - जब तक कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन अधिकरण और अपील अधिकरण गठित नहीं किए जाते हैं तब तक इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए इस प्रकार प्रभावी होंगे, मानो -

(क) धारा 41 की उपधारा (1) के खंड (ख), धारा 43 की उपधारा (1) के खंड (क), और धारा 44 में आने वाले "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, "कंपनी विधि बोर्ड" शब्द रखे गए हों ;

(ख) धारा 51 और धारा 60 से धारा 64 में आने वाले "अधिकरण" शब्द के स्थान पर, "उच्च न्यायालय" शब्द रखे गए हों ;

(ग) धारा 72 की उपधारा (2) में आने वाले “अपील अधिकरण” शब्दों के स्थान पर, “उच्च न्यायालय” शब्द रखे गए हों।

पहली अनुसूची

[धारा 23(4) देखिए]

**भागीदारों और सीमित दायित्व भागीदारी तथा उसके भागीदारों के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों से संबंधित विषयों के संबंध में, ऐसे विषयों पर किसी करार के न होने की दशा में लागू होने वाले उपबंध**

1. भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य और सीमित दायित्व भागीदारी तथा उसके भागीदारों के पारस्परिक अधिकार और कर्तव्य किसी सीमित दायित्व भागीदारी के निबंधनों के अधीन रहते हुए या किसी विषय पर ऐसे किसी करार के अभाव में, इस अनुसूची के उपबंधों द्वारा अवधारित किए जाएंगे।

2. सीमित दायित्व भागीदारी के सभी भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी की पूंजी, लाभों और हानियों में समान रूप से हिस्सा बंटाने के लिए हकदार हैं।

3. सीमित दायित्व भागीदारी प्रत्येक भागीदार को उसके द्वारा -

(क) सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के सामान्य और समुचित संचालन में ; या

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार या संपत्ति के परिरक्षण के लिए आवश्यक रूप से की गई किसी बात में या उसके बारे में,

किए गए संदायों और उपगत वैयक्तिक दायित्वों के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी।

4. प्रत्येक भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के

संचालन में उसके कपट से उसको हुई किसी हानि के लिए सीमित दायित्व भागीदारी को क्षतिपूरित करेगा ।

5. प्रत्येक भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के प्रबंध में भाग ले सकेगा ।

6. कोई भी भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार या प्रबंध में कार्य करने के लिए पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा ।

7. विद्यमान भागीदारों की सहमति के बिना किसी व्यक्ति को भागीदार के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

8. सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित कोई विषय या मुद्दा भागीदारों की संख्या में बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक भागीदार का एक मत होगा । तथापि, सभी भागीदारों की सहमति के बिना सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा ।

9. प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके द्वारा किए गए विनिश्चय, ऐसे विनिश्चय किए जाने के बीस दिन के भीतर कार्यवृत्त में लेखबद्ध किए जाएं और सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में रखे और अनुरक्षित किए जाएं ।

10. प्रत्येक भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी को प्रभावित करने वाली बातों के बारे में वास्तविक लेखा और पूरी जानकारी किसी भागीदार या उसके विधिक प्रतिनिधियों को देगा ।

11. यदि कोई भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी की सहमति के बिना, उसी प्रकृति का कोई कारबार करता है जो सीमित दायित्व भागीदारी का है और उससे प्रतियोगिता करता है तो वह उस कारबार में उसे हुए सभी लाभों का, सीमित दायित्व भागीदारी को हिसाब देगा और उनका उसे संदाय करने के लिए दायी होगा ।

12. प्रत्येक भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी की सहमति के बिना, सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित किसी संव्यवहार से या सीमित दायित्व भागीदारी की संपत्ति, नाम या किसी कारबारी संपर्क से

उसके द्वारा व्युत्पन्न किसी फायदे का सीमित दायित्व भागीदारी को हिसाब देगा ।

13. भागीदारों का कोई बहुमत किसी भागीदार को तभी निष्कासित कर सकता है जब भागीदारों के बीच स्पष्ट करार द्वारा ऐसा करने के लिए कोई शक्ति प्रदान की गई हो ।

14. भागीदारों के बीच सीमित दायित्व भागीदारी करार से उद्भूत ऐसे सभी विवाद, जिनका निपटान ऐसे करार के निबंधनानुसार नहीं किया जा सकता है, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (1996 का 26) के उपबंधों के अनुसार माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 55 देखिए)

### फर्म से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन

1. **निर्वचन** - इस अनुसूची में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "फर्म" से भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) की धारा 4 में यथापरिभाषित फर्म अभिप्रेत है ;

(ख) किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने वाली फर्म के संबंध में, "संपरिवर्तन" से फर्म की संपत्ति, आस्तियों, हितों, अधिकारों, विशेषाधिकारों, दायित्वों, बाध्यताओं और उपक्रम का इस अनुसूची के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरण अभिप्रेत है ।

2. **फर्म से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन** - (1) कोई फर्म इस अनुसूची में उपवर्णित संपरिवर्तन की अपेक्षाओं का अनुपालन करके सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी ।

(2) ऐसे संपरिवर्तन पर, फर्म के भागीदार इस अनुसूची के उन उपबंधों द्वारा आबद्ध होंगे, जो उनको लागू होते हैं ।

3. **संपरिवर्तन के लिए पात्रता** - कोई फर्म सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए इस अनुसूची के अनुसार आवेदन कर सकेगी यदि

और केवल तभी जब सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों में, जिसमें फर्म का संपरिवर्तन किया जाना है, उस फर्म के सभी भागीदार सम्मिलित हैं, न कि कोई और ।

**4. फाइल किए जाने वाला विवरण** - कोई फर्म किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को निम्नलिखित फाइल करते हुए आवेदन कर सकेगी -

(क) उसके सभी भागीदारों द्वारा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से तथा ऐसी फीस के साथ जो केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित विशिष्टियां, अंतर्विष्ट करते हुए, विवरण, अर्थात् :-

(i) फर्म का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या यदि लागू हो ;  
और

(ii) वह तारीख जिसको फर्म भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) या किसी अन्य विधि, यदि लागू हो, के अधीन रजिस्ट्रीकृत की गई थी ; और

(ख) धारा 11 में निर्दिष्ट निगमन दस्तावेज और विवरण ।

**5. संपरिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण** - पैरा 4 में निर्दिष्ट दस्तावेजों को प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दस्तावेजों को रजिस्टर करेगा और ऐसे प्ररूप में जो रजिस्ट्रार अवधारित करे, यह कथन करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है :

परंतु सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर, संबंधित उस फर्म रजिस्ट्रार को, जिसके पास वह भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत थी, संपरिवर्तन के बारे में और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों की ऐसे प्ररूप और रीति में सूचना देगी, जो केंद्रीय सरकार विहित करे ।

**6. रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से इनकार कर सकेगा** - (1) इस

अनुसूची की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या अन्य जानकारी से उसका समाधान नहीं होता है तो वह रजिस्ट्रार से, किसी सीमित दायित्व भागीदारी को रजिस्टर करने की अपेक्षा करती है :

परंतु रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण से इनकार की दशा में अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकेगी ।

(2) रजिस्ट्रार, किसी विशिष्ट मामले में, पैरा 4 में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों को ऐसी रीति में सत्यापित कराने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

**7. रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव** - पैरा 5 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ही, -

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नाम से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी होगी ;

(ख) फर्म में निहित सभी मूर्त संपत्ति (जंगम और स्थावर) और अमूर्त संपत्ति और फर्म से संबंधित सभी आस्तियां, हित, अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और फर्म का संपूर्ण उपक्रम किसी और आशवासन, कृत्य या विलेख के बिना सीमित दायित्व भागीदारी को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे ; और

(ग) फर्म विघटित समझी जाएगी और यदि वह भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9) के अधीन पहले से रजिस्ट्रीकृत है तो उस अधिनियम के अधीन रखे गए अभिलेखों से हटा दी जाएगी ।

**8. संपत्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण** - यदि कोई संपत्ति, जिसको पैरा 7 का उपपैरा (ख) लागू होता है, किसी प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत है, तो सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् यथासाध्य शीघ्र, संपरिवर्तन के प्राधिकार और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों को ऐसे माध्यम और ऐसे प्ररूप में, अधिसूचित

करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी जो सुसंगत प्राधिकारी अपेक्षा करे ।

**9. लंबित कार्यवाहियां** - फर्म द्वारा या उसके विरुद्ध सभी कार्यवाहियां, जो किसी न्यायालय या अधिकरण में या किसी प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण की तारीख को लंबित हैं, सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, पूरी की जा सकेंगी और प्रवृत्त की जा सकेंगी ।

**10. दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय का जारी रहना** - किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी की फर्म के पक्ष में या उसके विरुद्ध कोई दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवृत्त किया जा सकेगा ।

**11. विद्यमान करार** - ऐसा प्रत्येक करार, जिसका फर्म रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व एक पक्षकार थी, चाहे वह ऐसी प्रकृति का था यह कि उसके अधीन अधिकार या दायित्व समनुदेशित किए जा सकें उस दिन से वैसे ही प्रभावी रहेगा, मानो -

(क) फर्म के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे करार की पक्षकार हो ; और

(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् की गई किसी बात की बाबत फर्म के प्रतिनिर्देश के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी के प्रतिनिर्देश रखा गया हो ।

**12. विद्यमान संविदाएं आदि** - रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान ऐसे सभी विलेख, संविदाएं, स्कीम, बंधपत्र, करार, आवेदन, लिखत और ठहराव जो फर्म से संबंधित हैं या जिनमें फर्म एक पक्षकार है, उस तारीख को और उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बने रहेंगे मानो वे सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित हों और सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध उसी प्रकार प्रवर्तनीय होंगे मानो सीमित दायित्व भागीदारी उसमें नामित की गई हो या फर्म के स्थान पर वह उसकी पक्षकार हो ।



**13. नियोजन का जारी रहना** - नियोजन की प्रत्येक संविदा जिसे पैरा 11 या पैरा 12 लागू होते हैं, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बनी रहेगी मानो फर्म के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी उसके अधीन नियोजक हो ।

**14. विद्यमान नियुक्ति, प्राधिकार या शक्ति** - (1) किसी भी भूमिका या हैसियत में फर्म की प्रत्येक नियुक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त है उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी नियुक्त की गई हो ।

(2) फर्म को प्रदत्त कोई प्राधिकार या शक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो वह सीमित दायित्व भागीदारी को प्रदत्त की गई हो ।

**15. पैरा 7 से पैरा 14 का लागू होना** - पैरा 7 से पैरा 14 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध ऐसे किसी अन्य अधिनियम के अधीन, जो सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, फर्म को जारी किए गए किसी अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति को, ऐसे अन्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जिसके अधीन ऐसा अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति जारी की गई है ।

**16. भागीदार का संपरिवर्तन से पूर्व फर्म के दायित्वों और बाध्यताओं के लिए दायी होना** - (1) पैरा 7 से पैरा 14 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसी फर्म का, जो सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो गई है, प्रत्येक भागीदार फर्म के ऐसे दायित्वों और बाध्यताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से (सीमित दायित्व भागीदारी के साथ संयुक्त रूप से और पृथक् रूप से) दायी बनी रहेगी, जो संपरिवर्तन के पूर्व उपगत हुई हों या जो संपरिवर्तन के पूर्व किसी संविदा से उद्भूत हुई हों ।

(2) यदि ऐसा कोई भागीदार पैरा (1) में निर्दिष्ट किसी दायित्व या बाध्यता का निर्वहन करता है तो वह ऐसे दायित्व या बाध्यता के संबंध में (सीमित दायित्व भागीदारी के साथ किसी करार के अधीन रहते हुए)

सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति किए जाने का हकदार होगा ।

**17. पत्राचार में संपरिवर्तन की सूचना** - (1) सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् चौदह दिन के अपश्चात् प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि के लिए सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक शासकीय पत्राचार में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे :-

(क) यह विवरण कि फर्म रजिस्ट्रीकरण की तारीख से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो गई थी ;

(ख) उस फर्म का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्यांक (यदि लागू हो) जिससे वह संपरिवर्तित हुई थी ।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी, जो उपपैरा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और अतिरिक्त जुर्माने से जो पहले दिन के पश्चात् जिसको व्यतिक्रम जारी रहता है प्रत्येक दिन के लिए पचास रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

तीसरी अनुसूची

(धारा 56 देखिए)

**प्राइवेट कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन**

**1. निर्वचन** - इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (iii) में यथापरिभाषित प्राइवेट कंपनी अभिप्रेत है;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने वाली प्राइवेट कंपनी के संबंध में "संपरिवर्तन" से कंपनी की संपत्ति,

आस्तियों, हितों, अधिकारों, विशेषाधिकारों, बाध्यताओं और उपक्रम का इस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरण अभिप्रेत है ।

**2. प्राइवेट कंपनियों की सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए पात्रता** - (1) कोई कंपनी इस अनुसूची में उपवर्णित संपरिवर्तन की अपेक्षाओं का अनुपालन करके सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी ।

(2) कोई कंपनी इस अनुसूची के अनुसार किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए केवल तभी आवेदन कर सकेगी यदि -

(क) आवेदन के समय आस्तियों में कोई प्रतिभूति हित विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, और

(ख) उस सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसमें वह संपरिवर्तित होती है भागीदारों में कंपनी के सभी शेयरधारक सम्मिलित हैं, न कि कोई और ।

(3) ऐसे संपरिवर्तन पर, कंपनी, उसके शेयरधारक, सीमित दायित्व भागीदारी, जिसमें कंपनी संपरिवर्तित हो गई है और उस सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार इस अनुसूची के उन उपबंधों से आबद्ध होंगे, जो उन्हें लागू होते हैं ।

**3. फाइल किए जाने वाला विवरण** - कंपनी किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को निम्नलिखित फाइल करते हुए आवेदन कर सकेगी -

(क) उसके सभी शेयरधारकों द्वारा ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसी फीस के साथ जो केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे, निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, विवरण, अर्थात् :-

(i) कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या ;

(ii) वह तारीख जिसको कंपनी निगमित की गई थी ;

और

(ख) धारा 11 में निर्दिष्ट निगमन दस्तावेज और विवरण ।

**4. संपरिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण** - पैरा 3 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के प्राप्त होने पर रजिस्ट्रार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए दस्तावेजों को रजिस्टर करेगा और ऐसे प्ररूप में जो रजिस्ट्रार अवधारित करे, यह कथन करते हुए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है :

परंतु सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार को, जिसके पास वह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत थी, संपरिवर्तन के बारे में और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों की ऐसे प्ररूप और रीति में सूचना देगी, जो केंद्रीय सरकार विहित करे ।

**5. रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से इनकार कर सकेगा** - (1) इस अनुसूची की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या अन्य जानकारी से उसका समाधान नहीं होता है तो वह रजिस्ट्रार से, सीमित दायित्व भागीदारी को रजिस्टर करने की अपेक्षा करती है :

परंतु रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण से इनकार की दशा में अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकेगी ।

(2) रजिस्ट्रार किसी विशिष्ट मामले में, पैरा 3 में निर्दिष्ट दस्तावेजों को ऐसी रीति में सत्यापित कराए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

**6. रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव** - पैरा 4 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ही, -

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नाम से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सीमित दायित्व भागीदारी होगी ;

(ख) कंपनी में निहित सभी मूर्त संपत्ति (जंगम और स्थावर) और अमूर्त संपत्ति, कंपनी से संबंधित सभी आस्तियां, हित, अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और कंपनी का संपूर्ण उपक्रम किसी और आश्वासन, कृत्य या विलेख के बिना सीमित दायित्व भागीदारी को अंतरित हो जाएंगे और उसमें निहित हो जाएंगे ; और

(ग) कंपनी विघटित समझी जाएगी और उसे कंपनी रजिस्ट्रार के अभिलेखों से हटा दिया जाएगा ।

**7. संपत्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण** - यदि कोई संपत्ति जिसको पैरा 6 का उपपैरा (ख) लागू होता है, किसी प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत है, तो सीमित दायित्व भागीदारी, यथासाध्य शीघ्र, रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् संपरिवर्तन के प्राधिकार और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों को ऐसे प्ररूप और रीति में, जो प्राधिकारी अवधारित करे, अधिसूचित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी जो सुसंगत प्राधिकारी अपेक्षा करे ।

**8. लंबित कार्यवाहियां** - कंपनी द्वारा या कंपनी के विरुद्ध सभी कार्यवाहियां जो किसी न्यायालय या अधिकरण में या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण की तारीख को लंबित हैं, सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, पूरी की जा सकेंगी और प्रवृत्त की जा सकेंगी ।

**9. दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय का जारी रहना** - किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी की कंपनी के पक्ष में या उसके विरुद्ध कोई दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय सीमित दायित्व सीमित भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवृत्त किया जा सकेगा ।

**10. विद्यमान करार** - ऐसा प्रत्येक करार जिसका कंपनी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व कंपनी एक पक्षकार थी, चाहे वह ऐसी प्रकृति का था या नहीं कि उसके अधीन अधिकार या दायित्व समनुदेशित किए जा सकें, उस दिन से वैसे ही प्रभावी रहेगा, मानो :-

(क) कंपनी के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी उस करार

की पक्षकार हो ; और

(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् की गई किसी बात की बाबत कंपनी के प्रतिनिर्देश के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी के प्रतिनिर्देश रखा गया हो ।

**11. विद्यमान संविदाएं, आदि** - रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान ऐसे सभी विलेख, संविदाएं, स्कीमें, बंधपत्र, करार, आवेदन, लिखित और ठहराव जो कंपनी से संबंधित हैं या जिनमें कंपनी एक पक्षकार है उस तारीख को और उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बने रहेंगे मानो वे सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित हों और सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे मानो सीमित दायित्व भागीदारी उसमें नामित की गई हो या वह कंपनी के स्थान पर उसकी पक्षकार हो ।

**12. नियोजन का जारी रहना** - नियोजन की प्रत्येक संविदा जिसे पैरा 10 या पैरा 11 लागू होते हैं, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बनी रहेगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी के स्थान पर उसके अधीन नियोजक थी ।

**13. विद्यमान नियुक्ति, प्राधिकार या शक्ति** - (1) किसी भूमिका या हैसियत में कंपनी की प्रत्येक नियुक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त है उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी नियुक्त की गई हो ।

(2) कंपनी को प्रदत्त कोई प्राधिकार या शक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो वह सीमित दायित्व भागीदारी को प्रदत्त की गई हो ।

**14. पैरा 6 से पैरा 13 का लागू होना** - पैरा 6 से पैरा 13 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध ऐसे किसी अन्य अधिनियम के अधीन, जो सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, कंपनी को जारी किए गए किसी अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति को, ऐसे अन्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जिसके अधीन ऐसा अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति जारी की

गई है ।

**15. पत्राचार में संपरिवर्तन की सूचना** - (1) सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि रजिस्ट्रीकरण को तारीख के पश्चात् चौदह दिन के अपश्चात् प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि के लिए सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक शासकीय पत्राचार में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात् :-

(क) यह विवरण कि कंपनी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो गई थी ;

(ख) कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकरण जिससे वह संपरिवर्तित हुई थी ।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी जो उपपैरा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगी किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा और अतिरिक्त जुर्माने से, जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसको व्यतिक्रम जारी रहता है, पचास रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगी ।

चौथी अनुसूची

(धारा 57 देखिए)

**असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन**

**1. निर्वचन** - इस अनुसूची में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "कंपनी" से असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी अभिप्रेत है ;

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने वाली कंपनी के संबंध में "संपरिवर्तन" से कंपनी की संपत्ति, आस्तियों, हितों, अधिकारों, विशेषाधिकारों, बाध्यताओं और उपक्रम का इस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी में

अंतरण अभिप्रेत है ;

(ग) “सूचीबद्ध कंपनी” से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रकटन और विनिधानकर्ता संरक्षण) मार्गनिर्देश, 2000 में यथा परिभाषित सूचीबद्ध कंपनी अभिप्रेत है ;

(घ) “असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी” से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जो सूचीबद्ध कंपनी नहीं है ।

**2. कंपनी का सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन -** (1) कोई कंपनी इस अनुसूची में उपवर्णित संपरिवर्तन की अपेक्षाओं का अनुपालन करके सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित हो सकेगी ।

(2) ऐसे संपरिवर्तन पर कंपनी, उसके शेयरधारक, सीमित दायित्व भागीदारी, जिसमें कंपनी संपरिवर्तित हो गई है और उस सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार इस अनुसूची के उन उपबंधों से आबद्ध होंगे, जो उन्हें लागू होते हैं ।

**3. संपरिवर्तन के लिए पात्रता -** कोई कंपनी इस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेगी यदि -

(क) आवेदन के समय आस्तियों में कोई प्रतिभूति हित विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है ; और

(ख) उस सीमित दायित्व भागीदारी के, जिसमें यह संपरिवर्तित होती है, भागीदारों में कंपनी के सभी शेयरधारक सम्मिलित हैं न कि कोई और ।

**4. विवरण का फाइल किया जाना -** कोई कंपनी किसी सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को निम्नलिखित फाइल करते हुए आवेदन कर सकेगी -

(क) उसके सभी शेयरधारकों द्वारा ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसी फीस के साथ जो केंद्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे,



निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए, विवरण, अर्थात् :-

(i) कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या ; और

(ii) वह तारीख जिसको कंपनी निगमित की गई थी ;

और

(ख) धारा 11 में निर्दिष्ट निगमन दस्तावेज और विवरण ।

**5. संपरिवर्तन का रजिस्ट्रीकरण** - पैरा 4 में निर्दिष्ट दस्तावेजों के प्राप्त होने पर, रजिस्ट्रार इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, दस्तावेजों को रजिस्टर करेगा और ऐसे प्ररूप में जो रजिस्ट्रार अवधारित करे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र यह कथन करते हुए जारी करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट तारीख से ही इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है :

परंतु सीमित दायित्व भागीदारी, रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर संबंधित कंपनी रजिस्ट्रार को, जिसके पास वह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत थी, संपरिवर्तन के बारे में और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों की ऐसे प्ररूप और रीति में सूचना देगी, जो केंद्रीय सरकार विहित करे ।

**6. रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से इनकार कर सकेगा** - (1) इस अनुसूची की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि यदि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रस्तुत की गई विशिष्टियों या अन्य जानकारी से उसका समाधान नहीं होता है तो वह रजिस्ट्रार से सीमित दायित्व भागीदारी को रजिस्टर करने की अपेक्षा करती है :

परंतु रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण से इनकार की दशा में अधिकरण के समक्ष अपील की जा सकेगी ।

(2) रजिस्ट्रार किसी विशिष्ट मामले में पैरा 4 में निर्दिष्ट दस्तावेजों को ऐसी रीति में सत्यापित कराए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

**7. रजिस्ट्रीकरण का प्रभाव** - पैरा 5 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ही, -

(क) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट नाम से इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सीमित दायित्व भागीदारी होगी ;

(ख) कंपनी में निहित सभी मूर्त संपत्ति (जंगम और स्थावर) और अमूर्त संपत्ति, कंपनी से संबंधित सभी आस्तियां, हित, अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और कंपनी का संपूर्ण उपक्रम किसी और आश्वासन, कृत्य या विलेख के बिना सीमित दायित्व भागीदारी में अंतरित हो जाएंगे और उनमें निहित हो जाएंगे ; और

(ग) कंपनी विघटित समझी जाएगी और उसे कंपनी रजिस्ट्रार के अभिलेखों से हटा दिया जाएगा ।

**8. संपत्ति के संबंध में रजिस्ट्रीकरण** - यदि कोई संपत्ति जिसको पैरा 7 का खंड (ख) लागू होता है, किसी प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत है, तो सीमित दायित्व भागीदारी यथाशीघ्र रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् यथा अपेक्षित संपरिवर्तन के प्राधिकार और सीमित दायित्व भागीदारी की विशिष्टियों को, ऐसे प्ररूप और रीति में जो प्राधिकारी अवधारित करे, अधिसूचित करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगी जो सुसंगत प्राधिकारी अपेक्षा करे ।

**9. लंबित कार्यवाहियां** - कंपनी द्वारा या कंपनी के विरुद्ध सभी कार्यवाहियां जो किसी न्यायालय या अधिकरण में या किसी प्राधिकारी के समक्ष रजिस्ट्रीकरण की तारीख को लंबित हैं, सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रखी जा सकेंगी, पूरी की जा सकेंगी और प्रवृत्त की जा सकेंगी ।

**10. दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय का जारी रहना** - किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी का कंपनी के पक्ष में या उसके विरुद्ध कोई दोषसिद्धि, विनिर्णय, आदेश या निर्णय सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवृत्त किया जा सकेगा ।

**11. विद्यमान करार** - ऐसा प्रत्येक करार, जिसकी कंपनी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व एक पक्षकार थी, चाहे ऐसी प्रकृति

का था या नहीं कि तद्दीन अधिकार या दायित्व समनुदेशित किए जा सकें, उस दिन से वैसे ही प्रभावी रहेगा, मानो -

(क) कंपनी के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी ऐसे करार की पक्षकार थी ; और

(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् की गई किसी बात की बाबत कंपनी के प्रतिनिर्देश के स्थान पर सीमित दायित्व भागीदारी के प्रतिनिर्देश रखा गया हो ।

**12. विद्यमान संविदाएं आदि** - रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान ऐसे सभी विलेख, संविदाएं, स्कीम, बंधपत्र, करार, आवेदन, लिखत और ठहराव जो कंपनी से संबंधित हैं या जिनमें कंपनी एक पक्षकार है उस तारीख को और उसके पश्चात् वैसे ही जारी रहेंगे मानो वे सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित हों, और सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगे मानो सीमित दायित्व भागीदारी उसमें नामित की गई हो या वह कंपनी के स्थान पर उसकी पक्षकार हो ।

**13. नियोजन का जारी रहना** - नियोजन की प्रत्येक संविदा जिसे पैरा 11 या पैरा 12 लागू होते हैं, रजिस्ट्रीकरण की तारीख को या उसके पश्चात् वैसे ही प्रभावी बनी रहेगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी कंपनी के स्थान पर उसके अधीन नियोजक थी ।

**14. विद्यमान नियुक्ति प्राधिकार या शक्ति** - (1) किसी भूमिका या हैसियत में कंपनी की प्रत्येक नियुक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से पूर्व प्रवृत्त है, उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी नियुक्त की गई हो ।

(2) कंपनी को प्रदत्त कोई प्राधिकार या शक्ति जो रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है उस तारीख से वैसे ही प्रभावी और प्रवर्तित होगी मानो वह सीमित दायित्व भागीदारी को प्रदत्त की गई हो ।

**15. पैरा 7 से पैरा 14 का लागू होना** - पैरा 7 से पैरा 14 (जिसमें दोनों सम्मिलित हैं) के उपबंध ऐसे किसी अन्य अधिनियम के अधीन,

जो सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से ठीक पूर्व प्रवर्तन में है, कंपनी को जारी किए गए किसी अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति को, ऐसे अन्य अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए लागू होंगे, जिसके अधीन ऐसा अनुमोदन, अनुज्ञापत्र या अनुज्ञप्ति जारी की गई है ।

**16. पत्राचार में संपरिवर्तन की सूचना** - (1) सीमित दायित्व भागीदारी यह सुनिश्चित करेगी कि रजिस्ट्रीकरण की तारीख के पश्चात् चौदह दिन के अपश्चात् प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि के लिए सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक शासकीय पत्राचार में निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थात् :-

(क) यह विवरण कि कंपनी रजिस्ट्रीकरण की तारीख से सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तित हो गई थी ;

(ख) कंपनी का नाम और रजिस्ट्रीकरण जिससे यह संपरिवर्तित हुई थी ।

(2) कोई सीमित दायित्व भागीदारी जो उपपैरा (1) के उपबंधों का उल्लंघन करती है, जुर्माने से जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा किंतु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, और अतिरिक्त जुर्माने से जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए जिसको व्यतिक्रम जारी रहता है पचास रुपए से कम होगा किंतु जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

---

**विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रयार्थ उपलब्ध  
पाठ्य पुस्तकों की सूची**

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम एवं प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पृष्ठ सं.	पुस्तक की मूल मुद्रित कीमत (रुपयों में)	विशेष छूट के पश्चात् पुस्तक की कीमत (रुपयों में)
1.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996	273	115	29.00
2.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	209	225	57.00
3.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2004	501	580	290.00
4.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	340	120	60.00
5.	निर्णय लेखन - न्या. भगवती प्रसाद बेरी - 2019	190	175	-

**अन्य महत्वपूर्ण प्रकाशन**

1. विधि शब्दावली	सातवां संस्करण, 2015	कीमत रु. 375/-
2. निर्वाचन विधि निर्देशिका (भाग-1 तथा भाग-2)	नवीनतम संस्करण, 2019	कीमत रु. 1,900/-
3. भारत का संविधान (सिंधी भाषा में)	1998	कीमत रु. 45/-
4. बहुभाषी संविधान शब्दावली	1986	कीमत रु. 12/-
5. भारत का संविधान	2021	कीमत रु. 300/-

**विधि साहित्य प्रकाशन**

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

Website : [www.lawmin.nic.in](http://www.lawmin.nic.in)

Email : [am.vsp-molj@gov.in](mailto:am.vsp-molj@gov.in)

## सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं - उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के चयनित क्रमशः सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत क्रमशः ₹ 2,100/-, ₹ 1,300/- और ₹ 1,300/- है। तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें। साथ ही यह भी अवगत कराया जाता है कि केन्द्रीय अधिनियमों, विधि शब्दावली, विधि पत्रिकाओं और अन्य विधि प्रकाशनों को आन लाइन <https://bharatkosh.gov.in/product/product> पर प्राप्त किया जा सकता है।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105

विक्रेता : सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001। दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in